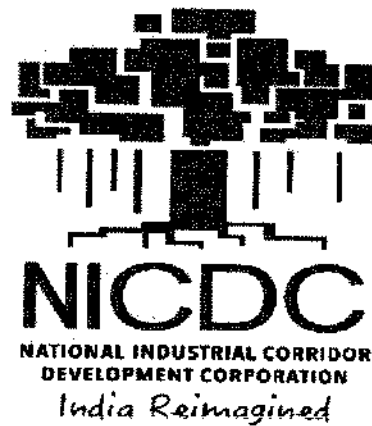


**राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास
निगम लिमिटेड**

(एनआईसीडीसी लि.)

**(पूर्व में दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर
विकास निगम लिमिटेड)**

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316



वित्तीय वर्ष 2021-22

संगठन के संबंध में प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र ओ.एम नं. के पैरा 02 पर भेजा गया
एल.ए.एफ.इ.ए. एस -सी.बी.॥067/18/2019-सी.बी.-॥ दिनांक 23.10.2019 लोकसभा सचिवालय

मंत्रालय का नाम: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

विभाग का नाम: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डी.पी.आई.आई.टी)

संगठन का नाम: राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड
(पूर्व में दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड)

क्रम संख्या	विवरण	टिप्पणी												
1	कृपया निर्दिष्ट करें, क्या संगठन स्वायत्त / सांविधिक निकाय, संयुक्त उद्यम, निगम, सार्वजनिक उपक्रम, आदि है	निगम												
2	संगठन की स्थापना का वर्ष	2008												
3	क्या संगठन संबंधित मंत्रालय / विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डी.पी.आई.आई.टी)												
4	संगठन को संचालित करने वाले अधिनियम / नियम / विनियम	कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सामान्य वित्तीय नियम, 2017												
5	क्या उपरोक्त क्रम संख्या 4 में उल्लिखित अधिनियम / नियम / विनियमन में सदन के पटल पर संगठन की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा रखने के प्रावधान हैं? (हाँ या नहीं में इंगित करें) (कृपया अधिनियम / नियम / विनियमन की एक प्रति संलग्न करें)	हाँ (सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 237 संलग्न हैं)												
6	यदि क्रम संख्या 5 से ऊपर का उत्तर हाँ में है, तो इन रिपोर्टों को पटल पर रखने के लिए निर्धारित समय सीमा को इंगित करें।	31 दिसंबर												
7	क्या संबंधित मंत्रालय / विभाग से संगठन को वित्तीय सहायता (एक बार / आवर्ती / वार्षिक) प्राप्त हुई है।	वार्षिक												
8	क्या स्थापना के बाद से निरंतर, संगठन की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं, (हाँ या नहीं में इंगित करें)	हाँ												
9	यदि ऊपर दिए गए क्रम संख्या 8 का उत्तर हाँ है, तो पिछले तीन वर्षों यानी 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए सदन के पटल पर अपेक्षित दस्तावेज रखने की तिथि (तारीखों) को इंगित करें।	<table> <tr> <th>वित्तीय वर्ष</th><th>लोकसभा</th><th>राज्यसभा</th></tr> <tr> <td>2018-19</td><td>04.12.2019</td><td>06.12.2019</td></tr> <tr> <td>2019-20</td><td>15.12.2021</td><td>12.02.2021</td></tr> <tr> <td>2020-21</td><td>23.03.2022</td><td>25.03.2022</td></tr> </table>	वित्तीय वर्ष	लोकसभा	राज्यसभा	2018-19	04.12.2019	06.12.2019	2019-20	15.12.2021	12.02.2021	2020-21	23.03.2022	25.03.2022
वित्तीय वर्ष	लोकसभा	राज्यसभा												
2018-19	04.12.2019	06.12.2019												
2019-20	15.12.2021	12.02.2021												
2020-21	23.03.2022	25.03.2022												
10	यदि क्रम संख्या 8 के ऊपर का उत्तर नहीं है, तो इसकी स्थापना के बाद से उन वर्षों का उल्लेख कारणों के साथ, जिनके लिए संगठन द्वारा अपेक्षित दस्तावेज नहीं रखे गए हैं, तथा वही, सदन के पटल पर कब तक रखे जाने की उम्मीद है।	लागू नहीं												



authority, not being a foreign State or international Body/Organization, the Comptroller and Auditor General is competent under Section 15 (1) of the CAG's (DPC) Act, 1971, to scrutinize the procedures by which the sanctioning authority satisfies itself as to the fulfillment of the conditions subject to which such Grants and/or loans were given and shall, for this purpose, have right of access to the books and accounts of that Institute or Organisation or authority.

Rule 236 (3) In all other cases, the Institution or Organisation shall get its accounts audited from Chartered Accountants of its own choice.

Rule 236 (4) Where the Comptroller and Auditor General of India is the sole auditor for a local Body or Institution, auditing charges will be payable by the auditee Institution in full unless specifically waived by Government

Rule 237 Time Schedule for submission of annual accounts. The dates prescribed for submission of the annual accounts for Audit leading to the issue of Audit Certificate by the Comptroller and Auditor General of India and for submission of annual report and audited accounts to the nodal Ministry for timely submission to the Parliament are listed below:-

- (i) Approved and authenticated annual accounts to be made available by the Autonomous Body to the concerned Audit Office and commencement of audit of annual accounts-30th June
- (ii) Issue of the final SAR in English version with audit certificate to Autonomous Body/ Government concerned -31st October
- (iii) Submission of the Annual Report and Audited Accounts to the Nodal for it to be laid on the Table of the Parliament -31st December

Rule 238 (1) Utilization Certificates. In respect of non-recurring Grants to an Institution or Organisation, a certificate of actual utilization of the Grants received for the purpose for which it was sanctioned in Form GFR 12-A, should be insisted upon in the order sanctioning the Grants-in-aid. The Utilization Certificate in respect of Grants referred to in Rule 230 (10) should also disclose whether the specified,

quantified and qualitative targets that should have been reached against the amount utilised, were in fact reached, and if not, the reasons therefor. They should contain an output based performance assessment instead of input based performance assessment. The Utilization Certificate should be submitted within twelve months of the closure of the financial year by the Institution or Organisation concerned. Receipt of such certificate shall be scrutinised by the Ministry or Department concerned. Where such certificate is not received from the Grantee within the prescribed time, the Ministry or Department will be at liberty to blacklist such Institution or Organisation from any future grant, subsidy or other type of financial support from the Government.

Rule 238 (2) In respect of recurring Grants, Ministry or Department concerned should release any amount sanctioned for the subsequent financial year only after Utilization Certificate in respect of Grants of preceding financial year is submitted. Release of Grants-in-aid in excess of seventy five per cent of the total amount sanctioned for the subsequent financial year shall be done only after utilisation certificate and the annual audited statement relating to Grants-in-aid released in the preceding year are submitted to the satisfaction of the Ministry/Department concerned. Reports submitted by the Internal Audit parties of the Ministry or Department and Inspection Reports received from Indian Audit and Accounts Department and the performance reports if any received for the third and fourth quarter in the year should also be looked into while sanctioning further Grants.

Rule 238 (3) Utilization certificates need not be furnished in cases where the Grants -in-aid / CFA are being made as reimbursement of expenditure already incurred on the basis of duly audited accounts. In such cases the sanction letters should specify clearly that the Utilization Certificates will not be necessary.

Rule 238 (4) In respect of Central Autonomous Organisations, the Utilization Certificate shall disclose separately the annual expenditure incurred and the funds given to suppliers of stores and assets, to construction agencies, to staff for (House

14^{वीं} वार्षिक रिपोर्ट
तथा
लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण
(वित्तीय वर्ष 2021-22)



राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास
निगम लिमिटेड
(एनआईसीडीसी लि.)
(पूर्व में दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर
विकास निगम लिमिटेड)

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	कंपनी का परिचय	1 - 2
2.	अध्यक्ष का संदेश	3 - 5
3.	कॉर्पोरेट सूचना	6
4.	वार्षिक आम बैठक की सूचना	7 - 13
5.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड रिपोर्ट	14 - 53
6.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट	54 - 55
7.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	56 - 71
8.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरण	72 - 98
9.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट	99 - 100
10.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	101 - 110
11.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण	111 - 142

कंपनी का परिचय

विनिर्माण में वृद्धि को तीव्र करने के उद्देश्य से और व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध शहरीकरण को सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने राज्य सरकारों की भागीदारी में परिवहन संपर्कता अवसंरचना के आधार पर एकीकृत औद्योगिक गलियारे विकसित करने की रणनीति को अपनाया है।

उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रिमंडल ने रेलवे समर्पित पश्चिमी माल यातायात गलियारे के आधार पर संकल्पित प्रथम औद्योगिक गलियारे के रूप में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी) प्रोजेक्ट को अनुमोदन प्रदान किया। तदनुसार, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (अब नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन - एनआईसीडीसी के नाम से विदित) को जनवरी, 2008 में डीएमआईसी प्रोजेक्ट के लिए परियोजना विकास एजेंसी के रूप में नियमित किया गया।

वैश्विक विनिर्माण और निवेश गंतव्य के रूप में औद्योगिक शहरों में विश्व श्रेणी की अवसंरचना विकास हेतु वित्तपोषण को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार ने सितंबर, 2011 में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआई-पीआईटीएफ) के रूप में पहचाने जाने वाले कॉर्पोस के साथ एक समर्पित निधि के सृजन को भी अनुमोदन प्रदान किया जो डीपीआईआईटी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी) प्रोजेक्ट सहित विभिन्न अन्य औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के समन्वित और एकीकृत विकास के लिए मौजूदा डीएमआईसी-पीआईटीएफ के अधिदेश का विस्तार किया और दिसंबर, 2016 में नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के रूप में पुनःनामित किया।

एनआईसीडीआईटी के कार्यक्षेत्र और अधिदेश में विस्तार के कारण, डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के दायरे को भी विस्तारित किया गया और डीएमआईसीडीसी को सभी औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं जिन्हें भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया अथवा जिनकी भविष्य में घोषणा की जाएगी, परियोजना विकास गतिविधियां क्रियान्वयन का दायित्व सौंपा गया है। इसलिए, 17 फरवरी, 2020 से कंपनी का नाम डीएमआईसीडीसी से बदल कर एनआईसीडीसी कर दिया गया।

एनआईसीडीसी एक परियोजना विकास कंपनी के रूप में कार्य कर रही है जो नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर विकसित करने के लिए विभिन्न पूर्व-व्यवहार्यता, व्यवहार्यता, मास्टर प्लानिंग और इंजीनियरिंग अध्ययन करती है। एनआईसीडीआईटी, डाउनस्ट्रीम सिटी लेवल एसपीवी और प्रोजेक्ट लेवल एसपीवी के लिए एनआईसीडीसी नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करती है।

एनआईसीडीसी के मौजूदा इक्विटी शेयरधारकों में भारत सरकार (49 प्रतिशत), जिसका प्रतिनिधित्व उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा किया जाता है, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) (26 प्रतिशत) और हाऊसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कोरपोरेशन (हुडको) (19.9 प्रतिशत), इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) (4.1 प्रतिशत) एवं भारतीय जीवन बीमा निगम (1.0 प्रतिशत) जैसे वित्तीय संस्थान शामिल हैं।

कंपनी की संस्थानिक और वित्तीय संरचना

औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम का उद्देश्य देश की विनिर्माण क्षमता का दोहन करने के प्रयासों को पूरक करना और जीडीपी में इसका योगदान बढ़ाना है। औद्योगिक गलियारों की संकल्पना आसान पहुंच को सक्षम बनाने के साथ-साथ वैश्विक विनिर्माण तथा निवेश गंतव्य हबों और सर्वश्रेष्ठ इन-क्लास अवसंरचना वाले स्मार्ट शहरों को बढ़ावा देने के लिए

की गई है। इसका उद्देश्य मांग से पूर्व गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना सृजन और विनिर्माण में निवेश आकर्षित करने के लिए तत्काल आवंटन हेतु विकसित भूखंड तैयार रखना है ताकि वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक मजबूत प्रतिस्पर्धा के रूप में भारत की स्थिति मजबूत करना है। औद्योगिक गलियारे नोड स्थायी, स्मार्ट और लोचशील विनिर्माण हबों के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट शहर/नोड विकसित किए जाते हैं एवं प्लॉट स्तर पर प्लग एंड प्ले अवसंरचना उपलब्ध कराई जाती है। राज्य सरकार/सरकारों को इन औद्योगिक नोड विकसित करने के लिए जल/बिजली का निश्चित आवंटन और साइट कनेक्टिविटी के साथ उपलब्ध निकटवर्ती भूखंड उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है।

भारत सरकार ने 2011 में डीएमआईसी परियोजना के चरण-I में औद्योगिक शहरों के विकास हेतु पांच वर्षों की अवधि में उपलब्ध कराए जाने के लिए 17,500 करोड़ रुपये (अधिकतम 3,000 करोड़ रुपये के अध्यक्षीन 7 नोडों के लिए प्रत्येक हेतु 2,500 करोड़ रुपये की औसत से) के बजटीय समर्थन से डीएमआईसी परियोजना के लिए वित्तीय और संस्थानिक संरचना को अनुमोदन प्रदान किया। डीएमआईसी के अंतर्गत परियोजना विकास संबंधित गतिविधियां करने के लिए बजटीय समर्थन के रूप में 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कॉर्पस उपलब्ध कराया गया।

18,500 करोड़ रुपये के कॉर्पस के साथ-साथ 1584 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कॉर्पस (एनआईसीडीआईटी के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए 84 करोड़ रुपये सहित) स्वीकृत किया गया जिससे सभी अन्य गलियारा परियोजनाओं के लिए परियोजना विकास और क्रियान्वयन संबंधी कार्य करने हेतु कुल कॉर्पस 20,084 करोड़ रुपये हो गया।

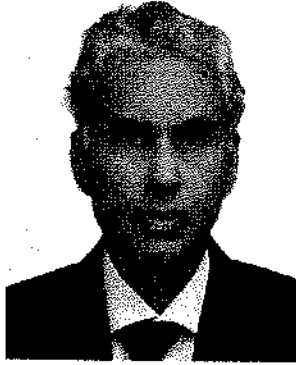
भारत सरकार से बजटीय समर्थन एनआईसीडीआईटी को प्राप्त होता है और एनआईसीडीआईटी औद्योगिक शहरों/नोड/परियोजनाएं विकसित करने के लिए भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच संयुक्त उपक्रम के रूप में निगमित विशेष प्रयोजन योजनाओं को इक्विटी और/अथवा ऋण उपलब्ध कराती है। एनआईसीडीआईटी द्वारा परियोजना संबंधी एसपीवी में निवेश इक्विटी अथवा ऋण में प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और संबंधित राज्य सरकारें अपनी इक्विटी के रूप में भूमि हस्तांतरण करती है।

भारत सरकार विभिन्न औद्योगिक गलियारा परियोजनाएं विकसित कर रही है और एनआईसीडीसी को पीएम गति शक्ति - मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी पर नेशनल मास्टर प्लान के भाग के रूप में 2024-25 तक 04 चरणों में विकसित किए जाने के लिए ग्यारह (11) औद्योगिक गलियारों जिसमें 32 नोड/परियोजनाएं शामिल हैं, के संबंध में परियोजना विकास संबंधी गतिविधियां करने का दायित्व सौंपा गया है।

ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश (747 एकड़) में इंडीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप (आईआईटीजीएन); विक्रम उद्योगपुरी (1,100 एकड़), उज्जैन, मध्य प्रदेश में इंडीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप (आईआईटीवीयूएल) और शेंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया (ओरिक) (18.55 वर्ग किमी), औरंगाबाद, महाराष्ट्र में प्रमुख मुख्य अवसंरचना संबंधी गतिविधियां पूरी हो चुकी है। जबकि धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (डीएसआईआर) (22.5 वर्ग किमी), गुजरात में मुख्य अवसंरचना गतिविधियां पूर्ण होने वाली है।

17,772 करोड़ रुपये के निवेश के साथ लगभग 979 एकड़ माप के कुल 201 प्लॉट आवंटित किए गए हैं जिसमें अभी तक ह्योसंग (दक्षिण कोरिया), एनएलएमके (रूस), हैयर (चीन), टाटा केमिकलस एवं अमूल जैसे निवेशक शामिल हैं।

अध्यक्ष का संदेश



प्रिय शेयरधारकों,

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के परिचालनिक प्रदर्शन को प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। पिछले 2 वर्ष कोविड महामारी के कारण किसी भी रूप में अकल्पनीय थे। इसके तात्कालिक परिणामों में विश्व ने आर्थिक संकुचन, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव देखा और जिसने अभूतपूर्व सरकारी कार्रवाइयों को ट्रिगर किया। महामारी ने हम सभी की गंभीर परीक्षा ली लेकिन एनआईसीडीसी ने असाधारण लोचशीलता के साथ इसका सामना किया और इन चुनौतियों ने हमें अधिक दक्ष, लोचपूर्ण और उत्तरदायी बनाया।

गेटर नौएडा, उत्तर प्रदेश (747 एकड़) में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप (आईआईटीजीएन); विक्रम उद्योगपुरी (1,100 एकड़), उज्जैन, मध्य प्रदेश में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप (आईआईटीवीयूएल) और शेंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया (ओरिक) (18.55 वर्ग किमी), औरंगाबाद, महाराष्ट्र में प्रमुख मुख्य अवसंरचना संबंधी गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं। जबकि धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (डीएसआईआर) (22.5 वर्ग किमी), गुजरात में मुख्य अवसंरचना गतिविधियां पूर्ण होने वाली हैं। कुछ उद्योगों के स्थापित होने और वाणिज्यिक उत्पादन गतिविधियां शुरू होने से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट परिचालन चरण में आ चुका है। औरंगाबाद, महाराष्ट्र में शेंद्रा इंडस्ट्रियल पार्क/औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी (ओरिक) प्रथम शहर है जिसे सितंबर, 2019 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है।

उपरोक्त 04 शहरों में प्लॉट स्तर तक वैश्विक श्रेणी वाली प्लग एंड प्ले अवसंरचना के साथ कुल 201 औद्योगिक और वाणिज्यिक प्लॉट (979 एकड़) आबंटित किए गए हैं जिसने 17,772 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है, जो एक उत्साहजनक संख्या है। इसने अर्थव्यवस्था में उच्चतर निवेश, वृद्धि और रोजगार संरचना के सुचक्र को प्रोत्साहित करने में सहायता की है।

मैं घोषणा करते हुए प्रसन्न हूँ कि कुछ कंपनियां जिन्हें भूमि आवंटित की गई थी, उनमें से कुछ ने अपना वाणिज्यिक परिचालन पहले ही शुरू कर दिया है और कुछ ने इस वित्त वर्ष में अपना परिचालन शुरू करने का लक्ष्य बनाया है। आपकी कंपनी इन विकसित शहरों में निवेश प्रोत्साहित करने के सभी प्रयास कर रही है। एनआईसीडीसी द्वारा निवेश प्रोत्साहन का मुख्य बिंदु दवा, चिकित्सा उपकरणों, एयर-कंडीशनर, एलईडी जैसे व्हाइट गुड्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपकरण विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, विद्युत वाहनों एवं इसके उपकरणों, स्वास्थ्य सेवा उपकरणों जैसे विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर जोर देते हुए 'ब्रांड बिल्डिंग' एवं 'निवेशकों को जोड़ना' है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए निवेशकों की राउंड टेबल कांफ्रेंस श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13 अक्टूबर, 2021 को विभिन्न आर्थिक ज़ोनो को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्ट प्लान (एनएमपी) का शुभारंभ किया। एनएमपी कार्यक्रम से विशेष प्रोत्साहन एवं समर्थन के साथ नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के भाग के रूप में आपकी कंपनी को नेशनल

इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के हिस्सा बनते हुए 04 चरणों में 32 परियोजनाओं के साथ 11 औद्योगिक गलियारों को विकसित करने का अधिदेश प्राप्त है।

तीन अन्य परियोजनाओं - आंध्र प्रदेश में कृष्णपटनम, कर्नाटक में तुमकुर और ग्रेटर नौएडा, उत्तर प्रदेश में एमएमएलएच एवं एमएमटीएच को आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा पहले ही अनुमोदित प्रदान कर दिया गया है, शीघ्र ही ईपीसी कांटेक्टर नियुक्त किए जाएंगे और कृष्णपटनम एवं तुमकुरु नोड में निर्माण गतिविधियों की शुरुआत के साक्षी बनेंगे।

कंपनी लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (एलडीबी) परियोजना भी शुरू कर रही है जो वर्तमान में भारत के 17 पतनों पर 170+ कंटेनर फ्रेट स्टेशनों/इन्लैंड कंटेनर डिपो, 60+ टोल प्लाजा, 3 एकीकृत चेक पोस्ट और 9 विशेष आर्थिक क्षेत्रों को कवर करती है ताकि एक्जिम कंटेनर की गतिविधियों को पूर्ण बढ़ी हुई दृश्यता प्रदान की जा सके। अभी तक एलडीबी के माध्यम से 50 मिलियन से अधिक कंटेनरों को सफलतापूर्वक ट्रैक और ट्रेस किया जा चुका है।

एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) विकसित करने के लिए एलडीबी परियोजना का लाभ उठाया गया है। यूलिप की संकल्पना "पीएम गतिशक्ति" के दृष्टिकोण के अनुसार की गई है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत साइलो को तोड़ना, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच एकीकरण को बढ़ावा देना और एकल खिड़की की व्यवस्था कर लॉजिस्टिक्स उद्योग में दक्षता और पारदर्शिता लाना है और इस प्रकार भारत को लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लागत प्रतिस्पर्धा और 'आत्मनिर्भर' बनाना है। यूलिप को 102 एपीआई के माध्यम से सात अलग-अलग मंत्रालयों की 30 प्रणालियों के साथ एकीकृत किया गया है, जिसमें 1600 से अधिक क्षेत्रों को सफलतापूर्वक शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारका में एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट अर्थात इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर (आईआईसीसी) के नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य कर रही है जिसमें निर्माण गतिविधियां तेजी से चल रही हैं और परियोजना का अगले वर्ष तक पूरा होने की आशा है।

आपकी कंपनी ने औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए नीति आधारित ऋण (पीबीएल) के रूप में एशियन बैंक डेवलपमेंट बैंक से भी 500 मिलियन अमेरिकी डालर की वित्तीय सहायता मांगी है जिसके लिए 250 मिलियन अमेरिकी डालर (उप-कार्यक्रम 1) की प्रथम किश्त भारत सरकार की समेकित निधि को पहले ही जारी की जा चुकी है। उप-कार्यक्रम 2 के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डालर हेतु कार्रवाई शुरू हो चुकी है।

औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत परियोजनाएं विश्व स्तरीय मानदंडों को पूरा करते हुए, टिकाऊ, विश्वसनीय और लचीला बुनियादी ढांचा प्रदान करती हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम परिणाम देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने में समय की कसौटी पर खरे उतरेंगे। भविष्य के लिए हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है जो समावेशी विकास के साथ सतत और एकीकृत विकास के माध्यम से आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के हमारे संकल्प में दृढ़ता से परिलक्षित होता है। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं बनाने में हमारी विशेषज्ञता के साथ, हम भारत को औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलने के राष्ट्रीय प्रयासों में अधिक उत्तरदायी मानते हैं।

मैं हमारे निदेशक मंडल के सदस्यों को उनके अमूल्य समर्थन, अनुकरणीय दूरदर्शिता और बहुमूल्य सलाह के रूप में उदार योगदान के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करना चाहता हूँ। मैं भारत सरकार, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों, बैंकों, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (C&AG), सांविधिक लेखापरीक्षकों और सचिवीय लेखापरीक्षकों से प्राप्त पूरे दिल से समर्थन के लिए भी आभारी हूँ। अंत में, हमारी कुशल जनशक्ति उनके उत्कृष्ट कार्य और एक बहु-कार्यात्मक संगठन के रूप में उनके लचीलेपन के लिए प्रशंसा और श्रेय की पात्र है।

हस्ता.

(अनुराग जैन)

कॉरपोरेट सूचना

निदेशक मंडल

श्री अनुराग जैन, आईएएस
अध्यक्ष

श्री राजीव सिंह ठाकुर, आईएएस
निदेशक

श्री अमृत लाल मीणा, आईएएस
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
प्रबंध निदेशक

श्री राजेन्द्र रत्नू, आईएएस
निदेशक

श्री काजुशिगे गोबे
निदेशक

श्री तोशिहिको कुरिहरा
निदेशक

श्री एम. नागराज
निदेशक

श्रीमती राधा रॉय
निदेशक

लेखा परीक्षा समिति

श्री राजेन्द्र रत्नू, आईएएस
निदेशक

श्री तोशिहिको कुरिहरा
निदेशक

श्रीमती राधा रॉय
निदेशक

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

श्री राजेन्द्र रत्नू
निदेशक

श्री तोशिहिको कुरिहरा
निदेशक

श्रीमती राधा रॉय
निदेशक

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति

श्री राजेन्द्र रत्नू
निदेशक

श्री तोशिहिको कुरिहरा
निदेशक

श्रीमती राधा रॉय
निदेशक

मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल

उपाध्यक्ष-कॉरपोरेट मामले, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव

श्री अभिषेक चौधरी

संवैधानिक लेखा परीक्षक

मैसर्स एस.पी. चौपड़ा एंड
कंपनी,
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

आंतरिक लेखा परीक्षक

मैसर्स वीएसपीवी एंड कंपनी,
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

सचिवीय लेखा परीक्षक

मैसर्स विकास गेरा एवं
एसोसिएट्स,
कंपनी सचिव

बैंकर

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
होटल अशोक,
घाणक्य पुरी, नई दिल्ली

पंजीकृत कार्यालय

08^{वां} तल, टॉवर-1,
जीवन भारती भवन,
124, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली - 110001

वार्षिक आम बैठक सूचना

वार्षिक आम सभा बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित) के सदस्यों की 14वीं (चौदहवीं) वार्षिक आम सभा बैठक 29 सितंबर, 2022 को दोपहर 03.30 बजे 8वां तल, टॉवर 1, जीवन भारती बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001 पर निम्न कारोबार संव्यवहार करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) से आयोजित की जाएगी: -

साधारण संव्यवहार-

1. 31 मार्च, 2022 को लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों (एकल एवं समेकित) और उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लिए लेखापरीक्षकों और निदेशक मंडल की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना तथा स्वीकार करना।
2. श्री मुनियप्पा नागराज, कंपनी के निदेशक, जो क्रमानुसार रिटायर हो रहे हैं, उनके स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना और पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश की है और इस संबंध में विचार करने, और यदि उचित पाया जाता है तो निम्न संकल्प को आशोधन(नों) सहित अथवा बिना आशोधन के साथ एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:-

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा के 152 के प्रावधानों के अनुसार श्री मुनियप्पा नागराज, कंपनी के निदेशक, जो क्रम आने पर रिटायर हो रहे हैं और जिन्होंने पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश की है, उन्हें एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है जो बारी आने पर रिटायर होने के पात्र है।"

3. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा नियुक्त किए गए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक निश्चित करना और इस संबंध में विचार करना और यदि उचित पाया जाता है तो निम्न संकल्प को आशोधन(नों) सहित अथवा बिना आशोधन के साथ एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:-

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई है तो, उनके अनुपालन में मैसर्स एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली (आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. डीई0010) जिसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 2022 के पत्र सं. /सीए.वी./सीओवाई/सेंट्रल गवर्नमेंट, डीएमआईसीडीसी(0)/409 जिसकी प्रति बैठक के सम्मुख प्रस्तुत है, के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है, उनकी सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए सहमति प्रदान की जाती है।"

"यह भी संकल्प लिया जाता है कि कंपनी के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक को सीएंडएजी कार्यालय द्वारा अनुशंसा के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षक को देय लेखापरीक्षा फीस निर्धारित करने सहित निबंधन एवं शर्तों को निश्चित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

विशेष संव्यवहार: -

4. कंपनी के निदेशक के रूप में श्रीमती राधा रॉय (डीआईएन: 09574669) की नियुक्ति को नियमित करना और इस संबंध में विचार करना, और यदि उचित पाया जाता है तो निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में आशोधन(नों) सहित अथवा बिना आशोधन पारित करना: -

"संकल्प किया जाता है कि श्रीमती राधा रॉय (डीआईएन: 09574669) जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 135 के अनुसार 18 अप्रैल, 2022 को निदेशक मंडल में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम सभा की बैठक के आयोजन होने की तिथि तक पद पर है तथा उनके संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत कंपनी के सदस्य से लिखित में सूचना प्राप्त हुई है, कंपनी के निदेशक के लिए उनकी उम्मीदवारी प्रस्तावित की जा रही है, एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाते हैं और वह बारी आने पर रिटायर होने के पात्र होंगे।"

5. कंपनी के निदेशक के रूप में श्री राजीव सिंह ठाकुर (डीआईएन: 02631653) की नियुक्ति को नियमित करना और इस संबंध में विचार करना, और यदि उचित पाया जाता है तो निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में आशोधन(नौ) सहित अथवा बिना आशोधन पारित करना: -

"संकल्प किया जाता है कि श्री राजीव सिंह ठाकुर (डीआईएन: 02631653) जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 135 के अनुसार 5 अगस्त, 2022 को निदेशक मंडल में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम सभा की बैठक के आयोजन होने की तिथि तक पद पर है तथा उनके संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत कंपनी के सदस्य से लिखित में सूचना प्राप्त हुई है, कंपनी के निदेशक के लिए उनकी उम्मीदवारी प्रस्तावित की जा रही है, एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाते हैं और वह बारी आने पर रिटायर होने के पात्र होंगे।"

नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
के निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

हस्ता.

(अभिषेक चौधरी)

उपाध्यक्ष-कॉरपोरेट मामले, मानव संसाधन
एवं कंपनी सचिव
सदस्यता सं. - एफ8701

दिनांक: 07 सितंबर, 2022

स्थान: नई दिल्ली

सूचना

1. वैश्विक महामारी कोविड-19 के भारी प्रकोप को देखते हुए, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 14 दिसंबर 2021 और 5 मई 2022 के सामान्य परिपत्रों (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) द्वारा सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा वार्षिक आम सभा आयोजित करने की अनुमति दी है।
2. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 08 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या 14/2020 के अनुसार, सदस्यों को प्रॉक्सी नियुक्त करने और वोट डालने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बहरहाल, वीसी/ओएवीएम द्वारा बैठक में शामिल होने और उसमें भाग लेने तथा ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट डालने के लिए निगमित निकाय अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के पात्र हैं।
3. सदस्य बैठक की शुरुआत के निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आम सभा में शामिल हो सकते हैं।
4. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से, आम सभा में शामिल सदस्यों की उपस्थिति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना करने के उद्देश्य से की जाएगी।
5. कॉरपोरेट सदस्यों से वार्षिक आम सभा बैठक में उनकी ओर से शामिल होने तथा वोट देने के लिए उनके प्रतिनिधियों को अधिकृत करने के लिए बोर्ड संकल्प/पॉवर ऑफ एटार्नी की यथोचित प्रमाणित प्रतिलिपि भेजने का अनुरोध किया जाता है।
6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के प्रावधानों के अनुरूप, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) से संबंधित संव्यवहार करने के लिए मद सं. 4 एवं 5 पर निर्धारित व्याख्यात्मक विवरण को यहां संलग्न किया गया है।
7. आगामी बैठक में नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का विवरण नोटिस के "अनुलग्नक" में दिया गया है।
8. 14वीं वार्षिक आम सभा बुलाने की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 कंपनी की वेबसाइट www.nicdc.in पर अपलोड कर दी गई है।
9. आम सभा के दौरान सांविधिक रजिस्ट्रारों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य abhishekchaudhary@nicdc.in पर कंपनी को लिखित में अपना अनुरोध भेज सकते हैं।
10. सदस्य अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजे गए आमंत्रण लिंक द्वारा वार्षिक आम सभा में भाग ले सकते हैं। सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
11. चूंकि वार्षिक आम सभा बैठक वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित की जा रही है, बैठक के स्थान का रूट मैप संलग्न नहीं किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के प्रावधानों के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण:-

मद सं. 2

श्री मुनियप्पा नागराज, क्रम आने पर पद छोड़ने के लिए देय कंपनी के निदेशक, इस वार्षिक आम सभा में क्रम आने पर पदभार छोड़ते हैं। पात्र होने के कारण श्री मुनियप्पा नागराज अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं और बारी आने पर रिटायर होने के लिए देय के रूप में कंपनी के निदेशक के रूप में उनकी पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया जाता है।

इसलिए, संकल्प प्रस्तावित किया गया है।

नियुक्त किए गए व्यक्ति होने के कारण श्री मुनियप्पा नागराज को छोड़कर, कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार इस सूचना की मद संख्या 2 में उल्लिखित संकल्प से संबंधित अथवा संबंध नहीं है।

मद सं. 3

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने दिनांक 29 अगस्त, 2022 के अपने पत्र सं./सीए.वी/सीओवाई/सेंट्रल गवर्नमेंट, डीएमआईसीडीसी(0)/409 द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को नियुक्त किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) एवं (7) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की पूरक लेखापरीक्षा प्रधान निदेशक (अवसंरचना), वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-1 को सौंपी गई है।

इसलिए, संकल्प प्रस्तावित किया जाता है।

कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार इस सूचना की मद संख्या 3 में उल्लिखित संकल्प से संबंधित अथवा संबंध नहीं है।

मद सं. 4

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) ने दिनांक 30 मार्च, 2022 के पत्र के माध्यम से डॉ. डी. सुब्रमण्यम के स्थान पर हुडको की महाप्रबंधक श्रीमती राधा रॉय को एनआईसीडीसी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है। तदनुसार, बोर्ड ने 12 अप्रैल, 2022 को आयोजित अपनी 63वीं बैठक में श्रीमती राधा रॉय, महाप्रबंधक, हुडको को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 135 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसार अतिरिक्त निदेशक वार्षिक आम सभा तक पद धारण करते हैं। उनके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 और अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत लिखित में सूचना प्राप्त हुई है और कंपनी के निदेशक के लिए उनकी उम्मीदवारी प्रस्तावित की जा रही है।

नियुक्त किए गए व्यक्ति होने के कारण श्रीमती राधा रॉय को छोड़कर, कंपनी का कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार इस सूचना की मद संख्या 4 में उल्लिखित संकल्प से संबंधित अथवा संबंध नहीं है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए मद सं. 4 में निर्धारित संकल्प की अनुशंसा करता है।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने दिनांक 15 जुलाई, 2022 के पत्र सं. पी-37022/3/2019-आईसी-पार्ट(2) द्वारा सूचित किया है कि श्री राजीव सिंह ठाकुर, अपर सचिव, डीपीआईआईटी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु नामित किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसार अतिरिक्त निदेशक वार्षिक आम सभा तक पद धारण करते हैं। उनके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 और अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत लिखित में सूचना प्राप्त हुई है और कंपनी के निदेशक के लिए उनकी उम्मीदवारी प्रस्तावित की जा रही है।

नियुक्त किए गए व्यक्ति होने के कारण श्री राजीव सिंह ठाकुर को छोड़कर, कंपनी का कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार इस सूचना की मद संख्या 5 में उल्लिखित संकल्प से संबंधित अथवा संबंध नहीं है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए मद सं. 5 में निर्धारित संकल्प की अनुशंसा करता है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
के निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

हस्ता.

(अभिषेक चौधरी)
उपाध्यक्ष-कॉरपोरेट मामले, मानव संसाधन
एवं कंपनी सचिव
सदस्यता सं. - एफ6701

दिनांक: 07 सितंबर, 2022

स्थान: नई दिल्ली

14वीं वार्षिक आम सभा के अंतर्गत नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का संक्षिप्त ब्योरा

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरिज ऑफ इंडिया द्वारा जारी आम बैठकों पर
सचिवालय मानक के 1.2.5 के अनुसार

नाम	श्रीमती राधा रॉय (डीआईएन: 09574669)	श्री राजीव सिंह ठाकुर (डीआईएन: 02631653)
आयु	53 वर्ष	53 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	वह एक योग्यता प्राप्त आर्किटेक्ट है। उन्होंने आर्किटेक्टर में स्नातक डिग्री प्राप्त की है और उनके पास कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की सदस्यता है।	उन्होंने अर्थशास्त्र और पब्लिक पॉलिसी में परास्नातक है।
अनुभव	श्रीमती राधा रॉय वर्तमान में महाप्रबंधक (परियोजनाएं) के रूप में कॉर्पोरेट कार्यालय में आवास ऋण पोर्टफोलियो संचालन का दायित्व निभा रही हैं, आवास ऋण से संबंधित ऋण मूल्यांकन, स्वीकृति, निगरानी और ऋण सवितरण प्रभाग का प्रबंधन कर रही हैं और नीति एवं नियामक संबंधी मुद्दों में प्रबंधन की सहायता कर रही हैं, जो ऋण स्वीकृति और सवितरण के लिए उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) मॉड्यूल के विकास में भी शामिल हैं। उनके पास कॉर्पोरेट के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न क्षमताओं का 32 वर्ष का अनुभव है।	श्री राजीव सिंह ठाकुर वर्तमान में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) में अपर सचिव का कार्यभार संभाल रहे हैं। उनके पास उद्योग, रक्षा, ग्रामीण विकास, राजमार्ग और बिजली जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अब तक 25 से अधिक वर्षों का कार्य अनुभव है।
नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अनुसार नियुक्ति	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अनुसार नियुक्ति
प्राप्त किया गया अंतिम पारिश्रमिक (सिटिंग फीस सहित, यदि कोई हो तो)	-	-
भुगतान किया जाने वाला प्रस्तावित पारिश्रमिक	-	-
निदेशक मंडल में प्रथम नियुक्ति की तिथि	18 अप्रैल, 2022	05 अगस्त, 2022
एनआईसीडीसी में शेयर की हिस्सेदारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं
अन्य निदेशकों/प्रमुख संबंधीय व्यक्तियों के	कंपनी के किसी भी निदेशक से कोई परस्पर संबंध नहीं है	कंपनी के किसी भी निदेशक से कोई परस्पर संबंध नहीं है

साथ संबंध		
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य निदेशक मंडल में निदेशक	कुछ नहीं	कुछ नहीं
किसी और कंपनी में निदेशक मंडलों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	कुछ नहीं	कुछ नहीं

बोर्ड रिपोर्ट

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

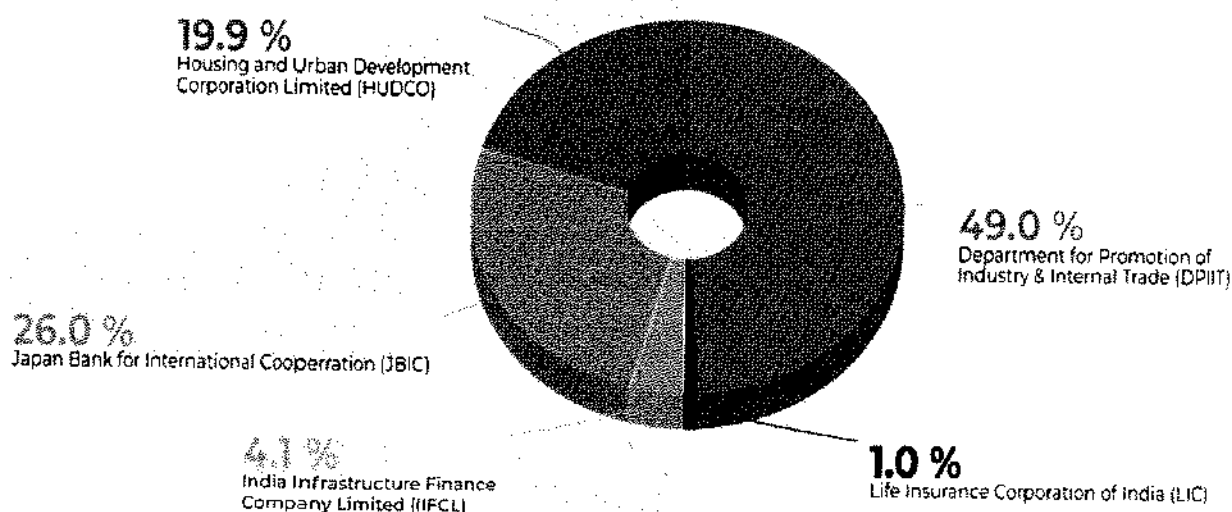
आपकी कंपनी के निदेशकों को 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के व्यापार और परिचालन संबंधी मामलों पर 14^{वां} (चौदहवां) निदेशक मंडल की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन (एनआईसीडीसी) लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के रूप में पहचाने जाने वाली), भारत सरकार, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोओपरेशन (जेबीआईसी), हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (हुडको), इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) और लाइफ इश्योरेंस कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एलआईसी) के बीच निगमित एक संयुक्त उपक्रम कंपनी है।

कंपनी को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित अथवा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के संबंध में परियोजना विकासात्मक गतिविधियां करना सौंपा गया है। कंपनी विभिन्न औद्योगिक टाऊनशिप, इंडस्ट्रियल नोड/क्लस्टर तथा इंडीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए परियोजना विकास भागीदार और नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य कर रही है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए भारत सरकार की ओर से प्रशासनिक मंत्रालय है। औद्योगिक गलियारा परियोजना, भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य समर्पित माल ढुलाई गलियारा (डीएफसी) द्वारा उपलब्ध "उच्च गति - उच्च क्षमता" संपर्कता का दोहन कर भावी औद्योगिक शहरों का निर्माण है।

कंपनी का शेयरधारिता स्वरूप निम्नानुसार है:



1. वित्तीय विवरण सार:

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का सार निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

विवरण	2021-22	2020-21
कुल आय	2282.55	3214.28
कुल व्यय	1769.37	1428.31
कर व्यय	153.11	521.52
कर पश्चात् वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	360.07	1264.45

2. कंपनी के कार्यों की स्थिति:

क. दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट

दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी) प्रथम घोषित इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट था जिसके अंतर्गत 2014-15 में भारत सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं का अनुमोदन प्रदान किया गया था जिसमें पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रगति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

1. धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (डीएसआईआर), गुजरात

- डीएसआईआर को लगभग 920 वर्ग किमी क्षेत्र में विकसित किए जाने की योजना तैयार की गई है और चरण-1 के 22.5 वर्ग किमी सक्रियण क्षेत्र को उकेरा गया है जिसमें ट्रंक अवसंरचना कार्य लगभग पूरे होने वाले हैं;
- भारत सरकार ने सक्रियण क्षेत्र के लिए पांच पैकेजों में विभाजित 2784.83 करोड़ रुपये के विभिन्न अवसंरचना घटकों के निविदा पैकेजों को मंजूरी दे दी है;
- राज्य सरकार ने 48.31 वर्ग किलोमीटर भूमि डीआईसीडीएल (एसपीवी) को अंतरित कर दी है और समतुल्य 2784.83 करोड़ रुपये की इक्विटी जारी कर दी गई है;
- एंकर निवेशक के रूप में टाटा केमिकल्स के साथ 245 एकड़ के 04 प्लॉट आवंटित किए गए हैं;
- तुरंत आबंटन के लिए 1,275 एकड़ औद्योगिक भूमि उपलब्ध है;
- टाटा सोलर पॉवर लिमिटेड को दिए गए 1000 मेगावाट सोलर पार्क में से 300 मेगावाट पहले ही चालू कर दिया गया है;
- इसके अतिरिक्त, डीएसआईआर के क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के भाग के रूप में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अहमदाबाद से धोलेरा तक 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बाहरी कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए निर्माण पैकेज दे दिए गए हैं, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और भीमनाथ धोलेरा रेल लिंक तैयार किया जा रहा है;

2. शेंदा विडकिन इंडस्ट्रियल एरिया (एसबीआईए), महाराष्ट्र

- एसबीआईए के भाग-1 के रूप में 40.2 वर्ग किमी का क्षेत्र शामिल है;

- राज्य सरकार ने शेंद्रा इंडस्ट्रियल के लिए समग्र 8.39 वर्ग किमी और बिडकिन इंडस्ट्रियल क्षेत्र के लिए 28.8 वर्ग किमी भूमि एसपीवी को अंतरित कर दी है। एसपीवी को क्रमशः 602.80 करोड़ रुपए और 2397.20 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी राशि जारी कर दी गई है।
- शेंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, भारत सरकार ने 1533 करोड़ रु. के विभिन्न अवसंरचना घटकों के निविदा पैकेजों को स्वीकृति दे दी है। प्रमुख ट्रंक अवसंरचना पैकेजों का कार्य पूरा हो गया है।
- माननीय प्रधान मंत्री जी ने 7 दिसंबर, 2019 को परियोजना राष्ट्र को समर्पित की।
- शेंद्रा के लिए भूमि आवंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और प्रमुख निवेशक के रूप में हयोसंग (100 एकड़) को एक प्लॉट सहित 375 एकड़ में 172 प्लॉट आबंटित किए गए हैं। 12 कंपनियों ने अपना व्यवसायिक परिचालन भी शुरू कर दिया है।
- बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, भारत सरकार ने 3 चरणों में विकसित किए जाने के लिए 6414.21 करोड़ रुपए के अवसंरचना पैकेजों को स्वीकृति दे दी है। सेक्टर-ए (10.32 वर्ग किमी.) के लिए ट्रंक अवसंरचना कार्य पूरे हो चुके हैं;
- एसबीआईए में तुरंत आबंटन के लिए 2,160 एकड़ औद्योगिक भूमि उपलब्ध है।

3. इंदीगेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप प्रोजेक्ट, गेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश

- परियोजना के लिए एसपीवी को 747.5 एकड़ भूमि अंतरित कर दी गई है और 617.20 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी भी जारी कर दी गई है;
- भारत सरकार ने विभिन्न अवसंरचना घटकों के लिए 1,097.5 करोड़ रुपए की राशि के निविदा पैकेजों को स्वीकृति दे दी है। प्रमुख अवसंरचना पैकेजों का कार्य पूरा हो चुका है;
- प्रमुख निवेशक के रूप में हैयर (सितंबर, 2018 में 123.7 एकड़) सहित 06 प्लॉट जिनका माप 159 एकड़ है, आबंटित कर दिए गए हैं;
- तुरंत आबंटन के लिए 165 एकड़ औद्योगिक भूमि उपलब्ध है।

4. इंदीगेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप 'विक्रम उद्योगपुरी' प्रोजेक्ट, उज्जैन, मध्य प्रदेश

- राज्य सरकार ने 1,026 एकड़ भूमि एसपीवी को अंतरित कर दी है और 55.93 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी भी जारी कर दी गई है;
- भारत सरकार ने विभिन्न अवसंरचना घटकों के लिए 749.1 करोड़ रुपए के निविदा पैकेजों को स्वीकृति दे दी है। प्रमुख ट्रंक अवसंरचना कार्यों को पूरा किया जा चुका है।
- प्रमुख निवेशक के रूप में अमूल सहित 200 एकड़ के माप वाले 19 प्लॉट आबंटित किए गए हैं।
- तुरंत आवंटन के लिए 341 एकड़ औद्योगिक भूमि उपलब्ध है।

5. खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन (केबीएनआईआर) और जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया (जेपीएमआईए), राजस्थान

- 12 अक्टूबर, 2020 को राज्य सरकार ने सूचित किया कि केबीएनआईआर की विकास योजना को स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (एसआईआर) के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- रीको (राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन) को क्षेत्रीय विकास

प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है।

- केबीएनआईआर के 558 हेक्टेयर क्षेत्र तथा जेपीएमआईए के 2659 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने और प्रारंभिक इंजीनियरी कार्यों के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।
- केबीएनआईआर और जेपीएमआईए के लिए शेयर होल्डर एग्रीमेंट (एसएचए)/स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) को निष्पादित किया गया है और एसपीवी को 15 मार्च, 2022 को निगमित किया गया है।
- राज्य सरकार ने सूचित किया है कि दोनों नोड्स (जेपीएमआईए और केबीएनआईआर) के लिए शेष भूमि अधिग्रहण जल्द ही पूरा हो जाएगा।

6. टीवी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया (डीपीआईए), महाराष्ट्र

- राज्य सरकार ने 2,402 हेक्टेयर (5,935 एकड़) भूमि उपलब्धता की पुष्टि की है जिसमें से 1,466 हेक्टेयर (3,622 एकड़) भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व में है।
- भूखंडों के लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने और प्रारंभिक इंजीनियरी कार्य जारी है।

ख. चेन्नई बंगलुरु इंडस्ट्रियल कोरिडोर (सीबीआईसी) और उसका कोयम्बतूर के रास्ते कोच्चि तक विस्तार

1. आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम नोड

- 12,798 एकड़ में से, सक्रिय क्षेत्र के रूप में 2,500 एकड़ क्षेत्र के लिए विस्तृत मास्टर प्लान और प्रारंभिक इंजीनियरी गतिविधियां पूरी हो गई हैं;
- 30 दिसंबर, 2020 को भारत सरकार द्वारा परियोजना को स्वीकृति दी गई;
- राज्य सरकार ने एसपीवी को 2091.80 एकड़ भूमि अंतरित कर दी है और 522.10 करोड़ रुपये की समतुल्य इक्विटी जारी कर दी गई है।
- पर्यावरण संबंधी क्लीयरेंस प्राप्त हो गई है।
- 23 सितंबर 2021 को जारी ट्रंक अवसंरचना के लिए ईपीसी निविदाओं को एसपीवी के निदेशक मंडल द्वारा बोलीदाताओं की गैर-योग्यता के कारण रद्द कर दिया गया था। 15 जून 2022 को पुनः निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

2. कर्नाटक में तुमकुरु नोड

- 8,483 एकड़ में से सक्रिय क्षेत्र के रूप में 1,736 एकड़ क्षेत्र के लिए विस्तृत मास्टर प्लान और प्रारंभिक इंजीनियरी गतिविधियां पूरी हो गई हैं।
- 30 दिसंबर, 2020 को भारत सरकार द्वारा परियोजना को स्वीकृति दी गई।
- राज्य सरकार ने एसपीवी को 1668.30 एकड़ भूमि अंतरित कर दी है और 586.74 करोड़ रुपये की समतुल्य इक्विटी जारी कर दी गई है।

- पर्यावरण संबंधी क्लीयरेंस प्राप्त हो गई है।
- ट्रंक अवसंरचना कार्यों के लिए ईपीसी निविदा 27 सितंबर 2021 को पुनः आमंत्रित की गई थी। दो बोलियां प्राप्त हुई हैं और मूल्यांकन किया जा रहा है।

3. तमिलनाडु में पोन्नेरी नोड

- 4,000 एकड़ क्षेत्र के लिए विस्तृत मास्टर प्लान और प्रारंभिक इंजीनियरी कार्य करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।
- राज्य सरकार ने सूचित किया है कि लगभग 3,375 एकड़ भूमि उपलब्ध है और इसे पोन्नेरी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए अधिसूचित किया गया है।
- 21 फरवरी, 2020 को शेयर होल्डर एग्रीमेंट (एसएचए)/स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) निष्पादित किया गया और एसपीवी को 30 जुलाई, 2020 को निगमित किया गया है।
- 23 फरवरी, 2022 को आयोजित बैठक के दौरान परामर्शदाता ने तीन विभिन्न स्थानों (40-50 किमी दूरी पर) अर्थात् कतुर-600 एकड़, मनाली-530 एकड़, मनल्लोर-2300 एकड़ स्थित स्थानों में विकसित किए जाने के लिए पहचाने तीन भूखंडों के साइट आकलन को प्रस्तुत किया।
- विकास गतिविधियां शुरू करने के लिए राज्य सरकार से विवाद रहित और निकटवर्ती भूखंडों की उपलब्धता की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया है।

ग. कोयम्बतूर के रास्ते कोटिच तक सीबीआईसी का विस्तार

1. केरल में पालक्कड़ नोड

- 1,878 एकड़ भूमि क्षेत्र को चिह्नित किया गया है और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित भी किया गया है तथा अधिग्रहण प्रक्रिया जारी है।
- 22 अक्टूबर, 2020 को पालक्कड़ में आईएमसी के विकास के लिए शेयर होल्डर एग्रीमेंट (एसएचए)/स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) निष्पादित किया गया और 21 अप्रैल, 2021 को एसपीवी निगमित की गई है।
- विस्तृत मास्टर प्लान और प्रारंभिक इंजीनियरी कार्य करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।

घ. अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एकेआईसी)

1. पश्चिम बंगाल में रघुनाथपुर, 2,483 एकड़

- विस्तृत मास्टर प्लान तैयार हो चुका है और परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी संबंधित गतिविधियां जारी हैं।
- राज्य सरकार कुछ आंतरिक मुद्दों के कारण इस परियोजना के लिए एनआईसीडीसी के साथ साझेदारी के अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर रही है।

2. उत्तराखंड में खुरपिया फार्म, 1,002 एकड़

- राज्य सरकार ने परियोजना के लिए 1002 एकड़ भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की है।

- 30 अप्रैल, 2022 को खुरपिया प्रोजेक्ट के लिए शेयर होल्डर एग्रीमेंट (एसएचए)/स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) निष्पादित किया गया।
- एनआईसीडीआईटी के न्यासी मंडल द्वारा 08 जून, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है।

3. हरियाणा में हिसार, 1605 एकड़

- राज्य सरकार ने परियोजना के लिए 1605 एकड़ भूमि की उपलब्धता की पुष्टि की है।
- विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने और प्रारंभिक इंजीनियरी गतिविधियों के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है और कार्य प्रक्रियाधीन है।

4. पंजाब में राजपुरा-पटियाला, 1,100 एकड़

- राज्य सरकार ने परियोजना के लिए 1100 एकड़ भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की है।
- एसईआईए, पंजाब द्वारा राजपुरा आईएमसी के लिए टीओआर ऐप्लिकेशन को स्वीकृति प्रदान की गई है।
- एनआईसीडीआईटी के न्यासी मंडल द्वारा 08 जून, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है।

5. उत्तर प्रदेश में आगरा, (1,059 एकड़) एवं प्रयागराज (1141 एकड़)

- राज्य सरकार ने परियोजना के लिए 1059 एकड़ भूमि की उपलब्धता की पुष्टि की है।
- विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियों के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है और साइट सर्वेक्षण एवं बेस मैप को अंतिम रूप देने से संबंधित कार्य प्रगति पर है।
- एनआईसीडीआईटी ने एकेआईसी के तहत दूसरे नोड के रूप में विकसित किए जाने के लिए प्रयागराज (1,141 एकड़) में ब्राउनफील्ड साइट को शामिल करने की मंजूरी दे दी है।
- प्रयागराज साइट के लिए, विस्तृत प्रारंभिक डिजाइन रिपोर्ट और विपणन रणनीति तैयार करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है और साइट मूल्यांकन चल रहा है।

6. बिहार में गया, 1,670 एकड़

- राज्य सरकार ने परियोजना के लिए 1670 एकड़ भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की है।
- विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियों के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। बेस मैप और मास्टर प्लानिंग से संबंधित कार्य प्रगति पर है।

7. झारखंड

- राज्य सरकार ने बोकारो इस्पात संयंत्र में आईएमसी के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस्पात मंत्रालय से अनुरोध किया है।
- 07 दिसंबर, 2021 को बोकारो इस्पात संयंत्र का संयुक्त साइट विजिट आयोजित किया गया था।
- भूमि की उपलब्धता से संबंधित मामले को इस्पात मंत्रालय और झारखंड सरकार द्वारा उठाया जा रहा है।

8. हिमाचल प्रदेश में बड़ी बरोटीवाला नालागढ़

- 14 जुलाई 2021 को आयोजित एनआईसीडीआईटी की बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य में बीबीएन नोड को एकेआईसी के तहत विकसित किए जाने के लिए शामिल किया गया था।
- तदनुसार, एनआईसीडीसी द्वारा विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियों के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है और साइट सर्वेक्षण तथा बेस मैप को अंतिम रूप देने से संबंधित कार्य प्रगति पर हैं।

ड. विज्ञान - चेन्नई इंडस्ट्रियल कोरिडोर

एनआईसीडीआईटी ने वीसीआईसी के चरण-1 में प्राथमिकता वाले नोड के रूप में विशाखापट्टनम और चित्तूर को विकसित किए जाने को अपनी स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य में एक अतिरिक्त नोड के रूप में कडप्पा (कोप्पार्थी) को भी शामिल किए जाने का अनुरोध किया है।

- **चित्तूर नोड:** 8,967 एकड़ भूमि के लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने एवं प्रारंभिक इंजीनियरी कार्य के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है, बहरहाल, राज्य सरकार को विकासात्मक गतिविधियां करने के लिए भूमि की उपलब्धता की पुष्टि करनी है।
- **कोप्पार्थी नोड:** 2,595 एकड़ के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियों के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है और कार्य प्रगति पर हैं।
- **विशाखापट्टनम (नाकापल्ली क्लस्टर, 4,316 एकड़) -** राज्य सरकार इस नोड के लिए स्वयं परियोजना विकास कर रही है।

घ. बंगलूरु मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (बीएमआईसी)

- कर्नाटक सरकार ने धारवाड़ में औद्योगिक नोड विकसित करने के लिए 6400 एकड़ भूमि उपलब्धता की पुष्टि की है। उल्लिखित नोड के लिए परियोजना विकास गतिविधियां शुरू हो गई हैं। विस्तृत मास्टर प्लान और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियां जारी हैं;
- महाराष्ट्र में सतारा नोड के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियों के लिए परामर्शदाता पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में प्रस्तावित स्थल विकास के लिए अनुपयुक्त पाया गया। राज्य सरकार को विकास के लिए एक वैकल्पिक भूखंड सुझाने की आवश्यकता है।

छ. हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एचएनआईसी):

- अगस्त-2020 में, एनआईसीडीआईटी ने जहीराबाद में प्राथमिकता नोड के साथ तेलंगाना राज्य में हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारे को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

जहीराबाद, तेलंगाना (12,635 एकड़):

क) 3909 एकड़ का चरण-1 क्षेत्र।

ख) तेलंगाना सरकार ने मास्टर प्लानिंग का अध्ययन किया है और जहीराबाद की पहचान हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारे के हिस्से के रूप में की गई है।

- ग) पर्यावरण संबंधी क्लीयरेस प्राप्त कर ली गई है।
- घ) राज्य सरकार द्वारा डीपीआर तैयार की गई है।
- ड) 21.09.2021 को आयोजित बैठक में एनआईसीडीआईटी ने तेलंगाना में हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर के अंतर्गत जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के विकास संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया।
- च) राज्य सरकार के साथ एसएचए/एसएसए मसौदे पर बातचीत जारी है।

ज. हैदराबाद बंगलूरु इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एचबीआईसी):

- एनआईसीडीआईटी ने एचबीआईसी को शामिल करने तथा आंध्र प्रदेश राज्य के ओरवकल में प्राथमिकता नोड की मंजूरी दे दी है;
- जनवरी, 2021 में ओरवकल नोड, 9800 एकड़ (आंध्र प्रदेश) के लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने और प्रारंभिक इंजीनियरी कार्य के लिए परामर्शदाता को नियुक्त किया गया है और मास्टर प्लानिंग गतिविधियां प्रगति पर है।

झ. ओडिशा इकोनॉमिक कोरिडोर (ओईसी) प्रोजेक्ट

- एनआईसीडीआईटी ने ओईसी को शामिल करने और साथ ही दो प्राथमिकता नोडों के परियोजना विकास गतिविधियां शुरू करने की सहमति दे दी है, यथा,
 - गोपातपुर - भुवनेश्वर - कलिंगनगर (जीबीके नोड); और
 - पारादीप - केंद्रापाड़ा - धमरा - सुबरनरेखा (पीकेडीएस नोड);
- 11,366 एकड़ भूमि के कुल क्षेत्र में जीबीके और पीकेडीएस नोड के लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने और प्रारंभिक इंजीनियरी कार्यों के लिए परामर्शदाता नियुक्त कर लिया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा खुर्दा जिले में पहले चरण के विकास के लिए जिन भूमि भूखंडों पर विचार किया जाना है उनकी पुष्टि करना अभी बाकी है।

अ. दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएनआईसी)

- दिल्ली नागपुर औद्योगिक गलियारे को डीएफसी के उत्तर-दक्षिण गलियारे के साथ सोचा गया है। प्रस्तावित औद्योगिक गलियारा मौजूदा एनएच नेटवर्क और भविष्य में उत्तर-दक्षिण डीएफसी का लाभ उठाएगा।
- समग्र डीएनआईसी क्षेत्र के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त कर दिया गया है।
- परामर्शदाताओं ने डीएनआईसी के तहत विकास के लिए संरक्षण को अंतिम रूप देने और भूखंडों की पहचान के लिए राज्य सरकार के विभागों के साथ विचार-विमर्श शुरू कर दिया है।

अन्य परियोजनाएं

मॉडल सौर प्रोजेक्ट, नीमराणा, राजस्थान:

- 05 जून, 2015 को 8.77 रुपये प्रति यूनिट के टैरिफ पर 5 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएनएल) के साथ विद्युत खरीद समझौता (पीपीए) निष्पादित किया गया है। 5 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना शुरू हो गई है और 03 सितंबर 2015 से 220 केवी आरआरवीपीएनएल ग्रिड को बिजली की आपूर्ति शुरू हो गई है।
- 12 फरवरी, 2020 को 1 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए टोयोडा गोसेई मिंडा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (टीजीएमआईएन) के साथ 4.60 रुपये प्रति यूनिट के टैरिफ पर बिजली खरीद समझौते (पीपीए) को निष्पादित किया गया है। 19 अप्रैल 2022 को 1 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है और बिजली को 33/11 केवी डिस्कॉम ग्रिड को इंजेक्ट किया जा रहा है और 01 जून 2021 से टीजीएमआईएन को ओपन एक्सेस द्वारा सौर ऊर्जा की तृतीय-पक्ष बिक्री शुरू हो गई है।

लॉजिस्टिक डेटा बैंक प्रोजेक्ट:

- लॉजिस्टिक डेटा बैंक (एलडीबी) परियोजना को सिंगल विंडो पर वास्तविक समय पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए कंटेनर कार्गो मूवमेंट पर नज़र रखने हेतु सेवा, आपूर्ति श्रृंखला में विभिन्न हितधारकों (बंदरगाहों, सीमा शुल्क, ट्रेनों, आईसीडी आदि) की मौजूदा आईटी प्रणालियों को एकीकृत करने हेतु परिकल्पित किया गया था;
- जेएनपीटी में 1 जुलाई, 2016 से परिचालन शुरू हुआ;
- आज की तिथि तक 49 मिलियन एक्जिम कंटेनरों को ट्रैक किया जा चुका है।
- विजिबिलिटी सर्विस प्रदान करने के लिए वर्तमान में देश में कुल 170+ सीएफएस/आईसीडी और खाली यार्ड चालू हैं। 5 जेएनपीटी पोर्ट टर्मिनल, दक्षिणी कोरिडोर में 7 पोर्ट टर्मिनल, दक्षिण-पश्चिमी कोरिडोर में 3 पोर्ट टर्मिनल, पूर्वी कोरिडोर में 4 पोर्ट टर्मिनल, पश्चिमी कोरिडोर पर 1 पोर्ट टर्मिनल, कांडला में 1 पोर्ट टर्मिनल, मुंद्रा में 4 पोर्ट टर्मिनल, हजीरा में 1 पोर्ट टर्मिनल और एपीएम टर्मिनल, पीपावाव में 1 टर्मिनल अब एलडीबी पोर्टल के माध्यम से कंटेनर ट्रैकिंग सेवाएं प्रदान किए जाने के लिए परिचालन में हैं।
- एनएच 3, एनएच 8, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे मार्ग, एनएच 27, एनएच 15, एनएच 79, एनएच 4, एनएच 6 को कवर करने वाले पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी गलियारों में अब कुल 60 टोल प्लाजा चालू हैं।
- एक्जिम कंटेनर आपूर्ति श्रृंखला में एलडीबी सेवाओं की अंतिम छोर तक दृश्यता के लिए 3 इंडीग्रेटेड चैक पोस्ट (आईसीपी) और 9 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) पर आरएफआईडी रीडर स्थापित किए गए हैं। विजिबिलिटी अब बढ़ाकर एम्पटी यार्ड तक की जा रही है।

यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप):

- यूलिप को दक्षता बढ़ाने और एक पारदर्शी वन विंडो प्लेटफॉर्म बनाकर भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत और समय को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो सभी हितधारकों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर सकता है और सभी विषय जानकारी को हटा सकता है।

- यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) के चरण 1 में 1600 से अधिक क्षेत्रों को कवर करने वाले 100 से अधिक एपीआई के विकास द्वारा 7 मंत्रालयों के वाहन, सारथी, फास्टैग, आईसीईगेट, फॉयस, पीसीएस आदि जैसी 27 प्रणालियों के साथ एकीकृत कर लागू किया गया है।
- लॉजिस्टिक्स ईकोसिस्टम को बहु-मॉडल दृश्यता प्रदान करने के लिए परिवहन के सभी साधनों (सड़क, रेल, वायु, समुद्र) पर सूचना को अब एकीकृत किया गया है।
- उद्योग के खिलाड़ियों, उद्यमों और स्टार्ट-अप को विभिन्न मंत्रालयों की प्रणालियों के साथ उपलब्ध एपीआई आधारित एकीकरण का उपयोग करके यूलिप की प्रेजेंटेशन लेयर पर यूज केसेस का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट

क) नांगल चौधरी, हरियाणा में इंडीग्रेटेड मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब (आईएमएलएच)

- भारत सरकार द्वारा मई, 2018 में प्रोजेक्ट अनुमोदित किया गया।
- प्रोजेक्ट के लिए महेन्द्रगढ़ जिले में लगभग 886 एकड़ भूमि की पहचान की गई है और प्रोजेक्ट एसपीवी को 686 एकड़ भूमि अंतरित की गई है और एनआईसीडीआईटी द्वारा 208.05 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी जारी कर दी गई है;
- लगभग 158 एकड़ भूमि पर मुकदमा चल रहा है और मामला माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पास लंबित है। राज्य सरकार को इसे शीघ्र हल करने का अनुरोध किया गया है।
- जल, बिजली एवं सड़क संबंधित बाहरी कनेक्टिविटी कार्यों के लिए, राज्य सरकार की एजेंसियों ने निक्षेप आधार पर कार्य शुरू कर दिए हैं।
- डीएफसीसीआईएल ने रेल कनेक्टिविटी के लिए डीपीआर को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- प्रोजेक्ट साइट तक बाहरी रेल संपर्कता संबंधित कार्यों के लिए निक्षेप आधार पर डीएफसीसीआईएल के साथ एमओयू निष्पादित किया गया है।
- डीएफसीसीआईएल द्वारा राज्य सरकार के साथ मिलकर न्यू डाबला स्टेशन से बाहरी रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 28 अक्टूबर, 2021 को प्रकाशित रेल अधिनियम के तहत अधिग्रहित की जाने वाली 23.688 एकड़ भूमि के लिए 20 ई अधिसूचना जारी की गई है।
- आंतरिक रेल साइडिंग के लिए कार्यों हेतु ईपीसी निविदा दस्तावेज जारी कर दिए गए हैं।

ख) उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के दादरी में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब (एमएमएलएच) और बाराकी में मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच)

- दिसंबर, 2020 में भारत सरकार द्वारा परियोजना को अनुमोदित किया गया।
- एमएमएलएच और एमएमटीएच के लिए अपेक्षित 479 हेक्टेयर भूमि में से 369 हेक्टेयर भूमि पहले से ही जीएनआईडीए के स्वामित्व में है और 83.2 हेक्टेयर भूमि को एलएआरआर अधिनियम के तहत अधिगृहीत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, डीएफसीसीआईएल/एनसीआर द्वारा 23 हेक्टेयर भूमि रेल अधिनियम में अधिगृहीत की जानी है। रेल अधिनियम के अंतर्गत अधिगृहीत किए जाने के लिए 7.7533 हेक्टेयर भूमि की 20ए अधिसूचना 30 अक्टूबर, 2021 को प्रकाशित की गई।
- 227.48 हेक्टेयर भूमि प्रोजेक्ट एसपीवी को अंतरित की गई और एनआईसीडीआईटी द्वारा 853.05 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी जारी कर दी गई है।

- एमएमएलएच के लिए, न्यू दादरी स्टेशन से प्रोजेक्ट साइट तक बाहरी रेल कनेक्टिविटी करने के लिए डीएफसीसीआईएल से "सैद्धांतिक" अनुमोदन पहले ही प्राप्त हो गया है।
- एमएमटीएच परियोजना के लिए, रेल मंत्रालय और प्रोजेक्ट एसपीवी (डीएमआईसी-आईआईटीजीएनएल) के बीच एमओयू निष्पादित किया गया है।

आईआईसीसी प्रोजेक्ट, द्वारका, नई दिल्ली

- केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने 10 नवंबर, 2017 की अपनी बैठक में 26,108 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर पीपीपी और गैर-पीपीपी मोड में एकजीबिशन-कम-कन्वेंशन सेंटर और उससे सम्बंधित संरचनाएं विकसित करने की स्वीकृति दी। परियोजना को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली एक विशेष प्रयोजन कंपनी, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एकजीबिशन सेंटर लिमिटेड (आईआईसीसी लिमिटेड) द्वारा विकसित किया जा रहा है।
- परियोजना को दो चरणों में विकसित किया जा रहा है। कन्वेंशन सेंटर, दो प्रदर्शनी हॉलों और संबंधित आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं वाले चरण-I की अनुमानित लागत 5,178 करोड़ रूपए (197 करोड़ रूपए की वित्तीय लागत सहित) लगाई गई है और वर्तमान में विकसित किया जा रहा है। एलएंडटी को प्रमुख अवसंरचना सहित चरण-I घटक विकसित करने हेतु संपूर्ण परियोजना के लिए ईपीसी ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया है। मूलतः परियोजना को अक्टूबर, 2019 तक पूरा करने की योजना तैयार की गई थी। चरण-II में तीन और प्रदर्शनी हॉलों, रंगभूमि (एरेना) और होटल, व्यवसायिक तथा कार्यालय स्थान जैसी पूरक अवसंरचनाओं का वाणिज्यिक विकास का निर्माण शामिल होगा। भारत सरकार चरण-I को विकसित करने के लिए इक्विटी के रूप में 2,442.39 करोड़ रूपए की अतिरिक्त बजटीय सहायता उपलब्ध कराएगी। चरण-I और चरण-II के लिए धन की अतिरिक्त आवश्यकता को आईआईसीसी लिमिटेड द्वारा आंतरिक प्रोद्भवन और बैंकों से ऋणों द्वारा पूरा किया जाएगा।
- 2020 और 2021 में कोविड-19 के कारण एनजीटी प्रतिबंध और लॉकडाउन के कारण काम बंद होने के मामले सामने आए हैं। ठेकेदार को जमीन साँपने में शुरुआती देरी के साथ-साथ ठेकेदार द्वारा परियोजना स्थल पर कई मोर्चों पर देरी हुई।
- उच्चतम स्तर पर की गई परियोजना समीक्षाओं के अनुसार, ईपीसी ठेकेदार ने अतिरिक्त मानव और भौतिक संसाधनों को नियुक्त करके और निम्नलिखित परिवर्तनों पर विचार करके सभी पहलुओं में जनवरी, 2023 तक काम पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता की है: -
 - अन्य स्टेकहोल्डर्स अर्थात एनएचएआई, डीएमआरसी, डीजेबी और आईजीएल के साथ इंटरफेस इश्यू
 - एनजीटी प्रतिबंध
 - किनटेक्स वेरिफेशन, जीएफसी ड्राइंग एवं टेक्निकल डेटा शीट के लिए अनुमोदन प्रदान करने में देरी
 - कोविड-19 की तीसरी लहर के कारण देरी

इंडस्ट्रियल कोरिडोर विकास कार्यक्रम के लिए एशिया विकास बैंक (एबीडी) से नीति आधारित ऋण (पीबीएल):

मार्च 2020 में, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) की स्क्रीनिंग समिति ने औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए 500 मिलियन अमरीकी डॉलर के नीति आधारित ऋण (पीबीएल) के रूप में ऋण सहायता को स्वीकृति प्रदान की। प्रस्तावित ऋण कार्यक्रम का उद्देश्य औद्योगिक गलियारों के विकास में डीपीआईआईटी/एनआईसीडीसी/एनआईसीडीआईटी को सहायता प्रदान करना है ताकि नीतिगत सुधारों के माध्यम से वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके।

पीबीएल को 250 मिलियन के दो उप-कार्यक्रमों/ट्रैचों के साथ प्रोग्रामेटिक दृष्टिकोण के तहत संरचित किया गया है। कार्यक्रम की निष्पादन एजेंसी (ईए) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के माध्यम से कार्य करेगी और कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) एनआईसीडीसी द्वारा समर्थित एनआईसीडीआईटी है।

ऋण भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से लिया गया है और ऋणशोधन तथा पुनर्भुगतान का दायित्व भी भारत सरकार का होगा। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थागत और वित्तीय संरचना के अनुसार एसपीवी को इक्विटी और/अथवा ऋण के रूप में जारी करने के लिए औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए निधियों के समग्र अनुमोदित कोष के हिस्से में अनुदान के रूप में डीपीआईआईटी के माध्यम से एनआईसीडीआईटी को निधियों को प्रदान किया जाना जारी रहेगा।

उप-कार्यक्रम 1 में एकीकृत विकास, अभिनव वित्तपोषण समाधान और औद्योगिक गलियारों में निवेश संवर्धन के लिए संस्थागत संरचनाओं और तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्यारह (11) नीतिगत कार्रवाइयां शामिल हैं। नीति मैट्रिक्स में उल्लिखित ईए/आईए द्वारा नीतिगत कार्रवाइयों के सफल समापन के बाद, अक्टूबर, 2021 में, एडीबी ने भारत सरकार को औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन अमरीकी डॉलर के पीबीएल के पहले उप-कार्यक्रम को मंजूरी दी। इसके बाद, जनवरी, 2022 में, ऋण को प्रभावी बना दिया गया और भारत सरकार की समेकित निधि में संवितरित किया गया।

उप-कार्यक्रम के साथ, एडीबी ने अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए जाने हेतु भारत सरकार के इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कार्यक्रम के लिए ज्ञान सेवा हेतु 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तकनीकी सहायता (टीए) को भी स्वीकृति प्रदान की और इसे नवंबर, 2021 से शुरू होने वाली 38 महीनों की अवधि में लागू किया जाना है।

उप-कार्यक्रम 2 (250 मिलियन अमरीकी डॉलर) के लिए, फरवरी 2022 - दिसंबर 2024 की समय-सीमा के साथ नीति मैट्रिक्स में 13 नीतिगत कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है। टीए उप-कार्यक्रम 2 के तहत 13 नीतिगत कार्रवाइयों में से 11 की सुपुर्दगी पर सहायता प्रदान करेगा, जिसके लिए एडीबी द्वारा कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है। 250 मिलियन अमरीकी डॉलर के उप-कार्यक्रम 2 को वित्त वर्ष 2025 में एक ही किस्त के तहत संवितरित किए जाने की उम्मीद है।

3. पूंजी स्वरूप:

कंपनी की प्राधिकृत, जारी और प्रदत्त शेयर पूंजी 100,00,00,000 रुपये (केवल एक सौ करोड़ रुपये) है, जिसे 10/- रुपये (दस रुपये) प्रत्येक वाले 10,00,00,000 (दस करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है।

4. सहायक, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियां:

31 मार्च, 2022 को कंपनी के पास एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पावर लिमिटेड (जिसे पूर्व में डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पावर कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) नामक एक ही सहायक कंपनी है।

समीक्षा अवधि के दौरान, निदेशक मंडल ने सहायक कंपनी के कार्यों की समीक्षा की है।

इसके अतिरिक्त, सहायक कंपनी के कार्य निष्पादन और वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताएं, वित्तीय विवरणों के साथ निर्धारित फार्म एओसी-1 में सलग्न हैं।

5. लाभांश:

वित्तीय वर्ष के दौरान किसी लाभांश की घोषणा नहीं की गई है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए एनआईसीडीसी द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) की पूंजी पुनर्संरचना पर डीआईपीएम, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 27 मई 2016 के का.जा. नं० 5/2/2016 के तहत डीआईपीएम, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर लाभांश के भुगतान के प्रावधानों को लागू किए जाने से छूट प्राप्त करने के लिए पृथक प्रस्ताव भेजा था। 11 दिसंबर, 2018 और 12 मार्च, 2021 को सचिव, डीआईपीएम की अध्यक्षता में आयोजित सीपीएसई (सीएमसीडीसी) में पूंजी प्रबंधन और लाभांश की निगरानी समिति की बैठक में एनआईसीडीसी लिमिटेड को क्रमशः वित्त वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए न्यूनतम लाभांश की घोषणा से संबंधित पूंजी पुनर्गठन दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट देने पर विचार किया गया था। बहरहाल, वित्तीय वर्ष 201-20 और 2020-21 के लिए निर्णय की डीआईपीएम से प्रतीक्षित है।

इसी तरह, कंपनी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए न्यूनतम लाभांश के भुगतान के लिए छूट चाहेगी, तदनुसार चालू वित्तीय वर्ष में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

6. आरक्षित कोष:

समीक्षा के अंतर्गत वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा 3,60,07,405/- रुपये कंपनी के आरक्षित कोष में अंतरित किए गए हैं।

7. व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो तो:

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के व्यापार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

8. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में ब्यौरा:

10 अगस्त, 2021 को आयोजित कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138(1) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए मैसर्स वीएसपीवी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को नियुक्त किया गया। निदेशक मंडल समझते हैं कि कंपनी के आकार के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षा और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का दायरा पर्याप्त है।

9. भविष्य में कंपनी की स्थिति और परिचालन पर प्रभाव डालने वाले नियामक अथवा न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय आदेशों का ब्यौरा:

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान नियामक अथवा न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा कंपनी की स्थिति और भविष्य में कंपनी के परिचालन पर प्रभाव डालने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

10. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष और रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धताएं, यदि कोई हो:

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष और रिपोर्ट की तिथि के बीच कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।

11. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व:

समीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी को कंपनी अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है। सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित सीएसआर गतिविधियों का ब्यौरा अनुलग्नक-“क” में संलग्न है।

12. निक्षेप:

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने न तो कोई निक्षेप स्वीकार किया है और न ही कंपनी के पास कोई अदत अथवा अ-दावी निक्षेप है।

13. सांविधिक लेखापरीक्षक:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने दिनांक 18 अगस्त, 2021 के अपने पत्र सं. सीए.वी/सीओवाई/सेंट्रल गवर्नमेंट, डीएमआईसीडीसी (0)/216 के द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (अन्य लागू प्रावधानों के साथ पढ़ा जाए) की धारा 139 के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स एसपी चोपड़ा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट (आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 000346एन) को नियुक्त किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की पूरक लेखापरीक्षा के लिए भी दायित्व प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-I को सौंपा है।

14. सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट:

सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कोई अहंता नहीं है। लेखा परीक्षक रिपोर्ट में संदर्भित लेखों पर नोट स्वतः स्पष्ट होने वाले हैं और इसलिए निदेशकों की कोई टिप्पणी नहीं है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सीएंडएजी की समीक्षा और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं।

15. लेखापरीक्षक द्वारा धोखाधड़ी को रिपोर्ट करना

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अंतर्गत लेखापरीक्षक समिति को कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला सूचित नहीं किया गया।

16. सचिवीय लेखापरीक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसार 10 अगस्त, 2021 को आयोजित कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में मैसर्स विकास गेरा एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनुलग्नक-“ख” पर संलग्न है।

इसके अलावा, प्रबंधन के उत्तर के साथ सचिवीय लेखा परीक्षकों के प्रेक्षण निम्नानुसार है:

सचिवीय लेखा परीक्षक टिप्पणी	प्रबंधन टिप्पणियां
कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के प्रावधानों के अनुसार महिला निदेशक को नियुक्ति करने की आवश्यकता थी जिसे कंपनी द्वारा पूरा नहीं किया गया।	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान डीपीआईआईटी (प्रभारी प्रशासनिक मंत्रालय) को विभिन्न पत्राचार किए थे, जिसमें कंपनी के बोर्ड में महिला निदेशक की नियुक्ति का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) के प्रावधानों के अनुपालन में, 18 अप्रैल, 2022 से हुडको की महाप्रबंधक श्रीमती राधा रॉय (आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) से प्राप्त नामांकन के आधार पर) को एनआईसीडीसी के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

17. धारा 92(3) के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न का सार:

अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक रिटर्न की प्रति को कंपनी की वेबसाइट www.nicdc.in पर प्रस्तुत की जाएगी। बहरहाल, उपर्युक्त कॉरपोरेट अभिशासन के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) में जैसा प्रावधान किया गया है, वार्षिक रिटर्न का सार अनुलग्नक- “ग” में फार्म संख्या एमजीटी - 9 में संलग्न है।

18. लागत लेखापरीक्षक और लागत रिकार्ड:

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को लागत लेखापरीक्षक को नियुक्त करने और लागत रिकार्ड रखने की आवश्यकता नहीं है।

19. उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समाहन और विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिर्प्रवाह:

उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समाहन और विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिर्प्रवाह का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क) उर्जा संरक्षण*:		
i.	उर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम अथवा उर्जा संरक्षण पर प्रभाव	लागू नहीं
ii.	उर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के इस्तेमाल पर कंपनी द्वारा उठाए गए कदम	लागू नहीं
iii.	उर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश	लागू नहीं
ख) प्रौद्योगिकी समाहन:		
i.	प्रौद्योगिकी समाहन के लिए किए गए प्रयास	लागू नहीं
ii.	उत्पाद सुधार, लागत कटौती, उत्पाद विकास अथवा आयात प्रतिस्थापन जैसे उत्पन्न लाभ	लागू नहीं
iii.	आयतित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष की शुरु से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात) (क) आयात की गई प्रौद्योगिकी का ब्यौरा; (ख) आयात का वर्ष; (ग) क्या प्रौद्योगिकी समाहन पूरी तरह किया गया; (घ) यदि पूरी तरह समाहन नहीं किया गया तो क्षेत्र जहां समाहन नहीं किया गया; और तत्संबंधी कारण; और	लागू नहीं
iv.	अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय	लागू नहीं
ग) विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिर्प्रवाह:		
i.	वर्ष के दौरान वास्तविक अंतर्वाह के अनुसार अर्जित विदेशी मुद्रा	कुछ नहीं
ii.	वर्ष के दौरान वास्तविक बहिर्प्रवाह के अनुसार विदेशी मुद्रा बहिर्प्रवाह	कुछ नहीं
[*नोट: कंपनी की मुख्य गतिविधि औद्योगिक मलियार/निवेश क्षेत्र/औद्योगिक क्षेत्र/आर्थिक क्षेत्र/औद्योगिक नोड/विशेष आर्थिक क्षेत्र/ टाउनशिप में, आधुनिक औद्योगिक, भौतिक/सामाजिक अवसंरचना को उपलब्ध कराना, प्रोत्साहित करना और स्थापित करना है। उर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समाहन करना लागू नहीं है। बहरहाल, कंपनी विभिन्न परियोजना विकासात्मक गतिविधियों द्वारा उर्जा संरक्षण के अपने सर्वोत्तम प्रयास कर रही है।]		

20. निदेशक मंडल:

(क) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन:

क्र.सं.	निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम	नियुक्ति की तिथि	अवधि की समाप्ति
1.	श्री गुरुप्रसाद महापात्र	01 अगस्त, 2019	19 जून, 2021
2.	श्री गिरिधर अरमाने	10 जून, 2021	27 सितंबर, 2021
3.	श्री अनुराग जैन	27 सितंबर, 2021	-
4.	श्री के. संजय मूर्ति	18 नवंबर, 2019	30 सितंबर, 2021
5.	श्री अमृत लाल मीणा	05 नवंबर, 2021	-
6.	श्री शैलेंद्र सिंह	30 अगस्त, 2017	31 दिसंबर, 2021
7.	श्री युसुके इसेकि	17 जुलाई, 2019	10 अगस्त, 2021
8.	श्री कजुशिगे गोबे	10 अगस्त, 2021	-
9.	डॉ. सुब्रमण्यम दुर्वासुला, निदेशक	16 मई, 2014	28 फरवरी, 2022

नोट: श्रीमती राधा राय, महाप्रबंधक (हुडको) को 18.04.2022 से एनआईसीडीसी के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

क्रम आने पर रिटायरमेंट:-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और कंपनी के आर्टिकलस ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक श्री मुनिअप्पा नागराज आगामी आम सभा में क्रम आने पर रिटायर होंगे और पात्र होने के कारण उन्हें पुनर्नियुक्त करने की पेशकश की जाती है।

(ख) निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या:

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कंपनी के निदेशक मंडल की चार (04) बैठक आयोजित की गई। निदेशक मंडल की बैठकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विवरण	निदेशक मंडल के बैठक की तिथि
1.	59वीं निदेशक मंडल बैठक	10 जून, 2021
2.	60वीं निदेशक मंडल बैठक	10 अगस्त, 2021
3.	61वीं निदेशक मंडल बैठक	08 नवंबर, 2021
4.	62वीं निदेशक मंडल बैठक	13 दिसंबर, 2021

21. निदेशक मंडल की समितियां:

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसरण में, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने तीन समितियों का गठन किया है जो निम्नानुसार हैं: -

लेखापरीक्षा समिति:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति की संरचना निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	कोटि	पदनाम
1.	श्री राजेन्द्र रत्नू, संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	गैर-कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री तोशिहिको कुरिहरा, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी), नई दिल्ली के मुख्य प्रतिनिधि अधिकारी	गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य
3.	श्री राधा रॉय*, महाप्रबंधक, हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको)	गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य

*हुडको के वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक (परिचालन) डॉ. डी. सुब्रह्मण्यमन के स्थान पर आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) की महाप्रबंधक श्रीमती राधा राय को नामित करने के परिणामस्वरूप, निदेशक मंडल ने 12 अप्रैल, 2022 को आयोजित अपनी 63 वीं बैठक में कंपनी की लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया था।

वर्ष 2021-22 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की चार (4) बैठकें क्रमशः 10 जून, 2021, 09 अगस्त, 2021, 05 नवंबर, 2021 और 13 दिसंबर, 2021 को आयोजित की गईं।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	कोटि	पदनाम
1.	श्री राजेन्द्र रत्नू, संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	गैर-कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री तोशिहिको कुरिहरा, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी), नई दिल्ली के मुख्य प्रतिनिधि अधिकारी	गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य
3.	श्री राधा रॉय*, महाप्रबंधक, हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको)	गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य

*हुडको के वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक (परिचालन) डॉ. डी. सुब्रह्मण्यमन के स्थान पर आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) की महाप्रबंधक श्रीमती राधा राय को नामित करने के परिणामस्वरूप, निदेशक मंडल ने 12 अप्रैल, 2022 को आयोजित अपनी 63 वीं बैठक में कंपनी की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया था।

वर्ष 2020-21 के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति ने 09 अगस्त, 2021 और 05 नवंबर, 2021 को दो बैठकों का आयोजन किया गया।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति:

कंपनी, अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति को निम्नानुसार पुनर्गठित किया है:-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	कोटि	पदनाम
1.	श्री राजेन्द्र रत्नू, संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	गैर-कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री तोशिहिको कुरिहरा, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी), नई दिल्ली के मुख्य प्रतिनिधि अधिकारी	गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य
3.	श्री राधा रॉय*, महाप्रबंधक, हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको)	गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य

*हुडको के वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक (परिचालन) डॉ. डी. सुब्रह्मण्यमन के स्थान पर आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) की महाप्रबंधक श्रीमती राधा राय को नामित करने के परिणामस्वरूप, निदेशक मंडल ने 12 अप्रैल, 2022 को आयोजित अपनी 63 वीं बैठक में कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का पुनर्गठन किया था।

वर्ष के दौरान, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति की दो (2) बैठकें 05 नवंबर, 2021 और 04 मार्च, 2022 को आयोजित की गईं।

22. प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सीईओ और प्रबंध निदेशक श्री के. संजय मूर्ति (30 सितंबर, 2021 तक); श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, मुख्य वित्तीय अधिकारी और श्री अभिषेक चौधरी, उपाध्यक्ष - कॉर्पोरेट मामले, मानव संसाधन और कंपनी सचिव को पारिश्रमिक का भुगतान किया है। उपयुक्त कॉर्पोरेट अभिशासन के एक भाग के रूप में, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण फॉर्म नंबर एमजीटी - 9 के VI (क) और खंड VI (ग) में उल्लिखित है। इसके अलावा, अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक रिटर्न की प्रति लिपि कंपनी की वेबसाइट पर www.nicdc.in पर प्रस्तुत की जाएगी।

23. धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कंपनी द्वारा कोई ऋण अथवा गारंटी नहीं दी गई अथवा न ही कहीं निवेश किया गया।

24. धारा 188(1) के अंतर्गत संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध अथवा व्यवस्था का विवरण:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) के अंतर्गत संबंधित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा कोई अनुबंध अथवा समझौता नहीं किया गया।

25. जोखिम प्रबंधन और आंतरिक पर्याप्तता:

कंपनी के पास जोखिम अथवा अवसर जो कंपनी के परिचालन पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं अथवा जिनसे अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है, उन अवसरों की पहचान करने और अधिसूचित करने के लिए पर्याप्त जोखिम प्रबंधन है। जोखिम अथवा अवसरों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए समयबद्ध तरीके से कार्य करने हेतु प्रक्रियाएं और पद्धतियां मौजूद हैं।

कंपनी का आंतरिक नियंत्रण प्रणाली इसके व्यापार की प्रकृति और आकार एवं परिचालन की जटिलता के अनुरूप है। इन्हें सांविधिक के साथ-साथ आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा नियमित रूप से जांचा और प्रमाणित किया जाता है। महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा प्रेक्षकों और तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाइयों को लेखा परीक्षा समिति में रिपोर्ट किया जाता है।

26. निदेशक के दायित्व विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप धारा (3) के उप खंड (ग) के अनुसार यह बताया गया है कि:

क) वार्षिक लेखों को तैयार करते समय महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया था;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन और निरंतर उपयोग किया एवं निर्णय लिए तथा अनुमान लगाए जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि की सत्य और स्पष्ट दृष्टिकोण देने के लिए उचित और विवेकपूर्ण हैं;

ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं पर रोक लगाने तथा उन्हें ढूंढने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है;

घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को सतत आधार पर तैयार किया; और

ङ) निदेशकों ने सभी कानूनी प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियां तैयार की थीं और ये प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावी रूप से कार्य कर रही थीं।

27. सूचना का अधिकार:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदन/अपीलों की स्थिति निम्नानुसार है:

प्राप्त आरटीआई आवेदन/अपील		आरटीआई आवेदन				31.03.2022 को लंबित आवेदन
		सारित	सूचना उपलब्ध कराई गई	अन्य जन प्राधिकरणों को अंतरित	आवेदक को वापिस	
आवेदन	29	0	26	3	0	0
अपील	4	0	4	0	0	0

28. बोर्ड और इसकी समितियों तथा व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन:

कंपनी के निदेशक विश्वसनीय हैं (डीपीआईआईटी, हुडको और जेबीआईसी से प्राप्त नामांकनों पर नियुक्त) तथा कंपनी की प्रभावशीलता और हितधारकों के मूल्य में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन कार्यों की देखरेख करने के लिए सशक्त हैं और अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को निभाने में मेहनती हैं।

29. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निवारण और निबटान) अधिनियम 2013 के अनुपालन में नीति:

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निवारण और निबटान) अधिनियम, 2013 के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की है। समिति को यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निबटान के लिए गठित किया गया है। समिति कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए 'शून्य असहिष्णुता' के संबंध में कर्मचारियों को जागरूक करती है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

30. सतर्कता:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कोई सतर्कता संबंधी मामला रिपोर्ट नहीं किया गया और कंपनी में कोई पुराना मामला लंबित नहीं है।

31. सचिवीय मानक:

कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा समय-समय पर जारी उपयुक्त सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

32. प्रत्येक अर्हता, आरक्षण एवं प्रतिकूल टिप्पणियों अथवा प्रकटनों पर निदेशक मंडल द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणियां:

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट किसी भी अर्हता, आपत्ति अथवा टिप्पणी से मुक्त है और सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा अर्हता पर स्पष्टीकरण को इस रिपोर्ट के पाइंट सं. 16 पर प्रस्तुत किया गया है।

33. अभिस्वीकृति:

कंपनी का निदेशक मंडल सभी कर्मचारियों, स्टाफ के सदस्यों और प्रबंधकर्ताओं को कंपनी के परिचालन में उनके योगदान के लिए धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। निदेशक भारत सरकार, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी), हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरेशन (हुडको), इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कोरपोरेशन लिमिटेड (आईआईएफसीएल) तथा भारतीय जीवन बीमा निगम और अपने बैंकों को धन्यवाद देते हैं।

निदेशक कंपनी के प्रबंधन के प्रति अपने निरंतर समर्थन, सहयोग और विश्वास के लिए अन्य शेयरधारकों को भी अपना आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी और से

हस्ता.

(अनुराग जैन)

अध्यक्ष

पता: क्वार्टर नं. ए-4, टॉवर 7,

न्यू मोती बाग, सरोजिनी नगर,

नई दिल्ली-110023

दिनांक: 08 जुलाई, 2022

स्थान: नई दिल्ली

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक विवरण

(01 अप्रैल, 2021 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से 31 मार्च, 2022 तक)

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूप-रेखा

एनआईसीडीसी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने और मजबूत, विकसित टिकाऊ समुदायों के निर्माण और देश के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से कार्य करने की कल्पना करता है।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

कंपनी के निदेशक मंडल की सीएसआर समिति की संरचना निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक का स्वरूप	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान समिति की बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1.	श्री राजेन्द्र रत्नू, संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	अध्यक्ष/गैर-कार्यकारी निदेशक	2	2
2.	श्री तोशिहिको कुरिहरा, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी), नई दिल्ली के मुख्य प्रतिनिधि अधिकारी	सदस्य/गैर-कार्यकारी निदेशक	2	2
3.	डॉ. डी सुब्रह्मण्यम*, हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (हुडको)	सदस्य/गैर-कार्यकारी निदेशक	2	1
4.	श्री राधा रॉय*, महाप्रबंधक, हाऊसिंग एंड अरबन कोरपोरेशन लिमिटेड (हुडको)	सदस्य/गैर-कार्यकारी निदेशक	2	0

* डॉ. डी. सुब्रह्मण्यम ने 28 फरवरी, 2022 से निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है और हुडको ने उनके स्थान पर श्रीमती राधा रॉय को निदेशक के रूप में नामित किया है। तदनुसार, बोर्ड ने 12

अप्रैल, 2022 को आयोजित अपनी 63 वीं बैठक में श्रीमती राधा रॉय को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

3. वेब-लिंक उपलब्ध कराएं जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर प्रोजेक्ट प्रदर्शित हो।

कंपनी की सीएसआर समिति की संरचना और कंपनी की सीएसआर नीति का वेब लिंक नीचे दिया गया है:-

<https://www.nicdc.in/index.php/resources/csr-policies.html>

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014, यदि लागू हो, तो नियम 8 के उप-पैरा (3) के अनुसार की गई सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन का ब्यौरा उपलब्ध कराएं (रिपोर्ट संलग्न करें)।

लागू नहीं।

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में समंजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समंजन हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई हो: -

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्त वर्ष के लिए समंजन के लिए उपलब्ध राशि (रुपए में)	वित्तीय वर्ष के लिए समंजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो तो (रुपए में)
कुछ नहीं			

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ:- 9,29,14,912/- रुपए

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का शुद्ध औसत लाभ का दो प्रतिशत: 18,58,298/- रुपए

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों के सीएसआर प्रोजेक्टों अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष:

कुछ नहीं

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए समंजन खाते के लिए अपेक्षित राशि: कुछ नहीं

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर उत्तरदायित्व (7क+7ख-7ग): 18,58,298/- रुपए

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय अथवा वहन नहीं की गई राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई राशि (रुपए)	व्यय नहीं की गई राशि (रुपए में)	
	135(6) के अनुसार व्यय नहीं किए गए सीएसआर खाते में	135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत उल्लिखित किसी फंड में अंतरित राशि

में)	कुल अंतरित राशि				
	धनराशि	अंतरण की तिथि	फंड का नाम	धनराशि	अंतरण की तिथि
18,58,298/-	लागू नहीं		लागू नहीं		

*18,58,298/- रुपए की सीएसआर निधि 31 मार्च, 2022 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अंतर्गत अनुसूचित) में दी गई थी।

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं की तुलना में व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. स.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपए में)	घातु वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपए में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए व्यय नहीं किए गए सीएसआर खाते में अंतरित की राशि (रुपए में)	कार्यान्वयन का माध्यम - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा कार्यान्वयन का माध्यम	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
लागू नहीं												

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के आलावा अन्य व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र.सं.	प्रोजेक्ट का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	प्रोजेक्ट का स्थान		प्रोजेक्ट के लिए व्यय की गई राशि (रुपए में)	कार्यान्वयन का माध्यम - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा कार्यान्वयन का माध्यम	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान	-	-	-	18,58,298	हां	-	-

(घ) उपरि प्रशासनिक खर्चों में व्यय की गई राशि: कुछ नहीं

(ङ) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो तो: लागू नहीं

(च) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ) - कुछ नहीं

(छ) समंजन के लिए आधिक्य राशि, यदि कोई हो तो: कुछ नहीं

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपए में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	-
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	-
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई आधिक्य राशि [(ii)-(i)]	-
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाएं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों के कारण उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो तो	-
(v)	पिछले तीन वर्षों में समंजन खाते के लिए उपलब्ध धनराशि [(iii)-(iv)]	-

9. (क) पूर्ववर्ती तीन पिछले वर्षों के लिए व्यय नहीं की गई सीएसआर धनराशि का ब्यौरा:

क्र.सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अंतर्गत व्यय नहीं किए गए सीएसआर खाते में अंतरित धनराशि (रुपए में)	रिपोर्ट किए गए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपए में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत उल्लिखित किसी भी फंड में अंतरित राशि, यदि कोई हो तो			बाद के वर्षों में व्यय के लिए शेष राशि (रुपए में)
				फंड का नाम	राशि (रुपए में)	अंतरण की तिथि	
लागू नहीं।							

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों से जारी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की सीएसआर राशि का ब्यौरा:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र.सं.	प्रोजेक्ट आईडी	प्रोजेक्ट का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें प्रोजेक्ट शुरू हुआ था	प्रोजेक्ट अवधि	प्रोजेक्ट के लिए कुल आवंटित राशि (रुपए में)	रिपोर्ट किए गए वित्तीय वर्ष में प्रोजेक्ट पर व्यय की गई राशि (रुपए में)	रिपोर्ट किए गए वित्तीय वर्ष के अंत में संचयी राशि (रुपए में)	प्रोजेक्ट की स्थिति - पूर्ण/जारी
लागू नहीं।								

10. पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन अथवा अधिगृहण के मामले में, कृपया उन परिसंपत्तियों का विवरण (परिसंपत्ति-वार ब्यौरा) उपलब्ध कराएं जिन्हें वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि द्वारा सृजित अथवा अधिगृहीत किया गया था?

- (क) पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन अथवा अधिगृहण की तिथि - कुछ नहीं
- (ख) पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन अथवा अधिगृहण के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि - कुछ नहीं
- (ग) कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभधारकों के ब्यौरे जिनके नाम ऐसी पूंजीगत परिसंपत्तियां पंजीकृत हैं, उनका पता आदि: लागू नहीं
- (घ) सृजित या अधिगृहीत (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें: लागू नहीं

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारणों को स्पष्ट करें।

लागू नहीं

हस्ता.	हस्ता.
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक)	(अध्यक्ष, सीएसआर समिति)

E35, 4th Floor, West End Mall, Jangpura, New Delhi-110035
T: 011-4658 2592 E: info@vikasgera.com V: 011-4658 1198
vikasgeraconsultants@gmail.com Q: www.vikasgera.com



VIKAS GERA & ASSOCIATES
Company Secretaries B.Com., LL.B., F.C.S.

फार्म सं.-एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसार]

सेवा में,

सदस्य,

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड

(पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर

डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित)

08^{वां} तल, टॉवर-1, जीवन भारती बिल्डिंग,

124 कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001

मैंने "नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित) (जिसे बाद में कंपनी कहा जाएगा)" द्वारा लागू किए गए सांविधिक प्रावधानों और उपयुक्त कॉरपोरेट अभिशासन के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस विधि से की गई थी कि जो हमें कॉरपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उसके आधार पर हमारा अभिमत व्यक्त करने के लिए उचित आधार उपलब्ध कराते हैं।

कंपनी की पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, जमा किए गए फार्मों और रिटर्नों और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों के सत्यापन और सचिवीय लेखापरीक्षा किए जाने के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंट और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर, एतद्वारा मैं रिपोर्ट करता हूं कि मेरे अभिमत में, कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन तंत्र मौजूद है, जो इस विधि और बाद में रिपोर्ट किए जाने के अध्यधीन है:

मैंने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, जमा किए गए फार्मों और रिटर्नों और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों की जांच की है:

- 1) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- 2) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋण की सीमा के नियम;
- 3) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत निर्धारित नियम तथा उप-नियम;
- 4) प्रबंधन अभ्यावदेन के अनुसार कंपनी पर लागू अन्य निम्नलिखित कानून, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

- (i) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952;
- (ii) उपदान संदाय अधिनियम, 1972;
- (iii) दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954;
- (iv) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1999

मैंने निम्नलिखित लागू उप-खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

- (i) सामान्य और बोर्ड बैठक के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरिज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानक;
- (ii) गैर-सूचीबद्ध कंपनी होने के कारण कंपनी ने किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध होने के संबंध में समझौता नहीं किया है।

समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने उपरोक्त उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों के प्रावधानों का अच्छी तरह से अनुपालन किया है और उपरोक्त परिच्छेदों के संबंध में कोई गैर-अनुपालन/प्रेक्षण/लेखा परीक्षा अर्हता, आपत्ति अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

मैं आगे यह भी रिपोर्ट करता हूं कि

कंपनी का निदेशक मंडल, कार्यकारी निदेशक और गैर-कार्यकारी निदेशक के उचित संतुलन के साथ यथोचित रूप से गठित है। समीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन हुए हैं।

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के प्रावधानों के अनुसार महिला निदेशक की नियुक्ति करनी थी जिसे कंपनी द्वारा नहीं किया गया है।

बोर्ड मीटिंग आयोजित किए जाने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिए गए, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी कम से कम सात दिन पहले भेजे गए और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर अन्य जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए प्रणाली मौजूद है।

बहुमत से निर्णय लिया जाता है जबकि असहमत सदस्यों के दृष्टिकोण प्राप्त किए जाते हैं और उन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूँ कि

लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा-निदेशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार एवं परिचालन के अनुरूप कंपनी में यथोचित प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूँ कि

बोर्ड संरचना/प्रणाली और लेखापरीक्षा से संबंधित प्रक्रिया के संबंध में कोई भी गैर-अनुपालन/प्रेक्षण/लेखापरीक्षा अहंता, आपत्ति अथवा प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 8 जुलाई, 2022

यूडीआईएन: एफ005248डी000591064

कृते विकास गेरा एंड एसोसिएट्स

हस्ता.

विकास गेरा

चैम्बर्सिंग कंपनी सचिव

एफसीएस सं. 5248

सीपी सं.: 4500

नोट: इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो अनुलग्नक 'अ' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का आंतरिक भाग है।

सेवा में,

सदस्य,

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट

कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर

डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित)

08^व तल, टॉवर-1, जीवन भारती बिल्डिंग,

124 कनॉट प्लेस,

नई दिल्ली-110001.

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए।

1. सचिवीय रिकार्ड के रख-रखाव का दायित्व कंपनी के प्रबंधन पर है। हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अभिमत व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय दस्तावेजों की सामग्रियों की परिशुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। जांच के आधार पर परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन किया गया था कि सचिवीय अभिलेखों से सही तथ्य प्रदर्शित हो। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और पद्धतियां, हमारे अभिमत के लिए उचित आधार उपलब्ध कराती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों और खातों की परिशुद्धता एवं सत्यता का कोई सत्यापन नहीं किया है क्योंकि ये सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षक और अन्य नामित विशेषज्ञों की समीक्षा के विषय हैं।
4. हमने कंपनी पर लागू वित्तीय कानून जैसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर नियमों के अनुपालन की समीक्षा नहीं की है क्योंकि ये सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षक और अन्य नामित विशेषज्ञों की समीक्षा के विषय हैं।
5. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के क्रम आदि के बारे में प्रबंधन अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

6. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानून, नियम, विनियम, मानक के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है। हमारी परीक्षण जांच आधार पर पद्धतियों के सत्यापन तक सीमित है।
7. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट, न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही कंपनी के मामलों में प्रबंधन की कुशलता और प्रभाविता का सूचक है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को किया है।

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 8 जुलाई, 2022

यूडीआईएन: एफ005248डी000591064

कृते विकास गेरा एंड एसोसिएट्स

हस्ता.

विकास गेरा
चैक्टिसिंग कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5248
सीपी सं.: 4500

फार्म सं. एमजीटी-9

वार्षिक रिटर्न का सार

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

I	पंजीकरण एवं अन्य विवरण	
i)	सीआईएन	यू45400डीएल2008पीएलसी172316
ii)	पंजीकरण तिथि	7 जनवरी, 2008
iii)	कंपनी का नाम	नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित)
iv)	कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	शेयर द्वारा सीमित कंपनी/नै-सरकारी भारतीय कंपनी
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	08वां तल, टॉवर 1, जीवन भारती भवन, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001
vi)	क्या सूचीबद्ध कंपनी है (जी हां/जी नहीं)	नहीं
vii)	रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण, यदि कोई हो तो	एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड चौथा तल, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013

II	कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां		
कंपनी के कुल टर्नओवर में 10% अथवा उससे अधिक का योगदान देने वाली सभी व्यवसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाएगा			
क्र.सं.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1.	कंपनी की मुख्य गतिविधि आधुनिक, भौतिक और सामाजिक औद्योगिक अवसंरचना सहित औद्योगिक गलियारों/निवेश क्षेत्र/औद्योगिक क्षेत्रों/आर्थिक क्षेत्र/इंडस्ट्रियल नोड/विशेष आर्थिक क्षेत्र/टाऊनशिप को सुगम, प्रोत्साहित और स्थापित करना है।	42909 (अन्य सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट एन.ई.सी.)	100%

III	नियंत्रक, सहयोगी एवं संबद्ध कंपनियों का ब्यौरा				
क्र.सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/ जीएनएन	नियंत्रक/ सहयोगी/संबद्ध	धारित शेयरों का %	लानू धारा
1.	एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर लिमिटेड (पूर्ववर्ती "डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड") 08वां तल, टॉवर 1, जीवन भारती बिल्डिंग, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001	यू40300डीएल2014पी एलसी266439	सहयोगी कंपनी	100%	2(87)(ii)

IV. शेयरधारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्रेक-अप)

i. कोटिदार शेयर धारिता

शेयरधारकों की कोटि	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन%
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
क) व्यक्ति/एचयूएफ	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख) केन्द्रीय सरकार	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	0.00
ग) राज्य सरकार(रें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ) निकाय निगम	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ङ) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
च) अन्य (ट्रस्ट)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप-जोड़ (क)(1)	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	0.00
(2) विदेशी									
क) एनआरआई-व्यक्ति	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख) अन्य - व्यक्ति	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ग) निकाय निगम	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ङ) अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (क)(2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
प्रवर्तकों की शेयरधारिता (क) = (क)(1)+(क)(2)	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	0.00

ख. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्युचल फंड	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख) बैंक/वित्तीय संस्थान	2,39,99,998	2	2,40,00,000	24.00	2,39,99,998	2	2,40,00,000	24.00	0.00
ग) केन्द्रीय सरकार	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ) राज्य सरकार(र)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ङ) वेंचर कैपिटल फंड	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
च) बीमा कंपनियां	10,00,000	0	10,00,000	1.00	10,00,000	0	10,00,000	1.00	0.00
छ)एफआईआई	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
झ) अन्य विदेशी शेयरधारिता (एफआईआई/एफसी/एफएफआई/एनआरआई/ओसीबी)	2,60,00,000	0	2,60,00,000	26.00	2,60,00,000	0	2,60,00,000	26.00	0.00
उप जोड़ (ख)(1)	5,09,99,998	2	5,10,00,000	51.00	5,09,99,998	2	5,10,00,000	51.00	0.00
2. गैर-संस्थानिक									
क) निकाय निगम	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख) व्यक्ति	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
i. 1 लाख रुपए तक की नाममात्र की शेयरपूंजी रखने वाले व्यक्ति शेयरधारकों की संख्या	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ii. 1 लाख रुपए से अधिक की नाममात्र की शेयरपूंजी रखने वाले व्यक्ति शेयरधारकों की संख्या	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00

ग) अन्य:									
i. क्लीयरिंग सदस्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ii. गैर-निवासी	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
iii. विदेशी कंपनी	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
iv. ट्रस्ट	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (ख)(2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख)(1) + (ख)(2)	5,09,99,998	2	5,10,00,000	51.00	5,09,99,998	2	5,10,00,000	51.00	0.00
ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा रखे गए शेयर	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
सकल जोड़ (क+ख+ग)	9,99,99,998	2	10,00,00,000	100.00	9,99,99,998	2	10,00,00,000	100.00	0.00

(ii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता								
क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल % शेयर	कुल शेयरों का गिरवी / भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल % शेयर	कुल शेयरों का गिरवी / भारग्रस्त शेयरों का %	
1.	सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति	4,89,99,998	49%	-	4,89,99,998	49%	-	कुछ नहीं
	श्री शैलेन्द्र सिंह, आईएएस, अतिरिक्त सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	01		-	01		-	कुछ नहीं

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व	01	-	01	-	कुछ नहीं

(iii)	प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया स्पष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है) कोई परिवर्तन नहीं				
क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
कुछ नहीं					

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न (निदेशक, प्रवर्तक एवं जीडीआर एवं एडीआरधारकों को छोड़कर)					
क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी)	2,60,00,000	26%	2,60,00,000	26.00%
2.	हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (हडको)	1,99,00,000	19.90%	1,99,00,000	19.90%
3.	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	40,99,998	4.10%	40,99,998	4.10%
	श्री पी.आर. जयशंकर के साथ संयुक्त रूप से आईआईएफसीएल	01		01	
	श्री राजीव मखीजा के साथ संयुक्त रूप से आईआईएफसीएल	01		01	
4.	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	10,00,000	1.00%	10,00,000	1.00%

(v)	निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता				
क्र.सं.	प्रत्येक निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
		कुछ नहीं			

V	ऋणग्रस्तता				
क्र.सं.	बकाया ब्याज/उपाजित लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं, सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता				
		निक्षेपों के अतिरिक्त सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	निक्षेप	कुल ऋणग्रस्तता
1	वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता	-	-	-	-
	i) मूल धनराशि	-	-	-	-
	ii) बकाया ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
	iii) उपाजित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-	-	-
	जोड़ (i+ii+iii)	-	-	-	-
2	वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन	-	-	-	-
	वृद्धि	-	-	-	-
	कटौती	-	-	-	-
3	शुद्ध परिवर्तन	-	-	-	-
4	वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता	-	-	-	-
	i) मूल धनराशि	-	-	-	-
	ii) बकाया ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
	iii) उपाजित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-	-	-
	जोड़ (i+ii+iii)	-	-	-	-

VI	निदेशकों और प्रमुख कार्यकों को पारिश्रमिक			
क.	प्रबंध निदेशक, पूर्ण कालिक निदेशक और/अथवा प्रबंधक को पारिश्रमिक:			
क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम		कुल धनराशि (रुपए में)
		श्री के संजय मूर्ति - सीईओ एवं प्रबंध निदेशक (01.04.2021-30.09.2021)	श्री अमृत लाल मीणा (05.11.2021-31.03.2022)	
1	सकल वेतन	25,16,628	-	25,16,628
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में अंतर्निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन		-	
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभों का मान	3,83,146	-	3,83,146
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	-	-	-
2	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-
	लाभ के % रूप में	-	-	-
	अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-
5	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	-	-	51

जोड़ (क)	28,99,774	-	28,99,774
अधिनियम के अनुसार सीलिंग	-	-	-

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम	जोड़
1.	स्वतंत्र निदेशकों के लिए बोर्ड/समिति बैठकों में शामिल होने के लिए फीस	कुछ नहीं	
	कमीशन		
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें		
जोड़ (1)			
2	अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक	कुछ नहीं	
	बोर्ड/समिति बैठकों में शामिल होने के लिए फीस		
	कमीशन		
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें		
जोड़ (2)		कुछ नहीं	
जोड़ (ख)= (1)+(2)			
जोड़ (क+ख)			

ग.				
क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिक		
	सकल वेतन	श्री अमिनेक चौधरी (कंपनी सचिव)	श्री पी के अयवाल (सीएफओ)	कुल धनराशि
1	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में अंतर्निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	65,86,108	68,40,910	1,34,27,018
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभों का मान	9,32,697	8,46,909	17,79,606
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	-	-	-
2	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-
4	कमीशन लाभ के % रूप में	-	-	-
	अन्य कृपया स्पष्ट करें	-	-	-
5	अन्य, कृपया स्पष्ट करें (अवकाश नकदीकरण)	1,68,165	62,426	2,30,591
जोड़		76,86,970	77,50,245	1,54,37,215

VII जुर्माना/सजा/अपराध का समझौता						
क्र.सं.	प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना/सजा/अपराध के निपटान में लगी राशि का ब्यौरा	प्राधिकारण (आरडी/ एनसीएलटी /न्यायालय)	अपील, यदि की गई हो (ब्यौरा दे)
क.	कंपनी					
	जुर्माना					
	सजा					
	समझौता					
ख.	निदेशक					
	जुर्माना					
	सजा					
	समझौता					
ग.	घूक में शामिल अन्य अधिकारी					
	जुर्माना					
	सजा					
	समझौता					

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता.

(अनुराग जैन)

अध्यक्ष

पता: क्वार्टर नं. ए-4, टॉवर 7,

न्यू मोती बाग, सरोजिनी नगर,

नई दिल्ली-110023

दिनांक: 08 जुलाई, 2022

स्थान: नई दिल्ली

**एकल वित्तीय विवरणों पर
भारत के नियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक
की रिपोर्ट**



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

गोपनीय



सत्यमेव जयते

संख्या/No. GAF/AM/NICCC/IFS/MC/6-109/22-23

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, 125

कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
(INFRASTRUCTURE), DELHI

दिनांक/Dated 8/9/22

सेवा मे,

सी.ई.ओ. एवं प्रबन्ध निदेशक,

नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

8 वां फ्लोर, टावर-1, जीवन भारती बिल्डिंग, 124, कनॉट प्लेस,

नई दिल्ली-110001

विषय: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, के वार्षिक लेखो (Standalone Financial Statements) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखो (Standalone Financial Statements) पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 'शून्य टिप्पणियाँ' अंग्रेषित करता हूँ। इन शून्य टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक आमसभा में उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

संलग्न: शून्य टिप्पणियाँ

भवदीय,

(दीपक कपूर)
महानिदेशक

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002

दूरभाष/Tele.: 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432, 011-23370871

E-mail : pdainfradi@cag.gov.in

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। इसे उनके द्वारा 08 जुलाई, 2022 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा व्यक्त किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील दस्तावेजों तक पहुंच किए बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों और कम्पनी कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखांकन दस्तावेजों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया है जिस पर कोई टिप्पणी की जा सके अथवा अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत लेखा परीक्षक रिपोर्ट में जोड़ा जाए।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

हस्ता.

(दीपक कपूर)

लेखापरीक्षा प्रधान निदेशक (अवसंरचना)

नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 08 सितम्बर, 2022

**एकल वित्तीय विवरणों
पर लेखा परीक्षक की
रिपोर्ट**

एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड के खातों की लेखा परीक्षा की है और प्रमाणित करते हैं कि हमने जारी किए गए सभी निर्देशों/उप-निर्देशों को पूरा कर लिया है।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 08 जुलाई, 2022

कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 000346N

हस्ता.

अंकुर गोयल
साझेदार
सदस्यता सं. 099143

स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट
नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
के सदस्यों हेतु

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अभिमत

हमने नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 की तिथि का तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स शामिल हैं।

हमारे अभिमत में और हमें दी गई सर्वोत्तम सूचना और उस पर दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडएलोन विवरण अपेक्षित सूचना देते हैं, जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षा की गई है और 31 मार्च, 2022 को कंपनी के मामलों की स्थिति, और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और उनके नकदी प्रवाह पर भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुरूप सत्य और सही दृष्टिकोण देते हैं।

अभिमत का आधार

हमने अधिनियम (लेखापरीक्षा मानक) की धारा 143(10) के अंतर्गत विदिनिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्व का उल्लेख हमारी रिपोर्ट के खंड 'स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के दायित्व' में आगे बताया गया है। हम नैतिक आवश्यकताओं जो अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित हैं, सहित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और नैतिक आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और हमारे अभिमत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु उचित है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों से इतर सूचना और उस पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना तैयार किए जाने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में अनुलग्नक, सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट में सूचना शामिल है लेकिन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है जिसे इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के पश्चात् हमें उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य सूचना को शामिल नहीं करता है और हम तत्संबंधी निष्कर्षों पर कोई आश्वासन व्यक्त नहीं करते हैं।

एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारा दायित्व उपलब्ध होने पर उपरोक्त पहचानी गई अन्य सूचना का अध्ययन करना है और ऐसा करने में, यह विचार करना कि क्या अन्य सूचना स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों से भौतिक रूप से असंगत है अथवा हमारी लेखा परीक्षा के दौरान अथवा अन्यथा प्राप्त की गई जानकारी भौतिक रूप से गलत है।

जब हम अनुलग्नकों, यदि कोई हो, सहित निदेशक रिपोर्ट का अध्ययन करते हैं, और उसके आधार पर यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस बोर्ड रिपोर्ट में कोई बड़ी गलत बयानी है, तो हमें उस तथ्य को अभिशासन के प्रभारी को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन के प्रभारी का दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लेखित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों तथा जिन्हें कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधित नियम, 2016, यथा संशोधित, के साथ पढ़ा जाए के अंतर्गत उल्लिखित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का एक सत्य और स्पष्ट दृष्टिकोण प्रकट करते हैं। उत्तरदायित्व में परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखांकन दस्तावेजों की पर्याप्त रूप से देखरेख, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उपयोग करना; निर्णय लेना और अनुमान लगाना जो उचित एवं विवेकपूर्ण हो; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को डिजाइन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण जो लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए परिचालन में थे, जो स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रकट करते हैं और किसी भी गलत कथन, जो चाहे धोखाधड़ी से हो अथवा चूक से हो, उससे मुक्त रखते हो, भी शामिल है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन सतत आधार पर जारी रहने के लिए कंपनी की क्षमता का आकलन करने, प्रकटन, जहां लागू हो, सतत आधार से संबंधित मुद्दों और लेखांकन के आधार पर सतत आधार उपयोग करना बशर्त प्रबंधन या तो कंपनी परिसमापन करने अथवा परिचालन बंद करने का इच्छुक है अथवा ऐसा करने के लिए वास्तविक विकल्प नहीं है, के संबंध में उत्तरदायी है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण पूर्ण रूप से किसी गलत कथन, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा चूक से, मुक्त है और हमारे अभिमत सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। यथोचित रूप से आश्वासन, उच्च श्रेणी का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा किसी भी मौजूद गलत कथन को सदैव ही ढूँढ लेगी। गलत कथन धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण हो सकते हैं और अगर इन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए निर्णय चाहे वह

एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी

निजी रूप से हो अथवा समग्र रूप में, आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की आशा हो, तो यह महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किसी लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और लेखापरीक्षा में पेशेवर संशयवाद बनाए रखते हैं। हम निम्न भी करते हैं:

- स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानी के जोखिम की पहचान तथा मूल्यांकन करना, भले वो धोखाधड़ी या चूक के कारण हो, उन जोखिमों पर प्रतिक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन व निष्पादित करना, तथा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो हमारे अभिमत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त व उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलतबयानी का पता न लग पाने का जोखिम चूक के परिणामस्वरूप पता न लग पाने के जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन की जा सकें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143 (3)(i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य तथा लेखांकन अनुमानों की विश्वसनीयता तथा प्रबंधन वर्ग द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के सतत् आधार और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता का निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो एक सतत् आधार में जारी रहने के लिए कंपनी की क्षमता पर संदेह पैदा करती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण से संबंधित हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना और यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो अपना मत संशोधित करना अपेक्षित है। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। बहरहाल, भविष्य में होने वाली घटनाएं या परिस्थितियां कंपनी को सतत् आधार पर जारी रहने से रोक सकती हैं।
- प्रकटनों सहित स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण, उनकी संरचना एवं विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना तथा यह मूल्यांकन करना कि क्या स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं को इस प्रकार से दर्शाया गया है कि वे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

भौतिकता स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में गलत कथनों का महत्व होता है, जो व्यक्तिगत रूप से अथवा समग्र रूप से यह संभव बनाते हैं कि स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने; और (ii) स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत बयानों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी

हम, अन्य मामलों में, आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियाँ जिन्हें हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचाना है, सहित लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अभिशासन द्वारा प्रभारित व्यक्ति को सूचित करते हैं।

हम अभिशासन से प्रभारित व्यक्ति को वह विवरण भी उपलब्ध कराते हैं, जिसका हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन किया है तथा उनके साथ उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों की सूचना देते हैं जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ उससे संबंधित सुरक्षा उपाय भी बताते हैं।

अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") में अपेक्षा के अनुसार, हम अनुलग्नक-क, आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मुद्दों पर एक विवरण देते हैं।
2. हम कंपनी की पुस्तकों और रिकार्डों की इस प्रकार की जांच जैसा उचित समझा गया और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्देशों और उप-निर्देशों पर अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार अनुलग्नक-ख में अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं,
3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क) हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वे सभी जानकारियाँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे;
 - ख) हमारे अभिमत में, कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों को रखा गया है, जैसा उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;
 - ग) इस रिपोर्ट के अनुसार जाँचे गए स्टैंडएलोन तुलन पत्र, लाभ एवं हानि का स्टैंडएलोन विवरण और स्टैंडएलोन नकदी प्रवाह विवरण लेखों की संबंधित पुस्तकों के अनुसार है;
 - घ) हमारे अभिमत में, उपर्युक्त स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 और कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016, अधिसूचित किए जाने तक, सहित पढ़ा जाए, के अंतर्गत लेखांकन मानकों के अनुपालन में है;
 - ङ) 31 मार्च, 2022 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर और निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड में लिए जाने के अनुसार अधिनियम की धारा 164 की उप धारा (2) के अनुसार नियंत्रक कंपनी और सहायक कंपनी का कोई भी निदेशक, निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित नहीं है;

एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी

- च) स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और हमारे द्वारा लेखापरीक्षा के अनुसार नियंत्रक कंपनी के इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभाविता के संबंध में संदर्भ के लिए अनुलग्नक - 'ग' में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें;
- छ) वर्ष के दौरान नियंत्रक कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को भुगतान किया गया परिश्रामिक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 जिसे अधिनियम की अनुसूची V के साथ पढ़ा जाए, के प्रावधानों के अनुसार हैं; और
- ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11, यथा संशोधित, के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए अन्य मुद्दों के संबंध में, हमारे अभिमत और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:
- i) स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण अपनी स्टैंडएलोन वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव का प्रकटन करते हैं - संदर्भ स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों का नोट 24 देखें;
 - ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है जिसके लिए कोई भौतिक पूर्वाभासी हानि नहीं थी;
 - iii) कोई भी ऐसी राशि नहीं है जिसे कंपनी द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में अंतरित किया जाना था।
- iv) (क) प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि अपनी जानकारी और विश्वास के अनुसार, कोई भी धन (जो व्यक्तिगत अथवा समग्र रूप से) को नियंत्रक कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति अथवा विदेशी कंपनी ("इंटरमीडिएटरी") सहित कंपनी में (या तो उधार ली गई निधियों या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोतों या विभिन्न प्रकार के धन से) अग्रिम अथवा ऋण अथवा निवेश नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि इंटरमीडिएटरी, चाहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रक कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनी द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा अथवा (अंतिम लाभार्थियों) की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह कुछ इसी तरह प्रदान करेगा;
- (ख) प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि, अपनी जानकारी और विश्वास में, कोई भी धन (जो वास्तव में व्यक्तिगत रूप से हो अथवा समग्र रूप से) नियंत्रक कंपनी या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति, विदेशी कंपनी ("फंडिंग पार्टियों") सहित कंपनी से प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि नियंत्रक कंपनी अथवा इसकी सहायक कंपनी चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी अथवा निवेश करेगी अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह कुछ प्रदान करेगी;
- (ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं जिन्हें परिस्थितियों के अनुसार तर्कपूर्ण और उचित पाया है, उनके आधार पर ऐसा कुछ भी हमारे ध्यान में नहीं आया है कि जिससे यह माना जाए कि नियम 11(इ) के उप-

एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी

खंड (i) और (ii) अंतर्गत स्पष्टीकरण जैसा उपरोक्त (क) और (ख) में बताया गया है, में कोई वास्तविक रूप से गलत बयानी हो; और

- v) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित अथवा भुगतान नहीं किया गया था; इसलिए, उक्त खंड लागू नहीं होता है।

**कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 000346एन**

हस्ता.

**स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 08 जुलाई, 2022
यूडीआईएन: 22099143एएमएलएक्सडब्ल्यूजेड1054**

**अंकुर गोयल
साझेदार
सदस्यता सं. 099143**

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक - 'क'

(31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट की 'अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैराग्राफ (1) के संदर्भ में)

कंपनी के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर सत्य और सही दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से की गई लेखापरीक्षा के आधार और हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा लेखापरीक्षा की सामान्य अवधि में हमारे द्वारा लेखा बहियाँ और अन्य रिकार्डों की जांच के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के संबंध में;

क. (अ) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के परिमाणात्मक ब्यौरों और स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण ब्यौरों को दर्शाने वाले यथोचित दस्तावेज रखे हैं।

(आ) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों के परिमाणात्मक ब्यौरों और स्थिति सहित पूर्ण ब्यौरों को दर्शाने वाले यथोचित दस्तावेज रखे हैं।

ख. जैसा हमें स्पष्ट किया गया है, प्रबंधन द्वारा प्रत्येक वर्ष संपत्ति, संयंत्र और उपकरण सत्यापित किए जाते हैं, जो हमारे अभिमत में व्यापार के आकार एवं इसकी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की प्रकृति पर विचार करते हुए उपयुक्त है। इस प्रकार के भौतिक सत्यापन के दौरान कोई खामी नहीं पाई गई है।

ग. हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी रिकार्डों की जांच के आधार पर, कंपनी के पास कोई चल संपत्ति नहीं है। इसलिए यह खंड लागू नहीं होता है।

घ. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों में किसी का भी पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ङ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों, यथा संशोधित, के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी के खिलाफ लंबित नहीं है।

(ii) (क) हमें बताए गए अनुसार, कंपनी के पास कोई स्टॉक नहीं है, इसलिए यह खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वर्तमान परिसंपत्तियों की जमानत के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मिलाकर ₹ 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा को मंजूरी नहीं दी गई है, इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी

- (iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारी या किसी भी अन्य पक्षों को सुरक्षित अथवा असुरक्षित प्रकृति के ऋण में कोई निवेश, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है अथवा कोई भी ऋण अथवा अधिम प्रदान नहीं किया है, इसलिए आदेश के खंड 3 (iii) (ए) से 3 (iii) (एफ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के अंतर्गत शामिल ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियों के संबंध में कोई लेन-देन नहीं किया है, इसलिए इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने ऐसी कोई जमा या राशि स्वीकार नहीं की है जिसे धारा 73 से 76 अथवा अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों को अधिसूचित सीमा के अर्थ के भीतर जमा करना माना जाता हो, इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (vi) भारत की केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी को अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (vii) संवैधानिक बकायों के संबंध में

क. हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा कंपनी की जांच के अनुसार, हमारे अभिमत में, कंपनी ने जहां कहीं भी लागू हो, उचित प्राधिकरणों के पास आयकर, माल एवं सेवा कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित कर, उपकर, माल एवं सेवा कर और अन्य सांविधिक बकायों सहित गैर-विवादित सांविधिक बकायों का नियमित भुगतान किया है, यद्यपि कुछ मामलों में देरी हुई है और कंपनी के पास 31 मार्च, 2022 को देय होने की तिथि से छः महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई सांविधिक बकायों के संबंध में कोई अविवादित राशि शेष नहीं है।

ख. विभाग द्वारा कुल 51.71 रुपए के विवादित सांविधिक बकाया राशि अस्वीकृति/परिवर्धन आदि के विरुद्ध रोक दिया गया है, जिसके विरुद्ध कंपनी ने उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष अपील/शिकायत दायर की है जो निम्नानुसार है:

क्र.सं.	प्राधिकरण का नाम	बकाय की प्रकृति	फोरम जहां विवाद लंबित है	अवधि जिससे विवादित राशि संबंधित है	राशि (लाख रुपए में)
1	आयकर अधिनियम, 1961	आंकलन पूरा होने पर आय कर	सीआईटी (अपील)	आंकलन वर्ष 2017-18	5.79
2				आंकलन वर्ष 2018-19	17.47
3			सीपीसी में शिकायत	आंकलन वर्ष 2019-20	28.45
				जोड़	51.71

एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी

- (viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर आंकलन में वर्ष के दौरान पहले से रिकॉर्ड नहीं की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं किया गया था या आय के रूप में खुलासा किया गया था।
- (ix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या डिबेंचर धारकों को बकाया राशि से ऋण और उधार नहीं लिया है इसलिए खंड 3 (IX) (ए) से 3 (ix) (एफ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (x) (क) हमारे अभिमत और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा उसके बाद सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लेखपत्रों सहित) द्वारा धन नहीं जुटाया है, इसलिए इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी अधिमान्य आबंटन अथवा शेयरों का निजी प्लेसमेंट एवं ऋण पत्रों (पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय) का आबंटन नहीं किया है, इसलिए इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (xi) (क) लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई है अथवा वर्ष के दौरान रिपोर्ट नहीं की गई है।
- (ख) अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक केंद्र सरकार के पास कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।
- (ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई विहसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।
- (xii) कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है इसलिए खंड 3 (xii) (ए) से 3 (xii) (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188, जहां कहीं भी लागू हो, के अनुपालन में हैं। इस तरह के लेन-देन का विवरण एएस 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण द्वारा आवश्यक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।
- (xiv) (क) हमारी राय में, कंपनी के पास आकार और अपने व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।
- (ख) हमने अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए वर्ष के दौरान कंपनी को जारी आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

एस.पी. घोषड़ा एंड कंपनी

- (xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्ति के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।
- (xvi) (क), (ख) और (ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ऐसी कोई गतिविधि नहीं करती है जिसके लिए कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता हो, इसलिए, आदेश के खंड 3 (xvi) (ए), (बी) और (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (घ) हमारी राय में समूह के भीतर कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvi) (डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (xvii) कंपनी को हमारे लेखापरीक्षाधीन के दौरान शामिल वित्तीय वर्ष और तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद हानि नहीं हुई है।
- (xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है।
- (xix) वित्तीय अनुपातों के आधार पर (जैसा कि नोट 29 (vi)) में दिया गया है, वित्तीय परिसंपत्तियों की परिपक्वता और वसूली तथा वित्तीय दायित्वाओं के भुगतान की प्रत्याशित तिथियों, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल एवं प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी परीक्षा के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि में कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो यह दर्शाती हो कि कंपनी तुलन पत्र की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है और जब वे तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर आती हो। बहरहाल, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी बताते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने सभी देनदारियां, जब कभी भी आती है, कंपनी द्वारा निपटान किया जाएगा।
- (xx) (क) चालू परियोजनाओं से इतर अन्य परियोजनाओं के संबंध में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई शेष राशि नहीं है जिसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में अंतरण की आवश्यकता होती है।
- (ख) अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के अंतर्गत किसी भी चालू परियोजना के अनुसरण में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई अत्ययित राशि नहीं है, जिसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में किसी विशेष खाते में अंतरण की आवश्यकता होती है।
- (xxi) कंपनी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसका नाम एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पावर लिमिटेड है जिसे समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है। यद्यपि, उक्त कंपनी के लेखापरीक्षक

एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी

द्वारा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ) रिपोर्ट में कोई अहंकता अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 000346एन

हस्ता.

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 08 जुलाई, 2022
यूडीआईएन:22099143एएमएलएक्सइन्फोर्ज1054

अंकुर गोयल
साझेदार
सदस्यता सं. 099143

एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक - 'ख'

(31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट की 'अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैराग्राफ (2) के संदर्भ में)

वर्ष 2021-22 के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देश और उप-निर्देश

क्र.सं.	निर्देश/उप-निर्देश	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया	उन पर प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई	स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
क	निर्देश			
1	क्या कंपनी में आईटी प्रणाली द्वारा लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया करने की प्रणाली मौजूद है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया करने से वित्तीय निहितार्थों के साथ लेखों की सत्यनिष्ठता पर प्रभाव, यदि कोई हो तो, बताएं।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी में 'टेली ईआरपी9' लेखांकन सॉफ्टवेयर में आईटी प्रणाली द्वारा लेखांकित करने की प्रणाली मौजूद है। तदनुसार, लेखों की सत्यनिष्ठता पर कोई निहितार्थ नहीं है।	किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।	कोई प्रभाव नहीं।
2	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्संरचनाबद्ध किया गया है अथवा ऋणदाता द्वारा कंपनी के ऋण/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से लेखाबद्ध किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों पर भी लागू होता है)	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने की अक्षमता के कारण मौजूदा ऋण को पुनर्संरचनाबद्ध करने अथवा कंपनी के किसी ऋणदाता द्वारा ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।	किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।	कोई प्रभाव नहीं।

एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी

3	क्या केंद्रीय/राज्य सरकार अथवा उनकी एजेंसियों से किन्हीं विशेष योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाले धन/अनुदान/सहायता राशि को उचित रूप से लेखाबद्ध/निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	भारत सरकार ने विभिन्न औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के लिए विभिन्न परियोजना विकास/प्रारंभिक गतिविधियां शुरू करने के लिए परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) की स्थापना को मंजूरी दी, जिसके लिए कंपनी नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के माध्यम से सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करती है जिसका प्रकटन 'आरक्षित और अधिशेष' के तहत पूंजी आरक्षित निधि के रूप में किया गया है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान को इसकी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार कंपनी द्वारा उचित रूप से लेखाबद्ध किया जाता है और इसे स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट 13 में प्रकट किया गया है।	किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।	कोई प्रभाव नहीं।
ख	उप-निर्देश			
		कुछ नहीं		

कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी
 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
 फर्म पंजीकरण संख्या 000346एन

हस्ता.

स्थान: नई दिल्ली
 दिनांक: 08 जुलाई, 2022
 यूडीआईएन:22099143एएमएलएक्सडब्ल्यूजेड1054

अंकुर गोयल
 साझेदार
 सदस्यता सं. 099143

एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबन्धनक - 'ग'

(31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट की 'अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैराग्राफ 3(च) के संदर्भ में)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2022 को 'नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड' ("कंपनी") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है, जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन के रूप में है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर गाइडेंस नोट" में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग अर्हता पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन में, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और चूक को रोकना एवं पहचान करना, लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता एवं परिपूर्णता, और अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने सहित इसके व्यापार को उचित एवं प्रभावी रूप से करने को सुनिश्चित करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व कंपनी की हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है। हमने "आईसीएआई" द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर गाइडेंस नोट" ("गाइडेंस नोट") और लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित किए गए हैं, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू हैं, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होते हैं और दोनों भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। ये मानक और गाइडेंस नोट अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित थे और बनाया रखा गया था और क्या इस प्रकार के नियंत्रण सभी भौतिक पहलुओं पर प्रभावी रूप से परिचालन में थे।

हमारी लेखा परीक्षा में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उनके संचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारी लेखापरीक्षा में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि क्या कोई भौतिक कमजोरी मौजूद है और निर्धारित किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की गलत बयानी के जोखिम का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी

हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वह नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित, जो उचित रूप से, कंपनी के लेन-देन और परिसंपत्तियों के निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करे कि सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए लेन-देन को आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है और कंपनी की प्राप्ति और व्यय को कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों की अनुमति के अनुसार ही किया जा रहा है; और (3) कंपनी की संपत्ति के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, अथवा निपटान के बारे में समय पर पता लगाना एवं रोकना जिसका स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक भौतिक प्रभाव हो सकता है, के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

मिलीभगत की संभावना अथवा नियंत्रणों पर अनुचित प्रबंधन उल्लंघन सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, चूक अथवा धोखाधड़ी के कारण गलत बयानी हो सकती है और इसे ढूंढा नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त, भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का प्रक्षेपण जो स्थितियों में परिवर्तन, अथवा नीतियों के अनुपालन में कमी अथवा पद्धतियों के क्षरण के कारण जोखिम के अधीन है, अपर्याप्त हो सकता है।

अभिमत

हमारे अभिमत में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में प्राप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी रूप से चल रहे थे, जो 'इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया' द्वारा जारी 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा' पर गाइडेंस नोट में आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्थापित किए गए थे।

कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 000346एन

हस्ता.

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 08 जुलाई, 2022

यूडीआईएन:22099143एएमएनएक्सडब्ल्यूजेड1054

अंकुर गोयल

साझेदार

सदस्यता सं. 099143

एकल वित्तीय विवरण

नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च, 2022 को स्टैंडएलोन तुलन पत्र

विवरण	नोट	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपए में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपए में)
इतिवृत्त एवं दायित्वाएं			
सहयोगकों की निधियां			
(क) संचय पूंजी	3	10,000.00	10,000.00
(ख) आरक्षित एव आधेरोष	4	67,045.49	72,042.41
गैर-चालू दायित्वाएं			
(क) दीर्घकालिक दायित्वाएं	5	118.83	50.82
चालू दायित्वाएं			
(क) व्यापार देय	6		
(i) सूक्ष्म और लघु उपक्रमों के कुल देय बकाया		32.42	122.68
(ii) सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों से इतर			
देनदारों के कुल देय बकाया		2,137.88	1,945.73
(ख) अन्य चालू दायित्वाएं	7	301.18	392.32
(ग) लघुकालिक प्रावधान	8	11.16	13.97
औड़		79,646.98	84,567.93
परिसंपत्तियां			
गैर चालू परिसंपत्तियां			
(क) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां			
(i) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण	9	157.10	205.89
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		15.93	19.12
(ख) अचल निवेश	10	1,300.00	1,300.00
(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	11	63.57	35.07
(घ) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	12	5.29	0.02
(ङ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	13	61,073.98	67,423.47
चालू परिसंपत्तियां			
(क) व्यापार प्राप्त	14	132.50	138.12
(ख) रोकड़ और बैंक शेष	15	16,228.79	14,803.59
(ग) लघुकालिक ऋण और अग्रिम	16	38.81	56.52
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	17	630.99	586.13
औड़		79,646.96	84,567.93
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2		
लेखा परीक्षण लेखे स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के आंतरिक मांग हैं।	3-35		

समसंख्यक तिथि को संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एच. पी. चोपड़ा एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण सं. 000346एन

हस्ता.

(अंकुर जोष)

साक्षीदार

(सदस्यता सं. 099143)

यूडीआईएन: 22099143एएमएलएफसडब्लूजेड 1054

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 08 जुलाई 2022

नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता.

(अमृत लाल शीखा)

सीईओ एवं प्रबंध निदेशक

(डीआईएन : 06626193)

हस्ता.

(पी. के. अब्बास)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता.

(राजेंद्र दत्त)

निदेशक

(डीआईएन : 02855304)

हस्ता.

(अभिषेक चौधरी)

उपाध्यक्ष - कॉर्पोरेट मामलों,
मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण

विवरण	नोट	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (लाख रुपए में)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (लाख रुपए में)
आय			
परिचालन से आमदनी	18	1,657.32	2,500.00
अन्य आय	19	625.23	714.28
कुल आमदनी		2,282.55	3,214.28
व्यय			
कमेचारी हितलाभ व्यय	20	877.97	529.65
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	21	74.16	86.40
अन्य व्यय	22	817.24	812.26
कुल व्यय		1,769.37	1,428.31
कर पूर्व लाभ		513.18	1,785.97
कर व्यय			
चालू कर		173.40	532.43
पिछले वर्ष		8.21	0.59
आस्थगित कर		(28.50)	(11.50)
वर्ष के लिए लाभ		360.07	1,264.45
आमदनी प्रति इक्विटी शेयर (समतुल्य 10/- रुपए प्रति शेयर)	23		
प्रति शेयर मूल आमदनी (रुपए में)		0.36	1.26
प्रति शेयर तनुकृत आमदनी (रुपए में)		0.36	1.26
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2		
लेखों पर संलग्न लेखे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आंतरिक भाग हैं।	3-35		

समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. पी. चोपड़ा एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण सं. 000346पन

हस्ता.

(अंकुर गोयल)

(साक्षीदार)

(सदस्यता सं. 099143)

यूडीआईएन: 22099143एएमएलएकसडब्लूजेड 1054

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 08 जुलाई 2022

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

के निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता.

(अमृत नाथ मीणा)

सीईओ एवं प्रबंध निदेशक

(डीआईएन : 06626193)

हस्ता.

(पी. के. अग्रवाल)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता.

(राजेंद्र रत्न)

निदेशक

(डीआईएन : 02855304)

हस्ता.

(अश्विनेक चौधरी)

उपाध्यक्ष - कॉर्पोरेट मामलों,
मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव

नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडपॉलोन रोकड़ प्रवाह विवरण

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
कर पूर्व शुद्ध लाभ	513.18	1,785.87
समायोजन के लिए :		
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	74.16	88.40
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि	0.51	0.01
खातिज की गई परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण ब्याज आय	0.20	-
कार्यक्षेत्र भुंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	(513.82)	(803.39)
	74.23	1,268.99
समायोजन के लिए :		
व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	5.82	(5.83)
अन्य प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	80.55	193.09
व्यापार देयों में वृद्धि/(कमी)	101.89	(1,398.61)
अन्य देयों में वृद्धि/(कमी)	(17.45)	2.64
परिचालन गतिविधियों से शुद्धित नकदी/(प्रयुक्त)	244.84	80.28
भुगतान किए गए (रिफंड वरू) शुद्ध	(311.42)	(309.56)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी/(प्रयुक्त)	(66.58)	(249.28)
भुंजी निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
परियोजना विकास व्यय के लिए प्राप्त निधियां	5,000.00	4,500.00
परियोजना विकास व्यय के लिए प्राप्त निधियों से अर्जित व्यय	125.41	92.26
परियोजना विकास व्यय के लिए प्राप्त निधियों की उपयोगिता	(4,124.57)	(8,245.82)
स्वच्छता कार्य योजना के लिए प्राप्त निधियां	10.00	10.00
स्वच्छता कार्य योजना के लिए प्राप्त निधियों पर अर्जित ब्याज *	-	0.00
स्वच्छता कार्य योजना के लिए प्राप्त निधियों की उपयोगिता	(10.00)	(10.00)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अमूर्त परिसम्पत्तियों की (खरीद)	(23.17)	(53.64)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री	0.29	0.01
बैंकों के साथ निक्षेपों में (वृद्धि)/कमी	387.82	(994.82)
व्याज आय	513.82	803.39
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी/(प्रयुक्त)	1,889.60	(2,098.62)
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी/(प्रयुक्त)		
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	1,823.02	(2,347.90)
वर्ष की शुरुआत में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	13,808.77	16,156.67
वर्ष के अंत में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	15,631.79	13,808.77
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य के घटक :		
रोकड़ शेष	0.02	0.02
बालू खस्त्रों में बैंक के पास शेष	4.44	1,218.39
अवधि जमाओं में बैंक के पास शेष	15,627.33	12,590.36
	15,631.79	13,808.77
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2	
लेखों पर संलग्न लेखे स्टैंडपॉलोन वित्तीय विवरणों के आंतरिक भाग हैं।	3-35	
* धनराशि 1,000/- रुपये से कम है।		

समसंख्यक तिथि को संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते वस. पी. सी.पी.ए. कंपनी
घाटेक एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000346एन

हस्ता.

(अंकुर गोवाल)
(सहसंस्थापक)
(सदस्यता सं. 099143)

नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता.

(अमृत बाल मीणा)
सीईओ एवं प्रबंध निदेशक
(सीआईएन : 08626193)

हस्ता.

(राजेंद्र रत्न)
निदेशक
(सीआईएन : 02855304)

हस्ता.

(पी. के. अययान)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता.

(अश्विनी चौधरी)
उपप्रबंध - कॉरपोरेट मामलों, अकाउंट्स
संसाधन एवं कंपनी सचिव

युडीआईएन: 22099143एएमएलएसडब्ल्यूड 1054

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 08 जुलाई 2022

नोट 1- कंपनी की सृजना

भारत सरकार ने प्रमुख आर्थिक राजक के रूप में निमिर्माण के साथ नियोजित शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू करने और देश के औद्योगिकवित्तियम विकास को मजबूत करने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत 2007 में पहले औद्योगिक गलियारे के रूप में दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआईसी) परियोजना की अध्यापना की घोषणा की। तदनुसार, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (डीएमआईसीसी) को डीएमआईसी परियोजना के विकास और कार्यान्वयन के लिए एक विशेष पर्योजन योजना (एसपीसी) के रूप में 7 जनवरी 2008 को निर्गमित किया गया था।

सितंबर, 2011 में, भारत सरकार ने डीएमआईसी पोर्जेंट में औद्योगिक शहरों के विकास हेतु डीएमआईसी पोर्जेंट की वित्तीय और संस्थापिक संरचना को अनुमोदन दिया और डीएमआईसी पोर्जेंट इन्फ्रस्ट्रक्चर डस्ट फंड (डीएमआईसी-पीआईटीएफ) के रूप में एक परिकामी कार्य के साथ सममित जिधि सृजन को भी अनुमोदन दिया।

डीएमआईसीसी नए वीनपीएल इंडस्ट्रियल स्मार्ट शहरों को विकसित करने के लिए विभिन्न पूर्व-व्यवहार्यता, व्यवहार्यता, मास्टर प्लानिंग और इंजीनियरिंग अध्ययन करने के लिए एक परियोजना विकास कंपनी के रूप में कार्य करती है। डीएमआईसीसी को डीएमआईसी-पीआईटीएफ के लिए और डीएमआईसी क्रियान्वित करने के लिए सभी एसपीवी और राज्य सरकार एजेंसियों के लिए भी परियोजना विकास पार्टनर/ऑब्जेक्ट पार्टनर का जिधित है।

2दिसंबर 2016 में भारत सरकार ने डीएमआईसी पोर्जेंट इन्फ्रस्ट्रक्चर डस्ट फंड के अधिदेश का विस्तार किया और देश में औद्योगिक गलियारों के पक्की विकास के लिए इसे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट फंड इन्फ्रस्ट्रक्चर डस्ट फंड (एनआईसीडीआईटी) के रूप में पुनः नामित किया। डीएमआईसीसी को अन्य औद्योगिक गलियारों के लिए ऑब्जेक्ट पार्टनर नियुक्त होने तक डीएमआईसी कार्य के अलावा सभी औद्योगिक गलियारों के संबंध में एनआईसीडीआईटी के लिए एक नालेज पार्टनर के रूप में कार्य करने का अधिदेश दिया गया था। विस्तारित अधिदेश को देखते हुए 17 फरवरी 2020 से कंपनी का नाम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआईसीसी) से बदलकर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनआईसीडीआईटी) कर दिया गया।

इसके बाद, दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने मन्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान के समय ढांचे के भीतर औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत 4 वर्णों में विकसित किए जाने के लिए 32 परियोजनाओं सहित 11 औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं (पहले अनुमोदित 5 औद्योगिक गलियारों सहित) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी।

नोट 2- मानवपुन संरचना नीति

2.1 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को संवार करने का आधार

कंपनी के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को धरत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएपी) के अनुसार, अधिसूचित एवं लागू किए जाने की सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 के प्राधान्यों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों जो कंपनी (लेखा मानक) संशोधन नियम, 2016 और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ के पठनीय हैं, जिस तरह से लागू और आवश्यक हैं, प्रोटोकल आधार पर संपरागत ऐतिहासिक लागत पर तैयार और प्रस्तुत किया गया है।

वित्तीय विवरणों की तैयारी में अप्रत्याशित गड़ लेखांकन नीतियों को लगभग तब लागू किया गया है, सिवाय इसके कि जहां एक नए जारी किए गए लेखांकन मानक को शुरू में अपनाया गया हो या मंजूरी लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता हो।

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों के संदर्भ में सामान्य अनुदेशों में परिभाषित लघु और मध्यम आकार की कंपनी (एसएमसी) के तहत कंपनी एक स्तर - III लेखांकन व्यवस्था है। तदनुसार, कंपनी ने लघु और मध्यम आकार कंपनियों पर लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया है।

कंपनी ने सामान्य परिचालन धक के अनुसार सभी परिसंपत्तियों और दायित्वों को लागू या गैर-लागू के रूप में वर्गीकृत किया है। सेवाओं की प्रकृति और सेवाओं को प्रदान करने और नकद और नकद समक्यों में उनकी प्राप्ति के बीच के समय के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्ति और दायित्वों के वर्तमान या गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन धक को 12 महीने के रूप में निर्धारित किया है।

2.2 अनुमानों का उपयोग

भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएपी) के अनुरूप स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को जहां कहीं आवश्यकता हो, आकलन और अनुमान लगाने की ज़रूरत होती है, जो परिसंपत्तियों और देवदारियों की रिपोर्ट की गई राशि और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तारीख में आकस्मिक देवदारियों के पकटीकरण और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और खर्चों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करता है। यद्यपि इस तरह के अनुमान और मान्यताएं सभी उपलब्ध सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित एवं विश्वसनीय आधार पर तैयार किए जाते हैं, वार्षिक परिणाम इन अनुमानों और मान्यताओं से भिन्न हो सकते हैं और इस तरह के अंतर को उस अवधि में मंजूरता दी जाती है जिस वर्ष में परिणाम ज्ञात/साकार होते हैं।

2.3 परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण

i) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) को संयंत्र मूल्यकृत एवं अपसामान्य राशियों, यदि कोई हो, उसे धरते हुए ऐतिहासिक लागत पर उल्लिखित किया जाता है।

ii) अधिग्रहण/निर्माण की लागत में स्वयं, निर्माण और कामेलात धार, शुल्क और कर, निर्माण अवधि के दौरान अधिग्रहण/स्वाधन की तारीख तक धार और निर्माण/स्वाधन धरण के दौरान किए गए अन्य आकस्मिक खर्च शामिल हैं।

iii) जब संयंत्र, संयंत्र और उपकरण के एक हिस्से के अनन्य-अनन्य उपयोगी जीवन होते हैं, तो उन्हें संयंत्र, संयंत्र और उपकरण के अनन्य-अनन्य मर्दी (प्रमुख घटक) के रूप में गिन जाता है।

iv) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु से संबंधित बाद के खर्च को उसके दुकानें तभी जोड़ा जाता है जब वे मौजूदा परिसंपत्ति में प्रदर्शन के विपरीत आकलन से अविश्व के मामलों को अग्रे बढ़ते हैं। मरम्मत और रखरखाव की लागत को जब भी खर्च किया जाता है, उन्हें लाभ और हानि के विवरण में दिखाया जाता है।

v) सेवाशिवित से उत्पन्न होने वाली हानि, अथवा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निष्पत्ति से उत्पन्न होने वाली लाभ/हानि, जिसे त्वरित पर किया जाता है, सेवाशिवित/निपटान के वर्ष में आम और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में प्रदर्शित किया जाता है।

vi) कंपनी अधिनियम, २०१३ की अनुसूची II के प्रावधानों के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यहास, लागत के ५ प्रतिशत को अवशिष्ट मूल्य रखते हुए उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर मूल्यहासित विधि से लगाया जाता है। हालांकि, यदि परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए एक अनुमान पूर्वक अनुसूची में परिकल्पित से कम है, तो एक अनुमान के उपयोग/सेवा जीवन के अनुमान के आधार पर मूल्यहास उच्च दर पर लगाया जाता है। कंपनी अधिनियम, २०१३ की अनुसूची II के प्रावधानों के अनुसार और परंपरा द्वारा अनुमान के अनुसार परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

परिसंपत्ति	उपयोगी जीवन (वर्षों में)
फर्नीचर और फिक्स्चर	10
कम्प्यूटर उपकरण	5
निपटान सम्पत्तियाँ और उपकरण	10
कम्प्यूटर - केबलिंग, सॉफ्टवेयर, आदि जैसे अंतिम उपयोगकर्ता उपकरण	3
कम्प्यूटर - सर्वर और नेटवर्क	6

vii) ५,००० रुपये तक की लागत वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अधिग्रहण के वर्ष में ही पूरे तरह से अवमूल्यन किया जाता है।

viii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अतिरिक्त मूल्यहास पर संपत्ति के अनुमानित सेवा उपयोगी जीवन पर संपत्ति के इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने की तारीख से आनुपातिक आधार पर प्रभावित किया जाता है। परिसंपत्तियों की विनिर्माण/निष्पत्ति करने पर मूल्यहास परिसंपत्तियों की विनिर्माण/निपटान की तिथि तक, जैसा भी मामला हो, प्रभावित किया जाता है।

ix) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत सहित समय-समय पर मूल्यहास विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा की जाती है।

x) यदि कोई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण सक्रिय उपयोग से सेवाशिवित या निपटान के लिए रखे गए हैं, उन्हें लागत (शुद्ध संचित मूल्यहास) या अनुमानित शुद्ध बचने योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर बताया जाता है।

xi) मीजहोल्ड संचय की लागत को मीज की अवधि में परिकल्पित किया जाता है।

xii) निर्माणधीन संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और परिसंपत्ति की लागत जो वर्ष के अंत से पहले उपयोग के लिए तैयार नहीं है, उसे प्रगति पर पूंजीगत कार्य के रूप में दिखाया जाता है।

xiii) प्रत्येक तुल्य पत्र तिथि पर बकाया संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए अधिम को अन्य गैर-प्राप्त परिसंपत्तियों के तहत पूंजीगत अधिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.4 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अमूर्त संपत्ति को तभी मान्यता दी जाती है जहाँ यह संभावना है कि संपत्ति के कारण भविष्य के आर्थिक लाभ व्यवसाय को प्राप्त होंगे और संपत्ति की लागत को विश्वसनीयता से मापा जा सकता है। अन्यथा अमूर्त संपत्ति को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर रखा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्ति को संचित परिशोधन और संचित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर ले जाया जाता है। पूंजीकृत विवरण लागतों को छोड़कर अंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्ति को पूंजीकृत नहीं किया जाता और व्यवसाय वर्ष के लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में परिकल्पित होता है जिसमें व्यवसाय किया गया है।

अमूर्त संपत्ति में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं और इसे संचित परिशोधन की लागत को घटाने हुए अधिग्रहण/अवमूल्यन की लागत पर बताया जाता है। इसे ५ साल की अवधि अथवा स्टैंडअलोन के आधार पर लाइसेंस अवधि, जो भी पहले हो, में परिकल्पित किया जाता है।

2.5 परिसंपत्तियों का परिशोधन

एक परिसंपत्ति को तभी परिकल्पित माना जाता है जब परिसंपत्तियों की वहन लागत उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है। प्रत्येक तुल्य पत्र की तिथि में परिसंपत्तियों की अग्रणी राशि की समीक्षा की जाती है और यदि आंतरिक/बाहरी कारणों के आधार पर हानि का कोई संकेत मिलता है, तो हानि को मान्यता दी जाती है। कोई हानि उस वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण में तब प्रभावित की जाती है जिस अवधि में किसी परिसंपत्ति को परिकल्पित के रूप में पहचाना जाता है। जहाँ वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई परिवर्तन होता है जहाँ पूर्ण सेवा अवधि में पहचानी गई परिकल्पित हानि को बढ़ाया/घटाया जाता है। वसूली योग्य मूल्य परिसंपत्ति के शुद्ध वित्तीय मूल्य एवं उपयोग में मूल्य, जो भी अधिक हो, होता है।

2.6 सहव्यय आयुदाय

2.6.1 धनिकेयता विकास निधि (पीडीएफ)

भारत सरकार ने विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों परियोजनाओं के लिए विभिन्न परियोजना विकास/प्रारंभिक गतिविधियाँ करने के लिए पीडीएफ डेवलपमेंट फंड की स्थापना की स्वीकृति दी है जिसके लिए कंपनी नेशनल इंस्ट्रुमेंट्स कोरिडोर डेवलपमेंट फंड इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एनआईडीडीएफ), पूर्व में डीएमआईडी प्रोजेक्ट इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (डीएमआईडीपीआईडीएफ) के नाम से विदित, के माध्यम से भारत सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करती है जिसे आरक्षित कोष एवं अधिषेध के अंतर्गत पूंजीगत कोष में प्रदर्शित किया गया है। यदि निधि से कोई राशि भारत सरकार/एनआईडीडीएफ को वसूल की जा सकती है, तो धनसंपत्ति के वर्ष में उस निधि कोष से हटा दी जाएगी।

इस फंड में अर्जित ब्याज, लाभांश और किसी भी अन्य आय को निधि सेच में जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त, फंड में से परियोजना विकास/वित्तिक गतिविधियों पर खर्च किए गए व्ययों को निम्नानुसार प्रबंधित किया जाता है:

- क) कंपनी की सहायक कंपनियों और उन परियोजनाओं से संबंधित व्यय जिन्हें लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट (एनआईसीआईटी) पूर्व में डीएमआईटी प्रोजेक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट फंड (डीएमआईटीआईटीएफ) और संबंधित राज्य सरकारों की नोडल एजेंसियों के बीच अलग-अलग विशेष प्रयोजन योजना (एसपीबी) बनाई गयी हो, जहां भी सेयरधारकों के समझौते की शर्तों के अनुसार वसूली योग्य हो, संबंधित सहायक कंपनियों/एसपीबी से वसूली योग्य के रूप में दिखाया जाता है और 'अन्य गैर-यान्त्रिक संपत्ति' के तहत प्रकटन किया जाता है;
- ख) जिन परियोजनाओं के लिए खर्च नहीं किया जाता है या आगे कोई गतिविधियां नहीं की जाती हैं या एनआईसीआईटी और संबंधित राज्य सरकार (सरकारों)/नोडल एजेंसी के बीच सेयरधारकों के समझौते में वसूली का प्रावधान नहीं है, उन्हें 'पूर्वी आरक्षित कोष' के तहत परियोजना विकास निधि के सेच से कम किया जाता है; और
- ग) उन परियोजनाओं से संबंधित व्यय जो प्रगति पर हैं और जहां सेयरधारकों के समझौते का निष्पत्त न होने के कारण एसपीबी को अभी तक निगमित नहीं किया गया है अथवा जहां एनआईसीआईटी/सीआईए द्वारा निवेश के लिए परियोजनाओं को अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है या उपरोक्त पैरा (क) और (ख) के तहत शामिल नहीं किए गए किसी भी अन्य व्यय को 'अन्य गैर-यान्त्रिक संपत्तियों' के शीर्ष के तहत परियोजना विकास व्यय के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है।

2.6.2 परियोजना कार्यन्वयन निधि (पीआईएफ)

भारत सरकार ने डिस्ट्री-सुबर्ब औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईटी) परियोजना के लिए विभिन्न परियोजना कार्यन्वयन गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक परियोजना कार्यन्वयन निधि (पीआईएफ) की स्थापना को संपूर्ण दे दी है, जिसके लिए सरकार से धारक कंपनी द्वारा सहायता अनुदान प्राप्त होता है। भारत का नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट और इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट (एनआईसीआईटी) पूर्व में डीएमआईटी परियोजना कार्यन्वयन ट्रस्ट फंड (डीएमआईटीआईटीएफ) के माध्यम से और 'आरक्षित और अधिशेष' के तहत पूर्वी भंडार के रूप में प्रकटन किया गया है। यदि निधि से कोई राशि भारत सरकार/एनआईसीआईटी को वापस की जा सकती है, तो धनवापसी के वर्ष में उक्त निधि सेच से घटा दी जाएगी।

इस फंड में अर्जित ब्याज, लाभांश और किसी भी अन्य आय को निधि सेच में जोड़ा जाता है और गैर-वसूलीय व्ययों को निधि सेच से पूरा किया जाता है।

2.6.3 स्वच्छता कार्य योजना निधि (एसपीबी)

भारत सरकार ने स्वच्छता कार्य योजना के प्रति व्ययों की पूर्ति के लिए स्वच्छता कार्य योजना (एसपीबी) की स्थापना को स्वीकृति दी है जिसके लिए कंपनी को नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट (एनआईसीआईटी) पूर्व में डीएमआईटी प्रोजेक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट फंड (डीएमआईटीआईटीएफ) के नाम से विहित, के माध्यम से भारत सरकार से समग्रता अनुदान प्राप्त करने हैं जिसे आरक्षित कोष एवं अधिशेष के अंतर्गत पूर्वीभंडार कोष में प्रदर्शित किया गया है। फंड से भारत सरकार/एनआईसीआईटी को किसी राशि के वापसी योग्य होने पर उक्त राशि को उस वर्ष में रिफंड के सेच से घटाया जाता है।

इस फंड में अर्जित ब्याज, लाभांश और किसी भी अन्य आय को निधि सेच में जोड़ा जाता है और गैर-वसूलीय व्ययों को निधि सेच से पूरा किया जाता है।

2.7 निवेश

सहायक कंपनियों में निवेश मुख्य रूप से लंबी अवधि के लिए होता है और इसका मूल्यबल संवित्त हानियों को घटाते हुए, यदि कोई हो, उस पर किया जाता है। लगत में अधिशेष लगत और इसके अधिशेष के लिए किए गए अन्य आकांक्षिक लागत शामिल हैं। ऐसे निवेशों के खर्च मूल्य में अस्थायी के अलावा अन्य गिरावट होने की स्थिति में प्रावधान किया जाता है। एक निवेश के मूल्य के संकेतक उसके बाजार मूल्य, निवेशिनी की संपत्ति और परिणामी और निवेश से अपेक्षित नकदी प्रवाह के संदर्भ में प्राप्त किए जाते हैं।

बाद निवेशों को निम्नतर लगत अधिका उद्योग मूल्य पर किया जाता है।

निवेशों के निपटान पर, शुद्ध निफटन आय और अवाणीत राशिों के बीच के अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.8 धनकच मान्यता

क) कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रावधान से प्राप्त आमदनी को प्रोद्गहन के आधार पर मान्यता दी जाती है, जहां तक यह संभावना है कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होगे और जब व्यवस्था की मरुतपूर्ण शर्तें लागू करने योग्य हैं, सेवाएं वितरित की गई हैं, संग्रहीणयत कथोचित रूप से सुनिश्चित है और राजस्व को विषयनीयता से मधा जा सकता है। तदनुसार, सेवाओं से प्राप्त आमदनी को निम्नानुसार मान्यता दी गई है:

- (i) नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट (एनआईसीआईटी) द्वारा परियोजना कार्यन्वयन निधि (पीआईएफ) से विभिन्न परियोजनाओं के लिए जारी किए गए निधियों की 1% की दर से सेवा शुल्क जिसे एनआईसीआईटी ने 26 जुलाई 2016 को हुई बैठक में अनुमोदित किए अनुसार एक वर्ष में '20,00,00,000 की अधिकतम सीमा तक मान्यता दी गई है।
- (ii) मोडेल पार्टर के रूप में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड (आईआईसीसी) को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए वार्षिक अंतरिक प्रोद्गहन के 1% की दर से सेवा शुल्क आईआईसीसी के साथ निष्पादित समझौते त्राप्त में निर्धारित अनुसार 10 वर्षों की वार्षिक अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर न्यूनतम '5,00,00,000 और अधिकतम ' 10,00,00,000 प्रति वर्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है।

ख) ब्याज आय को बकाया राशि और ब्याज की लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय आनुपातिक आधार पर स्वीकारा जाता है।

ग) लाभांश का लेखांकन तब किया जाता है, जब उक्त को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ फ़ायनान्सियल एकेडमिक सिस्टिम्स
सीआईएन: यू45400डीएल2008वीएनसी172316
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडरलाइज्ड वित्तीय विवरणों पर नोट

2.9 नीज

नीज को परिचालन तैयार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जहां पट्टादारा नीज अवधि के दौरान मूल रूप से स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी रूप से रखता है। परिचालन नीज के अंतर्गत नीज भुगतानों को पट्टादारा आधार पर लाभ एवं हानि खाते के स्टैंडरलाइज्ड विवरण में दिखाया जाता है।

2.10 विदेशी मुद्रा में लेन-देन

विदेशी मुद्रा लेनदेन उक्त तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। तुलन पर की तिथि पर मौजूद विदेशी मुद्रा में मौद्रिक संपत्ति और देयदारियों को उस सारखे को प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है। भारत के बाहर किसी देश से संपत्ति, संबंध और उपकरण के अधिग्रहण के लिए विदेशी मुद्रा में उधार ली गई धनराशि और देयदारियों के मामले में विनिमय दरों के अंतर को इसकी लगत में समायाजित किया जाता है। अन्य सभी विनिमय अंतर लाभ और हानि के स्टैंडरलाइज्ड विवरण में प्रकट होते हैं। बाबदा विनिमय अनुबंध पर प्रीमियम या फूट को अनुबंध की अवधि के दौरान व्यवसाय आय के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस तरह के अनुबंध पर विनिमय अंतर को रिपोर्टिंग अवधि में लाभ और हानि के स्टैंडरलाइज्ड विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें विनिमय दरों में परिवर्तन होता है। बाबदा अनुबंध के रद्दीकरण अथवा नवीनीकरण पर होने वाले कितने भी लाभ अथवा हानि को अवधि के दौरान आय और व्यवसाय के रूप में दिखाया जाता है।

2.11 कर्मचारी हितधारक

- क) **जनसांख्यिक हितधारक:**
इन्हें उस वर्ष के लिए लाभ और हानि के स्टैंडरलाइज्ड विवरण में व्यवसाय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन लाभों में सरकारी कर्मचारियों को कंपनी में प्रतिनिधित्व पर फुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान शामिल हैं, जिसका हिसाब बैंक सरकार के निर्धारित नियमों के अनुसार है।
- ख) **परिभाषित अंशदान योजना:**
कर्मचारी अभिव्यक्ति और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार वैधानिक अभिव्यक्ति, पेंशन योजना में वर्ष के दौरान भुगतान या देय कंपनी के योगदान को उस वर्ष के व्यवसाय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी सेवाएं प्रदान करता है।
- ग) **परिभाषित हितधारक योजना:**
पेंशनरी के प्रति कंपनी का दायित्व वर्ष के अंत में अनुमानित प्रुविडेंट फंड पद्धति पर उपयोग करके स्वतंत्र बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित किया जाता है। बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित बीमाकर्ता लाभ या हानि को उस वर्ष के दौरान लाभ और हानि के स्टैंडरलाइज्ड विवरण में प्रकट होता है जिसका बीमाकर्ता मूल्यांकन किया जाता है।

2.12 खंड-कार रिपोर्टिंग

परिचालन खंड की पहचान कंपनी के प्रबंधन द्वारा संसाधनों को आवंटित करने और निर्णय लेने के लिए उनके वर्द्धन का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है। नेशनल मानक 17 के अनुसार निर्देशक मंडल सामूहिक रूप से कंपनी का "मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता" या "सीओडीएन" है। कंपनी के पास विभिन्न औद्योगिक गतिधारा और परियोजनाओं के कार्यप्रणाल्य के लिए तीन अलग-अलग के रूप में सेवाएं प्रदान करने का केवल एक रिपोर्टिंग खंड है, जो कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

2.13 ऊर्ध्व पर कर

- क) कर व्यवसाय में चलू कर और आस्थायिक कर दोनों शामिल हैं।
- ख) वर्तमान करकर, संपत्ति और देयदारियों को आयकर अधिनियम, 1961 में कराधान कम्प्यूट (संगोपन) अधिनियम 2019 और भारत में अधिनियमित आय गणना तथा प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस), कर दरों और रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित कर कम्प्यूट का उपयोग करके द्वारा सम्मिलित कर व्यवस्था के अनुसार कराधान अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली या उनसे वसूली योग्य हानि पर मर्यादित है।
- ग) आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर के परिणामस्वरूप आस्थायिक कर दायित्व जो उत्तरवर्ती लेखा अवधि में बदलने में सक्षम है, उसे रिपोर्टिंग तिथि को अधिनियमित अथवा वास्तविक रूप से अधिनियमित कर दरों और कर कम्प्यूट में लेखाबद्ध किया जाता है। आस्थायिक कर परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है और केवल उस सीमा तक अग्र बढ़ावा जाता है जहां उचित निश्चितता हो कि अभिव्यक्ति में प्रयोजित कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विनाश ऐसी आस्थायिक कर संपत्ति की वसूली की जा सकती है। उनकी वसूली के लिए आस्थायिक कर परिसंपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है।

ब) न्यूतम बैकल्पिक कर (एमएटी) उस वर्ष के दौरान वर्तमान कर के रूप में लागू और हानि के स्टैंडरड कोरपोरेट विवरण पर लगाया जाता है जिसमें इसका भुगतान किया जाता है। कंपनी एक परिसंपत्ति के रूप में उपलब्ध न्यूतम बैकल्पिक कर क्रेडिट को केवल उस हद तक मान्यता देती है कि इस बात के उपयुक्त साक्ष्य है कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी, यानी वह अवधि जिसके लिए न्यूतम बैकल्पिक कर क्रेडिट को आगे ले जाने की अनुमति है। कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 के तहत न्यूतम बैकल्पिक कर के संबंध में उपलब्ध क्रेडिट के लिए मेरिट पर आधारित नोट के अनुसार न्यूतम बैकल्पिक कर क्रेडिट को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता देते हैं, उक्त परिसंपत्ति को स्टैंडरड कोरपोरेट हानि स्टेटमेंट में क्रेडिट के माध्यम से बनाया जाता है और 'न्यूतम बैकल्पिक कर क्रेडिट पात्रता' के रूप में दिखाया गया है। कंपनी पत्रक रिपोर्टिंग तिथि पर 'न्यूतम बैकल्पिक कर क्रेडिट पात्रता' संपत्ति की समीक्षा करती है और परिसंपत्ति को उस हद तक सेखाबद्ध करती है, जिस हद तक कंपनी के पास इस बात के पर्याप्त साक्ष्य नहीं है कि वह निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य कर का भुगतान करेगी।

2.14 आगवही प्रति शेयर

कंपनी 'प्रति शेयर कम्पाउंड' पर सेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर मूल और पुनर्मूल आय (ईपीएस) को रिपोर्ट करती है।

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के लिए इक्विटी शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की श्रृंखला और औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर पुनर्मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की श्रृंखला और औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है, जिसे सभी कम्पाउंड संभावित इक्विटी शेयरों के पश्चात् के लिए समायोजित किया जाता है, सिवाय इसके कि जहां सभी अडजस्टेड पोटेन्शियल इक्विटी शेयर के परिणाम एंटी-डिल्यूटिव हैं।

2.15 धराधन, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक परिसंपत्तियां

लेखों में किसी धराधन को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास किसी पिछली घटना(ओं) के परिणामस्वरूप मौजूदा दायित्व हो और यह संभावना हो कि संसाधनों के बहिर्वाह के संबंध में दायित्व का निपटारा करने की आवश्यकता होगी जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो। धराधनों को उनकी मौजूदा कीमत पर बरतमान नहीं किया जाता और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्वों का निपटारा करने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इन अनुमानों की समीक्षा पत्रक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और मौजूदा सर्वोत्तम अनुमानों को पदार्जित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक देनदारियां का खुलासा नोट्स में इस किया जाता है जब पिछली घटना(ओं) से उत्पन्न होने वाले संभावित दायित्व होते हैं, जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने/न होने से की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या एक वर्तमान दायित्व जो पिछली घटना (ओं) से उत्पन्न होता है, जहां वह या तो संभव नहीं है कि संसाधनों का बहिर्वाह व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक होगा या एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में तब तो मान्यता दी जाती है और तभी प्रकट किया जाता है।

2.16 रोकड़ और समतुल्य रोकड़

नकद और नकद समकक्षों में हाथ में नकद, चेक, हाथ में ड्राफ्ट/ट्रांजिट में प्रेषण, बैंक शेष और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि शामिल है और जो नकद और नकद समकक्षों की जात राशि में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जिसकी कीमतों में परिवर्तन का जोखिम न्यून है।

2.17 रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण 'अपेक्षित तिथि' द्वारा तैयार किया जाता है जिस कि 'रोकड़ प्रवाह विवरण' पर सेखांकन मानक 3 में निर्धारित किया गया है और कंपनी की परिभाषा, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों द्वारा रोकड़ प्रवाह प्रस्तुत करता है।

स्टैंडरड कोरपोरेट रोकड़ प्रवाह विवरण में प्रस्तुत किए गए रोकड़ और रोकड़ समकक्षों में हाथ में नकद, चेक, हाथ में ड्राफ्ट/ट्रांजिट में प्रेषण, बैंक बैलेंस और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले जिम्मेदार शामिल हैं और जो रोकड़ और रोकड़ समतुल्य की जात राशि में आसानी से परिवर्तनीय हैं।

परिचालन विकास निधियां और संबंधित आय/व्यय से संबंधित सेन-देन दीर्घकालिक प्रकृति के होते हैं, इसलिए उन्हें निवेश गतिविधियों के रूप में मंजूर किया जाता है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएससी172316

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडरलाइज्ड वित्तीय विवरणों पर नोट

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)
नोट 3 शेयर पूंजी		
प्राधिकृत		
10/- रुपये कीमत वाले 10,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष: 10,00,00,000)	10,000.00	10,000.00
	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
निर्भूत, अविदित और पदतल पूंजी		
10/- रुपये कीमत वाले 10,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष: 10,00,00,000)	10,000.00	10,000.00
योग	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

3.1 वर्ष की शुरुआत और वर्ष के अंत में बचतवा शेयरों की संख्या का सामंजस्य:

	31, मार्च, 2022 को		31, मार्च, 2021 को	
	शेयरों की सं.	(लाख रुपये में)	शेयरों की सं.	(लाख रुपये में)
वर्ष की शुरुआत में शेयर	100,000,000	10,000.00	100,000,000	10,000.00
जोड़े: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेयर	<u>100,000,000</u>	<u>10,000.00</u>	<u>100,000,000</u>	<u>10,000.00</u>

3.2 इक्विटी शेयरों के साथ संलग्न शर्तों/अविवार

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका नामांकन '10/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी भारतीय रुपये में लाभांश की घोषणा और भुगतान कर सकती है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन रहे। कंपनी के परिसमाप्त की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी वरीयता प्राप्त राशि/की के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

3.3 कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक धारिता रखने वाले शेयरधारकों का ब्योरा

	31, मार्च, 2022 को		31, मार्च, 2021 को	
	शेयरों की सं.	धारिता %	शेयरों की सं.	धारिता %
भारत के राष्ट्रपति	49,000,000	49.00	49,000,000	49.00
(सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग एवं उनके नामितों द्वारा)				
जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी)	26,000,000	26.00	26,000,000	26.00
हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	19,900,000	19.90	19,900,000	19.90

कंपनी के रिफॉर्ड के अनुसार, शेयरधारकों / सदस्यों के अपने रजिस्टर और अन्य घोषणाओं सहित, यदि कोई हो, शेयरधारकों से लाभकारी हित के संबंध में, उपरोक्त शेयरधारिता शेयरों के कानूनी और लाभकारी स्वामित्व दोनों का प्रतिनिधित्व करती है।

3.4 कंपनी ने बीएस शेयरों को जारी नहीं किया है और न ही नकदी प्राप्त किए बिना ही शेयरों को जारी किया है और तुलना पत्र की तिथि से पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी शेयरों को वपिस नहीं खरीदा गया है।

3.5 प्रभुत्व की निम्नोक्त

वर्ष के अंत में प्रभुत्व द्वारा धारित शेयर	वर्ष के दौरान परिवर्तन %	
प्रभुत्व का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %
सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (सीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	48,999,998	49%
श्री शैलेश सिंह, आईएएस, अपर सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (सीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	1	
भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि ने संयुक्त सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (सीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व किया	1	
योग	48,999,998	49%

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएससी172316

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडराइज्ड वित्तीय विवरणों पर नोट

विवरण		31 मार्च, 2022 को (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपये में)
नोट 4 : आरक्षित और अधिशेष			
(क.)	मुंजी आरक्षित निधि - के लिए प्राप्त सहायता अनुदान: (संदर्भ नोट 2.6)		
(i)	परियोजना विकास निधि		
	अंतिम तुलन पत्र के अनुसार	68,020.27	63,520.27
	जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान	5,000.00	4,500.00
	जोड़े: परियोजना विकास निधि पर अर्जित ब्याज		
	अंतिम तुलन पत्र के अनुसार	3,225.78	3,133.52
	वर्ष के दौरान सावधि जमा और कर रिफंड पर ब्याज	125.41	92.26
		73,020.27	68,020.27
	(घटाएँ): धसूने न जा सकने वाले परियोजना विकास व्यय		
	अंतिम तुलन पत्र के अनुसार	(4,035.14)	(3,798.71)
	वर्ष के दौरान घटन किए गए व्यय	(10,474.05)	(236.43)
	(घटाएँ): परियोजना विकास निधि पर अर्जित ब्याज पर कर कर प्रभाव	(30.87)	(22.52)
		61,831.40	67,188.39
(ii)	परियोजना कार्यान्वयन निधि		
	अंतिम तुलन पत्र के अनुसार (संदर्भ नोट 10.1)	1,300.00	1,300.00
		1,300.00	1,300.00
(iii)	स्वच्छता कार्य योजना		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार*	0.00	-
	वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान	10.00	10.00
	जोड़े: वर्ष के दौरान सावधि जमाओं पर ब्याज*	-	0.00
	(घटाएँ): वर्ष के दौरान कटन किए गए व्यय	(10.00)	(10.00)
		0.00	0.00
	उप-टोटल	83,131.40	68,488.39
(ख.)	अधिशेष		
	अंतिम तुलन पत्र के अनुसार	3,554.02	2,289.57
	जोड़े: वर्ष के लिए लाभ	360.07	1,264.45
	जोड़	67,045.49	72,042.41

* राशि 1,000/- रुपये से कम है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडरलाइन वित्तीय विवरणों पर नोट

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपए में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपए में)
नोट 5 : अन्य दीर्घकालिक दायित्वाएं		
कर्मचारी कृतताओं के लिए प्रावधान		
- पेंशन (संदर्भ नोट 25)	68.56	50.82
अवकाश नवदीकरण (चालू वर्ष के लिए संदर्भ नोट 25)	50.27	-
जोड़	118.83	50.82

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपए में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपए में)
नोट 6 - व्यापार देय		
सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों को कुल देय बकाया (संदर्भ नोट सं. 6.1)	32.42	122.88
सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों से इतर ऋणदाताओं का कुल देय बकाया	2,137.88	1,945.73
जोड़	2,170.30	2,068.61

- 6.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार सूचना नीचे दी गई है। यह सूचना कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस तरह की पाठियों की पहचान की गई सीमा तक निर्धारित की गई है।

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपए में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपए में)
i) वर्ष के अंत में एमएसएमईडी अधिनियम के तहत शामिल किए गए किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया मूलधन और उस पर देय ब्याज		
-मूलधन	32.42	122.68
- ब्याज	-	-
ii) वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान की राशि के साथ एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि	-	-
iii) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-
iv) वर्ष के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज की राशि; तथा	-	-
v) एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृत करने के उद्देश्य से, बाद के वर्षों में भी देय और देय शेष ब्याज की राशि, जब तक कि उपरोक्त के रूप में ब्याज देय राशि वास्तव में छेदे उद्यम को भुगतान नहीं की गई हो	-	-

नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर नोट

6.2 पुरानी व्यापार देय

31 मार्च, 2022 को					
विवरण	भुगतान/लेन-देन की बकाया तिथि से बकाया*				जोड़
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एसएसएमई	32.42	-	-	-	32.42
(ii) अन्य	1,018.68	896.85	197.86	24.49	2,137.88
(iii) विवादित बकाए - एसएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाए - अन्य	-	-	-	-	-
जोड़	1,051.10	896.85	197.86	24.49	2,170.30

31 मार्च, 2021 को					
विवरण	भुगतान/लेन-देन की बकाया तिथि से बकाया*				जोड़
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एसएसएमई	122.68	-	-	-	122.68
(ii) अन्य	1,441.21	253.61	180.26	70.65	1,945.73
(iii) विवादित बकाए - एसएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाए - अन्य	-	-	-	-	-
जोड़	1,563.89	253.61	180.26	70.65	2,068.41

* उपर्युक्त खातों को प्रबंधन द्वारा लेन-देन की तारीख के आधार पर तैयार किया गया है। यद्यपि भुगतान के लिए देय राशि में कोई कमी नहीं आई है क्योंकि भुगतान की उपलब्धि प्राप्त नहीं की गई है/कार्य को पूरा करने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है/आस्थितिक देयता अवधि के लिए निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत न किए जाने के कारण रखी गई राशि को अपने पास बनाए रखा गया है।

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपए में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपए में)
नोट 7 - अन्य चाल प्रयिताएं		
सांविधिक दायित्वाएं	152.11	239.19
अर्जित व्यय	13.81	16.32
व्ययों के लिए कृपादाता	16.24	82.06
कर्मचारी संबंधी देय	49.02	4.75
बोली प्रतिभूति	70.00	50.00
जोड़	301.18	392.32

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपए में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपए में)
नोट 8 - अल्पकालिक प्रावधान		
कर्मचारी हितसार्थों के लिए प्रावधान		
- ग्रेज्यूएटी (संदर्भ नोट 25)	6.19	3.79
- अवकाश नकदीकरण (चालू वर्ष के प्रकटन के लिए संदर्भ नोट 25)	4.97	11.16
		1.69
अन्य प्रावधान		
- कर के लिए प्रावधान (पिछले वर्ष 546.47 लाख रुपए के लिए अंतिम कर का शुद्ध)	-	8.49
जोड़	11.16	13.97

नेशनल इंटरियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडराइज्ड वित्तीय विवरणों पर नोट

नोट 9 - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

विवरण	सकल व्यय			मूल्यहास/परिवर्धन				(साब स्क्वैर मी.)	
	1 अप्रैल, 2021 को	वर्ष के दौरान संवर्धन	वर्ष के दौरान (निविदा/निपटान)/ समावोजन	31 मार्च, 2022 को	1 अप्रैल, 2021 को	वर्ष के लिए (संदर्भ नोट 9.4)	वर्ष के दौरान (निविदा/निपटान)/ समावोजन	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
फर्नीचर एवं फिक्स्चर	52.43	-	-	52.43	22.59	7.73	-	30.32	29.84
व्यवसाय उपकरण	143.87	2.59	(8.56)	139.90	93.86	22.29	(6.16)	109.99	50.01
वितरित प्रतिष्ठान और उपकरण	13.81	-	(0.79)	13.02	5.22	2.18	(0.59)	6.81	8.59
कम्प्यूटर एवं डेटा प्रोसेसिंग यूनिट	66.59	8.30	(7.79)	67.10	46.36	14.27	(7.40)	53.23	20.23
पेटेंट/अनुरोध (कार्यालय नवीकरण)	155.72	-	-	155.72	58.50	12.22	-	70.72	97.22
बाजू वर्ष का जोड़	432.42	10.89	(15.14)	428.17	228.53	58.89	(14.15)	271.07	205.89
घिछने वर्ष का जोड़	382.88	49.85	(0.09)	432.42	153.60	73.09	(0.16)	226.53	-
अमूर्त परिसंपत्तियां									
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	85.28	12.28	-	97.56	66.16	15.47	-	81.63	19.12
बाजू वर्ष का जोड़	85.28	12.28	-	97.56	66.16	15.47	-	81.63	19.12
घिछने वर्ष का जोड़	81.63	3.78	(0.13)	85.28	52.90	13.31	(0.05)	86.16	-

9.1) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वजन राशि में परिवर्धन का निर्धारण करने के लिए कंपनी (नेछा मानक) नियम 2008 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी "एएस28- संपत्ति का परिचोदन" के अनुसार, कंपनी ने निष्कर्ष निकाला है कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तु योग्य राशि इससे परिचोदन राशि से कम नहीं है; इसलिए, कंपनी के स्वांगित वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के संबंध में होनि के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

9.2) वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का कोई पुनः मूल्यंकन नहीं किया है।

9.3) कंपनी के पास कोई अवल परिसंपत्ति नहीं है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडलोन वित्तीय विवरणों पर नोट

9.4) वर्ष के दौरान प्रकृत किए गए मूल्यवास्त समायोजन	
विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण
	पट्टाभूत सुधार (कार्यालय नवीकरण)
अप्रोक्त नोट 9 के अनुसार मूल्यकृत	12.22
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए मूल्यकृत/परिशोधन	(0.73)
वर्ष के लिए मूल्यकृत	11.49

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडपलीन वित्तीय विवरणों पर नोट

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपए में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपए में)
नोट 10: ऋण निवेश (अन-उद्धृत, लाभात पर)		
एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पावर लिमिटेड में परियोजना कार्यान्वयन निधि से पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के ₹ 10/- के पूर्ण प्रदत्त 1,30,00,000 इन्विट्टी शेयरों में (पिछले वर्ष: 1,30,00,000) गैर-व्यापारिक निवेश (संदर्भ नोट सं. 10.1)	1,300.00	1,300.00
(घटाएं) : निवेश के मूल्य में कमी	-	-
जोड़	1,300.00	1,300.00

10.1 आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के अनुमोदन के अनुसार, 8.00 मैगा वाट मॉडल सोलर पावर प्रोजेक्ट क्रियान्वित करने के लिए एनआईसीडीसी लिमिटेड द्वारा ट्रस्ट की 100 प्रतिशत इन्विट्टी निवेश के लिए एसपीवी यथा एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पावर लिमिटेड, पूर्व में डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पावर कंपनी लिमिटेड के नाम से विहित की जा रही करने के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ट्रस्ट की मुख्य निधि/पूँजी निधि में से नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट फंड द्वारा एनआईसीडीसी लिमिटेड को 13,00,00,000/- (केवल तेरह करोड़ रुपए) की राशि अंतरित की गई थी। इस प्रकार के निवेश की राशि एनआईसीडीसी लिमिटेड के माध्यम से ट्रस्ट में वापस आएगी। ट्रस्ट से प्राप्त धनराशि को नोट 4 में पूँजी आरक्षित निधि के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन निधि (पीआईएफ) के रूप में दिखाया गया है।

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपए में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपए में)
नोट 11 : आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:		
- लेखा और कर के अनुसार मूल्यवृद्धि/परिसोधन के बीच अंतर	28.16	19.29
- भूगतान आधार पर अनुमेष व्ययों के कारण समय अंतर	37.41	15.78
आस्थगित कर दायित्वा		
जोड़	63.57	35.07

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को धातु वर्ष के दौरान स्वीकार किया गया है क्योंकि ये उत्तरवर्ती लेखांकन अवधि में वापिस किया जा सकता है।

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपए में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपए में)
नोट 12 : दीर्घकालिक ऋण और अविभक्त (अभुक्तित, लेकिन अच्छा माना जाता है)		
कर्मचारी अविभक्त	0.35	-
पूर्ववत व्यय	4.94	0.02
जोड़	5.29	0.02

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएससी172318

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडरलाइन वित्तीय विवरणों पर नोट

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपये में)
नोट 13 - अन्य गैर-जान परिष्करणों		
(अनुसूचित, लेकिन अर्थश माना जाता है)		
(क) पतिवृत्ति निवेश	5.52	5.52
(ख) परियोजना विकास निधि में से परियोजना विकास व्यय (संदर्भ नोट 2.8.1)		
अंतिम तुल्य पर के अनुसार	10,914.90	10,376.58
नोट: वर्ष के दौरान वृद्धि किए गए व्यय [30.00/- लाख रुपये की शुद्ध चिड़ प्रोसेसिंग फंड (पिछले वर्ष: 91.50 लाख रुपये)]	4,169.74	6,245.82
	15,084.64	16,622.40
(घटाएं): वसूली व्यय होने के कारण, सहयोगी कंपनियों/एसपीवी को अंतरित राशि	(1,651.97)	(5,471.07)
(घटाएं): परियोजना विकास निधि को अंतरित, वसूली योग्य न होने के कारण (संदर्भ नोट 13.1 और 13.2)	(10,474.05)	(236.43)
उप-बोर्ड	2,958.62	10,914.90
(ग) एसपीवी के वसूली बोर्ड परियोजना विकास व्यय (संदर्भ नोट 2.6.1, 13.3 और 13.4)		
- औरंगाबाद इंस्टिट्यूट ऑफ़ टैक्नॉलॉजी लिमिटेड	21,405.10	20,262.02
- धौलेरा इंस्टिट्यूट ऑफ़ डेवलपमेंट लिमिटेड	32,158.60	31,783.68
- एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड	889.66	889.66
- एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट लिमिटेड	643.13	643.60
- झारखंड आईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड	687.98	687.98
- झारखंड आईसी विकास उद्योगपुरी लिमिटेड	507.55	507.55
- इंदोरोट इंस्टिट्यूट ऑफ़ टैक्नॉलॉजी सेंटर नोएडा लिमिटेड	875.09	880.83
- एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम इंस्टिट्यूट ऑफ़ डेवलपमेंट लिमिटेड	942.73	942.73
उप बोर्ड	58,109.84	56,503.05
बोर्ड	61,073.98	67,423.47

- 13.1 वर्ष के दौरान परियोजना विकास व्यय की समीक्षा की गई है और परियोजनाओं से संबंधित 9134 लाख रुपये की राशि जिसका अभी कोई उपयोग नहीं किया गया था तथा निवृत्त अधिकार में उपयोग करने की आशा नहीं है, इसे 12 अप्रैल, 2022 को आयोजित निदेशक मंडल की 63वीं बैठक के अनुमोदन से लेखांकन नोति सं. 2.6.1(ख) के अनुसार 'पूजी निधि' के अंतर्गत परियोजना विकास निधि शेष से घटा दिया गया।
- 13.2 वर्ष के दौरान परियोजना विकास व्यय में एनआईसीडीसी द्वारा निविदा रूप से प्राधिकृत प्रधानमंत्री मणि शक्ति-नेशनल मास्टर प्लान के 630.67 लाख रु शामिल हैं और इसे लेखांकन नोति सं. 2.6.1(ख) के अनुसार 'पूजी निधि' के अंतर्गत परियोजना विकास निधि शेष से घटा दिया गया।
- 13.3 नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ डेवलपमेंट एंड इन्फ्रस्ट्रक्चर ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) ने 6 मार्च, 2018 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में कंपनी को सहयोग कंपनियों/एसपीवी की परियोजनाओं के संबंध में कंपनी द्वारा किए गए परियोजना विकास व्यय को परियोजना विकास निधि में से हस्तांतरित करने का निर्देश दिया था। संबंधित अनुबंधित/एसपीवी को सहायता अनुदान और इसकी वसूली को तब तक के लिए स्थगित करना जब तक कि एसपीवी पर्याप्त अधिशेष निधियों उपलब्ध करने में सक्षम नहीं हो जाते। संबंधित अनुबंधित/एसपीवी अभी तक पर्याप्त अधिशेष निधियों उपलब्ध करने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए राशि को वर्ष के अंत में एसपीवी से वसूली योग्य के रूप में दिखाया गया है जब तक कि वे अधिशेष उपलब्ध करना शुरू नहीं करेंगे।
- 13.4 एसपीवी के वसूली बोर्ड परियोजना विकास व्यय का संचालन

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार

एसपीवी	31 मार्च, 2021 को शेष (लाख रुपये में)	वर्ष के दौरान बढ़ाने/घटाने (लाख रुपये में)	वर्ष के दौरान प्राप्त/बाधित की गई राशि (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2022 को शेष (लाख रुपये में)
- औरंगाबाद इंस्टिट्यूट ऑफ़ टैक्नॉलॉजी लिमिटेड	20,262.02	1,143.08	-	21,405.10
- धौलेरा इंस्टिट्यूट ऑफ़ डेवलपमेंट लिमिटेड	31,783.68	420.10	(45.18)	32,158.60
- एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड	889.66	-	-	889.66
- एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट लिमिटेड	643.60	94.53	-	643.13
- झारखंड आईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड	687.98	-	-	687.98
- झारखंड आईसी विकास उद्योगपुरी लिमिटेड	507.55	-	-	507.55
- इंदोरोट इंस्टिट्यूट ऑफ़ टैक्नॉलॉजी सेंटर नोएडा लिमिटेड	880.83	(5.74)	-	875.09
- एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम इंस्टिट्यूट ऑफ़ डेवलपमेंट लिमिटेड	942.73	-	-	942.73
	56,503.05	1,651.97	(45.18)	58,109.84

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड
सीआईएन: यू45400डीएल2008बीएससी172318
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडर्ड्स के वित्तीय विवरणों पर नोट

31 मार्च, 2021 को

वस्तु	31 मार्च, 2021 को लेब (लाख रुपये में)	वर्ष के दौरान चालू खाते (लाख रुपये में)	वर्ष के दौरान चालू खाते की गई राशि (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को लेब (लाख रुपये में)
- नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट लिमिटेड	17,693.28	2,568.76	-	20,262.02
- चोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	29,146.87	2,637.01	-	31,783.88
- चोलेरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	6.60	-	(6.60)	-
- एनआईसीडीसी हरियाणा मशीन सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड	846.84	40.82	-	889.66
- एनआईसीडीसी हरियाणा मशीन सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड	484.10	64.50	-	548.60
- डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएम प्रोजेक्ट लिमिटेड	887.13	0.85	-	887.98
- डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएम प्रोजेक्ट लिमिटेड	507.55	-	-	507.55
- इंदीरा इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट लिमिटेड	745.06	135.77	-	880.83
- एनआईसीडीसीडीसी कृष्णापरमन इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	919.37	23.36	-	942.73
	51,038.58	5,471.07	(6.60)	56,503.05

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपये में)
नोट 14: व्यापार धन्य		
(अनुसूचित, लेकिन अन्य समूहों में नहीं)		
अन्य धन्य - इंदीरा इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट लिमिटेड (उपक्रम जिस पर प्रमुख वस्तु को निर्धारित किया गया है)	132.50	138.12
योग	132.50	138.12

14.1 पुराने व्यापार धन्य

विवरण	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i) अविवादित व्यापार धन्य - जिन्हें अद्यतन समूहों में शामिल किया गया है	132.50	-	-	-	-	132.50
(ii) अविवादित व्यापार धन्य - जिन्हें संदिग्ध समूहों में शामिल किया गया है	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार धन्य - जिन्हें अद्यतन समूहों में शामिल किया गया है	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार धन्य - जिन्हें संदिग्ध समूहों में शामिल किया गया है	-	-	-	-	-	-
योग	132.50	-	-	-	-	132.50

व्यापार के पुराने आंकड़े लेन-देन की तिथि के आधार पर हैं। तब से राशि बसूल की जा चुकी है।

विवरण	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i) अविवादित व्यापार धन्य - जिन्हें अद्यतन समूहों में शामिल किया गया है	138.12	-	-	-	-	138.12
(ii) अविवादित व्यापार धन्य - जिन्हें संदिग्ध समूहों में शामिल किया गया है	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार धन्य - जिन्हें अद्यतन समूहों में शामिल किया गया है	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार धन्य - जिन्हें संदिग्ध समूहों में शामिल किया गया है	-	-	-	-	-	-
योग	138.12	-	-	-	-	138.12

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडरलाइज्ड वित्तीय विवरणों पर नोट

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपये में)
नोट 15: रोकड़ और बैंक शेष		
रोकड़ और बैंक समतुल्य		
रोकड़ इस्ते	0.02	0.02
बैंक खाते में बैंक के पास शेष		
- परियोजना विकास निधि	2.29	2.23
- स्वच्छता कार्य योजना *	0.00	0.00
- कार्यकारी निधि	2.15	1,216.16
सावधि जमाओं में बैंकों के पास शेष		
- परियोजना विकास निधि	2,262.28	789.25
- कंपनी निधि	13,365.05	11,801.11
	15,627.33	12,590.36
अन्य बैंक शेष		
सावधि जमाओं में बैंकों के पास शेष (3 महीने से अधिक से 12 महीने तक)		
- परियोजना विकास निधि	597.00	994.82
जोड़	16,228.79	14,803.59

* 1,000/- रुपये से कम धनराशि

रिपोर्टिंग वर्ष के अंत और पिछले वर्ष रोकड़ और रोकड़ समतुल्य के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन नहीं है।

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपये में)
नोट 16: अल्पकालिक ऋण और ऋणित		
(असुरक्षित रेफिनि आर्थिक समग्र जाल है)		
वित्तपोषणों को अधिक	12.50	2.49
कार्यकारी अधिक	0.12	0.51
पूर्वदत्त धन	18.19	20.80
निम्न से ऊपर धन के वित्तपोषण के कारण बसूली योग्य:		
(i) एनआईसीडीसी नौमराया सौकर पॉवर लिमिटेड	1.64	25.09
(ii) इंडिया इंटरनेशनल कंवेन्शन एंड एक्जीक्यूटिव सेंटर लिमिटेड	6.36	6.63
जोड़	38.81	56.52

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपये में)
नोट 17: अन्य बाल धनराशियाँ		
सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज (पीछिएक खाते के 34.54 लाख रुपये शामिल (पिछले वर्ष - 7.24 लाख रुपये))	454.16	491.41
आयकर से रिपंड योग्य (संदर्भ नोट 24(क))	51.81	83.98
अन्य बसूली योग्य	-	0.90
जीएसटी इनपुट	11.79	9.88
प्रतिभूति विशेष	0.16	-
अग्रिम भर (181.75 लाख रुपये कर के लिए शुद्ध प्रावधान)	112.97	-
जोड़	630.99	586.13

नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडरलाइज्ड वित्तीय विवरणों पर नोट

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)
नोट 18 - परिधानन से आमदनी		
नॉनज पार्ट्स के रूप में सेवा फीस (संदर्भ नोट 2.8)		
नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीआईटी)	1,157.32	2,000.00
इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीक्यूशन सेंटर लिमिटेड (आईआईसीसी)	500.00	500.00
जोड़	1,657.32	2,500.00

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)
नोट 19 : अन्य आय		
कंपनी निधियों की सावधि जमाओं पर ब्याज	513.82	603.39
आयकर रिफंड पर ब्याज	12.22	15.57
निम्न के उपरी व्ययों के संविभाजन (संदर्भ नोट 19.1):		
(i) इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीक्यूशन सेंटर लिमिटेड	72.00	72.00
(ii) एनआईसीआईटी नीमराण सौर पॉवर लिमिटेड	17.55	23.01
विविध आय	9.64	0.31
जोड़	625.23	714.28

19.1 पिछली परंपरा के अनुसार कंपनी द्वारा कार्यालय परिसर और प्रशासनिक समर्थन हेतु उपरी व्ययों को संबंधित कंपनी से आनुपातिक आधार पर वसूला जाता है।

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)
नोट 20: कर्मचारी हितसम्भ व्यय		
वेतन, भत्ता, ग्रेजुएट, क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति, भत्ते आदि	763.85	470.35
प्रविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	66.94	37.23
कर्मचारी कल्याण व्यय	47.18	22.07
जोड़	877.97	529.65

20.1 मानव संसाधन नीति में संशोधन:

(क) कंपनी के निदेशक मंडल ने 10 अगस्त, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के तहत तीसरे वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों के आधार पर वेतन एवं भत्ते, कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति के साथ-साथ अन्य संबंधित प्रावधानों के संबंध में 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी आईडीए वेतन पैटर्न पर मानव संसाधन नीति में संशोधन को अनुमोदन दिया।

(ख) अधिवर्धित हितसम्भ: संशोधित नीति के वेतन और भत्तों के हिस्से के रूप में, कर्मचारियों को मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% की उच्चतम सीमा के अध्याधीन सेवानिवृत्ति लाभ देय हैं। बहरहाल, सेवानिवृत्ति के बाद के चिन्ताओं के संबंध में सेवानिवृत्ति ट्रस्ट का गठन प्रक्रिया में है और तब तक कर्मचारियों के योगदान के लिए देयता @ 3.19% की गणना की जाती है, जो 31 मार्च 2022 तक की राशि ₹10.10 लाख है और उसी के लिए प्रदान की गई है। इसके गठन के बाद ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडालोन वित्तीय विवरणों पर नोट

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)
नोट 21: मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास	58.69	73.09
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	15.47	13.31
जोड़	74.16	86.40

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)
नोट 22: अन्य व्यय		
किराया (संदर्भ नोट 22.1 और 28)	486.03	486.03
लेखापरीक्षकों को भुगतान		
लेखापरीक्षकों को फीस	4.95	3.30
प्रमाणन फीस	0.05	0.06
बकाया	1.65	6.85
विज्ञापन और व्यवसाय विपणन	35.60	81.07
कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय (संदर्भ नोट 30)	18.58	11.97
परिनिर्वाजन लीड व्यय	5.50	-
बिजली	9.47	10.01
हाऊसकीपिंग	18.48	17.43
सुरक्षाकर्मी	9.00	8.56
पेशेवर और परामर्श प्रभार	50.98	38.57
वैटक और जलपान	8.55	2.02
मरम्मत और अनुरक्षण - कार्यालय	38.54	38.57
मरम्मत और अनुरक्षण - कंप्यूटर	20.04	26.86
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	23.56	19.20
सूचना एवं डाक प्रभार व्यय	17.04	15.65
यात्रा एवं परिवहन व्यय	29.38	28.53
बीमा व्यय	0.30	0.25
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि	0.51	0.01
पूर्व अवधि व्यय (संदर्भ नोट 22.2)	0.75	2.53
छात्रवृत्ति	3.58	3.01
खरिद की गई परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	0.20	-
विविध व्यय	34.50	20.64
जोड़	817.24	812.26

22.1 किराए में लीज अनुबंध के अनुसार पट्टा दाता को भुगतान किए गए निगम कर का 103.07 लाख (पिछले वर्ष 103.07 लाख रुपये) शामिल हैं।

22.2 अवधि पूर्व व्यय का ब्योरा निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)
विज्ञापन और व्यवसाय विपणन	-	2.25
सूचना और डाक प्रभार	-	0.11
यात्रा और परिवहन	-	0.16
पेशेवर और परामर्श	-	0.01
परिनिर्वाजन लीड व्यय	0.69	-
पुस्तकें और पत्रिका	0.06	-
जोड़	0.75	2.53

23. **प्रति संसद प्रत्येकी**
 अथ आभेनी प्रति द्विविधी संसद की गणना, अथ परवाना संसद को वर्ष के लिए नववर्ष द्विविधी संसदों की प्रति आसन संख्या से प्राप्त करने की जाती है।

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
	अभावित वर्ष	वर्ष
	(लाख रुपये में)	(लाख रुपये में)
क. इन्सिडेंट सेवार्थकारों के लिए कर वसूलात राशि	360.07	1,294.45
ख. इन्सिडेंट की संपत्तियों के लिए विभाजन के रूप में इन्सिडेंट सेवार्थों की संख्या का प्रतिशत अंतर (संख्या)	100,000,000	100,000,000
ग. मुद्रास्फीजन आन्दोलन प्रति सेवार्थ (कांका)	0.36	1.26
घ. प्रति इन्सिडेंट सेवार्थ का संचय राशि	10.00	10.00

24 आकस्मिक दुर्घटनाएं और बर्तव्यपूर्ण दुर्घटनाएं में कथित आने की सीमा तक के नियम:

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (मात्र रुपए में)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (मात्र रुपए में)

(४) पदविषयपत्र

परियोजना विभिन्न गतिविधियों के लिए परामर्श अनुबंधों की अनुमानित राशि जिन्हें अभी मियूडित किया जा रहा है और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है

(iii) आकस्मिक व्ययित्ताह

- कंपनी के विस्तृत एवं जिम्मे श्रम के रूप में स्वीकार नहीं गया है।
- कंपनी की ओर से बैंक द्वारा जारी मांगदियां

(iii) करारपत्र नामावली - अर्थसांख्यिकी के अंदर्गत आवक नामावली

आवक्य वर्ष	दाया किच गथा रिचंड	आदेस के अनुसार आग्य रिचंड	रक्य हउस लेप रिचंड	रिचले क्य कसय	रिचति
	(साख रुपय में)	(साख रुपय में)	(साख रुपय में)		
2017-18	52.06	48.88	3.79	एओ ने बाख 143(3) के अउमेल दिनाक 25.12.2018 के आदेस देसख 17.13 लाख रुपय के कसय की अनुमति ग्ही दी।	08.01.2020 कें सीओईओ के सम्मुख अपील वस्तुतः की गई है। भुगतान की प्रतीक्षा है।
2018-19	49.72	32.25	17.47	एओ ने बाख 143(3) के अउमेल 4.34 लाख रुपय के एखय की अनुमति ग्ही दी और दिनांक 26.04.2021 के आदेस देसख 58.89 लाख रुपय के आदेस देसख 58.89 लाख रुपय की ओय को जिक्र दिया।	13.05.2021 कें सीओईओ के सम्मुख अपील वस्तुतः की गई है। भुगतान की प्रतीक्षा है।
2019-20	97.59	69.14	28.45	बाख 143(1) के अउमेल दिनाक 23.10.2022 को सुचना में 28.45 लाख रुपय के सीओएस रिचंड कय रिचलन ग्ही हउस	2.05.2022 को पेटेल किचवदल दान की गई है और 28.05.2022 को एओ के बाख अपील पर वस्तुतः किच गथ है। इसके निपटन की प्रतीक्षा है।
जुल			81.31		

[illegible]

(iv) 01 मार्च, 2022 को अग्रणी परीक्षा आयोजित करने के लिए केन्द्रों को सूचित किया गया है, जिसका सारा है-

क्र.सं.	कारिका क्र. एवं तिथि	वाचिककर्ता	प्रतिपादी	विचारणीय विषय	संक्षेपित प्रतीक
1	0262/2015	मुन राम एंव अन्य	एनआईसीडीकी सिमिटिड एवं अन्य	एनएसएम संस्था में मुक्ति अभियान से संबंधित	बैठकर वाचिकविधि में बहते से अनुत्तरा किया गया है कि वाचकों की करारी से एनआईसीडीकी सिमिटिड (पूर्व में डीएमआईसीडीकी सिमिटिड के नाम से विदित) का नाम हटाया जाए और वाचिक चरमस्थान उच्च न्यायालय, जम्मू में प्रस्तुत की गई है। वाचिककर्ता ने ममाने में दर्ज वाचिक को संप्रतिष्ठ बनने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। संबंधित वाचिक के संबंध में एनआईसीडीकी सिमिटिड द्वारा भी प्रत्युत्तर में राष्ट्रपत्र प्रस्तुत किया गया है। कंपनी व नवन डीएमआईसीडी की से बदल कर एनआईसीडीकी बनने का अनुरोध 8 सितंबर, 2020 को माननीय न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई की अवधि तारीख 30 मार्च, 2022 थी और सुनवाई में अगली तारीख 14 जुलाई, 2022 है।
2	0649/2016	हरनाथ मोहनदास खान एवं अन्य	एनआईसीडीकी सिमिटिड एवं अन्य	औरंगाबाद में जेलभगाई डैन से लौट डेमॉन्स्ट्रेशन पाकिस्तानी की फंडराइजिंग से संबंधित	18.01.2019 को एनआईसीडीकी सिमिटिड (पूर्व में डीएमआईसीडीकी सिमिटिड के नाम से विदित) का प्रतिवादों के रूप में माम हमले के लिए रिजिल प्रत्याभा लीला, 1908 के अंतर्गत नियम 10 के आदेश 1 के अंतर्गत आवेदन मुद्दे, उच्च न्यायालय, औरंगाबाद को इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि वाचकों के लिए आवेदन न तो उचित पार्टी है और न ही आवश्यक पार्टी। सुनवाई की अगली तिथि प्रतीक्षित है।

25 कर्मचारी हितसार्थों पर लेखांकन मानक-15 (संशोधित 2005) के अनुसार प्रकटन।

क) विभिन्न परिभाषित कर्मचारी योजनाओं का सार्वजनिक विवरण निम्नानुसार है:

ii) सुपरिभाषित अंशदान योजना

- **अविष्य शिथि (पीएफ) – अविष्य शिथि के प्रति अंशदान को स्वीकृत अविष्य शिथि आयुक्त के पास जमा कराया जाता है। भुगतान की गई राशि को तब तक एवं हानि के स्टैंडअलोन विवरण में प्रकट किया जाता है।**
- **नेशनल पेंशन योजना (एनपीएल) – कंपनी ने रिटायरमेंट उपरंत हितसार्थ योजना की समय सीमा में वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएल की बुकआउ की है। अभी तक भुगतान की राशि नग्न एवं हानि के स्टैंडअलोन विवरण में प्रकटित की गई है।**
- **अतिरिक्ता उपरंत चिकित्सा हितसार्थ (पीएसएमबी) – कंपनी ने अतिरिक्ता उपरंत चिकित्सा हितसार्थ की समय सीमा के अंतर्गत वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों तथा उनके पात्र आश्रितों के लिए पीएसएमबी की बुकआउ की है। अभी तक भुगतान की राशि नग्न एवं हानि के स्टैंडअलोन विवरण में प्रकटित किया जाता है।**

सुपरिभाषित अंशदान योजना में योगदान वर्ष वर्ष के लिए व्यव के रूप में स्वीकृत गया है, जो निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)
अविष्य शिथि में शिथिलता का अंशदान	45.10	31.04
नेशनल पेंशन योजना में शिथिलता का अंशदान	31.38	-
अतिरिक्ता उपरंत चिकित्सा हितसार्थ में शिथिलता का अंशदान	10.10	-

iii) सुपरिभाषित हितसार्थ योजनाएं

- **ग्रेड्युएटी (अतिरिक्त) –** कंपनी के पास अपने कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित हितसार्थ योजना है। ग्रेड्युएटी योजना के अंतर्गत, प्रत्येक कर्मचारी जिसने कम से कम पांच वर्ष की सेवाएं प्रदान की हों, उसके जाने पर निर्धारित 20,00,000/- रुपए की अतिरिक्त सेवा के अग्रणीय सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अंतिम अतिरिक्त वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) के 15 दिनों की ग्रेड्युएटी के पात्र है। ग्रेड्युएटी के प्रति वार्षिक अतिरिक्त, स्वाभाविक, सेवा से ग्रेड्युएटी, चिकित्सागत अग्रणीय सेवा के कारण होती है। ग्रेड्युएटी के संबंध में कंपनी की दायित्व प्रभावित शुद्धि के बिना वार्षिक अग्रणीय सेवा के आधार पर स्वीकृत जाता है।
- **अवकाश नकदीकरण (अतिरिक्त):** शीति के अनुसार, कर्मचारी प्रत्येक केवल वर्ष के लिए 30 छुट्टियों के हकदार हैं, जिन्होंने से वर्ष के दौरान ही अधिकतम 10 छुट्टियों को इस्तेमाल जा सकता है और शेष छुट्टियों को 300 अवकाश की सीमा में एकत्रित किया जा सकता है जिसे अतिरिक्त, स्वाभाविक, चिकित्सागत, नि:शुल्कता या मृत्यु के समय भुगतान जा सकता है। छुट्टी नकदीकरण के प्रति कंपनी के दायित्व की गणना प्रभावित शुद्धि के बिना वार्षिक अग्रणीय सेवा के आधार पर स्वीकृत जाता है।

ख) सुपरिभाषित हितसार्थ योजना के संबंध में कर्मचारी हितसार्थ पर लेखांकन मानक-15 (संशोधित 2005) के अंतर्गत अग्रणीयतानुसार अन्य प्रकटन जो निम्नानुसार है:

ग्रेड्युएटी (अतिरिक्त)

निम्नलिखित तालिकाएं सुपरिभाषित हितसार्थ योजना के लिए लागू एवं हानि के स्टैंडअलोन विवरण में प्रकटन गए शुद्ध तथा व्यव के धटकों, अतिरिक्त शिथि और परिभाषित लागू योजना के लिए स्टैंडअलोन तुल्य पत्र में प्रकटन की गई राशियों को प्रकटित करती हैं।

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपये में)
स्टैंडअलोन लागू एवं हानि विवरण में स्वीकृत गए कर्मचारी हितसार्थ		
ग्रेड्युएटी सेवा लागू	14.08	9.81
चिकित्सी सेवा लागू	-	-
लागू दायित्व पर व्यव लागू	3.82	3.04
वर्ष में स्वीकृत गई छुट्टी वार्षिक (लाभ/हानि)	4.05	3.78
स्टैंडअलोन लागू एवं हानि के विवरण में स्वीकृत गए कर्मचारी हितसार्थ	21.93	16.63
स्टैंडअलोन तुल्य पत्र में स्वीकृत गई राशि		
परिभाषित हितसार्थ दायित्व का वर्तमान मान	74.75	54.81
निर्धारित परिभाषित हितसार्थ का उचित मान	-	-
स्टैंडअलोन तुल्य पत्र में दर्शाई गई परिभाषित हितसार्थ (दायित्व)	(74.75)	(54.81)
परिभाषित हितसार्थ दायित्व के गैरतुल्य मान में परिवर्तन		
वर्ष की शुरुआत में परिभाषित हितसार्थ दायित्व	54.81	45.08
ग्रेड्युएटी सेवा लागू	14.06	9.81
चिकित्सी सेवा लागू	-	-
व्यव लागू	3.82	3.04
भुगतान किया गया हितसार्थ	(1.79)	(7.10)
दायित्व पर वार्षिक (लाभ/हानि)	4.05	3.78
वर्ष के अंत में परिभाषित हितसार्थ दायित्व	74.75	54.81
परिभाषित हितसार्थ दायित्व का अंतः-वार विवरण		
अग्रणी	68.56	50.82
बल	6.19	3.79
	74.75	54.81
दायित्व निर्धारित करने में प्रयुक्त मुख्य सिद्धांत:		
प्रयुक्त शिथि	अनुमानित शुद्धि के बिना शिथि	अनुमानित शुद्धि के बिना शिथि
मृत्यु सारणी	आईएएसएस 2012-14	आईएएसएस 2012-14
30/44 वर्ष/44 वर्ष से अधिक तक आग्रणी दर (%)	8.00% प्रतिवर्ष	8.00% प्रतिवर्ष
मोटोरी दर (%)	7.00% प्रतिवर्ष	8.75% प्रतिवर्ष
दायित्व सेवा दर (%)	6.00% प्रतिवर्ष	6.50% प्रतिवर्ष
रिटायरमेंट आयु (वर्षों की संख्या)	60 साल	60 साल

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल डेवलपमेंट रीजियनल सिमिटेड

सीआईएन: 545400डीएन2068वीएलसी172316

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडराइज्ड फिनेंस विवरणों पर नोट

संबंधित सौकरता विवरण:

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपये में)
डिस्कॉन्टेट डर में परिवर्तन का प्रभाव		
वर्ष के अंत में दायित्व का प्रभाव	74.75	54.81
क) 1% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(5.01)	(4.02)
ख) 1% की कमी के कारण प्रभाव	5.73	4.61
वैकल्पिक वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
वर्ष के अंत में दायित्व का प्रभाव	74.75	54.81
क) 1% की वृद्धि के कारण प्रभाव	4.08	4.58
ख) 1% की कमी के कारण प्रभाव	(4.02)	(4.07)

मुद्रा एवं आहरण के कारण संबंधित परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जा सकती है। इसलिए इनके परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जा सकती है।

प्रत्यक्ष वित्तियकरण (अतिरिक्त)

निम्नलिखित तालिकाएं सुपरीभाषित वित्तियकरण योजना के लिए साथ एवं हमारे स्टैंडराइज्ड विवरण में धारण गये शुद्ध लाभ व्यय के घटकों, अतिरिक्त निष्पात और परिभाषित लाभ योजना के लिए स्टैंडराइज्ड तुलना पर नोट पर हमारी नई राशियों को सारांशित करती हैं।

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपये में)
स्टैंडराइज्ड लाभ वित्तियकरण में स्वीकार्य नए कार्यकारी वित्तियकरण		
मौजूदा सेवा लागत	55.24	-
पिछली सेवा लागत	-	-
लाभ वित्तियकरण पर प्रभाव लागत	-	-
वर्ष में स्वीकृति की शुद्ध वित्तियकरण (लाभ)/हानि	-	-
स्टैंडराइज्ड लाभ एवं हमारे विवरण में स्वीकार्य नए कार्यकारी वित्तियकरण	55.24	-
स्टैंडराइज्ड तुलना पर नोट स्वीकृति नई राशि		
परिभाषित वित्तियकरण दायित्व का वर्तमान लाभ	55.24	-
निर्धारित परिभाषित वित्तियकरण का प्रभाव	-	-
स्टैंडराइज्ड तुलना पर नोट स्वीकृति नई राशि (परिभाषित वित्तियकरण)	(55.24)	-
परिभाषित वित्तियकरण दायित्व के मौजूदा लाभ में परिवर्तन		
वर्ष की शुरुआत में परिभाषित वित्तियकरण दायित्व	-	-
मौजूदा सेवा लागत	55.24	-
पिछली सेवा लागत	-	-
लाभ लागत	-	-
भुगतान किए गए वित्तियकरण	-	-
दायित्व पर वित्तियकरण (लाभ)/हानि	-	-
वर्ष के अंत में परिभाषित वित्तियकरण दायित्व	55.24	-
परिभाषित वित्तियकरण दायित्व का बंडल-आर विवरण		
अवत	50.27	-
घात	4.97	-
	55.24	-
द्वितीय निर्धारित करने में प्रयुक्त मुख्य सिद्धांत:		
प्रयुक्त विधि	अनुमानित दायित्व के लिए विधि	-
मुद्रा संशोधन	अनुमानित दायित्व 2012-14	-
30/44 वर्ष 44 वर्ष से अधिक तक आहरण दर (%)	8.00% प्रतिवर्ष	-
करीबी दर (%)	7.00% प्रतिवर्ष	-
अधिकृत वित्तियकरण वृद्धि (%)	6.00% प्रतिवर्ष	-
पिलाटरीट आयु (वर्षों की संख्या)	60 साल	-

संबंधित सौकरता विवरण:

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपये में)
डिस्कॉन्टेट डर में परिवर्तन का प्रभाव		
वर्ष के अंत में दायित्व का प्रभाव	55.24	-
क) 1% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(3.83)	-
ख) 1% की कमी के कारण प्रभाव	4.40	-
वैकल्पिक वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
वर्ष के अंत में दायित्व का प्रभाव	55.24	-
क) 1% की वृद्धि के कारण प्रभाव	4.40	-
ख) 1% की कमी के कारण प्रभाव	(3.89)	-

मुद्रा एवं आहरण के कारण संबंधित परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जा सकती है। इसलिए इनके परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जा सकती है।

संबंधित लाभ संसाधन मोति समूह और अन्य के कारण, अवकाश नकदीकरण के प्रति दायित्व निर्धारित करने के लिए वित्तियकरण मुद्रांतरण पर नोट 31 मार्च, 2022 को किया गया था, इसलिए पिछले वर्ष का नई अंकन नहीं दिया गया है।

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंफ़ॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज
सीआईएन: यू45400/एनएन2000/पीएमसी172316

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इंटरनल वित्तीय विवरणों पर नोट

26 बॉन्डर रिपोर्टिंग

भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार कंपनी का मुख्य व्यवसाय विभिन्न औद्योगिक गतिवार्ध और अन्य परियोजनाओं को क्रियान्वहन और विकसित किए जाने के लिए नॉनल पार्टनर की भूमिका निभाना है और एपस-17 – "संबंधित रिपोर्टिंग" के अनुसार कोई प्रयोगात्मक नहीं है।

27 संबंधित पार्टी प्रकटन

लेखांकन मानक-18 "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" की आवश्यकताओं के अनुसार, संबंधित पार्टी के नाम जिनके पास महत्वपूर्ण प्रभाव बर प्रयोग करने के लिए नियंत्रण/प्रभाव मौजूद है, साथ ही लेनदेन की कुल प्रभाव और इनके साथ वर्ष के अंत में बीच, उन्हें कि प्रकटन द्वारा पहचाना और प्रमाणित किया गया है, नीचे बताया गया है:

1 संबंधित पार्टियों की सूची और संबंध की प्रकृति जहां नियंत्रण मौजूद है

क कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले अधिकृत अधिकार: भारत सरकार को-ऑपरेशन (जेबीआईसी)

ख मुख्यक कंपनी एनआईसीसीसी सीआरएन सीआर एंडर रिपोर्टिंग

ग संबंधित/सह-पार्टी हाउसिंग एंड डेवेलपमेंट को-ऑपरेशन लिमिटेड

घ प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएनसी)

श्री अनुसूत जैन, आईएएस, भारत सरकार द्वारा नामित (29 दिसंबर 2021 से आज तक)

अध्यक्ष

श्री गिरिधर अरुण, सचिव (जेबीआईसी), भारत सरकार द्वारा नामित (11 जून, 2021 से 27 दिसंबर, 2021 तक)

अध्यक्ष

श्री गुरुप्रसाद मोहन, आईएएस, भारत सरकार द्वारा नामित (10 जून, 2021 तक)

अध्यक्ष

श्री अनुसूत जैन सीपीए (05 नवंबर, 2021 से आज तक)

सीईओ और प्रबंध निदेशक

श्री के संजय शर्मा (30 दिसंबर, 2021 तक)

सीईओ और प्रबंध निदेशक

श्री राजेंद्र शर्मा, आईएएस, भारत सरकार द्वारा नामित

निदेशक

श्री कल्याण सिंह मोह, प्रधान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (जेबीआईसी) द्वारा नामित (11 अक्टूबर, 2021 से आज तक)

निदेशक

श्री वीरेंद्र सिंह आईएएस, आईएएस, भारत सरकार द्वारा नामित (31 दिसंबर, 2021 तक)

निदेशक

श्री सुनील कसेबी, ज्यूनियर बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (जेबीआईसी) द्वारा नामित (10 अक्टूबर, 2021 तक)

निदेशक

श्री ललितेश्वर कुमारा, ज्यूनियर बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (जेबीआईसी) द्वारा नामित

निदेशक

श्री सुप्रिया साह्या न्यायराज, हाउसिंग एंड डेवेलपमेंट को-ऑपरेशन लिमिटेड (हाउसी) द्वारा नामित

निदेशक

श्रीमती राधा राय, हाउसिंग एंड डेवेलपमेंट को-ऑपरेशन लिमिटेड (हाउसी) द्वारा नामित (18 अप्रैल, 2022 से आज तक)

निदेशक

डा. सुब्रह्मण्यम दुल्लू, हाउसिंग एंड डेवेलपमेंट को-ऑपरेशन लिमिटेड (हाउसी) द्वारा नामित (28 फरवरी, 2022 तक)

निदेशक

श्री पीके अयायल

मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री अश्विनेक चौधरी

उपाध्यक्ष-को-ऑपरेट समान, समान संसाधन और कंपनी सचिव

2 उपक्रम जिनके ऊपर प्रमुख प्रबंधन कार्मिक का महत्वपूर्ण प्रभाव है

इंडिया इंटरनेशनल कर्नलन एंड एंजलीनियन सेंटर लिमिटेड (28 सितंबर, 2020 से 13 दिसंबर, 2020 तक के लिए, 30 जून 2021 से 30 सितंबर, 2021 और 7 दिसंबर, 2021 से आज तक)

3 व्यापार की सामान्य अवधि में संबंधित पार्टी के साथ निम्नलिखित लेन-देन किए गए:

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)
वैयक्तिक/वैयक्तिक		
श्री के संजय शर्मा	29.00	56.93
श्री पी. के. अययल	77.50	53.83
श्री अश्विनेक चौधरी	76.87	52.89
वैयक्तिक/वैयक्तिक		
श्री अश्विनेक चौधरी	0.50	-
प्रतिभूति		
एनआईसीसीसी सीआरएन सीआर एंडर रिपोर्टिंग	4.65	8.07
उपरी व्ययों का परिभाषन		
एनआईसीसीसी सीआरएन सीआर एंडर रिपोर्टिंग	17.55	23.01
इंडिया इंटरनेशनल कर्नलन एंड एंजलीनियन सेंटर लिमिटेड	72.00	72.00
लेख पैसा		
इंडिया इंटरनेशनल कर्नलन एंड एंजलीनियन सेंटर लिमिटेड	500.00	500.00

* मुद्रिक प्रकृति और अस्वास्थ्य संबंधी कारण के लिए दाखिल एक समय के रूप में वैयक्तिक आधार पर उपलब्ध कथित ज्ञान है इसलिए प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों से संबंधित प्रकृतित राशि को शामिल नहीं किया गया है।

सीआईएन: य46400जीएन2006पीएससी172318

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टीयरिंग बॉडी वित्तीय विवरणों पर नोट

III वर्ष के अंत में संबंधित पार्टियों के साथ सेम बनाकर

विवरण	३१ मार्च, २०२२ को (रुपैयाँ हजार में)	३१ मार्च, २०२१ को (रुपैयाँ हजार में)
अन्य अर्थिक सहायता और अधिकार	-	-
एनआईसीटीईसी निवेशागणों से प्राप्त बाजार मूल्यमिती	1.64	26.06
इंडिया इंटरनेशनल कमर्सेसल एंड एग्जट्रिबिल संटेयर लिमिटेड	8.38	8.63
रक्षाधारा धनगत	-	-
इंडियन इंटरनेशनल कमर्सेसल एंड एग्जट्रिबिल संटेयर लिमिटेड	132.50	138.12
वैयक्तिक/परिवारिक ढेर	-	-
बी के इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. लि.	-	3.86
डी पी. के. अकबाद	-	-
बी अतिरिक्त बीपीटी	-	0.00
कुलित योग्य कैश/केष अतिरिक्त	-	-
बी अतिरिक्त बीपीटी	0.47	-

29 परिभाषाओं और

मन्त्रालय की मसुदापत्रों में विभिन्न ध्येयवाक्यों के अंतर्गत, जीवन श्रद्धा की विविधता, कर्मों के अर्थ, और शिल्पों में अग्रणी जीवन कथन के माध्यम से संबंधित परिवर्तन के लिए संघर्ष में, जिसे 40 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए तीव्र रूप दिया गया है। इन परीक्षाओं के लिए 408.03 लाख रुपये (चालीस लाख रुपये) के अनुमानित कोषों और श्रद्धा के स्वीकृतियों के अंतर्गत की गई हैं और उन्हें 22 में वृद्धा प्रदान किया गया है।

29 अतिरिक्त नियामक सूचना

- i. कंपनी में अपने प्रबंधकों, निदेशकों, कर्मचारियों और संबंधित पार्टियों को कोई नुकसान नहीं दिया है जो उनके द्वारा ज्ञात या अज्ञात किसी विशिष्ट शर्त अथवा घुमटुगदगन की अवधि में भुगतान किए गए योग्य हैं।
- ii. कंपनी के विशिष्ट केमारी लेन देन (निवेशक), अधिग्रहण, 1988 के अंतर्गत कोई कार्रवाई शुरू नहीं की अथवा जंजित है
- iii. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थानों या अन्य प्रभारक्षकओं द्वारा विस्तृत डिवायेंस पर पंजीकृत नहीं किया गया है।
- iv. बाजार में और विशिष्ट बैंक के द्वारा, कंपनी ने किसी भी कंपनी के साथ कोई लेन देन नहीं किया है, जिससे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत बंद कर दिया गया है और प्रतिस्पर्धियों में विरोध नहीं किया गया है, जहाँ या बैंक कर्मचारियों से हो रहा है इसके अलावा, कंपनी के साथ किसी भी बैंक कंपनी के पास नहीं है।
- v. कंपनी ने कंपनी (परतर्क संशोधन पर अधिनियम) नियम, 2017 के साथ पंजीकृत अधिनियम की धारा 2 के खंड 87 के तहत निर्धारित परतर्क की संख्या का अनुपालन किया है।
- vi. अनुपगत

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को	परिवर्तन	कारण (यदि अंतर 25 प्रतिशत से अधिक हो)
उत्पत्ता अनुपात (नूतन)				
बजट अनुपात				
(बजट परिवर्तनविषय को चालू दाखिलगी से आग किया जाता है)	9.86	6.30	0.93%	
बजटवर्धन अनुपात (नूतन)				
बजट-हमिल्टी अनुपात				
(दीर्घकालिक ऋण को नूनन हमिल्टी से हटाय किया जाता है)	-	-	-	
बजट पुनर्गठनी कवरेज अनुपात				
(बजट का लाभ + विवर लाभ + मूल्यवृद्धि और परिवर्तन व्यवय को दीर्घकालिक ऋण के मूलधन का मूल्यवृद्धि + वित्त लागत द्वारा हमिल्टीजित किया जाता है)	-	-	-	
आमादायकभंड अनुपात (%)				
सुदूर लाभ अनुपात				
(बजट के लिए लाभ को परिधानन से आमादनी से हटायजित किया जाता है)	21.73%	50.58%	-57.04%	
हमिल्टी पर प्रतिफल अनुपात				
(बजट के लाभ को अंशित सेयरधारक की हमिल्टी से आग किया जाता है)	2.62%	9.78%	-73.21%	क. पञ्चाईसीआईटी द्वारा फोर्नेट पञ्चाईसी को निधियों के कम जारी किए जाने के कारण सेवा फीस से कम राजस्व
धुंधली पर प्रतिफल				
(नयाज और नूनन बजट आमादनी को पूँजी से आग किया जाता है)	0.67%	2.18%	-66.43%	ख. आमाज संरक्षण नीति में संशोधन के कारण बजटवर्धनी हिस्साजित निधि व्यव में सुधरी
निष्कष बजट प्रतिफल				
((कर पूर्व लाभ + वित्त लागत) * (1- कर दर) को नूनन परिवर्तनविषय से आग किया जाता है))	0.47%	1.52%	-65.46%	

मेलागत इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड
सीआईएन: यू45400ओएल2008बीएलसी172316

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडरलाइज्ड क्विंटल डिक्लरेशन पर नोट

उपबंदिता अनुपलब्ध (मुद्रा)				
व्यापार धन्य टीएनओवर अनुपलब्ध (परिचालन से आमदनी को औसत व्यापार धन्य से विभाजित किया जाता है)	12.25	18.48	-33.71%	एनआईसीआईटी द्वारा प्रोजेक्ट एक्सीसी को निधियों के कम जारी किए जाने के कारण सेवा फीस से कम राजस्व
कुंभेटी टीएनओवर अनुपलब्ध (परिचालन से आमदनी को औसत कुंभेटी से विभाजित किया जाता है)	-	-	-	-
व्यापार देय टीएनओवर अनुपलब्ध (कुल खरीद को औसत व्यापार देय से विभाजित किया जाता है)	1.97	2.26	12.81%	-
बुद्धि पूर्वी टीएनओवर अनुपलब्ध (परिचालन से आमदनी को व्यापार देय से विभाजित किया जाता है)	0.11	0.19	-40.26%	एनआईसीआईटी द्वारा प्रोजेक्ट एक्सीसी को निधियों के कम जारी किए जाने के कारण सेवा फीस से कम राजस्व

- vi) कंपनी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सारांश प्राधिकारी ने किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं की योजना को अनुमोदन प्रदान नहीं किया है।
- viii) कंपनी अपनी आय का प्रकटन नियमित रूप से कर देती है और कर अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार अचोपित आय का अवलोकन नहीं किया है। इसके अलावा, कंपनी के पास कोई भी लेन-देन नहीं है जो खाते में दर्ज न हो है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत करा निवर्तन से आय के रूप में अभ्यर्पित अथवा प्रकटन किया गया हो।
- ix) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार की क्रेडिट करती अथवा विजयुल करती में न तो व्यापार किया है और न ही निवेश किया है।

30 स्टैंडरलाइज्ड सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी द्वारा एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन किया गया है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत बुद्धि लक्ष्य (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार गणना) के आधार पर सीएसआर व्यय के लिए 18.58 लाख रुपये (पिछले वर्ष 11.97 लाख रुपये) की राशि देय है। वर्ष के दौरान कार्य की गई/करायी किए जाने के लिए संबंधित राशि का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपये में)
I. कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली सकल राशि		
वार्षिक सीएसआर आवंटन	18.58	11.97
पिछले वर्ष से अचोपित	-	-
व्यय की जाने वाली अवशेष सकल राशि	18.58	11.97
II. वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		
नकद में	18.58	11.97
और	18.58	11.97
III. प्रदत्त किम पर सीएसआर व्यय किया गया		
प्राधान्यपूर्ण राष्ट्रीय राजत कोष (पीएसएनआरएफ) में योगदान	18.58	11.97
	18.58	11.97
IV. सीएसआर व्यय का सामाजिकता		
अर्थिक कमी/अधिशेष	-	-
और:- वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली अपेक्षित राशि	18.58	11.97
प्रदत्त-वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	(18.58)	(11.97)
वित्तीय कमी/अधिशेष	-	-
V. प्रयोजित लेखांकन मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा निर्धारित किसी दृष्टि में योगदान	-	-
VI. किसी संविदागत दायित्व में हिस्सा लेकर खर्च की गई दायित्व के संबंध में किया गया प्रावधान, वर्ष के दौरान कतघनी में अंतर	-	-

- 31 प्रबंधन की राय में, संयोज, संयोज और उपकरणों के अलावा अन्य संयोज के मूल्य में और व्यापार की सामान्य अवधि में वसूली पर अनुसृत संयोज का मूल्य, उच्च मूल्य से कम नहीं होगा जिससे वे स्टैंडरलाइज्ड तुलना पर नै बसाए गए हैं। इसके अलावा, सभी उचित दैनंदिनियों के लिए सभी खातों में पर्याप्त रूप से आवधान किया गया है।
- 32 व्यापार धन्य, व्यापार देय और अन्य पार्टियों आदि के अंतर्गत दिखाई देने वाले शेष सामंजस्यपूर्ण किए जाने के अध्याधीन है। पुष्टिकरण/सामंजस्य के होने वाले प्रभाव, यदि कोई हो तो, उन्हें पुष्टिकरण/सामंजस्य के वर्ष में लिया जाएगा, जो प्रबंधन के दायित्वों से महत्वपूर्ण नहीं है।

33. निवेश और लेन-देन परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम), वित्त संयंत्र, भारत सरकार के दिवसें 27.05.2016 के कार्यालय नमून संख्या 5/2/2016-नॉरि द्वारा वैश्वीय सार्वजनिक लेन-देन के उद्घाटन (सीपीएलई) के पुंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देश जारी किए गए, जिसके अनुसार प्रत्येक सीपीएलई को सीमित वसूली प्रावधानों के तहत अनुसूचित अधिकांशतावांश के अधीन, कर-पछात लाभ के 30% का निवल संपत्ति के 5% का न्यूनतम वार्षिक लक्ष्य, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना आवश्यक है। डीआईपीएम ने कंपनी को क्रमशः वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए उपरोक्त दिशानिर्देशों के तहत प्रदान की है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम लक्ष्य के भुगतान से छूट की संवृद्धि प्राप्त करने हेतु 25 सितंबर, 2020 और 5 नवंबर, 2021 को उद्घाटन संवर्धन और अंतरांग व्यवहार विभाग (डीआईएआईटी) के प्रस्ताव से डीआईपीएम को अवगत किया है, जिसका उत्तर अभी तक प्रतीकृत नहीं है। इसी प्रकार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष के लिए 2021-22 के लिए न्यूनतम लक्ष्य के भुगतान से छूट के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के संकेत से डीआईटी को अवगत करवाया है और पूर्ववर्ती वर्षों में प्राप्त छूट पर विचार करते हुए प्रबंधन पिछले 2 वर्षों एवं भविष्य वर्ष के लिए छूट प्राप्त करने के प्रति आशावादी है कि कुलतः कोई भविष्य वित्तीय वर्ष में समीक्षित भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

34. कंपनी के परिचायक पर कोविड-19 का प्रभाव

कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, पावर और अन्य संयंत्र परिसंपत्तियों की अस्थिरता तथा पर्याप्त प्रभाव पर विचार किया है, जो कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप हो सकते हैं। अस्थिरता की आर्थिक स्थिति के संयंत्र लक्ष्यकों के आधार पर और इसके व्यवसाय की प्रकृति पर विचार करते हुए, प्रबंधन को अनुमान है कि इन परिसंपत्तियों की अस्थिरता धनि की वसूली हो जाएगी और कम से कम 12 महीनों के लिए व्यवसाय के संयंत्र को निधि देने के लिए पर्याप्त सतत उपलब्ध है, इस प्रकार कोविड-19 महामारी से कंपनी के संयंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

35. भविष्य वर्ष के आंकड़ों की विपरीत वर्ष के आंकड़ों से तुलना करने के लिए जहां आवश्यक समझा गया है, उन्हें पुनःवर्गीकृत/पुनःव्यवस्थित किया गया है।

समांशिक निधि को संयंत्र रिपोर्ट के अनुसार
कुल रा. को. प्रेषण चक्र कंपनी
पारित बकाउंटेड
कर्म भोजनार्थ सं. 00034655

हस्ता.

श्री अश्विनी कुमार
(सहस्रपाद)
(सहस्रपाद सं. 009143)

नेशनल इंफ्रस्ट्रक्चर कोरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता.

(अमृत लाल गोष्वा)
सीआईएन : 09020193
(डीआईएम : 09020193)

हस्ता.

(राजीव राय)
निदेशक
(डीआईएम : 02855304)

हस्ता.

(पंकज अग्रवाल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता.

(अश्विनी कुमार)
उपाध्यक्ष - कॉरपोरेट
मामलों, मानव संसाधन एवं
कंपनी विधि

यूआईएन: 22009143एएमएएसएन/जे1054

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 08 जुलाई 2022

**समेकित वित्तीय विवरणों
पर
भारत के नियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक
की रिपोर्ट**



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

गोपनीय



सत्यमेव जयते

संख्या/No. G.A.P./AAI/MICDCL/CFS/AC/6-109/22-23/216

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
(INFRASTRUCTURE), DELHI

दिनांक/Dated 8/9/22

सेवा मे,

सी.ई.ओ. एवं प्रबन्ध निदेशक,
नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
8 वां फ्लोर, टावर-1, जीवन भारती बिल्डिंग, 124, कर्नाट प्लेस,
नई दिल्ली-110001

विषय: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, के
वार्षिक लेखो (Consolidated Financial Statements) पर भारत के नियंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट
कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखो (Consolidated Financial Statements) पर कम्पनी अधिनियम
2013 की धारा 143 (6)(b) एवं 129 (4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 'शून्य
टिप्पणियाँ' अंग्रेषित करता हूँ। इन शून्य टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक आमसभा में उसी प्रकार रखा जाए
जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीय,

संलग्न: शून्य टिप्पणियाँ

दीपक
(दीपक कपूर)
महानिदेशक

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) जिसे धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी प्रबंधन का दायित्व है। धारा 139(5) जिसे अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाए के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा 143 जिसे अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। इसे उनके द्वारा 08 जुलाई, 2022 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा व्यक्त किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) जिसे धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाए के अंतर्गत 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है लेकिन एनआईसीडीसी नीमराणा सौलर पॉवर लिमिटेड (सहयोगी कंपनी) की पूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यशील दस्तावेजों तक पहुंच किए बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कम्पनी कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ दस्तावेजों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया है जिस पर कोई टिप्पणी की जा सके अथवा अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत लेखा परीक्षक रिपोर्ट में जोड़ा जाए।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के
लिए और उनकी ओर से

हस्ता.

(दीपक कपूर)

लेखा परीक्षा प्रधान निदेशक (इन्फ्रास्ट्रक्चर)
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 08 सितंबर, 2022

**समेकित वित्तीय विवरणों
पर लेखा परीक्षक की
रिपोर्ट**

एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी

स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट
नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अभिमत

हमने नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड ("नियंत्रक कंपनी") और उसकी सहयोगी कंपनियों (नियंत्रक कंपनी और सहयोगी कंपनी को साथ मिलाकर "समूह" कहा गया है) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 की तिथि का समेकित तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि विवरण और समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक सूचना (जिसे बाद में "समेकित वित्तीय विवरण" कहा गया है) सहित समेकित विवरणों पर नोट शामिल है।

हमारे अभिमत में और हमें दी गई सर्वोत्तम सूचना और उस पर दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त समेकित विवरण अपेक्षित सूचना देते हैं, जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") में अपेक्षा की गई है और 31 मार्च, 2022 को समूह के मामलों की समेकित स्थिति, और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और उनके समेकित रोकड़ प्रवाह पर भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुरूप सत्य और सही दृष्टिकोण देते हैं।

अभिमत का आधार

हमने अधिनियम (लेखापरीक्षा मानक) की धारा 143(10) के अंतर्गत विदिनिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्व का उल्लेख हमारी रिपोर्ट के खंड 'समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के दायित्व' में आगे बताया गया है। हम नैतिक आवश्यकताओं जो अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित है, सहित चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र है और हमने इन आवश्यकताओं और नैतिक आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और हमारे अभिमत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु उचित है।

समेकित वित्तीय विवरणों और तत्संबंधी लेखा परीक्षा रिपोर्ट से इतर सूचना

नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में बोर्ड की रिपोर्ट सहित रिपोर्ट के अनुलग्नक शामिल है लेकिन समेकित वित्तीय विवरण और तत्संबंधी

एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी

हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है जिसके इस लेखापरीक्षा की तिथि के पश्चात उपलब्ध होने की आशा है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम उस पर किसी भी रूप में आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी का अध्ययन करना है और जब यह उपलब्ध हो जाता है तथा ऐसा करने में, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों से वास्तविक रूप से असंगत है या लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी अथवा अन्यथा वास्तविक रूप से अस्पष्ट है।

जब हम निदेशक मंडल की रिपोर्ट पढ़ते हैं, जिसमें अनुलग्नक, यदि कोई हो, शामिल हैं, तो यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें एक वास्तविक रूप से गलत कथन है, तो हमें इस मामले को अभिशासन के उत्तरदायी व्यक्तियों को सूचित करना आवश्यक है।

प्रबंधन और समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अभिशासन के प्रभारी की ज़िम्मेदारी

नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो अधिनियम की धारा 133 जिसे कंपनी (लेखांकन मानकों) संशोधन नियम, 2016, यथा संशोधित, के साथ पढ़ा जाए के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह का एक सत्य और स्पष्ट दृष्टिकोण प्रकट करते हैं। इस दायित्व में समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ियों एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखांकन दस्तावेजों की पर्याप्त रूप से देखरेख, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उपयोग करना; निर्णय लेना और अनुमान लगाना जो उचित एवं विवेकपूर्ण हो; पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण जो समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार एवं प्रस्तुत करने के संबंध में लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए परिचालन में थे, जो सत्य एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रकट करते हैं और किसी भी गलत कथन, जो चाहे धोखाधड़ी से हो अथवा चूक से हो, उससे मुक्त रखते हो, जिन्हें ऊपर बताए गए प्रावधानों के अनुसार नियंत्रक कंपनी के प्रबंधन द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है, भी शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल सतत् आधार पर जारी रखने के लिए समूह की क्षमता का आकलन करने, सतत् आधार पर संबंधित मुद्दों को प्रकट करना, जहां लागू हो और लेखांकन में सतत् आधार के उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल समूह का व्यापार परिसमापन करना चाहता हो अथवा परिचालन रोकना चाहता हो अथवा उसके पास ऐसा करने के अतिरिक्त कोई उपाय न हो।

नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से किसी गलत कथन, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा चूक से, मुक्त है और हमारे अभिमत सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। यथोचित रूप से आश्वासन, उच्च श्रेणी का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा किसी भी मौजूद गलत कथन को सदैव ढूँढ़ लेगी। गलत कथन धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण हो सकते हैं और अगर इन समेकित विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए निर्णय चाहे वह निजी रूप से हो अथवा समग्र रूप में, आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की आशा हो, तो यह महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किसी लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और लेखा परीक्षा में पेशेवर संशयवाद बनाए रखते हैं। हम निम्न भी करते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत कथन के जोखिम की पहचान तथा मूल्यांकन करना, भले वो धोखाधड़ी या चूक के कारण हो, उन जोखिमों के संबंध प्रतिक्रियाशील लेखा परीक्षा प्रणाली डिजाइन व निष्पादित करना तथा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना है जो हमारे अभिमत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त व उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलत कथन का पता न लगा पाने का जोखिम चूक के परिणामस्वरूप पता न लग पाने के जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है;
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन की जा सकें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143 (3)(i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या समूह के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य तथा लेखांकन अनुमानों की विश्वसनीयता तथा प्रबंधन वर्ग द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के सतत् आधार और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता का निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो एक सतत् आधार में जारी रहने के लिए समूह की क्षमता पर संदेह पैदा करती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण से संबंधित हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना और यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो अपना मत संशोधित करना अपेक्षित है। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। बहरहाल, भविष्य में होने वाली घटनाएं या परिस्थितियां समूह को सतत् आधार पर जारी रहने से रोक सकती हैं;
- प्रकटनों सहित समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण, उनकी संरचना एवं विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना तथा यह मूल्यांकन करना कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं को इस प्रकार से दर्शाया गया है कि वे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर कंपनियों अथवा व्यापार संबंधी गतिविधियों की वित्तीय सूचना के संबंध में पर्याप्त उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त

एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी

करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी रहते हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं। इस संबंध में हमारी जिम्मेदारियों को इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 'अन्य मामले' शीर्षक वाले खंड में वर्णित किया गया है।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत कथनों का महत्व होता है, जो व्यक्तिगत रूप से अथवा समग्र रूप से यह संभव बनाते हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत बयानों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम, अन्य मामलों में, आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों जिन्हें हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचाना है, सहित लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अभिशासन द्वारा प्रभारित व्यक्ति को सूचित करते हैं।

हम अभिशासन से प्रभारित व्यक्ति को वह विवरण भी उपलब्ध कराते हैं, जिसका हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन किया है तथा उनके साथ उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों की सूचना देते हैं जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं तथा जहां आवश्यक हो वहां उससे संबंधित सुरक्षा उपाय भी बताते हैं।

अन्य मामले

हमने एनआईसीडीसी नीमराना सोलर पावर लिमिटेड ("सहायक कंपनी") नामक सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, 31 मार्च, 2022 को जिनके वित्तीय विवरण 3,191.69 लाख रुपये की कुल संपत्ति और 623.28 लाख रुपये की कुल आमदनी दर्शाते हैं और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद बहिर्वाह (शुद्ध) 327.58 लाख रुपये है जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है।

सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा उसके लेखापरीक्षक द्वारा की गई है जिसकी रिपोर्ट नियंत्रक कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय सहायक कंपनी के संबंध में शामिल राशि और प्रकटनों तक सीमित है और धारा 143 (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, पूर्ण रूप से इसके लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत और नीचे दी गई अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, हमारे द्वारा किए गए कार्य पर हमारे विश्वास के संबंध में उपरोक्त मुद्दों और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना के संबंध में आशोधित नहीं है।

अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- क) हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे;
- ख) हमारे अभिमत में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें गई हैं, जैसा उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;
- ग) इस रिपोर्ट के अनुसार जांचें गए समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से रखे गए लेखों की संबंधित पुस्तकों के अनुसार है;
- घ) हमारे अभिमत में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 और कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016, अधिसूचित किए जाने तक, सहित पढ़ा जाए, के अंतर्गत लेखांकन मानकों के अनुपालन में है;
- ङ) निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, नियंत्रक कंपनी और सहायक कंपनी के निदेशक मंडल और सहायक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड के अनुसार, 31 मार्च, 2022 को अधिनियम की धारा 164 के उप खंड (2) के संदर्भ में कोई भी निदेशक, निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित नहीं है;
- च) समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और नियंत्रणों की परिचालन प्रभाविता के संबंध में हमारे द्वारा लेखापरीक्षा के अनुसार नियंत्रक कंपनी और सहयोगी कंपनी जिसकी हमारे द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई (जैसा इसके लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है), संदर्भ के लिए अनुलग्नक - 'क' में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें;
- छ) वर्ष के दौरान नियंत्रक कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को भुगतान किया गया परिश्रमिक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 जिसे अधिनियम की अनुसूची V के साथ पढ़ा जाए, के प्रावधानों के अनुसार हैं; और

एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी

ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11, यथा संशोधित, के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए अन्य मुद्दों के संबंध में, हमारे अभिमत और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

- i) समेकित वित्तीय विवरण अपनी समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव का प्रकटन करते हैं - संदर्भ समेकित वित्तीय विवरणों का नोट 25 देखें;
- ii) समूह के पास व्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है जिसके लिए कोई भौतिक पूर्वाभासी हानि नहीं थी;
- iii) कोई भी ऐसी राशि नहीं है जिसे समूह द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में अंतरित किया जाना था।
- iv) (क) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी धन (जो व्यक्तिगत अथवा समग्र रूप से) को नियंत्रक कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति अथवा विदेशी कंपनी ("इंटरमीडिएटरी") सहित कंपनी में (या तो उधार ली गई निधियों या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोतों या विभिन्न प्रकार के धन से) अग्रिम अथवा ऋण अथवा निवेश नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि इंटरमीडिएटरी, चाहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रक कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनी द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा अथवा (अंतिम लाभार्थियों) की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह कुछ इसी तरह प्रदान करेगा;

(ख) अपनी जानकारी और विश्वास में, प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी धन (जो वास्तव में व्यक्तिगत रूप से हो अथवा समग्र रूप से) नियंत्रक कंपनी या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति, विदेशी कंपनी ("फंडिंग पार्टियां") सहित कंपनी से प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि नियंत्रक कंपनी अथवा इसकी सहायक कंपनी चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी अथवा निवेश करेगी अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह कुछ प्रदान करेगी;

(ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं जिन्हें परिस्थितियों के अनुसार तर्कपूर्ण और उचित पाया है, उनके आधार पर ऐसा कुछ भी हमारे ध्यान में नहीं आया है कि जिससे यह माना जाए कि नियम 11(ड) के उप-खंड (i) और (ii) अंतर्गत स्पष्टीकरण जैसा उपरोक्त (क) और (ख) में बताया गया है, में कोई वास्तविक रूप से गलत बयानी हो; और

एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी

- v) वर्ष के दौरान समूह द्वारा कोई लाभांश घोषित अथवा भुगतान नहीं किया गया था; इसलिए, उक्त खंड लागू नहीं होता है।

कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 000346एन

हस्ता.

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 08 जुलाई, 2022
यूडीआईएन:22099143एएमएलवाईएफएफ4214

अंकुर गोयल
साझेदार
सदस्यता सं. 099143

एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक - 'क'

(31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट की 'अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैराग्राफ (च) के संदर्भ में)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को और तक समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के अनुसार, हमने उक्त तिथि को नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड ("नियंत्रक कंपनी") और उसकी सहयोगी कंपनी (नियंत्रक कंपनी और इसकी सहयोगी कंपनी को "समूह" कहा गया है) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

नियंत्रक कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनी का निदेशक मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर गाइडेंस नोट" में ("गाइडेंस नोट") उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनियों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग अर्हता पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और चूक को रोकना एवं पहचान करना, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं परिपूर्णता, और अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने सहित इसके व्यापार को उचित एवं प्रभावी रूप से करने को सुनिश्चित करना शामिल है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व समूह की हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है। हमने "आईसीएआई" द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर गाइडेंस नोट" ("गाइडेंस नोट") और लेखापरीक्षा मानकों, जिसे "आईसीएआई" द्वारा जारी किया गया है और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए जहां तक लागू हो, कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुसार हमारी लेखापरीक्षा की है, और दोनों को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। ये मानक और गाइडेंस नोट अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करने के संबंध में योजना तैयार करें और लेखापरीक्षा करें कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी

स्थापित थे और बनाया रखा गया था और क्या इस प्रकार के नियंत्रण सभी भौतिक पहलूओं पर प्रभावी रूप से परिचालन में थे।

हमारी लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों और उनके संचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारी लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आंकलन करना कि क्या कोई भौतिक कमजोरी मौजूद है, और आंकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की गलत बयानी के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में समूह की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में समूह की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई है। किसी कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में समूह की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वह नीतियां और पद्धतियां शामिल होती हैं जो (1) रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित, जो उचित रूप से, समूह की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए लेन-देन को आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है और कंपनी की प्राप्ति और व्यय को समूह के प्रबंधन और निदेशकों की अनुमति के अनुसार ही किया जा रहा है; और (3) कंपनी की संपत्ति के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, अथवा निपटान के बारे में समय पर पता लगाना एवं रोकना जिसका वित्तीय विवरणों पर एक भौतिक प्रभाव हो सकता है, के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रणों की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन उल्लंघन की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयानी हो सकती है और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी

अभिमत

हमारे अभिमत, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, नियंत्रक कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के पास सभी भौतिक पहलूओं में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण है और 'इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया' द्वारा जारी 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा' पर गाइडेंस नोट में उल्लेख किए गए अनुसार आंतरिक नियंत्रणों के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनी द्वारा स्थापित समेकित वित्तीय विवरण अर्हता के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2022 को प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

अन्य मामलों

प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी उल्लिखित रिपोर्ट सहायक कंपनी अर्थात् एनआईसीडीसी नीमराना सोलर पावर लिमिटेड से संबंधित है, यह उक्त कंपनी के लेखापरीक्षक की संगत रिपोर्ट पर आधारित है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारा अभिमत आशोधित नहीं है।

**कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 000346एन**

हस्ता.

**स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 08 जुलाई, 2022
यूटीआईएन:22099143एएमएलवाईएफएफ4214**

**अंकुर गोयल
साक्षेदार
सदस्यता सं. 099143**

समेकित वित्तीय विवरण

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च, 2022 को समेकित तुलन पत्र

विवरण	नोट	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपए में)		31 मार्च, 2021 को (लाख रुपए में)
इकटिनी एवं दायित्वाओं				
शेयरधारकों की निधियां				
(क) शेयर पूंजी	3	10,000.00	10,000.00	
(ख) आरक्षित निधि एवं अधिशेष	4	68,395.84	73,150.42	83,150.42
अचल दायित्वाएं				
(क) अन्य दीर्घकालिक दायित्वाएं	5	491.81	546.45	
(ख) दीर्घकालिक प्रावधान	6	121.52	54.03	600.48
चातु दायित्वाओं				
(क) व्यापार देय	7			
(i) सूक्ष्म और लघु उपक्रमों को कुल बकाया देय		32.42	122.88	
(ii) सूक्ष्म और लघु उपक्रमों से इतर देनदारों को कुल बकाया		2,137.88	1,945.73	
(ख) अन्य चातु दायित्वाएं	8	344.10	469.24	
(ग) अल्पकालिक प्रावधान	9	11.56	19.18	2,556.83
जोड़		81,534.93	86,307.73	
परिसंपत्तियां				
अचल परिसंपत्तियां				
(क) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियां				
(i) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण	10	2,286.77	2,476.44	
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	10.6	16.53	19.23	
(iii) चातु पूंजीगत कार्य	11	1.63	8.98	
(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (सूक्ष्म)	12	95.33	75.72	
(ग) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	13	5.29	0.02	
(घ) अन्य अचल परिसंपत्तियां	13	61,113.40	67,432.14	70,012.53
चल परिसंपत्तियां				
(क) व्यापार प्राप्त्य	14	132.50	228.98	
(ख) रोकड़ और बैंक शेष	15	17,005.35	15,252.58	
(ग) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	16	45.94	40.00	
(घ) अन्य चातु परिसंपत्तियां	17	832.19	775.66	16,295.20
जोड़		81,534.93	86,307.73	
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2			
संलग्न लेखों के नोट समीक्षा विवरणों के आंतरिक भाग हैं	3 - 40			

समसंख्यक तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.पी. चौपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000348एन

हस्ता.

सीए अंकुर गोयल
(सहस्रहस्ता सं. 099143)

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता.

(अमृत लाल मीणा)
संदेशक एवं प्रबंध निदेशक
(सीआईएन : 06826193)

हस्ता.

(पी. के. अग्रवाल)
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

हस्ता.

(राजेंद्र रणु)
निदेशक
(सीआईएन : 02855304)

हस्ता.

(अभिषेक चौधरी)
(उपाध्यक्ष - कॉरपोरेट मामलों,
मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव)

यूडीआईएन: 22099143एएमएलवाईएफएफ4214
स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 8 जुलाई, 2022

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि विवरण

विवरण	नोट	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (लाख रुपए में)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (लाख रुपए में)
आमदनी			
परिचालन से आमदनी	18	2,280.60	3,114.34
अन्य आय	19	647.81	712.05
कुल आमदनी		2,928.41	3,826.39
व्यय			
उपभोज्य सामग्री की लागत	20	24.52	0.00
कर्मचारी हितलाभ व्यय	21	937.73	596.18
वित्त लागत	22	222.90	288.66
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	23	889.53	1,115.05
अन्य व्यय			
कुल व्यय		2,074.58	1,999.89
कर पूर्व लाभ		853.73	1,826.50
कर व्यय			
वास्तु कर		282.90	596.97
पूर्ववर्ती वर्ष		8.21	0.59
आस्थगित कर		(19.59)	(10.68)
वर्ष के लिए लाभ		602.21	1,239.60
आमदनी प्रति इक्विटी शेयर (सममूल्य 10 रूपए प्रति शेयर)	24		
प्रति शेयर मूल आमदनी (रुपए में)		0.60	1.24
प्रति शेयर तनुकृत आमदनी (रुपए में)		0.60	1.24
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2		
संलग्न लेखों के नोट समेकित वित्तीय विवरणों के आंतरिक भाग हैं	3 - 40		

समसंख्यक तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. पी. चोपड़ा इंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण सं. 000348एन

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

के निदेशक मंडल के लिए और उनकी और से

हस्ता.

सीए अंकुर गोयल
(साझेदार)
(सदस्यता सं. 099143)

हस्ता.

(अमृत लाल मीणा)
सीईओ एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 06626193)

हस्ता.

(राजेंद्र रथ)
निदेशक
(डीआईएन : 02855304)

हस्ता.

(पी. के. अप्रवाल)
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

हस्ता.

(अभिषेक चौधरी)
(उपाध्यक्ष - कॉरपोरेट मामले,
मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव)

यूडीआईएन: 22099143एएमएलवाईएफएफ4214

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 8 जुलाई, 2022

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड
सीआईएन: यू45400अएल2008पीएलसी172316
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित संकड़ प्रवाह विवरण

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (संख्या रुपए में)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (संख्या रुपए में)
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
कर पूर्व शुद्ध लाभ	853.73	1,826.50
क्रय के लिए समायोजन:		
मूल्यवृद्धि और परिशोधन व्यय	222.90	288.66
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि	0.73	181.34
स्वामित्व की गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	0.20	-
व्याज आय	(548.99)	(622.46)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	528.57	1,874.04
क्रय के लिए समायोजन:		
व्यापार ऋणों में वृद्धि/(कमी)	94.46	(45.61)
अन्य ऋणों में वृद्धि/(कमी)	35.30	187.53
व्यापार देवों में वृद्धि/(कमी)	101.89	(1,383.35)
अन्य देवों में वृद्धि/(कमी)	(74.51)	13.35
परिचालन गतिविधियों से मुक्ति नकदी/(प्रचुक्ता)	685.71	445.96
भुगतान किए गए (निःशुल्क व शुद्ध)	(404.03)	(374.64)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी/(प्रचुक्ता)	281.68	71.32
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
परियोजना विकास व्यय के लिए प्राप्त निधियां	5,000.00	4,500.00
परियोजना विकास व्यय के लिए प्राप्त निधियों से अर्जित व्याज	125.41	92.26
परियोजना विकास व्यय के लिए प्राप्त निधियों की उपयोगिता	(4,124.57)	(8,245.82)
स्वच्छता कार्य योजना के लिए प्राप्त निधियां	10.00	10.00
स्वच्छता कार्य योजना के लिए प्राप्त निधियों पर अर्जित व्याज	-	0.00
स्वच्छता कार्य योजना के लिए प्राप्त निधियों की उपयोगिता	(10.00)	(10.00)
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति की (खरीद)	(24.40)	(53.64)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री	0.29	64.31
बैंकों के साथ निधियों में वृद्धि/(कमी)	397.82	(994.82)
व्याज आय	548.99	622.46
भूमि के लिए भिन्न कर भुगतान	(54.83)	(54.63)
पूँजीगत वस्तुओं के लिए अधिम में वृद्धि/(कमी)	-	(0.70)
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी/(प्रचुक्ता)	1,888.91	(2,970.58)
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी/(प्रचुक्ता)	-	-
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	2,150.59	(1,999.26)
उप की शुरुआत में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	14,257.76	16,257.02
वर्ष के अंत में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	16,408.35	14,257.76
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य के घटक:		
रोकड़ हस्ता	0.05	0.07
घान् खातों में बैंक के पास रोक	6.45	1,220.46
अन्य जमाओं में बैंक के पास रोक	16,401.85	13,037.21
	16,408.35	14,257.76
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2	
संलग्न लेखों के नोट समेकित वित्तीय विवरणों के आंतरिक भाग हैं	3 - 40	
* राशि 1,000 रुपए से कम		

समसंयोजक निधि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एच. सी. चंयल पंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 000246488

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड
के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी और से

हस्ता.
सीए अंकर नोकन
(सहसंयोजक)
(सहसंयोजक नं. 099143)

हस्ता.
(अमृत नाथ जीजा)
सीईओ एवं प्रबंध निदेशक
(सीआईएन : 06626193)

हस्ता.
(राजेश राय)
निदेशक
(सीआईएन : 02855304)

यूडीआईएन: 22099143एएमएनएलईएएएए4214
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 8 जुलाई, 2022

हस्ता.
(बी. के. अचरवार)
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

हस्ता.
(अशोक चौधरी)
(उपप्रधान - कार्यकारी अधिकारी,
समान संसाधन एवं कंपनी सचिव)

नोट 1 - समूह की चुनना

भारत सरकार ने प्रमुख आर्थिक चक्रों के रूप में विनिर्माण के साथ नियोजित इस्तेमाल की पहचान शुरू करने और देश में औद्योगिक-विनिर्माण विकास को सज्जत गति देने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीएआईआईटी), कृषि एवं उद्योग मंत्रालय के तहत 2007 में पहले औद्योगिक गतिधर (डीआईआईटी) परियोजना की अवधारणा की घोषणा की। तदनुसार, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गतिधर विकास निगम लिमिटेड (डीएआईआईटीसी) (प्रायतः कंपनी) को डीआईआईटी परियोजना के विकास और कार्यान्वयन के लिए एक विशेष प्रयोजन योजना (एसपीवी) के रूप में 7 जनवरी 2008 को निर्गमित किया गया था।

दिसंबर, 2011 में, भारत सरकार ने डीआईआईटी प्रोजेक्ट में औद्योगिक गतिधर के विकास हेतु डीआईआईटी प्रोजेक्ट की विशेष और संस्थागत संरचना को अनुमोदन दिया और डीआईआईटी प्रोजेक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (डीआईआईटी-पीआईटीएफ) के रूप में एक परिष्कृत कार्यसूची के साथ समेकित निधि सृजन को भी अनुमोदन दिया।

डीआईआईटीसी ने एनबीएल इंडस्ट्रियल स्टाट्स शहरी को विकसित करने के लिए विभिन्न एन-एचएचएल, एनएचएल, ग्राहक एनर्जि और इंजीनियरिंग अध्ययन करने के लिए एक परियोजना विकास कंपनी के रूप में कार्य करती है। डीआईआईटीसी को डीआईआईटी-पीआईटीएफ के लिए और डीआईआईटी-क्रेडेंशियल करने के लिए सभी एसपीवी और राज्य सरकार एजेंसियों के लिए भी परियोजना विकास पार्टनर/जॉइंट वेंचर का अपेक्षा है।

दिसंबर, 2018 में भारत सरकार ने डीआईआईटी प्रोजेक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अपेक्षा को विस्तारित किया और देश में औद्योगिक गतिधरों के एकीकृत विकास के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रूप में पुनर्नामित किया। डीआईआईटीसी को डीआईआईटी-पीआईटीएफ के अतिरिक्त, अन्य गतिधरों के लिए नॉन-पार्टनर नियुक्त होने तक नॉन-पार्टनर के रूप में कार्य करेगा। विस्तारित अपेक्षा को देखते हुए 17 फरवरी 2020 से कंपनी का नाम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीआईआईटीसी) से बदलकर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनआईटीसी) कर दिया गया।

इसके बाद, दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने सस्टेनैबल फुलफिलमेंट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्लान के समग्र ढांचे के अंतर्गत औद्योगिक गतिधर कार्यक्रम के तहत 4 वर्षों में विकसित किए जाने के लिए 32 परियोजनाओं सहित 11 औद्योगिक गतिधर परियोजनाओं (पहले अनुमोदित 5 औद्योगिक गतिधर सहित) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी।

निर्वाहक कंपनी की एक सहायक कंपनी यानी एनआईटीसीसी नैशनल स्लैब पावर लिमिटेड है। संलग्न समेकित वित्तीय विवरण नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनआईटीसीसी), जो निर्वाहक कंपनी है और इसकी सहायक कंपनी से संबंधित है (एक साथ "ग्रुप" के रूप में संदर्भित)।

नोट 2 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

कंपनी के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों को बनाने में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएपी), अधिभूत एवं लागू किए जाने की सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित अधिनियम लेखांकन मानकों को कंपनी (लेखा मानक) संशोधन नियम, 2016 और कंपनी (लेखा) विध्व, 2014 के नियम 7 के साथ पठनीय है, जिस तरह से आवश्यक हो। प्रोद्भव आधार पर परंपरागत ऐतिहासिक लागत पर तैयार और प्रस्तुत किया गया है।

2.2 अनुमानों का उपयोग

भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएपी) के अन्तर्गत समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को आवश्यकतानुसार आकलन और अनुमान लगाने की जरूरत होती है, जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में परिणामों और देयताओं को रिपोर्ट की गई राशि और आकलित देयताओं के प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और खर्चों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करता है। सतत आधार पर अनुमानों को पिछले अनुमानों और विभिन्न अन्य स्थितियों पर अनुमानित किया जाता है। इनके परिणाम परिसंपत्तियों और दायित्वों के प्रभावों के बारे में निर्णय लेने का आधार बनते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और स्थितियों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों में कोई भी संशोधन का वार्षिक परिणाम और अनुमानों के बीच अंतर को इस अवधि में सम्मिलित हो जाते हैं जिस वर्ष में परिणाम प्राप्त/साकार होते हैं।

2.3 लेखांकन का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों को निम्न आधार पर तैयार किया गया है:

लेखांकन का आधार:

i) सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को निर्वाहक कंपनी की रिपोर्टिंग तिथि पर तैयार किया गया है।

ii) समेकित वित्तीय विवरणों को एन-21 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार बनाया गया है।

समेकन का सिद्धांत:

i) निर्वाहक कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों को लेखांकन मानक 21 - "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार अंतःसमूह शीर्ष और अंतःसमूह तल-दोनों और गैर-समूह गैर-समूह एवं हानियों को पूरी रूप से समाप्त करने के पश्चात् परिसंपत्तियों, दायित्वों, आय और व्यय की एक समान मापों की दृष्टि से साथ जोड़कर पक्षित दर पक्षित आधार पर लेखांकन किया जाता है।

ii) जहां तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरणों को एकसमान लेन-देनों और उसी परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए एकसमान लेखांकन नीतियों का प्रयोग करते हुए तैयार किया जाता है और उसी तरह प्रस्तुत किया जाता है जैसा कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में हो। अन्यथा जैसा प्रस्तुत की लेखांकन नीतियों में उल्लेख किया गया है।

iii) सहायक कंपनियों में शीर्षों के अधिग्रहण के समय बहुत संघटित पर सहायक कंपनियों में निर्देश की लागत के बीच के अंतर को समेकित वित्तीय विवरणों में गृहभित्त का पूर्ण आश्रित कर के रूप में, जैसा की मामला हो, सम्मिलित हो जाते हैं।

निर्वाहक कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में निम्न कंपनी के परिणाम शामिल है:

कंपनी का नाम	जिस देश में नियमित की गई	31.03.2022 को क्षेत्रगतता का अनुपात (प्रतिशत)	31.03.2021 को क्षेत्रगतता का अनुपात (प्रतिशत)
एनआईटीसीसी नैशनल स्लैब पावर लिमिटेड	इंडिया	100%	100%

2.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

- i) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों (पीपीई) को संयंत्री मूल्यवर्धन और क्षति, यदि कोई हो तो, घटाकर ऐतिहासिक लागत पर पकड़ किया गया है।
- ii) अधिग्रहण/निर्माण की लागत में स्थल शुल्क, निर्माण और कमीशन घनात, शुल्क और कर, निर्माण अवधि के दौरान अधिग्रहण/स्थापना की लागत तक व्यय और निर्माण/स्थापना चरण के दौरान किए गए अन्य आकस्मिक खर्च शामिल हैं।
- iii) जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु के कुछ हिस्सों के अलग-अलग उपयोगी जीवन होते हैं, तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अलग-अलग भागों (पसुख घटका) के रूप में गिना जाता है।
- iv) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की एक वस्तु से संबंधित बाद के खर्च को उसके कुल वैल्यू में तभी जोड़ा जाता है जब वे मौजूदा परिसंपत्ति से फर्कने के पिछले आकस्मिक से अभिव्यक्ति के तहत की जा रही हों और बढ़ाते हैं। इसमें आमतौर पर रखरखाव की लागत को शामिल किया जाता है, उन्हें लागत और हानि के विवरण में दिखाया जाता है।
- v) संयंत्र हटाने के कारण से उत्पन्न होने वाली हानि, अर्थात् संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटारे से उत्पन्न होने वाली लाभ/हानि, जिसे लागत पर किया जाता है, संयंत्र से हटाने/निपटार के वर्ष में सम्मिलित लाभ एवं हानि विवरण में प्रदर्शित किया जाता है।
- vi) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधानों के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यवर्धन लागत के 5 प्रतिशत को अवशिष्ट मूल्य रखते हुए उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर मूल्यवर्धन विधि से सम्मत्या जाता है। इसलिए, यदि परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए प्रबंधन का अनुमान पूर्ववर्त अनुसूची में परिलक्षित से कम है, तो प्रबंधन के उपयोगी/योग्य जीवन के अनुमान के आधार पर मूल्यवर्धन उच्च दर पर लगाया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधानों के अनुसार और प्रबंधन द्वारा अनुमान के अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन निर्धारण द्वारा है।

परिसंपत्ति	उपयोगी जीवन (वर्षों में)
पेजिंजर और स्काफोल्ड	10
कार्गो/संयंत्र उपकरण	5
उपकरण/संयंत्र और उपकरण	10
कंप्यूटर - हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अन्य उपकरण/संयंत्र उपकरण आदि	3
कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर	5

इसके अतिरिक्त, सहायक कंपनी की निम्न उल्लिखित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर निर्धारण/संयंत्र समझा जाता है:

परिसंपत्ति	मूल्यवर्धन	अभिव्यक्ति
सौर पैनल	- निस्तरण मूल्य 10 प्रतिशत समझा जाता है और पूंजीगत लागत के 90 प्रतिशत के रूप में आयु की परिसंपत्ति समझा जाता है। - उपयोगी जीवन वाणिज्यिक परिचायक विधि से 25 वर्ष समझा जाता है। - प्रथम 13 वर्षों के लिए मूल्यवर्धन दर 5.28 प्रतिशत और परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन के दौरान शेष मूल्यवर्धन प्रसारित किया जाता है। - मूल्यवर्धन अनुपातिक आधार पर प्रसारित किया जाता है।	यह केन्द्रीय विद्युत निगमक आयु निगम 2017 के अनुसार है।
सॉलर पैनल और बागवानी कार्य	मूल्यवर्धन शेष शेष के इक्कीसवीं वर्ष से 5 वर्ष के अवधि में मूल्यवर्धन किया जाता है।	उपकरणों जीवन 5 वर्ष समझा जाता है।
सौर पैनल भूमि	कमरे की छत से सौर पैनल के लिए (97 वर्ष 108 दिन) के लिए स्टैंड लाइन में सौर पैनल परिसंपत्ति किया जाता है।	यह भूमि विकास कोशिकाओं अर्थात् आरआईआईसीआई के साथ निष्पक्षित गेटा विलेज के अनुसार है।

- vii) 5,000 रुपये तक की लागत वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अधिग्रहण के वर्ष में ही पूरी तरह से अवमूल्यन किया जाता है।
- viii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अतिरिक्त पर मूल्यवर्धन संपत्ति के अनुमानित शेष उपयोगी जीवन पर संपत्ति के इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने की लागत से अनुपातिक आधार पर प्रसारित किया जाता है। परिसंपत्तियों की विवरण/लाभ/हानि/वर्धन करने पर मूल्यवर्धन परिसंपत्तियों की विवरण/लाभ/हानि, जिस की प्रभाव है, तक प्रसारित किया जाता है।
- ix) वार्षिक वित्तीय वर्ष के अंत सहित मूल्यवर्धन विधि, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समग्र-समय पर समीक्षा की जाती है।
- x) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, यदि कोई हो, सक्रिय उपयोग से संकलित या निपटारे के लिए रखे गए हैं, उन्हें निम्नलिखित (सहित मूल्यवर्धन का शुद्ध) का अनुमानित शुद्ध वस्तु की योग्य मूल्य पर बताया जाता है।
- xi) सौर पैनल सुधार की लागत को जीवन की अवधि में परिसंपत्ति किया जाता है।
- xii) निर्माण/संयंत्र संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और परिसंपत्ति की लागत वर्ष के अंत से पहले उपयोग के लिए तैयार नहीं है, उसे पूंजीगत कार्य प्रगति के रूप में दिखाया गया है।
- xiii) वार्षिक वित्तीय वर्ष विधि पर बताया संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए अधिम को अन्य गैर-पसु परिसंपत्तियों के वस्तु पूंजीगत अधिम के रूप में दर्ज/कृत किया जाता है।
- xiv) सहायक कंपनी द्वारा सॉलर पैनल और बागवानी कार्य पर किए गए व्यय को वित्तीय वर्ष 2019-20 तक पूंजीकृत किया गया था। सीएनएल की पेशगी के आधार पर, 31 मार्च, 2020 की तिथि में निश्चित मूल्य को राजस्व व्यय के रूप में प्रसारित किया गया था और अब से व्यय को राजस्व व्यय के रूप में प्रसारित किया जाएगा।

xvi) सहायक कंपनी द्वारा 60 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए लीज पर अधिपतित भूमि को जीजहोल्ड भूमि के रूप में प्रस्तावित है।

xvii) न्यू एनर्जी एंड इंस्ट्रुमेंटल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (एनईडीओ), आपाइन द्वारा सहायक कंपनी को सहायता अनुदान के रूप में प्रदान किए गए उपकरणों को परियोजना के पूरा होने के बाद सभी वास्तविक अधिकारों के साथ उपकरणों के स्वामित्व के हस्तांतरण पर ₹ 1/- के सामूची मूल्य पर लेखाबद्ध किया गया है।

2.5 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अमूर्त संपत्ति को तभी सम्पत्ति दी जाती है जहां वह संभावित है कि संपत्ति के कारण भविष्य के आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होंगे और संपत्ति की लागत को विश्वसनीयता से मापा जा सकता है। अतः से अर्जित की गई अमूर्त संपत्ति को लागत पर वार्षिक सन्वय पर मापा जाता है। वार्षिक सन्वय के बाद, अमूर्त संपत्ति को संचित परिसोधन और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर से ज्ञात जाता है। पूंजीकृत विकास लागत को छोड़कर वार्षिक रूप से उद्भव अमूर्त संपत्ति, पूंजीकृत नहीं है और व्यवस्था वर्ष के समेकित लाभ और हानि विवरण में परिलक्षित होता है जिस वर्ष में व्यय किया गया हो।

अमूर्त संपत्ति में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं और इसे संचित परिसोधन की लागत को घटाने हुए अधिग्रहण/कार्यान्वयन की लागत पर बताया जाता है। इसे 5 साल की अवधि अथवा स्टैंड लाइन के आधार पर सफ़्टवेयर अवधि, जो भी पहले हो, में परिसोधित किया जाता है।

2.6 परिसंपत्तियों का परिसंचयन

एक परिसंपत्ति को तभी परिसोधित प्रस्तावित है जब परिसंपत्तियों की वस्तु लागत उसके वस्तु की योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है। धनगत नुकसान पर की निधि में परिसंपत्तियों की अवधि तब तक समेकित की जाती है और यदि आंतरिक/बाहरी कारणों के आधार पर हानि का कोई संकेत मिलता है, तो हानि को सन्वय दी जाती है। कोई हानि उस वर्ष के समेकित लाभ एवं हानि विवरण तक प्रसारित की जाती है जिस अवधि में किसी परिसंपत्ति की परिसोधित की रूप में पहचान की जाती है। जहां वस्तु योग्य राशि के अनुमान में कोई परिवर्तन होता है वहां पूर्व ज्ञात अवधि में पहचान की गई परिसोधित हानि को बढ़ावा/घटाया जाता है। वस्तु की योग्य मूल्य परिसंपत्ति के मुख्य विनिर्माण मूल्य और उपकरण में मूल्य से अधिक है।

2.7 सहायता अनुदान

2.7.1 परियोजना विकास निधि (पीडीएफ)

भारत सरकार ने विभिन्न औद्योगिक वित्तिय परियोजनाओं के लिए विभिन्न परियोजना विकास/आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) की स्थापना को मंजूरी दी, जिसके लिए निम्नलिखित कंपनियों को नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (एनआईडीओ) द्वारा (एनआईडीओआईटी) पूर्व में वित्तिय परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) के माध्यम से भारत सरकार से अनुदान सहायता प्राप्त होगी है जिसे 'आरक्षित और अधिभेद' के तहत पूंजी आरक्षित निधि के रूप में प्रकटित किया गया है। यदि निधि से कोई राशि भारत सरकार/एनआईडीओआईटी को वापस की जा सकती है, तो धनवापसी के वर्ष में उक्त निधि शेष से घटा दी जाएगी।

इस निधि पर अर्जित व्याज, लाभों या किसी अन्य आय को निधि शेषों में जोड़ा जाता है। इसके अलावा, विभिन्न औद्योगिक वित्तियारों के परियोजना विकास/आर्थिक गतिविधियों पर किए गए परियोजना विकास व्यय (पीडीएफ) को निधि में से निम्नानुसार मापा जाता है:

क) धारक कंपनी की सहायक कंपनियों और उन परियोजनाओं से संबंधित व्यय जिसके लिए नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (एनआईडीओ) द्वारा (एनआईडीओआईटी) पूर्व में वित्तिय परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) के माध्यम से भारत सरकार से अनुदान सहायता प्राप्त होगी है जिसे 'आरक्षित और अधिभेद' के तहत पूंजी आरक्षित निधि के रूप में प्रकटित किया गया है और अन्य गैर-वस्तु संपत्ति के तहत प्रकटित किया जाता है।

ख) उन परियोजनाओं पर व्यय किए गए व्यय जो अभी शुरू नहीं की गई हैं अथवा जिन पर अन्य गतिविधियों नहीं की जाती हैं एवं एनआईडीओआईटी और संबंधित राज्य सरकार(एनआईडीओआईटी) के बीच शेयर होल्डर परीक्षित इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करता है, तो इसे 'पूँजी आरक्षित निधि' के अंतर्गत 'परियोजना विकास निधि' से घटाया जाता है; और

ग) परियोजनाओं से संबंधित व्यय जो प्रगति पर हैं और जहां शेयरधारकों के समझौते के निष्पादन न होने के कारण एनआईटी को अभी तक शामिल नहीं किया गया है या जहां परियोजनाओं को अभी तक एनआईडीओआईटी / सीसीईए द्वारा निवेश के लिए अनुमोदित नहीं किया गया है या कोई अन्य खरीद को इसके तहत कवर नहीं किया गया है उपरोक्त पैरा (क) और (ख) को 'अन्य गैर-वस्तु संपत्ति' शेष के तहत 'परियोजना विकास व्यय' के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

2.7.2 परियोजना कार्यान्वयन निधि (पीआईएफ)

भारत सरकार ने दिवसी-मुंबई औद्योगिक वित्तियार (डीएमआईटी) परियोजना के लिए विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक परियोजना कार्यान्वयन निधि (पीआईएफ) की स्थापना को मंजूरी दी है, जिसके लिए सरकार से धारक कंपनी द्वारा सहायता अनुदान प्राप्त होता है। भारत का नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ डेवलपमेंट और प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (एनआईडीओ) द्वारा (एनआईडीओआईटी) पूर्व में वित्तिय परियोजना विकास निधि (पीआईएफ) के माध्यम से और 'आरक्षित और अधिभेद' के तहत पूंजी आरक्षित निधि के रूप में प्रकटित किया गया है। यदि निधि से कोई राशि भारत सरकार/एनआईडीओआईटी को वापस की जा सकती है, तो धनवापसी के वर्ष में उक्त निधि शेष से घटा दी जाएगी।

इस निधि में अर्जित व्याज, लाभों और किसी भी अन्य आय को निधि शेषों में जोड़ा जाता है।

2.7.3 स्वच्छता कार्य योजना निधि (एसएपी)

भारत सरकार ने स्वच्छता कार्य योजना के प्रति व्ययों की पूर्ति के लिए स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) की स्थापना को मंजूरी दी है जिसके लिए कंपनी को नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (एनआईडीओ) द्वारा (एनआईडीओआईटी) पूर्व में वित्तिय परियोजना विकास निधि (पीआईएफ) के माध्यम से भारत सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करती है जिसे आरक्षित निधि एवं अधिभेद के अंतर्गत पूंजीगत निधि में परिलक्षित किया गया है। फंड से भारत सरकार/एनआईडीओआईटी को किसी राशि के वापस होने पर उक्त राशि को इस वर्ष में फंड के शेष से घटाया जाता है।

इस निधि में अर्जित व्याज, लाभों और किसी भी अन्य आय को निधि शेषों में जोड़ा जाता है और गैर-वस्तु संपत्ति व्ययों को निधि शेष से पूरा किया जाता है।

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ फ़ैब्रिक टेक्नोलॉजी फ़ैब्रिकेशन लिमिटेड

सीआईएन: यू45400/डिरेन 2008/पीएनसी 172318

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए त्रैमासिक वित्तीय विवरणों पर नोट

2.8 निवेश

घाटू निवेश का समस्त अथवा उद्धृत मूल्य पर उल्लेख किया जाता है।

निवेश के निष्पत्ति पर, शुद्ध निष्पत्ति आय और अकालीन राशिओं के बीच के अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.9 राजस्व मान्यता

- क) नियंत्रक कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रावधान से प्राप्त आमदनी को पोस्टमन के आधार पर मान्यता दी जाती है, जहां तक यह संभावित है कि आधिकारिक नियंत्रण कंपनी को प्राप्त होगी और अब व्यवस्था की महत्वपूर्ण छूट लागू करने योग्य है, संभावित विवाद की गई है, संतुष्टिपूर्वक कथित रूप से सुनिश्चित है और राजस्व को विश्वसनीयता से प्राप्त जा सकता है। तदनुसार, सेवाओं से प्राप्त आमदनी को निम्नानुसार मान्यता दी गई है:
- (i) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ फ़ैब्रिक टेक्नोलॉजी फ़ैब्रिकेशन लिमिटेड (एनआईटीएफ़टी) द्वारा परियोजना कार्यान्वयन निधि (पीआईएफ़) से विभिन्न परियोजनाओं के लिए जारी किए गए निधियों की 1% की दर से सेवा शुल्क जिसे एनआईटीएफ़टी ने 26 जुलाई 2018 को हुई बैठक में अनुमोदित किए अनुसार एक वर्ष में ₹ 20,00,00,000 की अधिकतम सीमा तक मान्यता दी गई है।
- (ii) नैशनल पाईपर के रूप में प्रोविडेंट फ़ंडेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीक्यूटिव सेंटर लिमिटेड (आईआईसीसी) को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए वार्षिक आंतरिक पोस्टमन के 1% की दर से सेवा शुल्क 10 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए अनुमानित आधार पर व्यवस्थित ₹ 5,00,00,000 और अधिकतम ₹ 10,00,00,000 प्रति वर्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है जैसा 28 अक्टूबर, 2018 को आईआईसीसी के द्वारा निष्पादित समझौता जमाने के अनुसार निर्धारित किया गया है।
- ख) सहायक कंपनियों द्वारा बिजली की बिजली से प्राप्त राजस्व को बाहरी के साथ सहमत दरों पर मासिक आधार पर निवेश की गई उच्चवर्ष की शुद्ध संख्या के आधार पर मान्यता दी जाती है।
- ग) व्यय आय को संश्लेषण राशि और व्यय की लागू दर को प्रभाव में रखते हुए समग्र अनुपातिक आधार पर स्वीकार्य जाता है।
- घ) राजाओं का संश्लेषण तब किया जाता है, जब उल्लेख की प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

2.10 नौज

नौज व्यवस्थापन, नौज परिसरों के आकस्मिक जोखिम और पुरस्कार देने वाले के पास होते हैं, उसे परिचालन नौज के रूप में स्वीकार्य जाता है। परिचालन नौज के अंतर्गत नौज भुगतानी को पोस्टमन आधार पर समेकित लाभ एवं हानि विवरण में व्यवस्था के रूप में स्वीकार्य जाता है।

2.11 विदेशी मुद्रा में लेन-देन

विदेशी मुद्रा लेन-देन उक्त निधि पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। तुलना पर की निधि पर मीडियम विदेशी मुद्रा में मासिक संगति और देनदारियों को उस तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर बदल दिया जाता है। भारत के बाहर किसी देश से संगति, संग्रह और उपकरण के अधिग्रहण के लिए विदेशी मुद्रा में उधार की गई देनदारियां और देनदारियों के मामले में विनिमय दरों के अंतर को इसकी संग्रह में समायोजित किया जाता है। अन्य सभी विनिमय अंतर लाभ और हानि के समेकित विवरण में प्रभावित होते हैं। बाहरी विनिमय अनुबंध पर वैश्विक या घटने के अनुबंध की अवधि के दौरान व्यवसाय या आय के रूप में परिभाषित किया जाता है। वसूली के अनुबंध पर विनिमय अंतर को रिपोर्टिंग अवधि में लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें विनिमय दरों में परिवर्तन होता है। बाहरी अनुबंध के रद्द अथवा मंजूरीकरण पर होने वाले किसी भी लाभ अथवा हानि को अवधि के दौरान आय और व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.12 भसचूकी

उपभोज्य, अंतर और फलपुंजी के स्टॉक को फर्स्ट-इन, फर्स्ट-आउट (फ़ीफ़ो) आधार पर समस्त अथवा शुद्ध वस्तु योग्य नियंत्रण पर मूल्यांकन किया जाता है।

2.13 कर्मचारी हितसम

- क) **अल्पकालिक अवधि हितसम:**
इन्हें उस वर्ष के लिए लाभ और हानि के समेकित विवरण में व्यवस्था के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन लाभों में सरकारी कर्मचारियों को कंपनी में प्रतिनिधित्व पर चुटुटी देना और पैशन अंशदान शामिल हैं, जिसका हिसाब फ़ैब्रिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अनुसार है, संबंधित कतिपय अनुसंधान, जो वर्ष के अंत से 12 महीनों के अंतर प्राप्त या मुद्राएं जाने की उम्मीद है।
- ख) **परिमित अंशदान योजना:**
सांख्यिकीय विधि निधि, कर्मचारी हितसम निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार पैशन योजना, राष्ट्रीय पैशन योजना (एनपीएस) और सेवाविनिवृत्ति के बाद शिफ्टिंग लाभ (पीएसएमबी) के लिए वर्ष के दौरान भुगतान या देय समूह के बंधन को व्यवस्था के रूप में मान्यता दी गई है जिसमें कर्मचारी सेवा प्रदान करता है।
- ग) **परिमित शिफ्टिंग योजना:**
चुटुटी के प्रति कंपनी का दायित्व वर्ष के अंत में अनुमानित युजिंट क्रेडिट यथार्थता का उपयोग करते उच्चतम शीर्षक द्वारा निर्धारित किया जाता है। शीर्षक द्वारा निर्धारित वार्षिक लाभ या हानि को उस वर्ष के दौरान लाभ और हानि के स्टैंडरलाइन विवरण में प्रभावित जाता है जिसमें शीर्षक मूल्यांकन किया जाता है।

2.14 शोधन रिपोर्टें

परिचालन खंडों की प्रत्येक समूह के प्रबंधन द्वारा संसाधनों को आवंटित करने और निर्णय लेने के लिए उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है। संसाधन मात्रा 17 के अर्थ में निदेशक मंडल सामूहिक रूप से समूह का "मुख्य संचालन निर्णय प्रक्रिया" या "सीओएफएम" है।

2.15 प्रति शेयर अग्रणी

समूह "प्रति शेयर कंसर्न" पर संसाधन मात्रा 20 के अनुसार प्रति शेयर मूल और आय (ईपीएस) की रिपोर्टें करती है।

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के लिए इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए शुद्ध लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से क्रिमांकित करने की जाती है।

प्रति शेयर तदनुकूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए शुद्ध लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करने की जाती है, सिवाय इसके कि जहां के परिणाम सभी अनुकूलित पोर्टफोलियो इक्विटी शेयर, जैसा कि सभी कंसर्न में समाहित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है, करें छोड़कर जहां परिणाम एंटी-डिजिटल है।

2.16 आय पर कर

क) कर व्यय में वर्तमान और अप्रत्याशित कर शामिल होते हैं।

ख) वर्तमान आयकर, सुप्रीम और टैक्सपेयर्स को आयकर अधिनियम, 1961 में कंसाधन बालू (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित कर व्यवस्था के अनुसार कंसाधन अधिकारियों को अनुदान की जाने वाली या उनकी बचती योग्य राशि पर लगा जाता है, और आय गणना एवं प्रकटीकरण मानक (आईसीएएस), कर दायी और रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित कर कानूनों का उपयोग करके प्रसार में अधिनियमित किया गया।

ग) शेयरों पर आय और कर योग्य आय के बीच फायदा के अंतर से उत्पन्न आयकर का हेंचल / संपत्ति, जो बाद की सेवा अवधि में उत्पन्न करने में सक्षम है, को कर की दर और कर कानूनों पर विचार करने के लिए निम्नलिखित उदाहरण गणना है जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित किए गए हैं। अप्रत्याशित कर परिभाषा को मान्यता दी जाती है और केवल उस सीमा तक आगे बढ़ाया जाता है जहां उचित निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके खिलाफ ऐसी आयकरित कर संपत्ति की उत्पत्ति की जा सकती है। अप्रत्याशित कर परिभाषाओं की अभाव में प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उनकी पसंदी के लिए की जाती है।

घ) न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) इस वर्ष के दौरान वर्तमान कर के रूप में लागू और हानि के सम्बंधित विवरण पर लगाया जाता है जिसमें इसका अनुमान किया जाता है। भूतक एक परिभाषा के रूप में उपलब्ध न्यूनतम वैकल्पिक कर के लिए को केवल इस हद तक मान्यता देता है कि इस बात के उपयुक्त साक्ष्य है कि कंपनी निदिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का अनुमान करेगी, यानी वह अवधि जिसके लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर के लिए को आगे से जाने की अनुमति है। कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में उपलब्ध के लिए जेखाने पर मातृकैस नोट के अनुसार न्यूनतम वैकल्पिक कर के लिए को एक परिभाषा के रूप में मान्यता देती है, इस परिभाषा को के लिए के सम्बंधित विवरण में के लिए के सम्बंध से बनाया गया है और लागू और हानि और "न्यूनतम वैकल्पिक कर के लिए को के रूप में दिखाया गया है। समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर "न्यूनतम वैकल्पिक कर के लिए को के सम्बंधित विवरण" संपत्ति की समीक्षा करती है और परिभाषा को उस हद तक लेखाबद्ध करती है, जिस हद तक समूह के पास इस बात के पुष्टता संपूर्ण नहीं है कि वह निदिष्ट अवधि के दौरान सामान्य कर का अनुमान करेगी।

2.17 प्रबंधन, आर्थिक दायित्व और आर्थिक परिभाषाएं

लेख में किसी प्रबंधन को एक मान्यता दी जाती है जो कंपनी के पास किसी पिछली घटना(ओं) के परिणामस्वरूप मौजूद दायित्वों से और यह संभावना हो कि संसाधनों के बहिर्गम के संबंध में दायित्व का निपटारा करने की आवश्यकता होगी जिसके संबंध में एक विश्वस्तनीय अनुमान लगाया जा सकता हो। प्रबंधनों को उनकी मौजूदा क्षमता पर बहुरंगत नहीं किया जाता और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्वों का निपटारा करने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और मौजूदा सर्वोत्तम अनुमानों को पदरित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आर्थिक देवताओं का चुनाव नोट्स में तब किया जाता है जब पिछली घटना(ओं) से उत्पन्न होने वाली संभावित बाधक होती है, जिसके अतिरिक्त की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या घटनाओं के तब जाएगी, न कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में या एक वर्तमान दायित्व जो पिछली घटना (ओं) से उत्पन्न होता है, जहां यह तब संभव नहीं है कि संसाधनों का बहिर्गम व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक होगा या एक विश्वस्तनीय अनुमान को तैयार नहीं किया जा सकता है।

आर्थिक परिभाषाओं को न तो स्वीकारा जाता है और न ही किसी विवरणों में प्रकटन किया जाता है।

2.18 षेकडू और सलतुलुव

नकद और नकद सलकलौ में हलष में नकद, षेक, हलष में डुलषट/डुलषिट में षेषण, बैंक षेक और तीन महीने ढा उससे कम की मूल परिषकलत ढाली जलषा सलषि षलमिल है और जे नकद और नकद सलकलष की जलत सलषि में आसलनी से परिषलरुनीय है और डिलनषि कीडलतों में परिषलरुन कल जेडिलल सलषलष है।

2.19 षेकडू षलषड विषरष

षेकडू षलषड विषरषण "अडललषल विषि" दूढलरल लैषलर किलषा जलत है ढेस कि "षेकडू षलषड विषरषण" षर सेललरुन सलनक 3 में निषलरिल किलषा गलषा है और सललरु की षरिषलनन, निषेष और किलषेषलन गलिलषिषिषों दूढलरल षेकडू षलषड षलनूत करुत है।

सुडलरुषेन षेकडू षलषड विषरषण में षलनूत किलष गलष षेकडू और षेकडू सलकलष में हलषे षेकडू, षेक, डुलषिट में हैडलडिलिटल, बैंक डेरलल और तीन महीने ढा उससे कम की मूल परिषकलत ढलने डिलषलडि षलमिल है और जो षेकडू और षेकडू सललतुलष की जलत सलषि में आसलनी से परिषलरुनीय है।

परिषेजलष डिलकलष निषि और सलषलिल आष / डलष से सलषलिल ललनलन षलकृति में दूढलकलषिक है, इसलिल डललू ढिलष गलिलषिषिषों क षष में सलषल जललल है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपये में)
नोट 3: शेयर पूंजी		
प्राधिकृत		
वोटिंग अधिकार सहित 10/- रुपये प्रत्येक वाले 10,00,00,000 इक्विटी शेयर	10,000.00	10,000.00
	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
निर्मित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी		
वोटिंग अधिकार सहित 10/- रुपये प्रत्येक वाले 10,00,00,000 इक्विटी शेयर	10,000.00	10,000.00
	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
जोड़	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

3.1 वर्ष की शुरुआत और अंत में बकाया शेयरों की संख्या में सामंजस्य:

	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	शेयरों की संख्या	(लाख रुपये में)	शेयरों की संख्या	(लाख रुपये में)
वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयर	100,000,000	10,000.00	100,000,000	10,000.00
जोड़े: वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर	<u>100,000,000</u>	<u>10,000.00</u>	<u>100,000,000</u>	<u>10,000.00</u>

3.2 इक्विटी शेयरों के साथ संगठन शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका सममूल्य मूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी भारतीय रुपये में लाभांश की घोषणा और भुगतान कर सकती है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तुतित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी वरीयता प्राप्त राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

3.3 समूह में 5 प्रतिशत से अधिक धारिता रखने वाले शेयरधारकों का ब्यौता:

	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	शेयरों की संख्या	धारिता %	शेयरों की संख्या	धारिता %
भारत के राष्ट्रपति	49,000,000	49.00	49,000,000	49.00
(सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग एवं उनके नामितों द्वारा)				
जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी)	26,000,000	26.00	26,000,000	26.00
हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	19,900,000	19.90	19,900,000	19.90

समूह के रिपोर्ट के अनुसार, शेयरधारकों / सदस्यों के अपने रजिस्टर और अन्य घोषणाओं सहित, यदि कोई हो, शेयरधारकों से सम्बन्धी हित के संबंध में, उपरोक्त शेयरधारिता शेयरों के कानूनी और सांख्यिकी स्वाभिन्न दोनों का प्रतिनिधित्व करती है।

3.4 कंपनी ने बोनस शेयरों को जारी नहीं किया है, नकदी प्राप्त किए बिना ही शेयरों को जारी नहीं किया गया है अथवा तुलन पत्र की तिथि से पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी शेयरों को वापिस नहीं खरीदा गया है।

3.5 बतकों की शेयरधारिता

वर्ष के अंत में प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर			वर्ष के दौरान परिवर्तन %
प्रवर्तकों का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयर का %	
भारत के राष्ट्रपति	48,999,999	49%	कुछ नहीं
(सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग एवं उनके नामितों द्वारा)			
श्री शैलेन्द्र सिंह, आईएस, अतिरिक्त सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	1		
संयुक्त सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के प्रतिनिधित्व	1		
जोड़	<u>49,000,000</u>	<u>49%</u>	

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड
सीआईन: यू45400डीएल2008पीएससी172316
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए संचालित वित्तीय विवरणों पर नोट

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपये में)
नोट 4 : आरक्षित और अधिशेष		
(क.) पूंजी आरक्षित निधि - के लिए प्राप्त सहायता अनुदान:		
(संदर्भ नोट 2.7)		
(i) परियोजना विकास निधि		
अंतिम तुल्य पत्र के अनुसार	68,020.27	63,520.27
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान	5,000.00	4,500.00
जोड़े: परियोजना विकास निधि पर अर्जित ब्याज, आदि		
अंतिम तुल्य पत्र के अनुसार	3,225.78	3,133.52
वर्ष के दौरान संचालित जमा पर ब्याज और कर रिफंड	125.41	92.26
(घटाएँ): परियोजना विकास व्यय, वसूल न होने तक		
पिछले तुल्य पत्र के अनुसार	(4,035.14)	(3,798.71)
बंद सहायक कंपनियों में निवेश के मूल्य में कमी	-	(20.00)
वर्ष के दौरान व्यय	(10,474.05)	(216.43)
(घटाएँ): परियोजना विकास निधि में अर्जित ब्याज पर कर प्रभाव	(30.87)	(22.52)
(ii)	61,831.40	67,188.39
(iii) परियोजना कार्यव्यय निधि		
पिछले तुल्य पत्र के अनुसार (संदर्भ 4.1)	1,300.00	1,300.00
(iii)	1,300.00	1,300.00
(iii) स्वच्छता कार्य योजना		
पिछले तुल्य पत्र के अनुसार*	0.00	-
वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान	10.00	10.00
जोड़े: वर्ष के दौरान संचालित जमा पर ब्याज	-	0.00
(घटाएँ): वर्ष के दौरान वहन किया गया व्यय	(10.00)	(10.00)
(iii)*	0.00	0.00
(iv) सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त उपकरण (संदर्भ नोट 2.4.xvi और 36)	0.00	0.00
(iv)*	0.00	0.00
उप-जोड़	63,131.40	68,488.39
(ख.) अधिशेष		
पिछले तुल्य पत्र के अनुसार	4,662.03	3,407.98
जोड़े: बंद सहायक कंपनियों में निवेश के मूल्य में कमी	-	20.00
जोड़े: वर्ष के दौरान लाभ	802.21	1,239.60
(घटाएँ): सॉफ्टवेयर और बागवानी कार्य का लिखित मूल्य (संदर्भ नोट 2.4.xiv और 38 देखें)	-	(5.55)
जोड़	5,464.24	4,662.03
	68,595.64	73,150.42

* राशि 1000/- रुपये से कम की है।

- 4.1 आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के अनुमोदन के अनुसार, 6.00 मेगा वाट मॉडल सोलर पॉवर प्लांट के लिए एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड) द्वारा ट्रस्ट की 100 प्रतिशत इक्विटी निवेश के लिए एसपीवी यथा एनआईसीडीसी नौमराणा सोलर पॉवर लिमिटेड, पूर्व में डीएमआईसीडीसी नौमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड के नाम से विहित की जा रही करने के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ट्रस्ट की मुख्य निधि/पूँजी निधि में से नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट फंड द्वारा एनआईसीडीसी लिमिटेड को 13,00,00,000/- (केवल तेरह करोड़ रुपये) की राशि अंतरित की गई थी। इस प्रकार के निवेश से वापसी एनआईसीडीसी लिमिटेड के माध्यम से ट्रस्ट में वापस आएगी।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड
सीआईन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए संश्लेषित वित्तीय विवरणों पर नोट

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपये में)
नोट 6 : भूमि और कार्यालय अस्थितियाँ		
भूमि के लिए देय राशि (संदर्भ नोट 5.1)	491.71	546.35
निष्पादन प्रतिभूति	0.10	0.10
योग	491.81	546.45

5.1 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रिक्वा) ने परिचालन स्थल के लिए 21 नवंबर, 2012 को 1,000/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की रिअयूजरी दर पर 1,45,692 वर्ग मीटर भूमि सहायक कंपनी को आवंटित की। कुल विकास शुल्क (सीसी) में से, 25% भूमि के आवंटन के समय अग्रिम भुगतान किया गया था और शेष राशि 20 जनवरी, 2013 से 20 समान वार्षिक ब्याज मुक्त किश्तों में देय है।

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपये में)
नोट 6 : दीर्घकालिक ऋणधन		
कार्यकारी वित्तसाधन ऋणधन		
- रोट्यूएट (संदर्भ नोट सं. 26)	71.25	54.03
- अवसथा मजदूरीकरण (वर्ग वर्ष के प्रकार के लिए संदर्भ नोट 26)	50.27	-
योग	121.52	54.03

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपये में)
नोट 7 : स्थावर देय		
सूक्ष्म उपकरणों और लघु उपकरणों को कुल देय बकाया (संदर्भ नोट सं. 7.1)	32.42	122.68
सूक्ष्म उपकरणों और लघु उपकरणों से इतर ऋणधर्ताओं का कुल देय बकाया	2,137.88	1,945.73
योग	2,170.30	2,068.41

7.1 सूक्ष्म, लघु और माध्यम उपकरण विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार सूचना दी गई है। यह सूचना समूह के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस तरह की पार्टियों की पहचान की गई सीमा तक निर्धारित की गई है।

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपये में)
i) वर्ष के अंत में एमएसएमई अधिनियम के तहत शामिल किए गए किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया मूलधन और उस पर देय ब्याज		
- मूलधन	32.42	122.68
- ब्याज	-	-
ii) वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान की राशि के साथ एमएसएमई अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार समूह द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि	-	-
iii) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) लेकिन एमएसएमई अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को छोड़कर	-	-
iv) वर्ष के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज की राशि; तथा	-	-
v) एमएसएमई अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य ब्याज के रूप में अस्वीकृत करने के उद्देश्य से, बाद के वर्षों में दी देय और देय ब्याज की राशि, जब तक कि उपरोक्त के रूप में ब्याज देय राशि वास्तव में एमई उद्देश्य को भुगतान नहीं की गई हो	-	-

नेशनल इंस्टिट्यूटल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईन: यू45400डीएल2008पीएससी172316
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए संश्लिष्ट वित्तीय विवरणों पर नोट

7.2 पुनर्ले ढवषण देव

31 मार्च, 2022 को					
विवरण	1 वर्ष से कम	मुगतान/लेन-देन की देव तिथि से ढकषण*	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़
(i) एमएसएमई	32.42	-	-	-	32.42
(ii) अन्य	1,018.68	896.85	197.86	24.49	2,137.88
(iii) विवहित देव - एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवहित देव - अन्य	-	-	-	-	-
जोड़	1,051.10	896.85	197.86	24.49	2,170.30

31 मार्च, 2021 को					
विवरण	1 वर्ष से कम	मुगतान/लेन-देन की देव तिथि से ढकषण*	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़
(i) एमएसएमई	122.68	-	-	-	122.68
(ii) अन्य	1,441.21	253.61	180.26	70.65	1,945.73
(iii) विवहित देव - एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवहित देव - अन्य	-	-	-	-	-
जोड़	1,563.89	253.61	180.26	70.65	2,068.41

* उपर्युक्त मुगने ढकषण को एबंधन देवरा लेन-देन की तारीख के आधार पर लेखर किया गख है, ढहराव, मुगतान के लिए ढकषण नहीं है ढवकि मुगतान ढर ढर्यकषण प्राप्त नहीं किया गया है / ढाव को पूरा ढरने के लिए ढमाण ढर की गैर-पहित / असंयहित देवतस अढधि के लिए ढदरोन सुरढा ढरनुन नहीं ढरने के ढरण रकी गई ररि।

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपए में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपए में)
नोट 8 - अन्य ढाव ढवित्तार		
सांविधिक ढवित्तार (अंतर ढणजी लेन-देन का ढुदर)	134.61	238.59
अर्जित ढवष	13.81	20.60
ढवषों के लिए ढणढाता	21.69	99.83
ढणढाते संढधित देव	49.02	4.75
ढांसे ढवित्तार	70.00	50.00
ढीर्यढातलक ढवित्तारों की ढांशु ढरिषढवता (रीको गुरि) (संदर्भ नोट 5.1)	54.63	54.63
अन्य देव	0.03	0.38
नलषाढन ढवित्तार	0.31	0.45
जोड़	344.10	469.24

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपए में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपए में)
नोट 9 - अढवढाविक ढावढाव		
ढरनढावी वलतढावी के ढलष ढावढाव		
- ढेढुपुटी (संदर्भ नोट 26)	6.52	3.79
- अवढास नढढीढरण (ढावू वर्ष के ढवढन के लिए संढर्भ नोट 28)	5.04	11.56
		1.82
अन्य ढावढाव		
- ढर के लिए ढावढाव (ढलढले वर्ष 805.92 लाख रुपए का ढुदर अढलष ढर)		13.57
जोड़	11.56	19.18

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अभिकृत वित्तीय विवरणों पर नोट

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपये में)
नोट 11 - आवधिक कर परिसंश्लेष (सूची)		
आवधिक कर परिसंश्लेष:		
- लेखा और कर के अनुसार मूल्यवृद्धिपरिणाम के बीच अंतर	57.08	59.05
- कुलमान आधार पर अनुसूच करों के कारण उत्पन्न अंतराल	58.25	16.87
आवधिक कर दायित्व		
मौलिक	85.33	75.92

आस्थागत कर परिसंपत्तियों को वास्तु वर्ष के दौरान आयकर से गृह्य है, क्योंकि यह बाद की लेखांकन अवधि में विपरीत होने से बचाव है।

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपये में)
नोट 12: दीर्घकालिक ऋण और अधिव		
(अनुसूचित लेखित अवधि सम्मले जाते वाले)		
कार्यिक अधिव	0.35	-
पूर्वव्यय	4.84	0.02
योग	5.19	0.02

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपये में)
नोट 13 - ग्राम्य और शहरी परिकल्पनाएँ		
(अनुसूचित, लेकिन अशुद्ध माना जाता है)		
क) इतिहासिक विकास	44.94	14.19
ख) परिकोजना विकास निधि में से परिवर्तनमान विकास व्यय (संदर्भ नोट 2.7.1)		
विद्यमान मुद्रण पर के अनुसूचित	10,914.80	10,356.88
कोई वर्ग के दौरान बंद निधि पर व्यय [₹ 90 लाख की मुद्रण निधि संशोधित की गई (पिछले वर्ष: ₹1.50 लाख व्यय)]	4,189.74	6,246.82
	<u>15,084.54</u>	<u>16,603.40</u>
(प्रकार): अनुसूचित होने के कारण, सहयोगी कंपनियों/एनपीओ को अंतर्गत धनि	(1,951.97)	(5,471.07)
(प्रकार): परिकोजना विकास निधियों में स्थानांतरित किया गया, अनुसूचित क्षेत्र बन होने के कारण नोट 13.3 और 13.2 देखें)	(10,474.05)	(218.43)
अग्र-कोष	<u>2,958.52</u>	<u>10,914.80</u>

अवधीवी व वसुधी धोवय परिचोवतल विवकल मयव (कंसर्न नोट 2.7.4, 13.4 और 13.2)			
- औरमयव इंडस्ट्रियल टाउनशिप सिमिटेड			
- धोवरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट सिमिटेड	21,406.10		20,252.02
- एमआईसीसीसी इरिगेशन मनेजल सिटी प्रोजेक्ट सिमिटेड	32,159.56		31,783.58
- एमआईसीसीसी इरिगेशन मनेजल सिटी प्रोजेक्ट सिमिटेड	589.59		589.56
- एमआईसीसीसी इरिगेशन मनेजल सिटी प्रोजेक्ट सिमिटेड	643.13		648.60
- सिमआईसीसी सिमिटेड	587.96		587.96
- इंडीपेंडेंट इंडस्ट्रियल टाउनशिप सिमिटेड	507.55		507.55
- एमआईसीसीसी इरिगेशन मनेजल सिटी प्रोजेक्ट सिमिटेड	875.09		890.83
	842.73		842.73
ग्रुप-वोस		56,149.54	56,563.05
वोस		57,113.40	57,432.14

13.7. कर्म के दौरान परियोजना विकास एजेंसी (पीडब्ल्यू) की समीक्षा की गई थी और 12 अक्टूबर, 2022 को आयोजित अग्रणी 63वीं बैठक में निर्देशक संकाय के अनुसंधान से अग्र परियोजनाओं से संबंधित 81344 लाख की राशि, अग्र परियोजना गतिविधियों में कोई संतुलन नहीं था और बाकिब अग्र आने बगल जाले की अग्रवीद नहीं थी, को लेखा गीति संसाधन 2.7.1(क) के अनुसार 'पूरी आगति विधि' के तहत परियोजना विकास एजेंसी से बगल कर दिया गया है।

13.2 वर्ष के दौरान परिवर्धन विकास कार्य में कोषीआईआईटी द्वारा विधित प्राधिकृत पत्र भविष्य-राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के विषय में 63067 नामक रूप से शामिल हैं और नेशनल ग्रीन 2.7.1 (ख) के अनुसार आगति मूनी निर्दिष्ट कृत परिवर्धन विकास निर्दिष्ट शेष राशि से इसे कम कर दिया गया है।

13.3 नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ी हेल्थमैनपॉन्ट एंड एम्प्लॉयमेंशन ट्रस्ट (एनआईसीएचएचटी) ने 6 मार्च, 2018 को आचार्यजी अपनी तैयारी बैठक में विशेषक कमीटी के कार्यालयों विकास निधि से सहजान कंपनियाँ/एजेंसी की परामर्शनाओं के संबंध में निर्णयक कमीटी द्वारा किए गए कार्यालय विकास एजेंसी के स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए। संबंधित सहायक कंपनियाँ/एजेंसी को सहायता अंशदा के रूप में प्रदान किया जाता है और इसकी वकूफी को तब तक के लिए हार दिया गया है जब तक कि एजेंसी को प्रमाण प्रमाणित निधि अंतर्गत करने में सक्षम न हो। संबंधित संबंधित कंपनियाँ/एजेंसी अभी तक पर्याप्त अधिकृत निधियाँ अंतर्गत करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए सभी को वर्ष के अंत में एजेंसी के वकूफी योग्य के रूप में दिखाया जाना चाहिए अन्यथा उन्हें अधिकृत अंतर्गत करना कठिन हो जाएगा।

13.4 एससीपी के संकूल किए जाने योग्य परिवर्तनों विचार्य व्यवस्था का संयोजन

उपरोक्त	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपये में)	वर्ष के दौरान बढ़ान किया गया था/था (लाख रुपये में)	वर्ष के दौरान प्रस्तावित की गई रशि (लाख रुपये में)	31 मार्च 2022 को शेष (लाख रुपये में)
- जीवनकाल इंफ्रस्ट्रक्चर एंजलिंग लिमिटेड	20,282.02	1,143.08	-	21,405.10
- कोलकाता इंफ्रस्ट्रक्चर लिमिटेड	31,793.88	420.10	(46.18)	32,188.60
- एनआरईसीसी हरिकणा रॉबोस सिटी कोनेक्ट लिमिटेड	889.98	-	-	889.88
- एनआरईसीसी हरिकणा गल्टी मोडल सीजनिफिकन्स एवं कोनेक्ट लिमिटेड	648.60	94.53	-	643.13
- जीवनकाल इंफ्रस्ट्रक्चर एंजलिंग एंजलिंग लिमिटेड	887.98	-	-	887.98
- जीवनकाल इंफ्रस्ट्रक्चर एंजलिंग एंजलिंग लिमिटेड	507.65	-	-	507.66
- इंडिया इंफ्रस्ट्रक्चर एंजलिंग एंजलिंग लिमिटेड	680.83	(6.74)	-	675.09
- एनआरईसीसी हरिकणा एंजलिंग एंजलिंग लिमिटेड	942.73	-	-	942.73
बॉन	55,503.05	1,661.97	(45.18)	58,109.84

नेशनल इंफ्रस्ट्रक्चर कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड
 सीआईन: यू45400बीएल2008पीएलसी172316
 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

31 मार्च, 2021 को

वस्तुवर्गी	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपये में)	वर्ष के दौरान बढ़ान किया गया धन (लाख रुपये में)	वर्ष के दौरान प्राप्त/वापिस की गई राशि (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपये में)
- नेशनल इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	17,693.28	2,568.78	-	20,262.02
- कोरेडोर डेवलपमेंट लिमिटेड	29,146.57	2,637.01	-	31,783.58
- एनआईसीडीई इरिगाणा ग्लोबल फिटी पोर्टल लिमिटेड	5.80	-	(6.50)	-
- एनआईसीडीई इरिगाणा मन्टी गेजल लॉजिस्टिक्स हब पोर्टल लिमिटेड	849.84	40.82	-	889.66
- कोरआईसीडीई इरिगाणा एनआईसीडीई पोर्टल लिमिटेड	484.10	64.50	-	548.60
- कोरआईसीडीई इरिगाणा एनआईसीडीई पोर्टल लिमिटेड	687.13	0.85	-	687.98
- इंडीपेंडेंट इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	507.55	-	-	507.55
- एनआईसीडीई इरिगाणा एनआईसीडीई पोर्टल लिमिटेड	745.06	136.77	-	880.83
- एनआईसीडीई इरिगाणा एनआईसीडीई पोर्टल लिमिटेड	919.37	23.36	-	942.73
जोड़	51,038.58	5,471.87	(6.50)	56,503.85

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपये में)

नोट 18: व्यापार धारण

(अभ्युक्ति, संश्लेषण अथवा अन्य के रूप में)

अन्य धारण - इंडीपेंडेंट इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड -
 इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के अधीन है।

132.50

228.96

जोड़

132.50

228.96

14.1 पुराने व्यापार धारण

31 मार्च, 2022 को

विवरण	5 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़
(i) अविवाहित व्यापार धारण - जिन्हें अपना समझा जाता है	132.50	-	-	-	-	132.50
(ii) अविवाहित व्यापार धारण - जिन्हें अपना नहीं समझा जाता है	-	-	-	-	-	-
(iii) विवाहित व्यापार धारण - जिन्हें अपना समझा जाता है	-	-	-	-	-	-
(iv) विवाहित व्यापार धारण - जिन्हें अपना नहीं समझा जाता है	-	-	-	-	-	-
जोड़	132.50	-	-	-	-	132.50

व्यापार के पुराने अंशों में से नोट के आधार पर है। तब से राशि बढ़ान की आ प्रती है।

31 मार्च, 2021 को

विवरण	5 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़
(i) अविवाहित व्यापार धारण - जिन्हें अपना समझा जाता है	228.96	-	-	-	-	228.96
(ii) अविवाहित व्यापार धारण - जिन्हें अपना नहीं समझा जाता है	-	-	-	-	-	-
(iii) विवाहित व्यापार धारण - जिन्हें अपना समझा जाता है	-	-	-	-	-	-
(iv) विवाहित व्यापार धारण - जिन्हें अपना नहीं समझा जाता है	-	-	-	-	-	-
जोड़	228.96	-	-	-	-	228.96

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपये में)

नोट 19: बैंक और वित्त

बैंक और वित्त				
बैंक और वित्त		0.05		0.07
बैंक और वित्त				
बैंक और वित्त				
बैंक और वित्त	2.29		2.23	
बैंक और वित्त	0.00		0.00	
बैंक और वित्त	4.16	8.46	1,218.25	1,220.48
बैंक और वित्त				
बैंक और वित्त	2,262.28		789.25	
बैंक और वित्त	14,139.57	15,401.85	12,247.96	13,037.21
बैंक और वित्त				
बैंक और वित्त		597.00		994.82
जोड़	17,005.35		15,247.96	

* धारण 1,000 रुपये से कम

रिपोर्टिंग और विवरण वर्ष के अंत में बैंक और वित्त धारणों के संबंध में कोई प्रत्यक्ष नोट नहीं है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन: यूए5400डीएल2008पीएलसी172316
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपये में)
नोट 16 : अचुकावित्त व्यय और अर्थिक		
(अचुकावित्त, अचुकावित्त व्यय आदि)		
वित्तिकर्ता को अर्थिक	12.50	2.79
वित्तिकर्ता अर्थिक	0.12	0.51
पूर्ववर्तन व्यय	26.98	30.07
इंडिया इंटर्नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ एकाइविजन्स सेंटर लिमिटेड से अपनी व्यवस्था के विकास के कारण बहती योग्य	8.36	8.63
योग	48.96	42.00

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपये में)
नोट 17 : अन्य प्राप्त परिवर्तन		
संवर्धन नगरीय पर अर्थिक व्यय [कोई एक व्यय के 34.54 लाख रुपये शामिल (मिछले वर्ष 7.24 लाख रुपये)]	478.17	505.94
अवकाश से वित्तिय योग्य [कोई एक व्यय 25(अ)]	189.62	201.45
वित्तिकर्ता को वित्तिय पर चोटपूरा मात्र (वित्तिकर्ता को वित्तिय अर्थिक (एड का शुद्ध))	61.85	57.51
प्रतिभूति निवेश	0.16	-
अवकाश इन्वेंट	11.79	9.86
अवकाश बहती योग्य	-	0.90
अर्थिक व्यय (271.25 लाख रुपये कर का शुद्ध प्राप्तिमान)	110.90	-
योग	832.69	775.66

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड
सीआईन: यू45400डीएन2008पीएलसी172315
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)
नोट 18: परिचायक से प्राप्त आय		
क) निम्न के लिए लॉज पाटर्न के रूप में सेवा फीस (संदर्भ नोट 2.9) नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट इंडिया इंटरनेशनल कंवेन्शन सेंटर एंजलीबिशन सेंटर लिमिटेड (आईआईसीसी)	1,157.32 500.00	2,000.00 500.00
ख) बिजली की बिक्री *	623.28	614.34
[75,74,054 किलो वाट यूनिट (पिछले वर्ष: 70,95,060 किलो वाट यूनिट) और अन्य समायोजन]		
जोड़	2,280.60	3,114.34

* एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (6,80,400 किलोवाट @ 8.77 रुपये प्रति यूनिट) और मैसर्स टोयोडा मोसेई मिड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (1,27,710 Kwh @ 4.60 रुपये प्रति यूनिट) को 3.90 लाख रुपये के अन्य समायोजनों से शुद्ध रूप से 85.55 लाख रुपये के बिल नहीं की गई राजस्व की राशि शामिल है।

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)
नोट 19: अन्य आय		
समूह की निधियों के सावधि जमा पर व्याज	648.99	622.46
बीमा दावे	3.70	-
आयकर रिफंड पर व्याज	12.22	15.57
इंडिया इंटरनेशनल कंवेन्शन सेंटर एंजलीबिशन सेंटर लिमिटेड से उपरि व्ययों का संविभाजन (संदर्भ नोट 19.1)	72.00	72.00
स्क्रैप बिक्री	0.67	1.67
विविध आय	10.23	0.35
जोड़	647.81	712.05

19.1 कार्यालय परिसरों के लिए ऊपरी लागतें और कंपनी द्वारा प्रदान की गई अन्य प्रशासनिक सहायता की वसूली संबंधित कंपनी से आनुषंगिक आधार पर, पिछली अनुभव के अनुसार की जाती है।

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)
नोट 20: उपभोग की गई सामग्रियों की लागत		
ओपन एक्सेस प्रभार	22.43	-
सीलर के लिए कलपूर्ज	2.07	-
भ्रान्त आटा*	0.02	0.00
जोड़	24.52	0.00

* राशि 1,000/- रुपये से कम है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए संश्लिष्ट वित्तीय विवरणों पर नोट

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)
नोट 21: कर्मचारी वित्तियन खर्च		
वेतन, मजदूरी, बोनस/एटी, अवकाश क्षतिपूर्ति, भत्ते आदि	823.60	536.78
अतिरिक्त निधि/पैशन निधि में योगदान	68.94	37.23
कर्मिक कल्याण खर्च	47.19	22.17
जोड़	939.73	596.18

21.1 मासिक संसाधन नीति में संशोधन:

(क) नियंत्रक कंपनी के निदेशक मंडल ने डीपीआईआईसी की सहमति से 10 अगस्त 2021 को आयोजित अपनी 60वीं बैठक में वेतन और भत्तों के संबंध में आईडीए वेतन पैटर्न पर होलिंग कंपनी की मासिक संसाधन नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसमें वेतन और भत्तों, कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति के साथ-साथ अन्य संबंधित प्रावधानों के संबंध में मोटे तौर पर केंद्रीय सांकेतिक रूप से लागू होकर वेतन संशोधन समिति (पीआईसी) की सिफारिशों के आधार पर अन्य संबंधित प्रावधान शामिल हैं शेष उद्योग (सीपीएसई) और तदनुसार वर्ष के दौरान इसे लागू किया गया है।

(ख) अधिवर्षित भत्ता

संशोधित नीति के वेतन और भत्तों के हिस्से के रूप में, मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% की अधिकतम सीमा के अधीन सेवानिवृत्ति लाभ कर्मचारियों को देय है। हालांकि, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभों के संबंध में, सेवानिवृत्ति ट्रस्ट का गठन प्रक्रिया में है, और तब तक 31 मार्च 2022 को ₹ 10.10 लाख की राशि के लिए 3.19% की दर से गणना किए गए कर्मचारियों के योगदान के प्रति देयता प्रदान की गई है और इसके गठन के बाद इसे ट्रस्ट को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)
नोट 22: मूल्यह्रास एवं परिसोधन खर्च		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास	207.27	275.05
अभूत परिसंपत्तियों का परिसोधन	15.63	13.61
जोड़	222.90	288.66

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
सीआईन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (लाख रुपए में)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (लाख रुपए में)
नोट 23 - अन्य व्यय		
किराया (संदर्भ नोट 24.1 और 30)	486.03	486.03
लेखापरीक्षाओं को भुगतान (संदर्भ नोट 24.2)		
लेखापरीक्षा फीस	5.95	4.30
प्रमाणन फीस	0.05	0.05
बकाया	1.65	-
विज्ञापन और व्यापार संवर्धन	37.92	81.07
कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय (संदर्भ नोट 32)	18.58	15.40
लौह नियुक्ति प्रभार	5.50	-
बिजली	9.47	10.01
हाऊसकिपिंग	18.48	17.43
सुरक्षाकर्मी	9.00	8.56
पेशेवर और परामर्श प्रभार	53.32	44.31
बैठक और जलपान	8.82	2.07
मरम्मत और अनुरक्षण - कार्यालय	38.54	38.57
मरम्मत और अनुरक्षण - कम्प्यूटर	20.04	26.86
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	23.56	19.20
सूचना एवं डाक प्रभार व्यय	18.34	16.95
यात्रा एवं परिवहन व्यय	30.57	28.45
बीमा	10.83	5.63
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि	0.73	181.34
पूर्व अवधि व्यय (संदर्भ नोट 23.2)	0.75	2.53
छात्रवृत्ति	3.58	3.01
छात्रिणी की गई संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	0.20	-
विविध व्यय	39.64	26.23
1 मैगा वाट प्लांट को बंद एवं चालू करने के लिए व्यय	-	14.08
परिसंपत्तियों की बिक्री पर कमीशन	-	4.15
जल प्रभार	1.24	0.86
परिचालन और अनुरक्षण व्यय	14.50	46.57
भूमि सेवा प्रभार	15.59	14.21
बिजली की बिक्री पर छूट	11.56	12.17
अक्षय ऊर्जा विकास व्यय	5.29	5.00
जोड़	889.83	1,115.05

23.1 किराए में लीज अनुबंध के अनुसार, पट्टेदाता को ₹103.7 लाख रुपए नगरपालिका कर (छिछले वर्ष: ₹103.7 लाख) का भुगतान शामिल है।

23.2 पूर्व अवधि व्ययों का ब्यापार निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (लाख रुपए में)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (लाख रुपए में)
विज्ञापन और व्यापार संवर्धन	-	2.25
सूचना एवं डाक प्रभार व्यय	-	0.11
यात्रा एवं परिवहन व्यय	-	0.18
पेशेवर और परामर्श प्रभार	-	0.01
लौह नियुक्ति प्रभार	0.69	-
पुस्तक और जर्नल	0.06	-
जोड़	0.75	2.53

नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ ड्रग्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन सिस्टिम
सीआईएन: यूए54003एन2009वीएनसी172318
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सम्बंधित वित्तीय विवरणों पर नोट

24 प्रति शेयर आयदली

प्रति इक्विटी शेयर मूल आमदनी की गणना कर परावर्त तब से वर्ष के लिए सबसे इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग करके की जाती है।

विवरण	31 मार्च, 2022 को अंदाज़ा वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
क इक्विटी शेयरधारकों के लिए कर परावर्त लाभ (लाख रुपये में)	602.21	1,239.80
ख ईपीएस की गणना के लिए विभाजक के रूप में इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या)	100,000,000	100,000,000
घ मूल/तुल्य मूल आमदनी प्रति शेयर (रुपये)	0.60	1.24
घ प्रति इक्विटी शेयर का सम मूल्य	10.00	10.00

25 आकस्मिक अविश्वस और प्रतिक्रिया/समाधान न करवा देने की स्थिति तक के लिए:

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपये में)
(I) प्रतिक्रिया/समाधान अनुबंधों की अनुमति गति बिना ही अचानक समाप्त किया जाता है और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है: - परिवर्तन विचार गतिविधियों के लिए परामर्श अनुबंध - पूंजी ऋण पर अनुबंध	16,074.84 -	16,158.93 2.36
(II) आकस्मिक अविश्वस - समूह के निरूपण दावे विनिर्देशन के रूप में स्वीकार नहीं गये हैं। - समूह की ओर से बैंक द्वारा जारी गारंटियाँ	- -	- -

(III) कर्तव्य न करने - अपील/समाधान के अंतर्गत आयकर संबंधी मामलों

क) निम्नलिखित कंपनी द्वारा अपील/समाधान के अंतर्गत आयकर मामलों

आकस्मिक वर्ष	दायित्व किया गया रिफंड (लाख रुपये में)	आदेश के अनुसार प्राप्त रिफंड (लाख रुपये में)	रकम इस क्षेत्र रिफंड (लाख रुपये में)	रोकने का कारण	स्थिति
2017-18	52.65	46.85	5.79	एओ ने धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 28.12.2019 के आदेश द्वारा 17.13 लाख रुपये के धन की अनुमति नहीं दी।	08.01.2020 को सीआईटी के सम्मुख अपील प्रस्तुत की गई है। सुनवाई की प्रतीक्षा है।
2018-19	49.72	32.25	17.47	एओ ने धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 28.04.2021 के आदेश द्वारा 4.34 लाख रुपये के धन की अनुमति नहीं दी और 56.89 लाख रुपये की आय को दोबारा जोड़ दिया गया।	13.05.2021 को सीआईटी के सम्मुख अपील प्रस्तुत की गई है। सुनवाई की प्रतीक्षा है।
2019-20	97.59	69.14	28.45	धारा 143(1) के अंतर्गत दिनांक 23.10.2020 की सुनवाई में 28.45 लाख रुपये के सीआईटी केवित का मिलान नहीं हुआ।	12.05.2022 को बोर्डल पर निमायत दाय की गई और 26.05.2022 को एओ के पास अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है, समाधान की प्रतीक्षा है।
जोड़			81.71		

क) समस्त कंपनी द्वारा अपील के अंतर्गत आयकर मामलों

आकस्मिक वर्ष	दायित्व किया गया रिफंड (लाख रुपये में)	जारी की गई राशि (लाख रुपये में)	ब्याज जारी करने का कारण	अंतिम आदेश प्राप्त होने की तिथि	स्थिति
2017-18	116.38	37.02		धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 25 दिसंबर, 2019	8 जनवरी, 2020 को सीआईटी(ए) के पास धारा 246ए के अंतर्गत दाय अपील
2018-19*	0.00	106.10	दायित्व किए गए विदेशी कर केवित और अन्य की अनुमति न देना	धारा 143(1) के अंतर्गत दिनांक 25 जनवरी, 2021	17 फरवरी 2021 को सीआईटी(ए) के पास धारा 143(1) के तहत आदेश के निरूपण धारा 246ए के तहत और 18 सितंबर 2021 को आदेश के निरूपण धारा 143(3) के तहत अपील दाखल की गई।
2020-21*	0.00	10.16		धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 23 दिसंबर, 2021	11 जनवरी, 2022 को सीआईटी(ए) के पास धारा 143(1) के तहत आदेश के निरूपण धारा 246ए के तहत अपील दाखल की गई।
जोड़		147.28			

* आकस्मिक वर्ष 2018-19 और 2020-21 के लिए रिफंड की गई राशि 1,000/- रुपये सेट कम है।

समूह इन मामलों को विरोध कर रहा है और समूह के सलाहकारों सहित प्रबंधन का मानना है कि वे आगे अपील/समाधान पर टिकने बाध्य नहीं हैं। प्रबंधन का मानना है कि इन कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम से समूह की वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। समूह इन आकस्मिक दैनिकियों के संबंध में किसी भी क्षतिपूर्ति की उम्मीद नहीं करता है, और अपीलकर्ता कार्यवाही के तहत समाधान के लिए इन मामलों के संबंध में नकद बहिष्कार के समय, यदि कोई हो, का अनुमान जमाना व्यवहारिक नहीं है।

(iv) वित्तिक सामग्री - 31 मार्च, 2022 को निर्बंधक कंपनी के विरुद्ध वित्तिक सामग्री की दिवसति जिनका कोई विशिष्ट निहितार्थ नहीं है, निम्नानुसार है:

वित्तिक सं. एवं दिवस	वित्तिककर्ता	प्रतिबद्धता	विचारणीय विवर	संश्लेषित नवीस
9282/2015	सुम रास वस अन्व	एनआईसीसीसी लिमिटेड एवं अन्य	राजस्थान राज्य में भूमि अधिग्रहण से संबंधित।	कॉरिडोर एफआईडी में कोई से अनुरोध किया गया है कि वॉटियों की सरणी में एनआईसीसीसी लिमिटेड (पूर्व में एनआईसीसीसीसी लिमिटेड के नाम से विदित) का नाम हटाया जाए और वित्तिक राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में प्रस्तुत की गई है। वाचिकाकर्ता में मामले में दल वित्तिक को संबंधित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। संबंधित वाचिका के संबंध में एनआईसीसीसी लिमिटेड (पूर्व में एनआईसीसीसीसी लिमिटेड के नाम से विदित) द्वारा भी प्रस्तुत में वाचिका प्रस्तुत किया गया है। कंपनी का नाम एनआईसीसीसीसी से बदल कर एनआईसीसीसीसी का नाम से अनुरोध 8 सितंबर, 2020 को भारतीय न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई की अगली तिथि 30 मार्च, 2022 थी और अगली तिथि 14 जुलाई, 2022 है।
6649/2016	इरगाद महेन्द्र खान एवं अन्य	एनआईसीसीसी लिमिटेड एवं अन्य	औरंगाबाद में जयकवाडी डैम से बांध कृषि सिस्टम पर एक पानी की वाचिका से संबंधित।	18.01.2016 को एनआईसीसीसी लिमिटेड (पूर्व में एनआईसीसीसीसी लिमिटेड के नाम से विदित) का प्रतिवादी के रूप में नाम हटाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुसूची नियम 10 के आदेश 1 के अंतर्गत आवेदन मंजूरी, उच्च न्यायालय, औरंगाबाद को कुल आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि वाचिका के लिए आवेदन न तो उचित पाटी है और न ही आवश्यक पाटी। सुनवाई की अंतिम तिथि 14 मार्च, 2022 थी और अगली तिथि प्रतीक्षित है।

28. कार्यकारी वित्तिकों पर सेवानिवृत्त मानक 15 (संश्लेषित 2005) के अनुसार प्रकटन:

क) वित्तिक परभावित कार्यकारी सेवानिवृत्तों का सामान्य विवरण निम्नानुसार है:

1. सुपरिमार्किट अंशदान योजना

• **महिषा मिथि (पैरक)** - महिषा मिथि के लिए सेवानिवृत्त निबंधक कंपनी द्वारा संबंधित महिषा मिथि आयुक्त के पास जमा किया जाता है। इस प्रकार सेवानिवृत्त की गई राशि को लाभ और हानि के समेकित विवरण में प्रसारित किया जाता है। यद्यपि, महिषा मिथि अधिनियम, 1952 के प्रावधान सहायक कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि निबंधित कार्यकारी की संख्या 20 या अधिक की सीमा से अधिक नहीं है।

• **राष्ट्रीय पेहन योजना (एनपीएस)** - निबंधक कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने कार्यकारियों के लिए सेवानिवृत्त के बाद लाभ योजना की समग्र सीमा के भीतर एनपीएस की शुरुआत की है। इस प्रकार सेवानिवृत्त की गई राशि को लाभ और हानि के समेकित विवरण में प्रसारित किया जाता है।

• **अधिबलित उपरंत विकास लाभ (एयरएसएल)** - निबंधक कंपनी ने सेवानिवृत्त के बाद लाभ योजना की समग्र सीमा के भीतर अपने कार्यकारियों और उनके पार आश्रितों के लिए एयरएसएल की शुरुआत की है। इस प्रकार सेवानिवृत्त की गई राशि को लाभ और हानि के समेकित विवरण में प्रसारित किया जाता है।

वर्ष के लिए व्यय के रूप में स्वीकार गया परभावित अंशदान योजना में अंशदान, निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)
महिषा मिथि में नियोजता का अंशदान	45.10	31.04
राष्ट्रीय पेहन योजना में नियोजता का अंशदान	31.38	-
अधिबलित उपरंत विकास लाभ में नियोजता का अंशदान	10.10	-

2. परिचालित वित्तिक योजना

• **केच्युएटी (अनिधिक):**
समूह के पास अपने कार्यकारियों के लिए एक परिचालित लाभ केच्युएटी योजना है। केच्युएटी योजना के तहत, प्रत्येक कार्यकारी जिसने कम से कम पांच वर्षों की निरंतर सेवा प्रदान की है, कंपनी को छोड़ने पर प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अंतिम आहरित वेतन (निबंधक कंपनी का मूल वेतन और संबंधित भत्ता और सहायक कंपनी के लिए मूल वेतन) के 15 दिनों की केच्युएटी का हकदार है जो 20 लाख रुपये की निबंधित अधिकतम सीमा के अधीन है। केच्युएटी के प्रति वार्षिक सेवानिवृत्त, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अर्पणता या मृत्यु के कारण उत्पन्न होता है।

केच्युएटी योजना के संबंध में समूह के दायित्व को अनुमानित एंनूअरिड प्रकृति का उपयोग करते हुए बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

• **अवकाश नकदीकरण (अनिधिक):**

निबंधक कंपनी की नीति के अनुसार, कार्यकारी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए 30 छुट्टियों के हकदार हैं, जिनमें से अधिकतम 10 अवकाश वर्ष के दौरान भुगतान जा सकते हैं और शेष अवकाश को अधिकतम 300 दिनों के समतुल्य अवकाश के अधीन आगे बढ़ाया जा सकता है, जिनमें सेवानिवृत्त, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, अर्पणता या मृत्यु के समय भुगतान जा सकता है। अवकाश नकदीकरण के संबंध में कंपनी के दायित्व को अनुमानित एंनूअरिड प्रकृति का उपयोग करते हुए बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

सहायक नीति के अनुसार, कार्यकारी वर्ष के दौरान निबंधित सीमा के अधीन अनुपयुक्त अवकाश को बाद के वर्षों को आगे बढ़ाए बिना भुगतान के हकदार हैं। तदनुसार, अवकाश नकदीकरण के प्रति अनुबंधी कंपनी के दायित्व को गणना अनुपयुक्त अवकाशों की संख्या के लिए मूल वेतन की अनुमानित राशि को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ फ़ैर ट्रेडिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नंस लिमिटेड
सीआईईन: यूए5400/सेएन2008/पीएलसी/72318
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

ख) सुपरिभाषित हितसाध योजना के संबंध में कार्यकारी हितसाध पर एएस-15 (संशोधित 2005) के अंतर्गत अपेक्षा अनुसार अन्य फकटन निम्नानुसार है:

बेल्जियम (अनिधिक)

निम्नलिखित तालिकाओं में लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता प्राप्त शुद्ध लाभ व्यय के फकटो, परिभाषित लाभ योजना के लिए समेकित बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त अनिधिक स्थिति और राशिओं को संक्षेप में प्रस्तुत करता है।

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)
लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में स्वीकार्य गए कार्यकारी हितसाध व्यय		
संयुक्त सेवा लागत	14.68	10.74
विकास सेवा लागत	-	-
हितसाध दायित्व पर व्याज लागत	4.04	3.16
वर्ष में अग्रिम प्राप्त शुद्ध वित्तीयकरण/हानि	3.04	4.13
लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में स्वीकार्य गए कार्यकारी हितसाध व्यय	21.74	18.03
समेकित शुद्ध लाभ स्वीकरी हुई राशि		
परिभाषित हितसाध दायित्व का वर्तमान मान	77.77	67.82
निर्वाचित परिसंपत्तियों का अंशित मान	-	-
समेकित शुद्ध लाभ में वृद्धि/घटो (दायित्व)	77.77	57.82
परिभाषित हितसाध दायित्व के कोटेशन मान में परिवर्तन		
वर्ष की शुरुआत में परिभाषित हितसाध दायित्व	57.82	48.90
संयुक्त सेवा लागत	14.68	10.74
विकास सेवा लागत	-	-
व्याज व्यय	4.04	3.16
शुद्ध लाभ का हितसाध	(1.79)	(7.11)
दायित्व पर वित्तीयकरण (लाभ)/हानि	3.04	4.13
वर्ष के अंत में परिभाषित हितसाध दायित्व	77.77	57.82
परिभाषित हितसाध दायित्व का कोटेशन		
अंशित	71.25	54.03
भार	6.52	3.79
	77.77	57.82

दायित्व निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त मुख्य विधियाँ:

प्रमुख विधि

शुद्ध लागत

30/ 44 वर्षों में अधिकतम व्याज दर (%)

प्राप्ति युक्ति के लिए विधि

अप्रैल/मार्च 2012-14

घरक कंपनी के लिए
8.00% प्रति वर्ष और
सहायक कंपनी के लिए
14.28% प्रति वर्ष

घरक कंपनी के लिए
8.00% प्रति वर्ष और
सहायक कंपनी के लिए
10.00% प्रति वर्ष

दूर दर (%)

7.00 % प्रति वर्ष
निष्पन्न कंपनी के लिए
और सहायक कंपनी के लिए
8.75% प्रति वर्ष

6.75% प्रति वर्ष
निष्पन्न कंपनी के लिए
और सहायक कंपनी के लिए
8.50% प्रति वर्ष

अधिकतम वेतन युक्ति (%)

वित्तीयगत आय (कमी की संख्या)

6.00% प्रति वर्ष
60 वर्ष

6.50% प्रति वर्ष
60 वर्ष

संशोधन/संशोधन विवरण:

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)
दूर दर में परिवर्तन का प्रभाव		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मान	77.77	57.82
क) 1 प्रतिशत वृद्धि के कारण प्रभाव	(6.18)	(4.27)
ख) 1 प्रतिशत कमी के कारण प्रभाव	5.92	4.90
वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मान	77.77	57.82
क) 1 प्रतिशत वृद्धि के कारण प्रभाव	4.87	4.87
ख) 1 प्रतिशत कमी के कारण प्रभाव	(4.19)	(4.32)

शुद्ध और अग्रिम के परिणामस्वरूप संवेदनशीलता अवस्थिति नहीं है, इसलिए इनके कारण परिवर्तन के प्रभाव को अंकित नहीं किया गया है।

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड
सीआईन: यूए5400डीएस2008पीएलसी172316
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

अवकाश मजदूरी (इतिहास)

निम्नलिखित तालिकाओं में लाभ और हानि के समेकित विवरण में प्रकल्पता प्राप्त कुटुंब लाभ व्यय के घटकों, परिभाषित लाभ खेजले के लिए समेकित बैलेंस शीट में सम्पत्त प्राप्त अनधिक रिमिति और राशिओं को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं।

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)
सब्सिडी एवं इन्हि के समेकित विवरण में स्वीकारे गए कर्मचारी कृतात्मक व्यय		
अनुसूच सेवा लागत	55.24	-
विपरीत सेवा लागत	-	-
कृतात्मक दायित्व पर प्रयोज्य व्यय	-	-
वर्ष में प्रयोज्य प्राप्त कुटुंब आयोजना(ताम)/दाता	-	-
सब्सिडी एवं इन्हि के समेकित विवरण में स्वीकारे गए कर्मचारी कृतात्मक व्यय	55.24	-
समेकित कुलन वर्ष स्वीकारे गई राशि		
परिभाषित कृतात्मक दायित्व का वेटिंगेन लाभ	55.24	-
निर्धारित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
समेकित कुलन वर्ष में प्रयोज्य गई परिसंपत्तियों(दाता)	(55.24)	-
परिभाषित कृतात्मक दायित्व के अनुसूच लाभ में परिवर्तन		
वर्ष की प्रयोज्य में परिभाषित कृतात्मक दायित्व	-	-
अनुसूच सेवा लागत	55.24	-
विपरीत सेवा लागत	-	-
अन्य लाभ	-	-
सुमेलन किया गया कृतात्मक	-	-
दायित्व पर सौमार्किक (लाभ)/हानियां	-	-
वर्ष के अंत में परिभाषित कृतात्मक दायित्व	55.24	-
परिभाषित कृतात्मक दायित्व का प्रयोज्य		
अन्य	50.27	-
नव	4.97	-
	55.24	-

दायित्व निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त मुख्य सिद्धांत:

प्रयुक्त विधि	प्रयोज्य युनिट के प्रति विधि	-
मूल्य सरणी	आपूर्ति/प्रदान 2012-14	-
प्रति वर्ष आहरण दर (%)	8.00% प्रति वर्ष	-
प्रद दर (%)	7.00% प्रति वर्ष	-
अवधि के लिये दर (%)	6.00% प्रति वर्ष	-
विद्यमान/अनु (वर्षों की संख्या)	60 वर्ष	-

संबंधितता विवरण:

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)
कुटुंब दर में परिवर्तन का प्रभाव		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मान	55.24	-
क) प्रतिवर्ष वृद्धि के कारण प्रभाव	(3.83)	-
ख) प्रतिवर्ष कमी के कारण प्रभाव	4.40	-
वैतन कुटुंब में परिवर्तन का प्रभाव		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मान	55.24	-
क) प्रतिवर्ष वृद्धि के कारण प्रभाव	4.40	-
ख) प्रतिवर्ष कमी के कारण प्रभाव	(3.89)	-

मूल्य और आहरण के परिणामस्वरूप संबंधितता वास्तविक नहीं है, इसलिए इनके कारण परिवर्तन के प्रभाव को अवलोकित नहीं किया गया है।

संशोधित मानव संसाधन नीति को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप अवकाश मजदूरी के प्रति दायित्व निर्धारित करने के लिए 31 मार्च, 2022 को पहली बार सौमार्किक मूल्यमान किया गया।

27. खंडवार रिपोर्टिंग

समूह में दो प्राथमिक व्यवसाय खंडों की पहचान की है, जिसकी उपखंडन और परियोजना विवरण प्रमाण: खंडों की पहचान और रिपोर्ट, सेवाओं की प्रकृति, विभिन्न जोखिम और रिटर्न, संगठनात्मक संरचना और आंतरिक व्यापार की गई है। इसके अलावा, दोनों प्राथमिक खंड देश के भीतर एक ही भौतिक स्थान पर में काम कर रहे हैं, अतएव कोई दूसरा भौतिक खंड नहीं है।

क. खंड के लिए अग्रदानी और व्यय को खंड की परिचालन गतिविधियों के संबंध के आधार पर पहचाना गया है।

ख. खंड की परिसंपत्तियां और दायित्व संबंधित खंड की परिसंपत्तियों और दायित्वों को प्रस्तुत करती हैं।

ग. प्रमुख व्यापार खंडों के बारे में सूचना निम्नानुसार है:

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ फ़ैब्रिकेशन एंड टेक्स्टाइल फ़ोरपोरेशन लिमिटेड
सीआईन: यूए5400/फ़ैब्रिकेशन2008/पीएलसी172318
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए संश्लिष्ट वित्तीय विवरणों पर नोट

विवरण	वित्तीय उत्पादन (₹)	परिचयना विकास (₹)	नोट (₹)
आमदनी			
बाइरी आमदनी	663.39	2,265.01	2,928.40
	(635.11)	(3,191.27)	(3,826.38)
अंतर: खंड आमदनी	कुछ नहीं	17.55	17.55
	(कुछ नहीं)	(23.01)	(23.01)
कुल आमदनी	663.39	2,282.55	2,945.95
	(635.11)	(3,214.28)	(3,849.39)
नोट: आउटिंग योग्य अन्य आय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(कुछ नहीं)	(कुछ नहीं)	(कुछ नहीं)
खंड आमदनी	663.39	2,282.55	2,945.95
	(635.11)	(3,214.28)	(3,849.39)
खंड परिणाम (मूल्यवृद्धि और परिचयन से पूर्व)	486.12	587.35	1,073.47
	(238.64)	(1,872.37)	(2,111.00)
कर पूर्व लाभ/हानि [-]	337.39	513.19	850.58
	(96.38)	(1,785.96)	(1,822.34)
कर व्यय	89.50	181.61	271.11
	(64.54)	(533.02)	(587.56)
आवृत्तित कर व्यय/(क्रेडिट)	8.91	(28.50)	(18.59)
	(0.84)	(-11.50)	(-10.66)
कर परकृत लाभ/हानि [-]	238.99	380.07	599.06
	(-29.00)	(1,264.44)	(1,235.45)

अन्य सूचना

विवरण	वित्तीय उत्पादन (समय रूप में)	परिचयना विकास (समय रूप में)	नोट (समय रूप में)
खंड परिचयना	3,191.70	79,848.96	82,838.67
	(3,065.89)	(84,597.92)	(87,633.80)
खंड दायित्व	580.83	2,801.47	3,162.31
	(874.00)	(2,525.52)	(3,199.52)
पूंजीगत व्यय	8.35	23.17	31.52
	(0.75)	(53.64)	(54.39)
मूल्यवृद्धि और परिचयन	148.73	74.16	222.90
	(202.25)	(86.41)	(288.66)
मूल्यवृद्धि और परिचयन से उत्तर में नकदी व्यय	0.10	78.28	78.37
	(182.85)	(18.34)	(201.18)

नोट: कंपन (1) में दिखाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़ों को दर्शाते हैं।

28. अतिरिक्त विवरण सूचना

- समूह ने किसी भी बदलक, निर्देशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिक और संबंधित पार्टियों को किसी भी प्रकार का रूप अथवा अग्रिम नहीं दिया है जो मांग पर देय हो अथवा बिना किसी निश्चित अवधि को हो अथवा पुनर्मुद्रण की अवधि वाला हो।
- समूह पर किसी प्रकार की बैनारी संगति के लिए बैनारी सेन देन (निषेध) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कोई कार्यवाई शुरू नहीं की गई है अथवा तंत्रित है।
- समूह को किसी बैंक अथवा किसी संस्थान अथवा अन्य रूपद्रता द्वारा वृत्तवर्ती के रूप में घोषित नहीं किया गया है।
- पांच वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान, समूह ने ऐसी किसी भी कंपनी के साथ कोई लेन-देन नहीं किया है जिस कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत बंद कर दिया गया है और परिचयना में निवेश नहीं किया गया है, पांच या बंद कंपनियों से देय है। इसके अलावा, कंपनी के बोर्ड किसी भी बंद कंपनी के पास नहीं है।
- समूह ने कंपनी (पदों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड 87 के तहत निर्धारित परसेंट की संख्या को अनुपालन किया है।

नैकतम पुनर्निर्माण कंडिशन डेवेलपमेंट कंटेनरिजन्स लिमिटेड
सीआईन: यू45400डीएन2008पीएलसी172316
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए क्वैलिफाइड वित्तीय विवरणों पर नोट

अ अनुपात

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को	विवरण	कमरा (यदि विवरण 25 प्रतिशत से अधिक हो)
संपत्ति अनुपात (वर्णा)				
घर अनुपात (घर परिसंपत्तियों को घर दायित्वों से विभाजित किया जाता है)	7.13	6.37	11.91%	
क्षेत्रीय अनुपात (वर्णा)				
क्षेत्रीय अनुपात (क्षेत्रीय अनुपात को क्षेत्रीय अनुपात से विभाजित किया जाता है)	0.03	0.04	13.55%	
क्षेत्रीय अनुपात (क्षेत्रीय अनुपात को क्षेत्रीय अनुपात से विभाजित किया जाता है)				
संपत्ति अनुपात (वर्णा)				
क्षेत्रीय अनुपात (क्षेत्रीय अनुपात को क्षेत्रीय अनुपात से विभाजित किया जाता है)	26.41%	39.80%	-33.66%	क.एनआईसीआईटी द्वारा प्रोजेक्ट एक्सीटी को कम कम जारी करने के कारण सेवा क्षेत्र से निबंधन कंपनी की कम आमदनी ख. निबंधन कंपनी की आमदनी बहाल नहीं है संशोधन के कारण कमीचारी हितवस्तु स्थलों में वृद्धि
क्षेत्रीय अनुपात (क्षेत्रीय अनुपात को क्षेत्रीय अनुपात से विभाजित किया जाता है)	0.75%	1.54%	-51.67%	
क्षेत्रीय अनुपात (क्षेत्रीय अनुपात को क्षेत्रीय अनुपात से विभाजित किया जाता है)	1.08%	2.18%	-50.45%	
क्षेत्रीय अनुपात (क्षेत्रीय अनुपात को क्षेत्रीय अनुपात से विभाजित किया जाता है)	0.78%	1.53%	-50.52%	
उपस्थिति अनुपात (वर्णा)				
उपस्थिति अनुपात (उपस्थिति अनुपात को क्षेत्रीय अनुपात से विभाजित किया जाता है)	12.60	15.20	-16.82%	
क्षेत्रीय अनुपात (क्षेत्रीय अनुपात को क्षेत्रीय अनुपात से विभाजित किया जाता है)				
क्षेत्रीय अनुपात (क्षेत्रीय अनुपात को क्षेत्रीय अनुपात से विभाजित किया जाता है)	1.97	2.28	12.81%	
क्षेत्रीय अनुपात (क्षेत्रीय अनुपात को क्षेत्रीय अनुपात से विभाजित किया जाता है)	0.15	0.23	-35.05%	क.एनआईसीआईटी द्वारा प्रोजेक्ट एक्सीटी को कम कम जारी करने के कारण सेवा क्षेत्र से निबंधन कंपनी की कम आमदनी

अ समूह के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सख्त प्राधिकारी द्वारा किसी भी व्यवस्था को अनुमोदित नहीं किया है।

ब समूह समग्र पर आय पर प्रकटन करने में नियमित है और कर अधिकारियों द्वारा कोई अधोषित आय का आकलन नहीं किया गया है। इसके अलावा, समूह के पास कोई भी सेन-टैन नहीं है जो छाने की कितनी में दर्ज नहीं है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में संरक्षित या खुलसा किया गया है।

ख समूह ने वित्तीय वर्ष के दौरान न किसी किराये करों और न ही किसी आबासी मुद्रा में निवेश किया है।

29 संबंधित पार्टी प्रकटन

संस्थापन समूह-18 "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" की आवश्यकताओं के अनुसार, संबंधित पार्टी के नाम जिनके पास महत्वपूर्ण प्रभाव का प्रयोग करने के लिए नियंत्रण/प्रभाव मौजूद है, साथ ही संबंधित की कुल मात्रा और प्रकटन द्वारा पहचाना और प्रकटित किया गया है, नीचे बताया गया है:

1. संबंधित पार्टी की सूची और संबंध की प्रकृति जहां नियंत्रण मौजूद है

क कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाली उपस्थिति
अपना बैंक करंट ब्रैंडलेसबल बैंक-ऑपरेशन (नेकीआईटी)

ख संस्थापक/सहयोगी
साउथिंग एंड अरबन डेवेलपमेंट कंटेनरिजन्स लिमिटेड

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंटरनेशनल कोऑपरेशन लिमिटेड
सीआईएन: यू454000एचएल2008पीएससी172318
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

न प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (कर्मचारी)	
श्री अनुसुमा जैन, आईएएस, भारत सरकार द्वारा नामित (28 सितंबर 2021 से आज तक)	अध्यक्ष
श्री गिरिश्वर अरमाने रायिव (श्रीपीआईआईटी), भारत सरकार द्वारा नामित (11 जून, 2021 से 27 सितंबर, 2021 तक)	अध्यक्ष
श्री युसुफ़सद मोहम्मद, आईएएस, भारत सरकार द्वारा नामित (10 जून, 2021 तक)	अध्यक्ष
श्री अमृत सात गौण (08 नवंबर, 2021 से आज तक)	सीईओ और एग्ज निदेशक
श्री के संजय शर्मा (30 सितंबर, 2021 तक)	सीईओ और एग्ज निदेशक
श्री राजेंद्र रत्यू, आईएएस, भारत सरकार द्वारा नामित	निदेशक
श्री कामेश्वर गोवे, जयपूर बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) द्वारा नामित (11 अगस्त, 2021 से आज तक)	निदेशक
श्री सैतेंद्र सिंह आईएएस, भारत सरकार द्वारा नामित (31 दिसंबर, 2021 तक)	निदेशक
श्री युसुफ़ इमरान, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) द्वारा नामित (10 अगस्त, 2021 तक)	निदेशक
श्री तोषिकी कुरियमा, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) द्वारा नामित	निदेशक
श्री मुनिषा पांडे नागराज, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड (हुडको) द्वारा नामित	निदेशक
श्रीमती राधा रॉय, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड (हुडको) द्वारा नामित (18 अप्रैल, 2022 से आज तक)	निदेशक
डा. सुब्रह्मण्यम दुरकमुला, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड (हुडको) द्वारा नामित (28 फरवरी, 2022 तक)	निदेशक
श्री पीके अरुण	सूचना प्रणाली अधिकारी
श्री अभिषेक चौधरी	उपाध्यक्ष-कोऑपरेट मामलों, प्रमुख संसाधन और कंपनी सचिव
श्री अजय शर्मा	सहयोगी कंपनी के निदेशक
श्री श्रीकांत खेरगु	सहयोगी कंपनी के निदेशक
श्री सुधी प्रकाश	सहयोगी कंपनी के कंपनी सचिव

घ उपरान्त विवरण ऊपर प्रमुख प्रबंधन कार्मिक का महत्वपूर्ण प्रबंध है।

डिवा इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एज्युकेशनल सेंटर लिमिटेड (28 नवंबर, 2020 से 13 सितंबर, 2020 तक के लिए 30 जून 2021 से 30 सितंबर, 2021 और 7 दिसंबर, 2021 से आज तक)

11. व्यापार की सामान्य अवधि में संश्लेषित पर्याप्त के साथ निम्नलिखित लेन-देन किए गए:

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)
केन्द्रीय कार्मिक		
श्री के संजय शर्मा	29.00	58.83
श्री पी. के. अग्रवाल	77.58	53.83
श्री अभिषेक चौधरी	76.87	52.89
श्री सुधी प्रकाश	4.17	7.16
सैपटॉप अभियंता		
श्री अभिषेक चौधरी	0.50	-
उपरी व्ययों का संचालन		
इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एज्युकेशनल सेंटर लिमिटेड	72.00	72.00
डेवा फंड		
इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एज्युकेशनल सेंटर लिमिटेड	500.00	500.00

* मुक्ति दस्तावेज़ और अवकाश नगदीकरण के लिए दायित्व एक समूह के रूप में प्रत्येक कंपनी के लिए वित्तीय आधार पर उपलब्ध कराया जाता है इसलिए प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों से संबंधित दायित्व शक्ति को शामिल नहीं किया गया है।

अ वर्ष के अंत में संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन बकाया

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)
व्यापार ऋण		
इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एज्युकेशनल सेंटर लिमिटेड	132.50	138.13
अन्य अवधि ऋण और अभियंता		
इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एज्युकेशनल सेंटर लिमिटेड	6.36	8.83
केन्द्रीय कार्मिक ऋण		
श्री के संजय शर्मा	-	3.66
सूचना प्रणाली सैपटॉप अभियंता		
श्री अभिषेक चौधरी	0.47	-

30 परिचालन मौज

कंपनी की महत्वपूर्ण मौजें व्यवस्था 8वीं मंजूर, जीवन भरने विविध, कर्जों के लिए, नई दिल्ली में अपने तीन कार्यालय परिसर से संबंधित परिचालन पट्टे के संबंध में हैं, जिसे 10 वर्ष की अवधि के लिए तीन पर लिया गया है। कुल पट्टा किराया ₹ 486.03 लाख रुपए (पिछले वर्ष: ₹ 486.03 लाख रुपए) के भुगतान को लाभ और हानि के स्टेटमेंट में सम्मिलित हो गई है और नोट 23 में इसका प्रकटन किया गया है।

31 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, निबंधक कंपनी और सहयोगी कंपनी द्वारा एक कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन किया गया है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान शुद्ध लाभ (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार गणना) के आधार पर सीएसआर व्यय के लिए 18.58 लाख रुपए (पिछले वर्ष 14.92 लाख रुपए) की राशि देय है। वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि के लिए निम्नलिखित राशि का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपए में)	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपए में)
I. कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली सकल राशि वर्षिक सीएसआर अर्पण पिछले वर्ष में अधिभुक्त (भुगतान नहीं की गई दायित्वों सहित) व्यय की जाने वाली आवश्यक सकल राशि	18.58 -	14.92 1.98
II. वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि नकद में जिनका भुगतान अभी भी नकद में किया जाना है	18.58 -	18.91 -
III. उद्देश्य विंग पर सीएसआर व्यय किया गया पधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) में योगदान ई-नलिन सुविधा सहित कंप्यूटर विषय पर शिक्षा को पोसाइन रिजल्टन सहज लेब और लैंग्वेज लाइवरी की स्थापना कर एनजीओ के लिए योगदान	18.58 - -	14.92 1.09 0.89
IV. सीएसआर व्यय का सामाजिक प्रार्थना कमी(अधिभुक्त) जहाँ- वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली अधिभुक्त राशि घटाय- वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि इतिहास कमी(अधिभुक्त)	- 18.58 (18.58)	- 16.90 (16.90)
V. प्रकृतित सेवाजन्य मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा निर्धारित किसी ट्रस्ट में योगदान	-	-
VI. किसी संविदागत दायित्व में धरोहर करके वहन किए गए दायित्व के संबंध में किए गए प्रावधान, वर्ष के दौरान प्रावधान में संश्लेष	-	-

32 प्रबंधन की राय में, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अलावा अन्य संपत्ति के मूल्य में और व्यय की सामान्य अवधि में वसूली पर अमूर्त संपत्ति का मूल्य, उस मूल्य से कम नहीं होगा जिसमें वे स्टैंडअलोन तुल्य पर में बतार कर है। इसके अलावा, सभी लेन देनदारियों के लिए सभी खर्चों में पर्याप्त रूप से प्रावधान किया गया है।

33 व्यापार धान्य, कृषि एवं अग्रिम, व्यापार देय और अन्य पाठित आदि के अंतर्गत दिखाई देने वाले क्षेत्र सामंजस्यपूर्ण किए जाने के सम्मिलित हैं। पुष्टिकरण/सामंजस्य के होने वाले प्रभाव, यदि कोई हो, तब, उन्हें पुष्टिकरण/सामंजस्य के वर्ष में लिया जाएगा, जो प्रबंधन के इतिहास में महत्वपूर्ण नहीं होगा।

34 निवेश और लेन परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (बीआईपीएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 27.06.2016 के करणीय रूपन संख्या 5/2016-नीति द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के पूजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देश जारी किए गए, जिसके अनुसार धरोहर सीपीएसई को मॉड्यूल कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभार्थ के अधीन, कर पर लाभ के 30% या निवेश संपत्ति के 5% का न्यूनतम वार्षिक लाभ, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना आवश्यक है। बीआईपीएम ने कंपनी को क्रमशः वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए उपरोक्त दिशानिर्देशों से छूट प्रदान की है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम लाभार्थ के भुगतान से छूट की मंजूरी प्राप्त करने हेतु 25 सितंबर 2020 और 6 नवंबर, 2021 को उद्योग संपर्क और अंतर्गत व्यापार विभाग (बीआईपीएम) के सामाज्य से बीआईपीएम को आवेदन किया है, जिसका उत्तर अभी तक प्रेषित नहीं है। इसी प्रकार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष के लिए 2021-22 के लिए न्यूनतम लाभार्थ के भुगतान से छूट के लिए अनुमति प्राप्त करने के संबंध में आवेदन हेतु कारवाई कर रही है और पूर्ववर्ती वर्षों में प्राप्त छूट पर विचार करते हुए प्रबंधन पिछले 2 वर्षों पर चालू वर्ष के लिए छूट प्राप्त करने के प्रति आग्रह है कि इससे कोई चालू वित्तीय वर्ष में सामाज्य भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

35 कंपनी के परिसरों पर कोविड-19 का प्रभाव

कंपनी में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, धान्य और अन्य मॉड्यूल परिसंपत्तियों की अधिभुक्त राशि पर संभावित खराबों पर विचार किया है, जो कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप हो सकते हैं। अधिभुक्त की अधिभुक्त राशियों के अंतर्गत संकेतकों के आधार पर और इसके व्यवस्था की प्रकृति पर विचार करते हुए, प्रबंधन का अनुमान है कि इन परिसंपत्तियों की अधिभुक्त राशि की वसूली हो जाएगी और कम से कम 12 महीनों के लिए व्यवस्था के संचालन को निधि देने के लिए पर्याप्त तरलता उपलब्ध है, इस प्रकार कोविड-19 महामारी से कंपनी के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

36 जमाने के नवीन उर्ज और औद्योगिक वीद्योगिक विकास संगठन (एनईडीसी), जमाने सरकार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार और निबंधक कंपनी के बीच निष्पादित समझौता समझ (एमओयू) के अनुच्छेद 16 के अनुसार वीसी मॉड्यूल, संबंधित उपकरणों के साथ वीसीएम, मॉड्यूल विद्युत नियंत्रण के लिए नियंत्रण स्तर, दूरसंचार प्रणाली और अन्य सहायक उपकरण एनईडीसी द्वारा सहायक अनुदान के रूप में प्रदान किए जाते हैं।

उसी लेख के अनुसार, परियोजना के कार्यभार के दौरान, एनईडीसी द्वारा प्रदान किए गए उपकरणों का स्वामित्व एनईडीसी का होगा। तथापि, परियोजना के पूरा होने पर और सभी वास्तविक अधिकारों के साथ स्वामित्व के हस्तांतरण पर, इन उपकरणों को र 1- के सामाज्य मूल्य पर रखा जाता है जो कि सरकारी अनुदान के लिए सेवाजन्य मानक -12 के अनुसार है।

37 उच्च ऊर्जा अनुबंध

सहायक कंपनी ने उच्च की बिजली के लिए निम्न उच्च ऊर्जा अनुबंधों को निष्पादित किया है:

- (i) दिनांक 05.06.2015 को 8.77 प्रति किलोवाट घंटे की दर से 25 वर्षों की अवधि के लिए एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीपीएन), नई दिल्ली के साथ 5 मीगा वाट सोलर प्लांट से सौर ऊर्जा बिजली के लिए।
- (ii) मेसर्स टोयोटा मोटो लिमिटेड (टीजीएमआईपीएल) एक कंपनी जिसका नामान्त में संयंत्र है, के साथ 12.02.2020 को 1 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र से बिजली की आपूर्ति के लिए शुरू होने की तारीख से 10 (दस) वर्षों की अवधि के लिए है, जिसे आपसी सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार 10 (दस) वर्षों की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। बिजली आपूर्ति का प्रति मूल्य इस तारीख से पहले 5 वर्षों की अवधि के लिए ₹ 4.80 / kWh पर स्थिर रहेगा जब तक कि कंपनी टीजीएमआईपीएल को सौर ऊर्जा की आपूर्ति शुरू करती है। बिजली आपूर्ति दर को एक वर्ष की अवधि में आपसी सहमत नियमों और शर्तों पर उपर की ओर संशोधित किया जाएगा।
- राजस्थान सौर ऊर्जा नैटि, 2019 के तहत सौर ऊर्जा की दोहरे पक्ष की बिजली के लिए टीजीएमआईपीएल के साथ हस्ताक्षरित पीपीए के संदर्भ में, सहायक कंपनी ने राजस्थान अलग ऊर्जा निगम लिमिटेड (RRECL), राजस्थान राज्य सरकार की नोडल एजेंसी के साथ खुद को पंजीकृत किया है। नतीजतन, बिजली केला को जबकि विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (बीवीपीएनएल) के राज्य बिजली के माध्यम से बिजली निकासी योजना में सीधे आपूर्ति से आपूर्ति में परिवर्तन होता है।
- बिजली निकासी योजना में बदलाव के कारण, जो संशोधित अब उपयोग में नहीं थी, उसका निष्पत्ति ई-नोडल प्रक्रिया द्वारा एमएसटीसी लिमिटेड, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशन में एक अद्ययम से किया गया है।

38 सहायक कंपनी द्वारा संचालन नीति में परिवर्तन

सेवा नीति में 2.4.kw में परिवर्तन के कारण, भारत के निबंधक और महासंचालक (सिंधुखंडी) की दिशानिर्देशों के अनुसार, 31 मार्च 2020 को भूमि निर्माण और कगलानी बाबा का प्रतिनोदन मूल्य 5.55 लाख रुपये आरक्षित और अधिपक्ष से वसूल किया गया है। सेवाकन नीति में परिवर्तन के कारण बाजु वित्तीय वर्ष के नाम-दान से 2.52 लाख रुपये की मूल्यह्रास राशि वसूल नहीं की गई है। परिणामस्वरूप, चालू वित्त वर्ष के लिए सहायक कंपनी के लाभ में ₹ 2.52 लाख अंतर की वृद्धि हुई है।

39 सहायक कंपनी के रूप में समेकित अद्ययमों की कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत आवश्यक अतिरिक्त जानकारी

कंपनी का नाम	वृद्ध परिसंपत्तियां अर्थात् कुल दायित्वों को घटाते हुए कुल परिसंपत्तियां		भाज/दाम में वित्ता	
	समेकित वृद्ध परिसंपत्तियों के % के रूप में	धन राशि (लाख रुपये में)	समेकित वृद्ध परिसंपत्तियों के % के रूप में	धन राशि (लाख रुपये में)
बिचक कंपनी				
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रीनोवेटेबल एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिमिटेड	98.32	77,080.73	54.14	342.53
पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कंपनी				
एनआईसीसीपी नोडल सोलर पावर लिमिटेड	1.68	1,314.91	45.86	260.89

40 वर्तमान वर्ष की धनपति के अनुसार जहाँ की आवश्यक समझा गया हो, पिछले वर्ष के अंककों को पुनःपरीक्षण और पुनःसंयोजित किया गया है।

समसंयोजक निधि की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृपे पक्ष, पी. चोपड़ा रोड कंपनी
पोर्टल एकाउंटेंट्स
कर्म पंजीकरण सं. 009346एन

हस्ता.

सीए अंशक मोहन

(साक्ष्य)

(सहस्यता संख्या 099143)

युजीआईएन: 22099143एएम00नवाईएएए4214

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 8 जुलाई, 2022

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रीनोवेटेबल एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए और उनकी और से

हस्ता.

(अमृत नमन चौधरी)
सीईओ एवं प्रबंध निदेशक
(युजीआईएन: 06826193)

हस्ता.

(पी. के. अशोक)
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

हस्ता.

(राजीव राय)
निदेशक
(युजीआईएन: 02855304)

हस्ता.

(अभिषेक चौधरी)
(उपाध्यक्ष - कॉरपोरेट मामलों, अलग संसाधन एवं कंपनी संबंध)

नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

फॉर्म एओसी-1

(कंपनी (नेवा) नियम, 2014 की धारा 129 की उप धारा (3) के प्रथम परिबंध जिसे नियम 5 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सहयोगी कंपनी, संबंध कंपनीयों और संयुक्त उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं को समाविष्ट करने वाला विवरण

भाग क : सहयोगी कंपनियां

क्र.सं.	सहयोगी कंपनी का नाम	एनआईसीडीसी नीमराणा सोमर पॉवर लिमिटेड
1	लिथि जब सहायक कंपनी को अधिग्रहीत किया गया था	18 मार्च, 2014
2	सहयोगी कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से किसी प्रकार विभिन्न हो	धारक कंपनी के समान
3	रिपोर्टिंग मुद्रा	(लाख रुपए में)
4	शेयर पूंजी	1,300.00
5	आरक्षित एवं अधिशेष	1,330.87
6	कुल परिसंपत्तियां	3,191.69
7	कुल दायितारं	560.82
8	निवेश	कुछ नहीं
9	बिस्व	623.28
10	कर पूर्व लाभ/(हानि)	337.40
11	कर के लिए प्रावधान	98.41
12	कर के पश्चात लाभ/(हानि)	238.99
13	प्रस्तावित लाभांश	कुछ नहीं
14	सेयरधारिता का %	100%

भाग ख : संबंध/संयुक्त उपक्रम

1.	संबंध अथवा संयुक्त उपक्रमों के नाम जिनका परिचालन अभी शुरू किया जाना शेष है	कुछ नहीं
2.	वर्ष के दौरान परिसमाप्त की गई अथवा बंद हुए संबंध अथवा संयुक्त उपक्रमों के नाम	कुछ नहीं

नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता.

(अमृत लाल मीणा)
सीईओ एवं प्रबंध निदेशक
(सीआईएन : 06626193)

हस्ता.

(सखेंद्र रत्न)
निदेशक
(सीआईएन : 02855304)

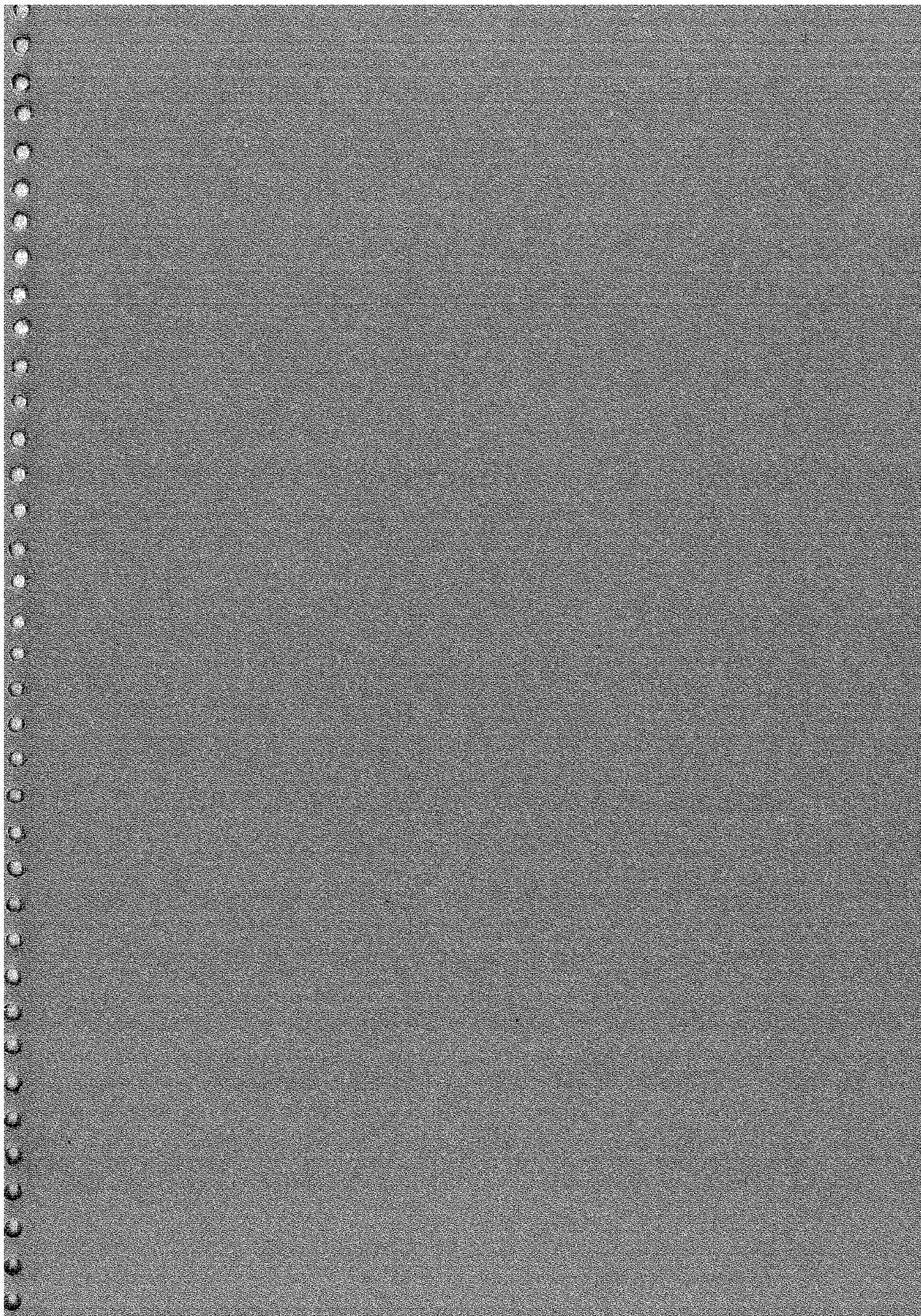
हस्ता.

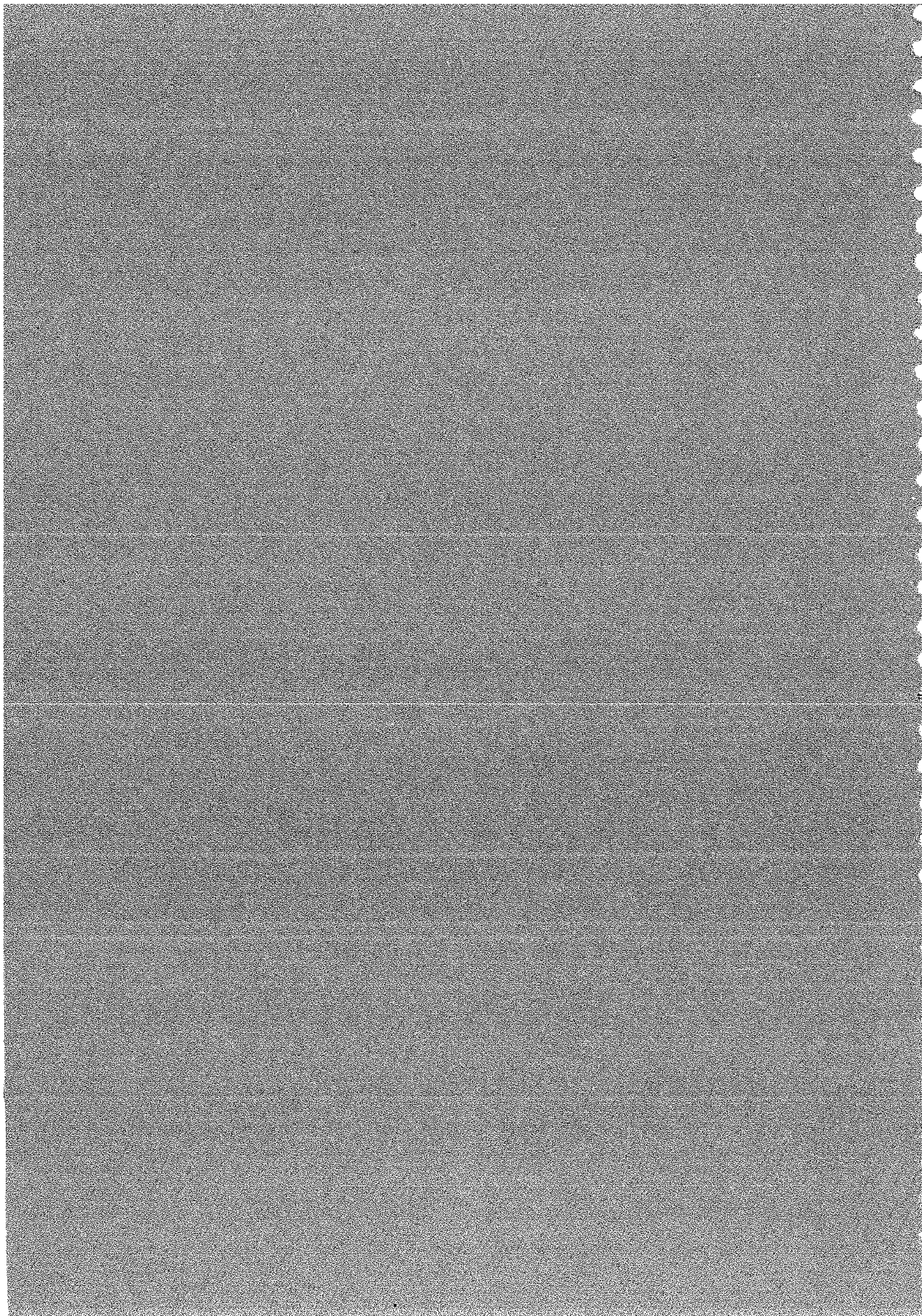
(पी. के. अग्रवाल)
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

हस्ता.

(अभिषेक चौधरी)
(उपाध्यक्ष - कॉर्पोरेट मामले, मानक संसाधन एवं कंपनी अधिकारी)

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 8 जुलाई, 2022





**NATIONAL INDUSTRIAL
CORRIDOR DEVELOPMENT
CORPORATION LIMITED
(NICDC LTD.)**

**(formerly Delhi Mumbai Industrial
Corridor Development Corporation
Limited)**

CIN: U45400DL2008PLC172316



FINANCIAL YEAR 2021-22

**Proforma for furnishing the relevant details in respect of the Organization referred to on
para 02 of the OM no. LAFEAS-CBII067/18/2019-CB-II dated 23.10.2019 of Lok Sabha
Secretariat**

Name of the Ministry: Ministry of Commerce and Industry

Name of the Department: Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)

Name of Organization: National Industrial Corridor Development Corporation Limited
(formerly Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited)

Sr. No.	Particulars	Remark		
1	Please specify, whether the organization is Autonomous/Statutory Body, Joint Venture, Corporation, Public Undertakings, etc.	Corporation		
2	The Year of inception of the organisation	2008		
3	Whether the organisation is under the administrative control of the Ministry/Department concerned	Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)		
4	The Act/Rule/Regulation governing the Organization	Companies Act, 2013 and General Financial Rules (GFR), 2017		
5	Whether the Act/Rule/Regulation mentioned at SL No.4 above contains provisions for laying the Annual Reports and Audited Accounts of the Organization on the table of the House? (Indicate YES or NO) (Please enclose a copy of the Act/Rules/Regulation)	Yes (Rule 237 of GFR, 2017 are attached)		
6	If answer to SL No.5 above is YES, indicate the time frame stipulated therein for laying these reports.	31st December		
7	Whether the organization has received financial assistance (one time/recurring/annually) from the Ministry/Department concerned.	Annually		
8	Whether the Annual Reports and Audited Accounts of the Organization are being laid on the table of the House; continuously since its inception (Indicate YES or NO)	Yes		
9	If answer to SL No. 8 above is YES, indicate the date(s) of laying the requisite documents on the table of the House for the last three years i.e., 2016-17, 2017-18 and 2018-19.	Year	Lok Sabha	Rajya Sabha
		FY 2018-19	04.12.2019	06.12.2019
		FY 2019-20	15.12.2021	12.02.2021
		FY 2020-21	23.03.2022	25.03.2022
10	If the answer to SL. No. 8 above is NO; mention the years for which the requisite documents have not been laid by the Organisation, since its inception, alongwith the reasons thereof and the time by which the same are expected to be laid on the table of the House.	Not Applicable		



authority, not being a foreign State or international Body/Organization, the Comptroller and Auditor General is competent under Section 15 (1) of the CAG's (DPC) Act, 1971, to scrutinize the procedures by which the sanctioning authority satisfies itself as to the fulfillment of the conditions subject to which such Grants and/or loans were given and shall, for this purpose, have right of access to the books and accounts of that Institute or Organisation or authority.

Rule 236 (3) In all other cases, the Institution or Organisation shall get its accounts audited from Chartered Accountants of its own choice.

Rule 236 (4) Where the Comptroller and Auditor General of India is the sole auditor for a local Body or Institution, auditing charges will be payable by the auditee Institution in full unless specifically waived by Government

Rule 237 Time Schedule for submission of annual accounts. The dates prescribed for submission of the annual accounts for Audit leading to the issue of Audit Certificate by the Comptroller and Auditor General of India and for submission of annual report and audited accounts to the nodal Ministry for timely submission to the Parliament are listed below:-

- (i) Approved and authenticated annual accounts to be made available by the Autonomous Body to the concerned Audit Office and commencement of audit of annual accounts - 30th June
- (ii) Issue of the final SAR in English version with audit certificate to Autonomous Body/ Government concerned - 31st October
- (iii) Submission of the Annual Report and Audited Accounts to the Nodal for it to be laid on the Table of the Parliament - 31st December

Rule 238 (1) Utilization Certificates. In respect of non-recurring Grants to an Institution or Organisation, a certificate of actual utilization of the Grants received for the purpose for which it was sanctioned in Form GFR 12-A, should be insisted upon in the order sanctioning the Grants-in-aid. The Utilization Certificate in respect of Grants referred to in Rule 230 (10) should also disclose whether the specified,

quantified and qualitative targets that should have been reached against the amount utilised, were in fact reached, and if not, the reasons therefor. They should contain an output based performance assessment instead of input based performance assessment. The Utilization Certificate should be submitted within twelve months of the closure of the financial year by the Institution or Organisation concerned. Receipt of such certificate shall be scrutinised by the Ministry or Department concerned. Where such certificate is not received from the Grantee within the prescribed time, the Ministry or Department will be at liberty to blacklist such Institution or Organisation from any future grant, subsidy or other type of financial support from the Government.

Rule 238 (2) In respect of recurring Grants, Ministry or Department concerned should release any amount sanctioned for the subsequent financial year only after Utilization Certificate in respect of Grants of preceding financial year is submitted. Release of Grants-in-aid in excess of seventy five per cent of the total amount sanctioned for the subsequent financial year shall be done only after utilisation certificate and the annual audited statement relating to Grants-in-aid released in the preceding year are submitted to the satisfaction of the Ministry/Department concerned. Reports submitted by the Internal Audit parties of the Ministry or Department and Inspection Reports received from Indian Audit and Accounts Department and the performance reports if any received for the third and fourth quarter in the year should also be looked into while sanctioning further Grants.

Rule 238 (3) Utilization certificates need not be furnished in cases where the Grants -in -aid / CFA are being made as reimbursement of expenditure already incurred on the basis of duly audited accounts. In such cases the sanction letters should specify clearly that the Utilization Certificates will not be necessary.

Rule 238 (4) In respect of Central Autonomous Organisations, the Utilization Certificate shall disclose separately the annual expenditure incurred and the funds given to suppliers of stores and assets, to construction agencies, to staff for (House

**14th ANNUAL REPORT
AND
FINANCIAL STATEMENTS
(F.Y. 2021-22)**



**NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR
DEVELOPMENT CORPORATION
LIMITED (NICDC LTD.)**

**(formerly Delhi Mumbai Industrial
Corridor Development Corporation
Limited)**

CIN: U45400DL2008PLC172316

CONTENTS

S. No.	PARTICULARS	PAGE No.
1.	COMPANY PROFILE	143 – 144
2.	CHAIRMAN'S MESSAGE	145 – 146
3.	CORPORATE INFORMATION	147
4.	ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE	148 – 154
5.	BOARD'S REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31 ST MARCH, 2022	155 – 191
6.	C&AG AUDIT REPORT ON STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31 ST MARCH, 2022	192 – 193
7.	AUDITOR'S REPORT ON STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31 ST MARCH, 2022	194 – 207
8.	STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31 ST MARCH, 2022	208 – 232
9.	C&AG AUDIT REPORT ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31 ST MARCH, 2022	233 – 234
10.	AUDITOR'S REPORT ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31 ST MARCH, 2022	235 – 242
11.	CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31 ST MARCH, 2022	243 - 271

COMPANY PROFILE

In order to accelerate growth in manufacturing and for ensuring systematic and planned urbanization, Government of India (GoI) has adopted the strategy of developing Integrated Industrial Corridors on the backbone of transport connectivity infrastructure in partnership with State Governments.

Keeping the objectives in mind, the Cabinet has accorded the approval for Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) Project in 2007 as the first Industrial Corridor envisaged on the backbone of the Railways Dedicated Western Freight Corridor. Accordingly, Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (now known as National Industrial Corridor Development Corporation Limited - NICDC) was incorporated in January, 2008 as the Project Development Agency for DMIC project.

To facilitate the funding for the development of a world class infrastructure at the Industrial Cities as a global manufacturing and investment destination, the Government of India has also approved the creation of a dedicated fund with a corpus known as the DMIC Project Implementation Trust Fund (DMIC-PITF) in September, 2011 which functions under the administrative control of DPIIT.

Further, for coordinated and unified development of various other Industrial Corridor projects including Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) project, Govt. of India had expanded the mandate of existing DMIC-PITF and renamed it as National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) in December, 2016.

The scope of DMICDC Limited has also been expanded due to expansion of the scope and mandate of NICDIT and DMICDC has been entrusted with the responsibility of carrying out project development activities for all Industrial Corridor Projects which has been announced by Govt. of India or which will come up in the future. Therefore, the name of the Company was changed from DMICDC to NICDC with effect from 17th February, 2020.

NICDC is acting as a Project Development Company which undertakes various prefeasibility, feasibility, master planning and engineering studies for developing new Greenfield industrial smart cities. NICDC functions as a knowledge partner to NICDIT, downstream city level SPV's and Project level SPV's.

The current equity shareholders of NICDC are Government of India (49%), represented through the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Japan Bank for International Cooperation (JBIC) (26%) and financial institutions such as Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) (19.9%), India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) (4.1%) & Life Insurance Corporation (LIC) (1.0%).

COMPANY INSTITUTIONAL AND FINANCIAL STRUCTURE

Industrial Corridor Programme is aimed at supplementing the efforts for realising the manufacturing potential of the country and raising its contribution to GDP. Enabled with ease of access, the industrial corridors are conceived to foster global manufacturing and investment destination hubs and smart cities with the best in-class infrastructure. The objective is to create quality infrastructure ahead of demand and keep the developed land parcels ready for immediate allotment for attracting investments into manufacturing and positioning India as a

strong player in the Global Value Chain. The industrial corridor nodes are being developed as sustainable, smart and resilient manufacturing hubs. Under the Industrial Corridor Programme Greenfield Industrial Smart Cities/nodes are developed with sustainable infrastructure & make available Plug and Play infrastructure at the plot level. State Govt.(s) are required to make available contiguous land parcels with confirmed allocation of Water/Power and site connectivity for the development of these industrial nodes.

The Government of India in 2011 approved the financial and institutional structure for DMIC Project with a budgetary support of Rs. 17,500 crore (at an average of Rs.2,500 crore for each of the 7 nodes subject to a maximum of Rs.3,000 crore) to be provided over a period of five years for the development of industrial cities in Phase-I of the DMIC project. An additional corpus of Rs. 1,000 crore has been provided as budgetary support to carry out project development under DMIC.

In addition to the corpus of Rs. 18,500 crore, an additional corpus of Rs. 1,584 crore (including Rs 84 crore for meeting administrative expenditure of NICDIT) was sanctioned totalling to Rs. 20,084 crore for undertaking various project development and implementation related works for all the other corridor projects.

The budgetary support from GoI flows to NICDIT and NICDIT provides equity and/or debt to Special Purpose Vehicles (SPVs) incorporated as joint ventures between GoI and the respective State Governments for developing Industrial cities /nodes/projects. Investment into project SPV's is done either as equity or debt directly by NICDIT and respective State Govt. transfers land as their equity.

Govt. of India is developing various Industrial Corridor Projects and NICDC has been entrusted with the responsibility of carrying out project development activities in respect of Eleven (11) Industrial corridors comprising of 32 nodes/projects to be developed in 04 Phases till 2024-25 as part of the PM Gati Shakti - National Master Plan on multimodal connectivity.

Major Trunk Infrastructure activities have been completed at Integrated Industrial Township (IITGN) at Greater Noida (747 acres), Uttar Pradesh; Integrated Industrial Township (IITVUL) at Vikram Udyogpuri (1,100 acres), Ujjain in Madhya Pradesh and Shendra Bidkin Industrial Area (AURIC) (18.55 sq. kms), Aurangabad, Maharashtra. Whereas, trunk infrastructure activities are nearing completion at Dholera Special Investment Region (DSIR) (22.5 sq. kms), Gujarat.

A total of 201 plots admeasuring nearly 979 acre have been allotted to companies with investment to the tune of Rs. 17,772 crore including investors like HYOSUNG (South Korea), NLMK (Russia), HAIER (China), TATA Chemicals & AMUL so far.

Chairman's Message



Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure to present the Company's operational performance for the financial year 2021-22. The past 2 years were unimaginable by any measure on account of COVID pandemic. Its immediate consequences saw the world facing a severe economic contraction, negatively influencing the manufacturing and service sector and triggered unprecedented government actions. The pandemic has tested all of us severely but we at NICDC has dealt with the same with exceptional resilience and these challenges have made us more agile, resilient and responsible.

Major trunk infrastructure activities have been completed at Integrated Industrial Township (IITGN) at Greater Noida (747 acres), Uttar Pradesh; Integrated Industrial Township (IITVUL) at Vikram Udyogpuri (1,100 acres), Ujjain in Madhya Pradesh and Shendra Bidkin Industrial Area (AURIC) (18.55 sq. kms), Aurangabad, Maharashtra. Whereas, trunk infrastructure activities are nearing completion at Dholera Special Investment Region (DSIR) (22.5 sq. kms), Gujarat. With the setting up of some industries and start of commercial production activities, the Delhi Mumbai Industrial Corridor project has entered into the operational phase. Shendra Industrial Park/Aurangabad Industrial City (AURIC) in Aurangabad, Maharashtra is the first city which has been dedicated to the nation by Hon'ble Prime Minister in September, 2019.

A total of 201 industrial and commercial plots (979 acres) with world class plug and play infrastructure up to plot level have been allotted in above mentioned 04 cities attracting investment to the tune of Rs. 17,772 crore, which is an encouraging number. This has helped in boosting a virtuous cycle of higher investments, growth and employment generation in the economy.

I am very happy to announce that some of the Companies to whom land was allotted have already started their commercial operations and some are targeting to commence their operations in this financial year. Your Company is making all efforts to promote investment in these developed cities. The focus of investment promotion is 'brand building' & 'investor engagement' by NICDC with emphasis on various priority sectors like Pharmaceuticals, Medical Devices, white goods like Air-Conditioners, LEDs, Textiles, Automobiles, Electronics, Component Manufacturing, Food Processing, Electric Vehicles and its components, Healthcare components, etc. Series of Investor's Round Table Conferences are being organised to attract investors.

Hon'ble Prime Minister has launched PM GatiShakti National Master Plan (NMP) on 13th October, 2021 for providing Multimodal Connectivity to the Various Economic Zones. With the strong thrust and support from NMP Programme, as part of National Industrial Corridor Development Programme, your Company is mandated to develop 11 Industrial Corridors with 32 Projects in 04 phases forming part of National Infrastructure Pipeline.

In three more projects - Krishnapatnam in Andhra Pradesh, Tumakuru in Karnataka and MMLH & MMTH at Greater Noida, Uttar Pradesh already approved by Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), the EPC contractor will be appointed soon and would witness initiation of construction activities in Krishnapatnam and Tumakuru Nodes.

Company is also undertaking Logistics Data Bank (LDB) project which is currently operational across 17 Ports in India covering 170+ Container Freight Stations /Inland Container Depots, 60+ Toll plazas, 3 Integrated Check Posts and 9 Special Economic Zones for providing complete enhanced visibility of EXIM container movement. Through LDB, over 50 million containers have so far been successfully tracked and traced.

LDB Project has been leveraged to develop Unified Logistics Interface Platform (ULIP). The ULIP has been conceptualized with the vision of "PM GatiShakti" which aims at breaking individual silos, promote integration among various Ministries/Departments and create a single window thus bringing efficiency and transparency in the logistics industry and thus making India cost competitive and 'Atmanirbhar' in the logistics sector. ULIP has been integrated with 30 systems of seven different ministries through 102 APIs, covering more than 1600 fields successfully.

Further, the Company is also acting as a knowledge partner to one of Asia's largest Convention and Exhibition Centre Project i.e., India International Convention and Exhibition Centre (IICC) at Dwarka, New Delhi wherein the construction activities are in full swing and the project is expected to be completed by next year.

Your Company has also sought financial assistance to the tune of USD 500 million from Asian Bank Development Bank as Policy Based Loan (PBL) for Industrial Corridor Development Programme out of which first tranche of USD 250 million (sub-program 1) has already been released to the Consolidated Fund of Govt. of India. The action for sub-program 2 of USD 250 million has already been initiated.

The projects under Industrial Corridor Development Programme provide the infrastructure that is sustainable, reliable and resilient thus, meeting the world-class benchmark. I strongly believe that we shall stand the test of time in striving to our best for delivering results. Our outlook for the future remains positive which is strongly reflected in our resolve to propel economic progress by means of sustained and integrated development with inclusive growth. With our expertise in creating smart infrastructure facilities, we assume greater accountability in the national efforts to steer India's transformation to a first-world economy.

I would like to put on record my appreciation to our members of the Board of Directors for their unstinted support, exemplary foresight and generous contribution in terms of valuable advice. I am also thankful for the whole-hearted support received from the Government of India, other Ministries and Departments of Government of India, Banks, Comptroller & Auditor General of India (C&AG), Statutory Auditors and Secretarial Auditors. Lastly, our proficient manpower deserves commendation and credit for their stellar work and our resilience as a multifunctional organization.

Sd/-
(Anurag Jain)

CORPORATE INFORMATION

BOARD OF DIRECTORS

Shri Anurag Jain, IAS
Chairman

Shri Rajeev Singh Thakur, IAS
Director

Shri Amrit Lal Meena, IAS
*Chief Executive Officer
and Managing Director*

Shri Rajendra Ratnoo, IAS
Director

Shri Kazushige Gobe
Director

Shri Toshihiko Kurihara
Director

Shri M. Nagaraj
Director

Smt. Radha Roy
Director

AUDIT COMMITTEE

Shri Rajendra Ratnoo
Director

Shri Toshihiko Kurihara
Director

Smt. Radha Roy
Director

NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE

Shri Rajendra Ratnoo
Director

Shri Toshihiko Kurihara
Director

Smt. Radha Roy
Director

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE

Shri Rajendra Ratnoo
Director

Shri Toshihiko Kurihara
Director

Smt. Radha Roy
Director

CHIEF FINANCIAL OFFICER

Shri Pradeep Kumar Agarwal

VP-CORPORATE AFFAIRS, HR & COMPANY SECRETARY

Shri Abhishek Chaudhary

STATUTORY AUDITOR

M/s S.P Chopra & Co,
Chartered Accountants

INTERNAL AUDITOR

M/s VSPV & Co., Chartered
Accountants

SECRETARIAL AUDITOR

M/s Vikas Gera &
Associates, Company
Secretaries

BANKERS

Central Bank of India, Hotel
Ashok, Chanakyapuri, New
Delhi

REGISTERED OFFICE

08th Floor, Tower-1, Jeevan
Bharti Building, 124,
Connaught Place, New
Delhi - 110001

**ANNUAL
GENERAL
MEETING NOTICE**

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 14th (Fourteenth) Annual General Meeting of the Members of National Industrial Corridor Development Corporation Limited (formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited) will be held on Thursday, the 29th day of September, 2022 at 03:30 P.M. at the registered office of the Company situated at 08th Floor, Tower 1, Jeevan Bharti Building, Connaught Place, New Delhi -110001 through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the following business: -

ORDINARY BUSINESS: -

1. To receive, consider & adopt the Audited Financial Statements (Standalone & Consolidated) as at 31st March, 2022 and the reports of the Board of Directors' and the Auditor's thereon for the period ended on that date.
2. To appoint a Director in place of Shri Muniappa Nagaraj, Director of the Company, who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment and to consider, and if thought fit, to pass, with or without modification(s), following resolution as an Ordinary Resolution: -

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of Section 152 of the Companies Act, 2013, Shri Muniappa Nagaraj, Director of the Company, who retires by rotation and being eligible has offered himself for re-appointment, be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation."

3. To fix the remuneration of Statutory Auditor(s) of the Company appointed by the office of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) for the FY 2022-23 and to consider, and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following resolution as an Ordinary Resolution: -

"RESOLVED THAT pursuant to Section 139 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, the appointment of M/s S.P. Chopra & Co, Chartered Accountants, New Delhi (ICAI Firm Registration No. DE0010) as appointed by the office of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) as the Statutory Auditor of the Company for the financial year 2022-23 vide its letter No./CA.V/COY/Central Government, DMICDC(0)/409 dated 29th August, 2022 a copy of which has been placed before the meeting, be and is hereby approved/taken note of."

"RESOLVED FURTHER THAT CEO & Managing Director of the Company be and is hereby authorized to fix the terms and conditions including the determination of the audit fee payable to the Statutory Auditors as appointed by the office of the C&AG."

SPECIAL BUSINESS: -

4. To regularize the appointment of Smt. Radha Roy (DIN:09574669) as Director of the Company and to consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following as an Ordinary Resolution: -

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of Section 152 of the Companies Act, 2013, Smt. Radha Roy (DIN: 09574669), who was appointed as an Additional Director with effect from 18th April, 2022 on the Board of the Company in terms of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 135 of Articles of Association of the Company and who holds office up to the date of this Annual General Meeting, in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member under Section 160

of the Act, proposing her candidature for the office of Director, be and is hereby appointed as a Director of the Company, liable to retire by rotation."

5. To regularize the appointment of Shri Rajeev Singh Thakur (DIN:02631653) as Director of the Company and to consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following as an Ordinary Resolution: -

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of Section 152 of the Companies Act, 2013, Shri Rajeev Singh Thakur (DIN:02631653), who was appointed as an Additional Director with effect from 05th August, 2022 on the Board of the Company in terms of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 135 of Articles of Association of the Company and who holds office up to the date of this Annual General Meeting, in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member under Section 160 of the Act, proposing his candidature for the office of Director, be and is hereby appointed as a Director of the Company, liable to retire by rotation."

By order of the Board
For National Industrial Corridor Development Corporation Limited

Sd/-
(Abhishek Chaudhary)
VP-Corporate Affairs, HR
& Company Secretary
Membership No. - F6701

Date: 07th September, 2022
Place: New Delhi

NOTES

1. In view of the ongoing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') has vide its General Circulars dated 08th April, 2020, 13th April, 2020, 05th May, 2020, 13th January, 2021, 14th December, 2021 and 05th May, 2022 (collectively referred to as 'MCA Circulars') has permitted companies to hold the Annual General Meeting ('AGM') through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), without the physical presence of the Members.
2. As per the Circular No. 14/2020 dated 08th April, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available. However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the meeting through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through show of hands.
3. The Members can join AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before the scheduled time of the commencement of the Meeting.
4. The attendance of the members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
5. Corporate members are requested to send a duly certified copy of the Board Resolution / Power of Attorney authorizing their representative to attend and vote on their behalf at the Annual General Meeting.
6. In conformity with the provisions of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, the Explanatory Statement setting out at item no. 4 & 5 to be transacted at the Annual General Meeting (AGM) is annexed hereto.
7. Details of Directors seeking appointment at the ensuing Meeting are provided in the "Annexure" to the notice.
8. The Notice convening the 14th AGM and Annual Report 2021-22 has been uploaded on the website of the Company at www.nicdc.in.
9. Members desiring inspection of statutory registers during the AGM may send their request in writing to the Company at abhishekchaudhary@nicdc.in.
10. Members may attend the AGM, by following the invitation link sent to their registered email ID. Members are encouraged to join the meeting through Laptops for better experience.
11. Since the Annual General Meeting is being organized through VC/OAVM, the route map of the venue of the meeting is not annexed hereto.

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO THE PROVISIONS OF SECTION 102(1) OF THE COMPANIES ACT, 2013:-

ITEM NO.2

Shri Muniappa Nagaraj, Director of the Company, liable to retire by rotation, vacates his office by rotation at this Annual General Meeting. Shri Muniappa Nagaraj, being eligible offers himself for re-appointment and is proposed to be re-appointed as a Director of the Company, liable to retire by rotation.

Hence the resolution is proposed.

Except Shri Muniappa Nagaraj, being an appointee, none of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company and their relatives are concerned or interested in the resolution set out at Item No. 2 of this notice.

ITEM NO. 3

The Comptroller and Auditor General of India (C&AG) vide its letter No./CA. V/COY/Central Government, DMICDC(0)/409 dated 29th August, 2022 has appointed M/s S.P. Chopra & Co, Chartered Accountants as the Statutory Auditor of the Company as per Section 139 of the Companies Act, 2013 for the financial year 2022-23. The Supplementary Audit of the Company for the financial year 2022-23 pursuant to Section 143 (6) & (7) of the Companies Act, 2013 has been entrusted to Principal Director of Audit (Infrastructure).

Hence the resolution is proposed.

None of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company and their relatives are concerned or interested in the resolution set out at Item No. 3 of this notice.

ITEM NO. 4

Housing & Urban Development Corporation Limited (HUDCO) vide letter dated 30th March, 2022 has nominated Smt. Radha Roy, General Manager, HUDCO as Director on the Board of NICDC in place of Dr. D Subrahmanyam. Accordingly, the Board in its 63rd meeting held on 12th April, 2022 had appointed Smt. Radha Roy, General Manager, HUDCO as an Additional Director on the Board of the Company in accordance with the provisions of Section 161 (1) of the Companies Act, 2013 and Article 135 of Articles of Association of the Company.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013, the Additional Director holds office up to the date of the ensuing Annual General Meeting. The Company has received notice in writing from a member under Section 160 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, proposing her candidature for the office of Director of the Company.

Except Smt. Radha Roy being an appointee, none of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company and their relatives are concerned or interested in the resolution set out at Item No.4 of this notice.

The Board recommends the resolution set forth in item no.4 for approval of the members.

ITEM NO. 5

Department for Promotion of Industry and Internal Trade vide its letter no. P-37022/3/2019-IC-Part(2) dated 15th July, 2022 has informed that Shri Rajeev Singh Thakur, Additional Secretary, DPIIT has been nominated for the appointment as an Additional Director on the Board of the Company in accordance with the provisions of Section 161 (1) of the Companies Act, 2013 and Article 135 of Articles of Association of the Company.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013, the Additional Director holds office up to the date of the ensuing Annual General Meeting. The Company has received notice in writing from a member under Section 160 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, proposing his candidature for the office of Director of the Company.

Except Shri Rajeev Singh Thakur being an appointee, none of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company and their relatives are concerned or interested in the resolution set out at Item No.5 of this notice.

The Board recommends the resolution set forth in item no.5 for approval of the members.

**BY order of the Board
For National Industrial Corridor Development Corporation Limited**

**Sd/-
(Abhishek Chaudhary)
VP-Corporate Affairs, HR
& Company Secretary
Membership No. -F6701**

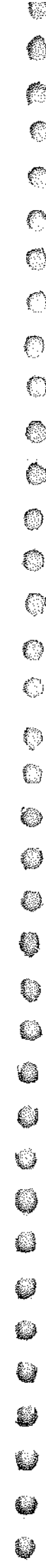
**Date: 07th September, 2022
Place: New Delhi**

**BRIEF RESUME OF THE DIRECTORS SEEKING APPOINTMENT AT
THE 14TH ANNUAL GENERAL MEETING**

Pursuant to Clause 1.2.5 of Secretarial Standard on General Meetings issued by Institute of
Company Secretaries of India

Name	Ms. Radha Roy (DIN: 09574669)	Shri Rajeev Singh Thakur (DIN: 02631653)
Age	53 Years	53 Years
Qualification	She is a qualified Architect. She did Bachelor of Architecture and having membership of Council of Architecture.	He did his M.A in Economics and Master's in Public Policy.
Experience	Smt. Radha Roy is presently heading the operation of Housing loan portfolio at corporate office as General Manager (Projects), managing the credit appraisal, sanctions, monitoring and loan disbursements division pertaining to Housing loan, and assisting the management in policy and regulatory related issues, also involved in the development of Enterprise Resource Planning (ERP) module for sanction and disbursements of loan. She has over 32 years of experience working in Corporate as well as Regional Office at different Capacities.	Shri Rajeev Singh Thakur is presently holding the charge of Additional Secretary in Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, Government of India. He has more than 25 years of work experience in the various sectors like Industry, Defense, Rural Development, Highways and Power till date.
Terms and Conditions of appointment or re-appointment	Appointment as per Section 160 of the Companies Act, 2013	Appointment as per Section 160 of the Companies Act, 2013
Remuneration last drawn (including sitting fees, if any)	-	-
Remuneration proposed to be paid	-	-
Date of first appointment on the Board	18 th April, 2022	05 th August, 2022

No. of shares held in NICDC	Nil	Nil
Relationship with other Directors/ KMP	No inter se related to any Director of the Company	No inter se related to any Director of the Company
Number of meeting of the Board attended during the financial year 2021-22.	Not applicable	Not applicable
Directorship held in other companies	Nil	Nil
Membership/ Chairmanship of Committees of other companies	Nil	Nil



BOARD's REPORT

BOARD'S REPORT

Dear Shareholders,

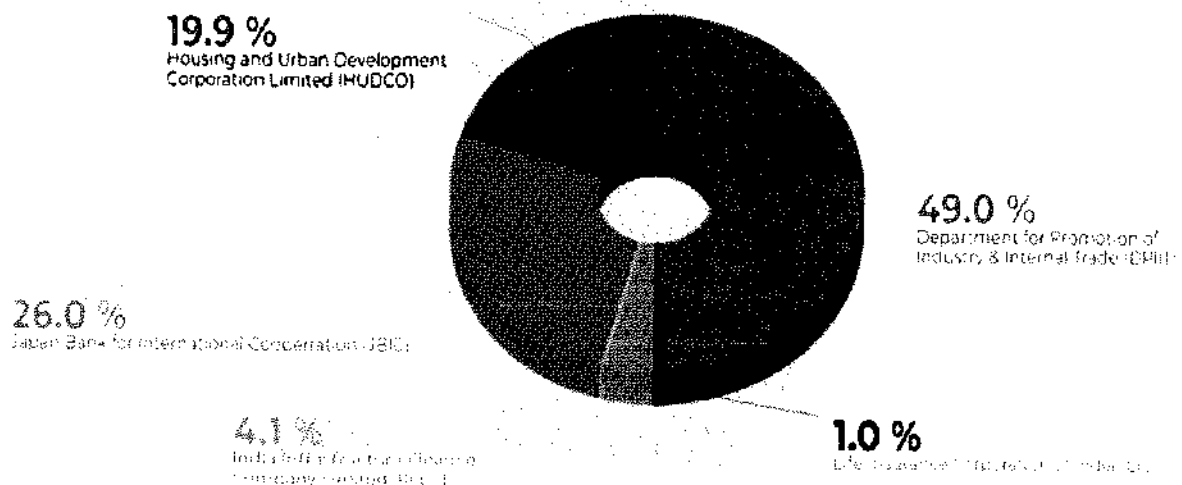
The Board of Directors of your Company are pleased to present its 14th (Fourteenth) Board's Report on the business and operations of the Company for the financial year ended on 31st March, 2022.

National Industrial Corridor Development Corporation (NICDC) Limited (formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited) is a Joint Venture Company incorporated between Government of India, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO), India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) and Life Insurance Corporation of India Ltd. (LIC).

The Company is entrusted with carrying out project development activities in respect of various Industrial Corridor Projects being developed or under implementation, under the flagship National Industrial Corridor Development Programme. The Company is acting as the project development partner and knowledge partner to varied industrial townships, industrial node/clusters and integrated manufacturing clusters.

Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce & Industry is the administrative ministry of Government of India for the Industrial Corridor Projects. Industrial Corridor (IC) Project is a flagship programme of Government of India with the aim of creating futuristic Industrial Cities by leveraging the "High Speed - High Capacity" connectivity backbone provided by Dedicated Freight Corridor (DFC).

The shareholding pattern of the Company is as follows:



1. FINANCIAL HIGHLIGHTS:

The highlights of Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March, 2022 is summarized below:

(Rs. in lakhs)

Particulars	2021-22	2020-21
Total Income	2282.55	3214.28
Total Expenses	1769.37	1428.31
Tax Expense	153.11	521.52
Profit / (Loss) for the year after Tax	360.07	1264.45

2. STATUS OF COMPANY'S AFFAIRS:

A. Delhi Mumbai Industrial Corridor Project

Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) was the first Industrial Corridor project which was announced and various projects were approved by Govt. of India in 2014-15 wherein substantial progress has been achieved in last couple of years. Details of progress are as follows:-

1. Dholera Special Investment Region (DSIR), Gujarat

- DSIR has been planned over an area of approximately 920 sq. km and Phase I Activation area of 22.5 sq. km has been carved out wherein trunk infrastructure works are nearing completion.
- GoI has approved the tender packages for various infrastructure components amounting to Rs. 2784.83 crore divided into five packages for activation area.
- State Govt. has transferred 48.31 sq. kms to DICDL (SPV) and matching equity amounting to Rs. 2784.83 crore has been released.
- 04 plots admeasuring 245 acre have been allotted with TATA Chemicals as the anchor investor.
- 1,275 acre industrial land is readily available for allotment.
- Out of the 1000 MW of Solar Park, 300 MW awarded to Tata Solar Power Ltd. has already been commissioned.
- Further, as part of regional connectivity to DSIR, external connectivity projects of 6-lane greenfield Expressway from Ahmedabad to Dholera by NHAI, award of construction packages has been completed, Dholera International Airport and Bhimnath Dholera Rail link are being implemented.

2. Shendra Bidkin Industrial Area (SBIA), Maharashtra

- Part I of SBIA covers an area of 40.2 sq. km.
- State Govt. has transferred entire 8.39 sq kms land for Shendra Industrial Area and 28.8 sq. kms for Bidkin Industrial Area to the SPV. Matching equity amounting to Rs. 602.80 crore and 2397.20 crore respectively has also been released to the SPV.
- For Shendra Industrial Area, GoI has approved the tender packages for various infrastructure components for Rs. 1533 crore. Major trunk infrastructure packages have been completed.



- Hon'ble Prime Minister has dedicated the project to the Nation on 07th September, 2019.
- For Shendra, land allotment policy has been finalized and 172 plots admeasuring 375 acre have been allotted including one to HYOSUNG (100 acre) as the anchor investor. 12 companies have started their commercial operations as well.
- For Bidkin Industrial Area, GoI has approved the infrastructure packages worth Rs. 6414.21 crore to be developed in 3 sectors. The trunk infrastructure works for Sector A (10.32 sq. km) have already been completed.
- 2,160 acre industrial land is readily available for allotment in SBIA.

3. Integrated Industrial Township Project, Greater Noida, Uttar Pradesh

- Land admeasuring 747.5 acre has been transferred to the SPV of the project and matching equity amounting to Rs. 617.20 crore has also been released.
- GoI has approved the tender packages for various infrastructure components amounting to Rs. 1,097.5 crore. Major trunk infrastructure works have already been completed.
- 06 plots admeasuring 159 acre have been allotted with HAIER (123.7 acre in Sept, 2018) as the anchor investor.
- 165 acre Industrial Land is readily available for allotment.

4. Integrated Industrial Township 'Vikram Udyogpuri' Project, Ujjain, Madhya Pradesh

- State Govt. has transferred 1026 acre land to the SPV and matching equity amounting to Rs. 55.93 crore has also been released.
- GoI has approved the tender packages for various infrastructure components amounting to Rs. 749.1 crore. Major trunk infrastructure works have already been completed.
- 19 plots admeasuring 200 acre have been allotted with AMUL as anchor investor.
- 341 acre of Industrial Land is readily available for allotment.

5. Khushkheda Bhiwadi Neemrana Investment Region (KBNIR) and Jodhpur Pali Marwar Industrial Area (JPMIA), Rajasthan

- State Govt. on 12th October, 2020 informed that Development Plan of KBNIR has been notified as Special Investment Region (SIR).
- RIICO (Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation) has been appointed as Regional Development Authority.
- Consultants have been appointed for detailed master planning and preliminary engineering for an area of 558 Ha at KBNIR and 2659 Ha at JPMIA.
- Share Holders' Agreement (SHA)/ State Support Agreement (SSA) for KBNIR & JPMIA has been executed and SPV has been incorporated on 15th March, 2022.
- State Govt. has informed that balance land acquisition of the two nodes (JPMIA & KBNIR) will be completed soon.



6. Dighi Port Industrial Area (DPIA), Maharashtra

- State Govt. has confirmed availability of 2,402 Ha (5,935 acre) of land out of which 1,466 Ha (3,622 acre) is in possession of State Govt.
- Detailed Master planning and preliminary engineering works for the land parcels is under progress.

B. Chennai Bengaluru Industrial Corridor (CBIC) and its extension to Kochi via Coimbatore

1. Krishnapatnam node in Andhra Pradesh

- Out of 12,798 acre, detailed master planning and preliminary engineering activities for an area of 2,500 acre as Activation Area have been completed.
- Project was approved by GoI on 30th December, 2020.
- State Govt. has transferred 2,091.80 acre land to SPV and matching equity amounting to Rs. 522.10 crore has been released.
- Environment Clearance has been obtained.
- EPC tenders for trunk infrastructure issued on 23rd September 2021 were annulled by the Board of SPV owing to non-qualification of any of the bidders. The works have been retendered on 15th June 2022.

2. Tumakuru node in Karnataka

- Out of 8,483 acre, detailed master planning and preliminary engineering activities for an area of 1,736 acre as Activation Area has been completed.
- Project was approved by GoI on 30th December, 2020.
- State Govt. has transferred 1668.30 acre land to SPV and matching equity amounting to Rs. 586.74 crore has been released.
- Environment Clearance has been obtained.
- EPC tender for the trunk infrastructure works were retendered on 27th September 2021. Two bids have been received and the evaluation is under progress.

3. Ponneri node in Tamil Nadu

- Consultant appointed for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering for an area of 4,000 acre.
- State Govt. has informed that approx. 3,375 acre is available and has been notified for Ponneri industrial area.
- Share Holders' Agreement (SHA)/ State Support Agreement (SSA) executed on 21st February, 2020 and SPV has been incorporated on 30th July, 2020.
- During the meeting held on 23rd February, 2022 consultant presented the site assessment of three land parcels identified for development located in three different locations (40-50 kms apart) namely Katur-600 acre, Manali-530 acre, Manellore-2300 acre.
- State Govt. has been requested to confirm the availability of unencumbered and contiguous land parcels for undertaking development activities.



C. CBIC extension to Kochi via Coimbatore

1. Palakkad node in Kerala

- Land area of 1,878 acre has been identified and notified by State Govt. and acquisition process underway.
- Share Holders' Agreement (SHA)/ State Support Agreement (SSA) has been executed on 22nd October, 2020 and SPV has been incorporated on 21st April, 2021 for development of IMC at Palakkad.
- Consultant has been appointed for detailed master planning and preliminary engineering.

D. Amritsar Kolkata Industrial Corridor (AKIC)

1. Raghunathpur, 2,483 acre in West Bengal

- Detailed Master Planning has been completed and activities related to Environmental Clearance for the project is underway.
- State Govt. is reconsidering its decision of partnering with NICDC for this project on account of certain internal issues.

2. Khurpia Farms, 1,002 acre in Uttarakhand

- State Govt. has confirmed the availability of 1002 acre land for the project.
- Share Holders' Agreement (SHA)/ State Support Agreement (SSA) for Khurpia project has been executed on 30th April, 2022.
- Project proposal has been approved by the Board of Trustees of NICDIT in its meeting held on 08th June, 2022.

3. Hisar, 1,605 acre in Haryana

- State Govt. has confirmed the availability of 1605 acre land for the project.
- Consultant for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities has been appointed and works are under progress.

4. Rajpura-Patiala, 1,100 acre in Punjab

- State Govt. has confirmed the availability of 1100 acre land for the project.
- ToR application for Rajpura IMC has been granted by SEIAA, Punjab.
- Project proposal has been approved by the Board of Trustees of NICDIT in its meeting held on 08th June, 2022.

5. Agra (1,059 acre) & Prayagraj (1,141 acre) in Uttar Pradesh

- State Govt. has confirmed the availability of 1059 acre land for the project.
- Consultant for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities has been appointed and works related to site surveys & finalization of Base Map is under progress.
- NICDIT has approved the inclusion of brownfield site at Prayagraj (1,141 acre) to be developed as 2nd node under AKIC.
- For Prayagraj site, consultant to prepare the detailed preliminary design report & marketing strategy has been appointed and site assessment is underway.



6. Gaya, 1,670 acre in Bihar

- State Govt. has confirmed the availability of 1670 acre land for the project.
- Consultant appointed for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities. Works related to base map and master planning is under progress.

7. Jharkhand

- State Govt. has requested Steel Ministry to make available land for IMC in Bokaro steel plant.
- Joint site visit of Bokaro Steel Plant was held on 07th December, 2021.
- The matter regarding availability of land is being taken up by Ministry of Steel and Govt. of Jharkhand.

8. Baddi Barotiwala Nalagarh in Himachal Pradesh

- BBN Node in the State of Himachal Pradesh was included for development under AKIC in the NICDIT meeting held on 14th July 2021.
- Accordingly, Consultant for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities has been appointed by NICDC and works related to site surveys & finalization of Base Map are under progress.

E. Vizag- Chennai Industrial Corridor

NICDIT had accorded its approval for development of Vishakhapatnam and Chittoor as priority nodes in Phase-1 of VCIC. State Govt. has also requested for inclusion of Kadappa (Kopparthy) as an additional node in the State of Andhra Pradesh.

- **Chittoor Node:** Consultants have been appointed for preparation of detailed master planning & preliminary engineering for 8,967 acre, however, State Govt. has to confirm the land parcels for undertaking development activities.
- **Kopparthy Node:** Consultants have been appointed for preparation of detailed master planning & preliminary engineering for 2,595 acre and works are under progress.
- **Visakhapatnam (Nakapalli Cluster, 4,316 acre):** State Govt. is undertaking project development for this node on its own.

F. Bengaluru Mumbai Industrial Corridor (BMIC)

- Govt. of Karnataka has confirmed the 6,400 acre of land available for development of industrial node at Dharwad. Project development activities have been initiated for the said node. Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities are underway;
- Consultant has already been appointed for Detailed Master Planning and Preliminary Engineering for Satara node in Maharashtra. Site earlier proposed by the State Govt. found to be unsuitable for development. State Govt. needs to suggest an alternate land parcel for development.



G. Hyderabad Nagpur Industrial Corridor (HNIC)

- In Aug- 2020, NICDIT approved the proposal of inclusion of Hyderabad Nagpur Industrial Corridor in the State of Telangana with priority node at Zaheerabad.

Zaheerabad, Telangana (12,635 acre):

- a) Phase – I area of 3909 acre.
- b) Govt. of Telangana has carried out master planning study and aheerabad has been identified as part of Hyderabad Nagpur Industrial Corridor.
- c) Environmental Clearance has been obtained.
- d) DPR has been prepared by the State Govt.
- e) NICDIT in its meeting held on 21.09.2021 approved the proposal for development of Zaheerabad Industrial Area under Hyderabad-Nagpur Industrial Corridor in Telangana.
- f) Draft SHA/SSA is being negotiated with the State Govt.

H. Hyderabad Bengaluru Industrial Corridor (HBIC)

- NICDIT had approved the inclusion of HBIC and priority node at Orvakal in the State of Andhra Pradesh;
- Consultant for Detailed Master Planning and Preliminary Engineering for Orvakal node, 9,800 acre (Andhra Pradesh) has been appointed in January, 2021 and Master Planning activities are underway.

I. Odisha Economic Corridor (OEC) Project

- NICDIT had approved the inclusion of OEC and project development activities initiated for two priority nodes, namely:
 - Gopalpur – Bhubaneswar – Kalinganagar (GBK node) and
 - Paradip – Kendrapada – Dhamra – Subarnarekha (PKDS node);
- Consultant appointed for detailed master planning and preliminary engineering for GBK and PKDS node comprising of total area of 11,366 acre.
- State Govt. is yet to confirm the land parcels which are to be considered for Phase I development in Khorda district.

J. Delhi Nagpur Industrial Corridor (DNIC)

- Delhi Nagpur Industrial Corridor has been conceptualized along the North-South Corridor of DFC. The proposed Industrial Corridor will leverage on the existing NH network and the future North-South DFC.
- Consultant appointed for preparation of Perspective Plan for overall DNIC region.
- Consultants have initiated discussions with the State Govt. departments for finalization of alignment and identification of land parcels for development under DNIC.



Other Projects

Model Solar Project, Neemrana, Rajasthan:

- The Power Purchase Agreement (PPA) for 5 MW Solar Power Project has been executed with NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited (NVVNL) on 05th June, 2015 at the tariff of Rs. 8.77 per unit. 5MW solar power project has been commissioned and power supplied to 220 kV RRVNL Grid has commenced since 03rd September 2015.
- The Power Purchase Agreement (PPA) for 1 MW Solar Power Project has been executed with Toyoda Gosei Minda India Pvt Ltd (TGMIND) on 12th February, 2020 at the agreed tariff of Rs. 4.60 per unit. 1 MW solar power project has been commissioned on 19th April 2022 and the power is being injected to 33/11 kV Discom Grid and third-party sale of solar power through open access has commenced to TGMIND from 01st June 2021.

Logistic Data Bank (LDB) Project:

- The project of LDB was envisaged as Service for tracking container cargo movement, integrate the existing IT systems of various stakeholder (ports, customs, trains, ICD etc.) across the supply chain to provide near real time information within a single window;
- Operations started at JNPT from 01st July, 2016;
- More than 49 million EXIM Containers have been tracked till date.
- A total of 170+ CFSs/ICDs and Empty Yards are currently operational in the country to provide visibility services. 5 JNPT Port Terminals, 7 Port Terminals at Southern Corridor, 3 Port Terminals at South-Western Corridor, 4 Port Terminals in Eastern Corridor, 1 port terminal at Western Corridor, 1 Port Terminal at Kandla, 4 Port Terminals at Mundra, 1 Port Terminal at Hazira and 1 terminal at APM Terminal, Pipavav are now operational for providing container tracking services through LDB Portal.
- Total of 60 Toll Plazas are now operational in the Western, Eastern and Southern corridors covering NH 3, NH 8, Mumbai-Pune expressway route, NH 27, NH 15, NH 79, NH 4, NH 6.
- RFID Readers at 3 Integrated Check Posts (ICP) and 9 Special Economic Zones (SEZ) have been installed for last-mile visibility of LDB services in the EXIM container supply chain. The visibility is now being increased to empty yards.

Unified Logistics Interface Platform (ULIP):

- ULIP is designed to enhance efficiency and reduce the cost & time of logistics in India by creating a transparent one window platform that can provide real-time information to all stakeholders and remove all asymmetry information.
- Phase 1 of Unified logistics interface platform (ULIP) has been implemented with integration with 27 systems like Vahan, sarathi, Fastag, ICEGATE, FOIS, PCS, etc. of 7 ministries through development of over 100 APIs covering more than 1600 fields.
- Information on all modes of transportation (Road, Rail, air, sea) are now integrated for providing multi-modal visibility to the logistics ecosystem.
- Industry players, enterprises and start-ups are encouraged to build Use cases on presentation layer of ULIP by utilising the API based integrations available with systems of various ministries.



Logistics Projects

a) Integrated Multi Modal Logistics Hub (IMLH) at Nangal Chaudhary, Haryana

- Project approved by GoI in May, 2018.
- Land admeasuring approx. 886 acre has been identified in District Mahendergarh for the project and 686 acre has been transferred to project SPV and matching equity amounting to Rs. 208.05 crore has been released by NICDIT.
- Approx. 158 acre land is under litigation and matter is pending with Hon'ble High Court of Punjab and Haryana. State Govt. has been requested to get this resolved at the earliest.
- For external connectivity works related to water, power & road, State Govt. agencies have initiated works on deposit basis.
- Approval accorded by DFCCIL on DPR for rail connectivity.
- MoU with DFCCIL for works related to external rail connectivity upto project site on deposit basis has been executed.
- 20E Notification for 23.688 acre of land to be acquired under Railways Act published on 28th Oct 2021 for providing external rail connectivity from New Dabla Station undertaken by DFCCIL along with State Govt.
- EPC Tender documents for works for internal rail siding have been floated.

b) Multi Modal Logistics Hub (MMLH) at Dadri and Multi Modal Transport Hub (MMTH) at Boraki in Greater Noida, Uttar Pradesh

- Projects approved by GoI in Dec, 2020.
- Out of total land area required for MMLH and MMTH of 479 Ha, 369 Ha already under possession of GNIDA and ~83.2 Ha land parcels being acquired by GNIDA through LARR Act. Further, ~23 Ha of land to be acquired by DFCCIL/NCR under Railways Act. 20A Notification of 7.7533 Ha of land to be acquired under Railways Act published on 30th October, 2021.
- 227.48 Ha land transferred to Project SPV and matching equity amounting to Rs. 853.05 crore has been released by NICDIT.
- For MMLH Project, "In-Principle" approval already received from DFCCIL for implementation of external rail connectivity from New Dadri Station to the project site.
- For MMTH Project, MoU has been executed between Ministry of Railways (MoR) and Project SPV (DMIC IITGNL) for development of MMTH.

IICC Project at Dwarka, New Delhi

- Union Cabinet in its meeting held on 10th November, 2017 approved the development of Exhibition-cum-Convention Centre and allied infrastructure in PPP and non-PPP mode at an estimated cost of Rs.26,108 crore. The project is being developed by India International Convention & Exhibition Centre Limited (IICC Ltd.), a Special Purpose Company wholly owned by Government of India through Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT).
- The project is being developed in two phases. Phase-I estimated to cost Rs. 5,178 crore (including financial cost of Rs. 197 crore), consisting of Convention Centre, two Exhibition Halls and related trunk infrastructure facilities and is currently under development. L&T has been appointed as EPC Contractor for the development of Phase-I components including trunk infrastructure for the entire project. The project was originally planned to be completed and commissioned by October, 2019.



Phase-II will include construction of three more Exhibition Halls, Arena, and commercial development of complimentary infrastructure like Hotels, Retail and Office spaces. Government of India would provide additional budgetary support of Rs.2,442.39 crore as equity for Phase-I development. Further requirement of funds for Phase-I and II is being met by IICC Ltd. from internal accruals and loans from Bank.

- There have been instances of stoppage of work due to NGT ban and lockdown due to Covid-19 in 2020 and 2021. There were delays in initial handing over the land to contractor as well as delays on several fronts at the project site by the contractor.
- As per the project reviews taken at the highest level, the EPC contractor has committed to complete the work by January, 2023 in all aspects by deputing additional man and material resources and considering the following changes: -
 - Interface issues with other stakeholders viz. NHAI, DMRC, DJB and IGL
 - NGT Ban
 - Delay in grant of approvals for Kintex variations, GFC drawings & Technical Data Sheet
 - Delay due to Covid-19 wave-3.

Policy Based Loan (PBL) from Asian Development Bank (ADB) for Industrial Corridor Development Programme:

In March 2020, the Screening Committee of Department of Economic Affairs (DEA) approved the loan assistance in the form of a Policy Based Loan (PBL) of USD 500 million for Industrial Corridor Development Programme. The objective of the proposed loan program is to support DPIIT/NICDC/NICDIT in development of industrial corridors to increase India's competitiveness as a global manufacturing hub through policy reforms.

The PBL was structured under the programmatic approach with two subprograms/tranches of \$250 million each. The Executing Agency (EA) of the program is Ministry of Commerce and Industry acting through Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) and Implementation Agency (IA) is NICDIT supported by NICDC.

The loan is taken by Govt. of India (GoI) through Ministry of Finance (MoF) and its servicing and repayment obligation will also be of GoI. Release of funds will continue to flow to NICDIT through DPIIT in the form of Grant-in-Aid as part of overall approved corpus of funds for Industrial Corridor Development Program for onward release to project SPVs as Equity and/or Debt in accordance with the Institutional and Financial Structure approved by GoI.

Sub-program 1 consists of eleven (11) policy actions with an objective to strengthen the institutional structures and mechanism for integrated development, innovative financing solutions and investment promotion in industrial corridors. After successful completion of policy actions by EA/IA as outlined in the policy matrix, in October, 2021, ADB approved the first sub-program of the PBL for USD 250 million for Industrial Corridor Development Programme to Govt. of India. Subsequently, in January, 2022, the loan was made effective and was disbursed to the Consolidated Fund of Govt. of India.



Together with the sub-program 1, ADB also approved the provision of a Technical Assistance (TA) of USD 1 million for knowledge services for Industrial Corridor Development Programme to the Govt. of India to be provided as a grant and to be implemented over 38-months period commencing from November, 2021.

For sub-program 2 (USD 250 million), 13 policy actions have been listed in the policy matrix with a time frame of February 2022 - December 2024. The TA will support the delivery of 11 out of 13 policy actions under sub-program 2 for which the action has already been initiated by ADB. The sub-program 2 of USD 250 million is expected to be disbursed under a single tranche in FY 2025.

3. CAPITAL STRUCTURE:

The authorized, issued and paid-up share capital of the Company is Rs. 100,00,00,000/- (Rupees One Hundred Crore only) divided into 10,00,00,000 (Ten Crore) equity shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each.

4. SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES:

The Company has one subsidiary namely NICDC Neemrana Solar Power Limited (formerly known as DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited) as on 31st March, 2022.

During the year under review, the Board of Directors of the Company reviewed the affairs of the subsidiary.

Further, the report on the performance and the salient features of the Financial Statement of the subsidiary in the prescribed Form AOC-1 is enclosed with the Financial Statements.

5. DIVIDEND:

No dividend has been recommended during the financial year.

Separate proposals for exemption from the applicability of the provisions related to payment of dividend on the guidelines issued by DIPAM, Ministry of Finance, GoI, vide OM NO. 5/2/2016-Policy dated 27th May, 2016 on Capital Restructuring of Central Public Sector Enterprises (CPSEs) were sent by NICDC to DIPAM through DPIIT for financial years 2017-18 to 2020-21. In the Meeting of the Committee for Monitoring of Capital Management & Dividend in CPSEs (CMCDC) held under the Chairmanship of Secretary, DIPAM on 11th December, 2018 and 12th March, 2021, NICDC Limited was considered for exemption from the compliance of Capital Restructuring Guidelines relating to declaration of Minimum Dividend for the FY 2017-18 & 2018-19 respectively. However, decision for the FY 2019-20 and 2020-21 is awaited from DIPAM.

On the similar lines, the Company will seek exemption from payment of Minimum Dividend for the FY 2021-22, accordingly no provision has been made for the Current financial Year.

6. RESERVES:

During the period under review, Rs. 3,60,07,405/- has been transferred to the reserves by the Company.



7. CHANGE IN THE NATURE OF BUSINESS, IF ANY:

There was no change in the nature of the business of the Company during the financial year ended on 31st March, 2022.

8. DETAILS IN RESPECT OF ADEQUACY OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS WITH REFERENCE TO THE FINANCIAL STATEMENTS:

M/S VSPV & CO., Chartered Accountants were appointed as Internal Auditors of the Company for the financial year 2021-22 pursuant to Section 138(1) of the Companies Act, 2013 in the Board Meeting of the Company held on 10th August, 2021. The Board feels that the scope of Internal Audit and existing Internal Financial Controls are adequate and commensurate with the size of the Company.

9. DETAILS OF SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS AND COMPANY'S OPERATIONS IN FUTURE:

During the financial year ended on 31st March, 2022, no order has been passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future.

10. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY OCCURRED BETWEEN THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31st MARCH, 2022 AND THE DATE OF THE REPORT:

There are no material changes that occurred in between the financial year ended on 31st March, 2022 and date of the report of the Company which affects the financial position of the Company.

11. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

During the year under review, the Company is required to comply with the provisions related to Corporate Social Responsibility in pursuance to the provisions of the Section 135 of the Companies Act, 2013. The details of the CSR activities are mentioned in Annual Report on CSR activities enclosed at Annexure-"A".

12. DEPOSITS:

During the financial year ended on 31st March, 2022, the Company has not accepted any deposits nor any deposits remained unpaid or unclaimed.

13. STATUTORY AUDITORS:

The Comptroller & Auditor General of India (C&AG) vide their letter no. CA.V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, DMICDC (0)/216 dated 18th August, 2021 has appointed M/s S. P. Chopra & Co., Chartered Accountants (ICAI Firm Registration No. 000346N) as the Statutory Auditors of the Company for the financial year 2021-22 as per the provisions enumerated under Section 139 of the Companies Act, 2013 (read with other applicable provisions). Also the Supplementary Audit of the Company for the financial year 2021-22 has been entrusted to Principal Director, Commercial Audit & Ex-Officio Member Audit Board - I.



14. STATUTORY AUDITORS' REPORT:

The Statutory Auditors' Report does not contain any qualifications. The notes to the accounts referred to in the Auditor's Report are self-explanatory and therefore do not call for any further comments of Directors.

Review and Comments of C&AG, if any, on the Company's Financial Statements for the Financial Year ending 31st March, 2022 shall form part of Financial Statements.

15. FRAUD REPORTING BY THE AUDITORS

During the FY 2021-22, no instance of fraud has been reported by the Statutory Auditors of the Company to the Audit Committee under Section 143 (12) of the Companies Act, 2013.

16. SECRETARIAL AUDITORS:

M/s Vikas Gera & Associates, Company Secretaries were appointed as the Secretarial Auditors of the Company for FY 2021-22 by the Board in its Meeting held on 10th August, 2021 as per Section 204 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder. The Secretarial Audit Report for the financial year ended on 31st March, 2022 is attached at Annexure-"B".

Further, observation of the Secretarial Auditors along with the management reply is as follows:

Secretarial Auditors' Comment	Management Remarks
The Company was required to appoint Woman Director as per the provision of Section 149(1) of the Companies Act, 2013 which Company has not done.	The Company during the financial year 2021-22 had submitted various correspondence letters to DPIIT (administrative ministry in charge) requesting for appointment of Woman Director on the Board of the Company. Further, Smt. Radha Roy, General Manager, HUDCO, has been appointed as Additional Director on the Board of NICDC with effect from 18th April, 2022 (based upon nomination received from Housing & Urban Development Corporation Limited (HUDCO)); in compliance with the provisions of Section 149(1) of the Companies Act, 2013.

17. EXTRACT OF THE ANNUAL RETURN UNDER SECTION 92(3):

As per applicable provisions of the Act, copy of annual return will be placed on the website of the Company at www.nicdc.in. However, as a part of good corporate governance, the extract of the Annual Return as provided under Section 92(3) of the Companies Act, 2013 in Form No. MGT-9 is attached at Annexure - "C".



18. COST AUDITORS AND COST RECORDS :

As per the provisions of the Companies Act, 2013, the Company is not required to appoint the Cost Auditors and maintain cost records.

19. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO:

The details of conservation of energy, technology absorption, foreign exchange earnings and outgo are as follows:-

A) Conservation of energy*:		
i.	the steps taken or impact on conservation of energy	Not Applicable
ii.	the steps taken by the Company for utilizing alternate sources of energy	Not Applicable
iii.	the capital investment on energy conservation equipment's	Not Applicable
B) Technology absorption:		
i.	the efforts made towards technology absorption	Not Applicable
ii.	the benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution	Not Applicable
iii.	in case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year) a) The details of technology imported; b) the year of import; c) whether the technology been fully absorbed; d) if not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof;	Not Applicable
iv.	the expenditure incurred on Research and Development	Not Applicable
C) Foreign exchange earnings and Outgo:		
i.	The Foreign Exchange earned in terms of actual inflows during the year	Nil
ii.	The Foreign Exchange outgo during the year in terms of actual Outflows	Nil
<i>[*Note: The principal activity of the Company is to facilitate, promote and establish industrial corridors/investment regions/industrial areas/ economic regions/industrial nodes/special economic zones/townships with state-of-art industrial, physical and social infrastructure. The conservation of energy and technology absorption is not applicable. However, the Company is doing its best efforts for the conservation of energy through various project development activities.]</i>		



20. BOARD OF DIRECTORS:

(A) Changes in Directors and Key Managerial Personnel:

S. No.	Name of the Director/Key Managerial Personnel	Date of Appointment	Date of Cessation
1.	Shri Guruprasad Mohapatra	01 st August, 2019	19 th June, 2021
2.	Shri Giridhar Aramane	10 th June, 2021	27 th September, 2021
3.	Shri Anurag Jain	27 th September, 2021	-
4.	Shri K. Sanjay Murthy	18 th November, 2019	30 th September, 2021
5.	Shri Amrit Lal Meena	05 th November, 2021	-
6.	Shri Shailendra Singh	30 th August, 2017	31 st December, 2021
7.	Shri Yusuke Iseki	17 th July, 2019	10 th August, 2021
8.	Shri Kazushige Gobe	10 th August, 2021	-
9.	Dr. Subhramanyam Durvasula, Director	16 th May, 2014	28 th February, 2022

Note : Smt Radha Roy, General Manager (HUDCO) has been appointed as an Additional Director on the Board of NICDC w.e.f. 18.04.2022.

Retirement by Rotation: -

In accordance with the provisions of Section 152 of the Companies Act, 2013 and the Articles of Association of the Company, Shri Munniapa Nagraj, Director of the Company retires by rotation at the ensuing Annual General Meeting and being eligible has offered himself for re-appointment.

(B) Number of Meetings of the Board of Directors:

Four (04) meetings of the Board of Directors of the Company were held in the financial year 2021-22. The details of the Board Meeting are as under:-

S.No.	Particulars	Date of Board Meeting
1.	59 th Board Meeting	10 th June, 2021
2.	60 th Board Meeting	10 th August, 2021
3.	61 st Board Meeting	08 th November, 2021
4.	62 nd Board Meeting	13 th December, 2021

21. COMMITTEES OF THE BOARD:

Pursuant to applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, the Board of Directors of your Company has constituted three Committees which are as follows:-

Audit Committee:

As per Section 177 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, the constitution of the Audit Committee of the Board of Directors of the Company is as follows: -



Sl. No	Name of Director	Category	Designation
1.	Shri Rajendra Ratnoo, Joint Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry	Non Executive Director	Chairman
2.	Shri Toshihiko Kurihara, Chief Representative Officer in New Delhi, Japan Bank for International Cooperation (JBIC)	Non Executive Director	Member
3.	Smt Radha Roy*, General Manager, Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO)	Non Executive Director	Member

*Consequent upon nomination of Smt. Radha Roy, General Manager, Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO) in place of Dr. D. Subrahmanyaman, Sr. Executive Director (Operations) HUDCO, the Board of Directors in its 63rd meeting held on 12th April, 2022 had re-constituted the Audit Committee of the Company.

During the year 2021-22, four (4) meetings of the Audit Committee were held on 10th June, 2021, 09th August, 2021, 05th November, 2021 and 13th December, 2021 respectively.

Nomination and Remuneration Committee:

As per Section 178 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, the constitution of the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Directors of the Company is as follows:-

Sl. No	Name of Director	Category	Designation
1.	Shri Rajendra Ratnoo, Joint Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry	Non Executive Director	Chairman
2.	Shri Toshihiko Kurihara, Chief Representative Officer in New Delhi, Japan Bank for International Cooperation (JBIC)	Non Executive Director	Member
3.	Smt. Radha Roy*, General Manager, Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO)	Non Executive Director	Member

*Consequent upon nomination of Smt. Radha Roy, General Manager, Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO) in place of Dr. D. Subrahmanyaman, Sr. Executive Director (Operations) HUDCO, the Board of Directors in its 63rd meeting held on 12th April, 2022 had re-constituted the Nomination and Remuneration Committee of the Company.



During the year, two (2) meetings of Nomination and Remuneration Committee were held on 09th August, 2021 and 05th November, 2021.

Corporate Social Responsibility Committee:

As per Section 135 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, the constitution of the Corporate Social Responsibility Committee of the Board of Directors of the Company is as follows:-

Sl. No	Name of Director	Category	Designation
1.	Shri Rajendra Ratnoo, Joint Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry	Non Executive Director	Chairman
2.	Shri Toshihiko Kurihara, Chief Representative Officer in New Delhi, Japan Bank for International Cooperation (JBIC)	Non Executive Director	Member
3.	Smt. Radha Roy*, General Manager, Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO)	Non Executive Director	Member

*Consequent upon nomination of Smt. Radha Roy, General Manager, Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO) in place of Dr. D. Subrahmanyaman, Sr. Executive Director (Operations) HUDCO, the Board of Directors in its 63rd meeting held on 12th April, 2022 had re-constituted the Corporate Social Responsibility Committee of the Company.

During the year, two (2) meetings of Corporate Social Responsibility Committee were held on 05th November, 2021 and 04th March, 2022.

22. REMUNERATION PAID TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL (KMP):

The Company during the financial year 2021-22 has paid remuneration to Shri K. Sanjay Murthy, CEO & Managing Director (till 30th September, 2021); Shri Pradeep Kumar Agarwal, Chief Financial Officer and Shri Abhishek Chaudhary, VP - Corporate Affairs, HR and Company Secretary. As a part of Good Corporate Governance, the details of the remuneration paid during the financial year 2021-22 is mentioned in VI (A) and Clause VI (C) of Form No. MGT - 9. Further, as per applicable provisions of the Act, copy of annual return will be placed on the website of the Company at www.nicdc.in.

23. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS UNDER SECTION 186:

No loans or guarantees have been given neither any investments have been made under Section 186 of the Companies Act, 2013 by the Company during the financial year under review.



24. PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES UNDER SECTION 188(1):

No contracts or arrangements were entered into by the Company with related parties referred to in sub-section (1) of Section 188 of the Companies Act, 2013 during the financial year under review.

25. RISK MANAGEMENT AND INTERNAL ADEQUACY:

The Company has adequate risk management process to identify and notify the Board of Directors about the risks or opportunities that could have an adverse impact on the Company's operations or could be exploited to maximize the gains. The processes and procedures are in place to act in a time bound manner to manage the risks or opportunities.

The Company's internal control systems are commensurate with the nature of its business and the size and complexity of its operations. These are routinely tested and certified by Statutory as well as Internal Auditors. Significant audit observations and follow up actions thereon are reported to the Audit Committee.

26. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

In pursuance to clause (c) of sub-section (3) of Section 134 of the Companies Act, 2013 it is stated that:-

- a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- b) the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit of the company for that period;
- c) the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- d) the Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- e) the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

27. RIGHT TO INFORMATION:

The status of RTI applications/appeals received during the financial year 2021-22 is as follows:



RTI Application/ Appeals received		RTI applications				Pending Applications as on 31.03.2022
		Rejected	Information provided	Transferred to other public Authority	Returned to Applicant	
Applications	29	0	26	3	0	0
Appeals	4	0	4	0	0	0

28. PERFORMANCE EVALUATION OF BOARD AND ITS COMMITTEES AND INDIVIDUAL DIRECTORS:

The Directors of the Company are in a fiduciary position (appointed on nominations received from DPIIT, HUDCO & JBIC) empowered to oversee the management functions with a view to ensure its effectiveness and enhancement of stakeholders' value and are diligent in performing their role and responsibilities.

29. POLICY IN COMPLIANCE OF THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013:

The Company has constituted an Internal Complaints Committee in line with the requirements of the Sexual Harassment of Women at the Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013. The Committee has been set up to redress complaints received regarding sexual harassment. The Committee spreads awareness amongst the employees regarding 'Zero Tolerance' for sexual harassment at work place.

There were no cases filed during the financial year ended 31st March, 2022.

30. VIGILANCE:

There were no vigilance cases reported during the financial year 2021-22 and there are also no previous pending vigilance cases in the Company.

31. SECRETARIAL STANDARDS:

The Company has complied with the applicable Secretarial Standards issued by the Institute of Companies Secretaries of India from time to time.

32. EXPLANATION OR COMMENTS BY THE BOARD ON EVERY QUALIFICATION, RESERVATION OR ADVERSE REMARK OR DISCLAIMER MADE:

The report of Statutory Auditors is free from qualification, reservation or adverse remark or disclaimer and explanation on the qualifications given by Secretarial Auditors has been presented in this report at point No.16.

33. ACKNOWLEDGEMENTS:

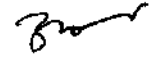
The Board of Directors of the Company wishes to place on record, their thanks and appreciation to all workers, employees, staff members and executives for their contribution to the operations of the Company. The Directors are thankful to the Government of India, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO), India Infrastructure Finance Corporation Limited (IIFCL) and Life Insurance Corporation of India (LIC), and Bankers.



The Directors also place on record their sincere thanks to the other Stakeholders for their continued support, co-operation and confidence in the Management of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors




(Anurag Jain)
Chairman

Address: Quarter No. A-4, Tower 7,
New Moti Bagh, Sarojini Nagar,
New Delhi-110023

Date: 08th July, 2022
Place: New Delhi

ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES(For Financial Year starting from 01st April, 2021 to 31st March, 2022)**1. Brief outline on CSR Policy of the Company.**

NICDC envisions to act in a socially responsible manner to contribute to the socio-economic development of the communities and operate in, by building stronger, developed sustainable communities & raise the quality of life of people of the Country.

2. Composition of CSR Committee:

The composition of the CSR Committee of the Board of Directors of the Company is as below:-

Sl. No.	Name of Director	Designation / Nature of Directorship	Number of meetings of CSR Committee held during the year	Number of meetings of CSR Committee attended during the year
1.	Shri Rajendra Ratnoo, Joint Secretary, Department for Promotion of Industry & Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry	Chairman/ Non-executive Director	2	2
2.	Shri Toshihiko Kurihara, Chief Representative Officer in New Delhi, Japan Bank for International Cooperation (JBIC)	Member/ Non-executive Director	2	2
3.	Dr. D. Subrahmanyam*, Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO)	Member/ Non-executive Director	2	1
4.	Smt. Radha Roy*, General Manager, Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO)	Member/ Non-executive Director	2	0

* Dr. D. Subrahmanyam has resigned from the post of Director w.e.f. 28th February, 2022 and HUDCO has nominated Smt. Radha Roy as Director in his place. Accordingly, the Board in its 63rd meeting held on 12th April, 2022 has appointed Smt. Radha Roy as Director on the Board of the Company.

3. Provide the web-link where Composition of CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the Board are disclosed on the website of the Company.

Web-link disclosing the composition of the CSR committee and CSR policy of the Company is as below: -

<https://www.nicdc.in/index.php/resources/csr-policies.html>



4. Provide the details of Impact assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014, if applicable (attach the report).

Not Applicable.

5. Details of the amount available for set off in pursuance of sub-rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014 and amount required for set off for the financial year, if any:-

Sl. No.	Financial Year	Amount available for set-off from preceding financial years (in Rs)	Amount required to be set-off for the financial year, if any (in Rs)
NIL			

6. Average net profit of the company as per Section 135(5):- Rs. 9,29,14,912/-

7. (a) Two percent of average net profit of the company as per section 135(5): Rs.18,58,298/-
 (b) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years: Nil
 (c) Amount required to be set off for the financial year, if any: Nil
 (d) Total CSR obligation for the financial year (7a+7b-7c): Rs.18,58,298/-

8. (a) CSR amount spent or unspent for the financial year:

Total Amount Spent for the Financial Year. (in Rs.)	Amount Unspent (in Rs.)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section 135(6).		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5).		
	Amount.	Date of transfer.	Name of the Fund	Amount.	Date of transfer.
18,58,298*	Not Applicable		Not Applicable		

* CSR funds of Rs. 18,58,298/- have been contributed to the Prime Minister's National Relief Fund (Scheduled Fund under Schedule VII of the Companies Act, 2013) on 31st March, 2022.

- (b) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year:

(1) Sl. No.	(2) Name of the Project	(3) Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	(4) Local area (Yes/No)	(5) Location of the project. State District	(6) Project duration	(7) Amount allocated for the project (in Rs.).	(8) Amount spent in the current financial year (in Rs.).	(9) Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in Rs.).	(10) Mode of Implementation - Direct (Yes/No)	(11) Mode of Implementation - Through Implementing Agency Name CSR Registration number
Not Applicable										



(c) Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in schedule VII to the Act	Local area (Yes/ No)	Location of the project		Amount spent for the project (in Rs.)	Mode of implementation - Direct (Yes/No)	Mode of implementation - Through implementing agency	
				State	District			Name	CSR registration number
1.	Prime Minister's National Relief Fund	Contribution in Prime Minister's National Relief Fund	-	-	-	18,58,298	Yes	-	-

(d) Amount spent in Administrative Overheads: Nil

(e) Amount spent on Impact Assessment, if applicable: Not Applicable

(f) Total amount spent for the Financial Year (8b+8c+8d+8e): Nil

(g) Excess amount for set off, if any: Nil

Sl. No.	Particular	Amount (in Rs.)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)	-
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	-
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	-
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	-
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	-

9. (a) Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years:

Sl. No.	Preceding Financial Year.	Amount transferred to Unspent CSR Account under section 135 (6) (in Rs.)	Amount spent in the reporting Financial Year (in Rs.).	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any.			Amount remaining to be spent in succeeding financial years. (in Rs.)
				Name of the Fund	Amount (in Rs).	Date of transfer.	
Not Applicable							

(b) Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year(s):

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sl. No.	Project ID	Name of the Project	Financial Year in which the project was commenced	Project duration.	Total amount allocated for the project (in Rs.)	Amount spent on the project in the reporting Financial Year (in Rs.)	Cumulative amount spent at the end of reporting Financial Year (in Rs.)	Status of the project - Completed /Ongoing
Not Applicable								

10. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year (asset-wise details).

- (a) Date of creation or acquisition of the capital asset(s): Nil
- (b) Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset: Nil
- (c) Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc.: Not Applicable
- (d) Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset): Not Applicable

11. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5).

Not Applicable

 Chief Executive Officer and Managing Director	 (Chairman, CSR Committee)



Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

For The Financial Year Ended 31st March, 2022

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies
(Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,
**NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT
CORPORATION LIMITED**
(FORMERLY KNOWN AS DELHI MUMBAI INDUSTRIAL
CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED)
08th Floor, Tower-1, Jeevan Bharti Building,
124 Connaught Place,
New Delhi - 110001

I have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by "NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (FORMERLY KNOWN AS DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED)" (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on my verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, I hereby report that in my opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2022 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

I have examined the books, papers, minute-books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financially year ended on 31st March, 2022 according to the provisions of:

[Handwritten signature]



Delhi | Mumbai | Bangalore | Kolkata | Chennai | Hyderabad | Chandigarh

- 1) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;
- 2) Foreign Exchange Management Act, 1999 and Regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;
- 3) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- 4) Other laws as are and to the extent applicable to the Company as per the Management representations, given below:
 - (i) The Employee Provident Fund Miscellaneous Provisions Act, 1952.
 - (ii) The Payment of Gratuity Act, 1972.
 - (iii) Delhi Shops & Establishment Act, 1954.
 - (iv) Indian Stamp Act, 1999.

I have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) The Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India with respect to General and Board meetings
- (ii) The Company has not entered into listing agreements with any Stock Exchange, being an unlisted entity.

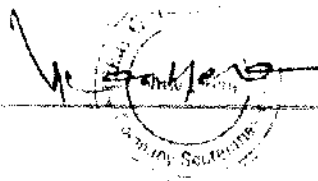
During the period under review the Company has complied with the provisions of the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above and there is no non-compliance/observation/audit qualification, reservation or adverse remarks in respect of above paras.

I further report that

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors and Non-Executive Directors. There is change in the composition of the Board of Directors during the period under review.

The company was required to appoint Woman Director as per the provision of Section 149(1) of the Companies Act, 2013 which company has not done.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before



the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

I further report that

There are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

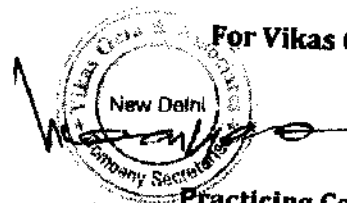
I further report that

There is no non-compliance/observation/audit qualification, reservation or adverse remarks in respect of the Board Structures/system and processes relating to the Audit period.

Place: New Delhi

Date: 08th July, 2022

UDIN: F005248D000591064



For Vikas Gera & Associates

Vikas Gera
Practicing Company Secretary
FCS No. 5248
C P No.: 4500

NOTE: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure A and forms an integral part of this report.



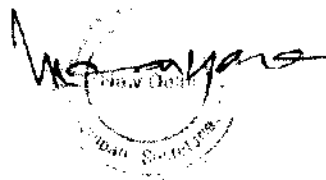
To,

'Annexure A'

The Members,
**NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT
CORPORATION LIMITED**
(FORMERLY KNOWN AS DELHI MUMBAI INDUSTRIAL
CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED)
08th Floor, Tower-1, Jeevan Bharti Building,
124 Connaught Place,
New Delhi - 110001

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the company as the same have been subject to review by the Statutory Financial Auditor and any other designated professional.
4. The Compliances done by the company of the applicable Financial Laws like Direct and Indirect Tax Laws have not been reviewed by us as the same have been subject to review by the Statutory Financial Auditor and any other designated professional.
5. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
6. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.



7. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

Place: New Delhi
Date: 08th July, 2022
UDIN: F005248D000591064

For Vikas Gera & Associates

Vikas Gera
Practicing Company Secretary
FCS No. 5248
C P No.: 4500



Form No. MGT-9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN
As on the financial year ended on 31st March, 2022

[Pursuant to Section 92(3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the Companies
(Management and Administration) Rules, 2014]

I REGISTRATION & OTHER DETAILS		
i)	CIN	U45400DL2008PLC172316
ii)	Registration Date	07 th January, 2008
iii)	Name of the Company	National Industrial Corridor Development Corporation Limited (formerly known as "Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited")
iv)	Category/Sub-category of the Company	Company Limited by shares/Indian Non-Government Company
v)	Address of the Registered office & contact details	08 th Floor, Tower 1, Jeevan Bharti Building, Connaught Place, New Delhi -110001
vi)	Whether listed company (Yes/No)	No
vii)	Name, Address & contact details of the Registrar & Transfer Agent, if any.	NSDL Database Management Limited 04 th Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel Mumbai - 400013

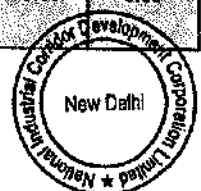
II PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY			
All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated			
S. No.	Name & Description of main products / services	NIC Code of the Product/ service	% to total turnover of the company
1.	The principal activity of the Company is to facilitate, promote and establish industrial corridors/investment regions/industrial areas/ economic regions/industrial nodes/special economic zones / townships/other projects with state-of-art industrial, physical and social infrastructure.	42909 (other civil engineering Project n.e.c.)	100%

III PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY & ASSOCIATE COMPANIES					
S. No.	Name & Address of the Company	CIN/GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of Shares Held	Applicable Section
1.	NICDC Neemrana Solar Power Limited (Formerly "DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited")	U40300DL2014 PLC266439	Subsidiary	100%	2(87)(ii)



08 th Floor, Tower 1, Jeevan Bharti Building, Connaught Place, New Delhi -110001				

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)									
i. Category-wise Share Holding									
Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters									
(1) Indian									
a) Individual / HUF	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
b) Central Govt.	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	0.00
c) State Govt(s)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
d) Bodies Corp.	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
e) Bank / FI	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
f) Others (Trusts)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
Sub-total (A)(1)	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	0.00
(2) Foreign									
a) NRIs - Individuals	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
b) Other - Individuals	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
c) Bodies Corp.	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
d) Bank / FI	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
e) Any other	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
Sub-total (A)(2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00



Total shareholding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	0.00
B. Public Shareholding									
1. Institutions									
a) Mutual Funds	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
b) Bank / FI	2,39,99,998	2	2,40,00,000	24.00	2,39,99,998	2	2,40,00,000	24.00	0.00
c) Central Govt	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
d) State Govt(s)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
e) Venture Capital Funds	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
f) Insurance Companies	10,00,000	0	10,00,000	1.00	10,00,000	0	10,00,000	1.00	0.00
g) FIs	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
h) Foreign Venture Capital Funds	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
i) Others Foreign Holdings (FIIs/FCIs/FFIs/NRIs/OCBs)	2,60,00,000	0	2,60,00,000	26.00	2,60,00,000	0	2,60,00,000	26.00	0.00
Sub-total (B)(1)	5,09,99,998	2	5,10,00,000	51.00	5,09,99,998	2	5,10,00,000	51.00	0.00
2. Non - Institutions									
a) Bodies Corp.	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
b) Individuals	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
i. Individual shareholders holding nominal share capital upto	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00



Rs. 1 lakh									
ii. Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakh	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
c) Others :									
i. Clearing Members	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ii. Non Residents	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
iii. Foreign Company	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
iv. Trusts	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
Sub-total (B)(2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
Total Public Shareholding (B) = (B)(1) + (B)(2)	5,09,99,998	2	5,10,00,000	51.00	5,09,99,998	2	5,10,00,000	51.00	0.00
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
Grand Total (A+B+C)	9,99,99,998	2	10,00,00,000	100.00	9,99,99,998	2	10,00,00,000	100.00	0.00

(ii) Share Holding of Promoters								
S. No.	Shareholders Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in shareholding during the year
		No. of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged/encumbered to total shares	No. of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged/encumbered to total shares	
1.	President of India Through Secretary, Department for Promotion of Industry &	4,89,99,998	49%	-	4,89,99,998	49%	-	NIL



Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce & Industry							
Shri Shailendra Singh, IAS, Additional Secretary, Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce & Industry	01		-	01		-	NIL
Representative of President of India represented through Joint Secretary, Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry	01		-	01		-	NIL

(iii)	Change in Promoters' Shareholding (please Specify, if there is no change) No Change				
S. No.	Shareholders Name	Shareholding at the beginning of the Year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the company	No of shares	% of total shares of the company
NIL					

(iv)	Shareholding Pattern of top Ten Shareholders (other than Directors, Promoters & Holders of GDRs & ADRs)				
S. No.	Shareholders Name	Shareholding at the beginning of the year		Shareholding at the end of the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No of shares	% of total shares of the company
1.	Japan Bank for International Cooperation (JBIC)	2,60,00,000	26.00%	2,60,00,000	26.00%
2.	Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO)	1,99,00,000	19.90%	1,99,00,000	19.90%
3.	India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL)	40,99,998	4.10%	40,99,998	4.10%
	IIFCL jointly with Shri P.R. Jaishankar	01		01	
	IIFCL jointly with Shri Rajeev Mukhija	01		01	
4.	Life Insurance Corporation of India (LIC)	10,00,000	1.00%	10,00,000	1.00%



(v) Shareholding of Directors & KMP					
S. No.	For Each of the Directors & KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the Company	No. of shares	% of total shares of the Company
		NIL			

V INDEBTEDNESS					
S. No.	Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment				
		Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
1	Indebtedness at the beginning of the financial year	-	-	-	-
	i) Principal Amount	-	-	-	-
	ii) Interest due but not paid	-	-	-	-
	iii) Interest accrued but not due	-	-	-	-
	Total (i+ii+iii)	-	-	-	-
2	Change in Indebtedness during the financial year	-	-	-	-
	Additions	-	-	-	-
	Reduction	-	-	-	-
3	Net Change	-	-	-	-
4	Indebtedness at the end of the financial year	-	-	-	-
	i) Principal Amount	-	-	-	-
	ii) Interest due but not paid	-	-	-	-
	iii) Interest accrued but not due	-	-	-	-
	Total (i+ii+iii)	-	-	-	-

VI REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL				
A. Remuneration to Managing Director, Whole time director and/or Manager:				
S. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTE/ Manager		Total Amount (Rs)
		Shri K. Sanjay Murthy- CEO & Managing Director (01.04.2021-30.09.2021)	Shri Amrit Lal Meena (05.11.2021-31.03.2022)	
1	Gross salary	25,16,628	-	25,16,628
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax. 1961.	-	-	-
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income tax Act, 1961	3,83,146	-	3,83,146
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961	-	-	-



2	Stock option	-	-	-
3	Sweat Equity	-	-	-
4	Commission	-	-	-
	as % of profit	-	-	-
	others (specify)	-	-	-
5	Others, please specify	-	-	-
	Total (A)	28,99,774	-	28,99,774
	Ceiling as per the Act	-	-	-

B. Remuneration to other Directors:

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors	Total
1.	Fee for attending board/ committee meetings to Independent Directors	Nil	
	Commission		
	Others, please specify		
Total (1)			
2	Other Non-Executive Directors	Nil	
	Fee for attending board/ committee meetings		
	Commission		
	Others, please specify		
Total (2)		Nil	
Total (B)= (1)+(2)			
Total (A+B)			

C.				
S. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel Other than MD/Manager/WTD		
	Gross Salary	Shri Abhishek Chaudhary (Company Secretary)	Shri P. K. Agarwal (CFO)	Total Amount
1	Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961.	65,86,108	68,40,910	1,34,27,018
	Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961	9,32,697	8,46,909	17,79,606
	Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961	-	-	-
2	Stock Option	-	-	-
3	Sweat Equity	-	-	-
4	Commission as % of profit	-	-	-
	others, specify	-	-	-
5	Others, please specify (Leave Encashment)	1,68,165	62,426	2,30,591
Total		76,86,970	77,50,245	1,54,37,215



VII PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCE:						
S. No	Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fees imposed	Authority (RD/NCLT/ Court)	Appeal made if any (give details)
A.	COMPANY					
	Penalty					
	Punishment					
	Compounding			NONE		
B.	DIRECTORS					
	Penalty					
	Punishment					
	Compounding			NONE		
C.	OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
	Penalty					
	Punishment					
	Compounding			NONE		

For and on behalf of the Board of Directors



(Signature)
(Anurag Jain)
Chairman

Address: Quarter No. A-4, Tower 7,
New Moti Bagh, Sarojini Nagar,
New Delhi-110023

Date: 08th July, 2022
Place: New Delhi

**C&AG REPORT ON
FINANCIAL
STATEMENTS
(STANDALONE)**



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

गोपनीय



सत्यमेव जयते

संख्या/No. G.A.P./B.M./NICDCL/IFS/MC/6-109/22-23

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, 125

कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
(INFRASTRUCTURE), DELHI

दिनांक/Dated 8/9/22

सेवा मे,

सी.ई.ओ. एवं प्रबन्ध निदेशक,

नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

8 वां फ्लोर, टावर-1, जीवन भारती बिल्डिंग, 124, कनॉट प्लेस,

नई दिल्ली-110001

विषय: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, के वार्षिक लेखो (Standalone Financial Statements) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखो (Standalone Financial Statements) पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 'शून्य टिप्पणियाँ' अंग्रेषित करता हूँ। इन शून्य टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक आमसभा में उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीय,

संलग्न: शून्य टिप्पणियाँ

(दीपक कपूर)
महानिदेशक

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL
STATEMENTS OF NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT
CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022**

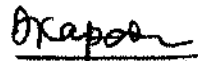
The preparation of financial statements of **NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED** for the year ended 31 March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 08 July 2022.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of **NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED** for the year ended 31 March 2022 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditor and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

**For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India**

**Place: New Delhi
Dated: 8 September 2022**


**(Deepak Kapoor)
Director General of Audit (Infrastructure)
New Delhi**

**AUDITOR'S REPORT
ON FINANCIAL
STATEMENTS
(STANDALONE)**

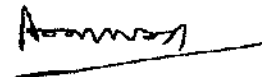
S. P. CHOPRA & CO.
Chartered Accountants

Corporate Office
1505, Astralis Supernova
Sector-94, Gautam Buddha Nagar
Noida - 201 301
Phone 0120 - 4516921
www.spchopra.in
spc1949@spchopra.in

Compliance Certificate

We have conducted the audit of accounts of National Industrial Corridor Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2022 in accordance with the directions/ sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General (C&AG) of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013 and certify that we have complied with all the directions/ sub-directions issued to us.

For S.P. Chopra & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000346N



Ankur Goyal
Partner
Membership No.099143

Place: New Delhi

Dated: 8 July 2022

S. P. CHOPRA & CO.
Chartered Accountants

Corporate Office
1505, Astralis Supernova
Sector-94, Gautam Buddha Nagar
Noida - 201 301
Phone 0120 - 4516921
www.spchopra.in
spc1949@spchopra.in

Independent Auditor's Report
To The Members of National Industrial Corridor Development Corporation Limited

Report on the audit of the standalone financial statements

Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statements of **National Industrial Corridor Development Corporation Limited** ("the Company"), which comprise the standalone Balance Sheet as at 31 March 2022, and the standalone Statement of Profit and Loss and the standalone Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the standalone financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information ("the standalone financial statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the company as at 31 March 2022 and its profit, and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for opinion

We conducted our audit of the standalone financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those standards are further described in the 'Auditor's responsibilities for the audit of the standalone financial statements' section of our report. We are independent of the company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements under the provisions of the Act and the rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

Information other than the standalone financial statements and auditor's report thereon

The company's board of directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the report of board of directors, including annexures, but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon, which is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during the course of audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Contd..p/2



Registered Office - F-31 Connaught Place New Delhi - 110 001 Tel: 91-11-23313495

: 2 :

When we read the report of the board of directors, including annexures, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibility of the management and those charged with governance for the standalone financial statements

The company's board of directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting standards notified under section 133 of the Act read with the Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2016, as amended from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, the board of directors is responsible for assessing the company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless board of directors either intends to liquidate the company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The board of directors is also responsible for overseeing the company's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the standalone financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with the SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls systems in place and the operating effectiveness of such controls.



Contd..p/3

: 3 :

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the standalone financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the standalone financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on other legal and regulatory requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in Annexure - 'A', a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
2. We also enclose our report in terms of section 143(5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us by the management, in Annexure - 'B', on the directions and sub-directions issued by Comptroller and Auditor General of India.
3. As required by section 143(3) of the Act, we report that:
 - a) we have sought and obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
 - b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the company so far as appears from our examination of those books;
 - c) the standalone balance sheet, the standalone statement of profit and loss and the standalone statement of cash flows dealt with, in the report are in agreement with the books of account;



Contd..p/4

: 4 :

- d) in our opinion, the standalone financial statements comply with the accounting standards notified under section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the Companies (Accounting Standards) Amendment Rules 2016, as amended from time to time;
- e) on the basis of written representation received from the directors and taken on record by the board of directors, none of the directors are disqualified as at 31 March 2022 from being appointed as a director, in terms of sub section (2) of section 164 of the Act;
- f) with respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to standalone financial statements of the company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in Annexure - 'C';
- g) the remuneration paid by the company to its directors during the year is in accordance with the provisions of section 197 of the Companies Act, 2013, read with schedule V of the Act; and
- h) with respect to the other matters to be included in the auditor's report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- i) The company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its standalone financial statements – Refer note 24 to the standalone financial statements;
 - ii) The company has not entered into any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses;
 - iii) There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the company.
 - iv) (a) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
 - (b) The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the company from any person or entity, including foreign entity ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;



Contd..p/5

: 5 :

(c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement; and

- v) No dividend was declared or paid during the year; hence, the said clause is not applicable.

For S.P. Chopra & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000346N

Ankur Goyal

Ankur Goyal
Partner

Membership No. 099143
UDIN 22099143AMLXWZ1054

Place: New Delhi
Dated: 8 July 2022



Annexure - 'A' to Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph '1' under 'Report on other legal and regulatory requirements' section of the Independent Auditor's Report of even date on the standalone financial statements of National Industrial Corridor Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2022)

Based on the audit procedures performed for the purpose of reporting a true and fair view on the standalone financial statements of the company and taking into consideration the information and explanations given to us and the books of account and other records examined by us in the normal course of audit, and to the best of our knowledge and belief, we report that:

- (i) In respect of its property, plant and equipment:
- a. (A) The company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of property, plant and equipment.
 - (B) The company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of intangible assets.
 - b. As explained to us, the property, plant and equipment are physically verified by the management every year, which in our opinion is reasonable, having regard to the size of the company and nature of its property, plant and equipment. No material discrepancies were noticed on such physical verification.
 - c. According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the company does not hold any immovable property hence the reporting under this clause is not applicable.
 - d. The company has not revalued any of its property, plant and equipment and intangible assets during the year.
 - e. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the company, no proceedings have been initiated during the year or are pending against the company as at 31 March 2022 for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder, as amended.
- (ii) (a) As explained to us, the company does not hold any inventory hence reporting under this clause is not applicable.
- (b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the company has not been sanctioned the working capital limit in excess of ₹ 5 crores, in aggregate at any point of time during the year, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets, hence reporting under this clause is not applicable.
- (iii) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the company has not made any investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, limited liability partnerships or any other parties during the year, hence reporting under clauses 3(iii)(a) to 3(iii)(f) of the Order is not applicable.
- (iv) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the company has not entered into any transactions in respect of loans, investments, guarantees, and security covered under section 185 and 186 of the Act hence this reporting under clause is not applicable.



Contd..p/2

: 2 :

- (v) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the company has not accepted any deposits or amounts which are deemed to be deposits within the meaning of section 73 to 76 or any other relevant provisions of the Act and the rules framed thereunder to the extent notified, hence reporting under this clause is not applicable.
- (vi) Pursuant to the rules made by the Central Government of India, the company is not required to maintain cost records as specified under sub-section (1) of section 148 of the Act, hence reporting under this clause is not applicable.
- (vii) In respect of statutory dues:
- According to the information and explanations given to us and the records of the company examined by us, in our opinion, the undisputed statutory dues including provident fund, employee state insurance, income-tax, goods and service tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and other statutory dues, as applicable have generally been regularly deposited with the appropriate authorities *though there have been delays in few cases* and no undisputed amounts payable in respect of aforesaid dues are outstanding as at 31 March 2022 for a period of more than six months from the date they became payable.
 - The disputed statutory dues aggregating to ₹ 51.71 lakhs have been withheld by the department against the disallowances/ additions etc. against which company has filed appeal/ grievance before appropriate authorities as under:

Sr. No.	Name of Statute	Nature of dues	Forum where dispute is pending	Period to which amount disputes relates	Amount (₹ in lakhs)
1	Income Tax Act, 1961	Income-tax on completion of assessment	CIT	AY 2017-18	5.79
2			(Appeals)	AY 2018-19	17.47
3			Grievance to CPC	AY 2019-20	28.45
				Total	51.71

- (viii) According to the information and explanations given to us, there were no transactions relating to previously unrecorded income that have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961).
- (ix) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the company has not taken loans and borrowings from the financial institution, bank, government or dues to debenture holders hence the reporting under clauses 3(ix)(a) to 3(ix)(f) are not applicable.
- (x) (a) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has neither raised funds by way of initial public offer nor further public offer (including debt instruments) during the year hence reporting under this clause is not applicable.
- (b) The company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully, partially or optionally convertible) during the year, hence reporting under this clause is not applicable.

Contd..p/3



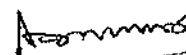
: 3 :

- (xi) (a) Based on the audit procedures and according to the information and explanations given to us, no fraud by the company or no material fraud on the company has been noticed or reported during the year.
- (b) No report under sub-section (12) of section 143 of the Act has been filed in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, with the Central Government, during the year and upto the date of this report.
- (c) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, no whistle blower complaint was received by the company during the year.
- (xii) The company is not a Nidhi company hence reporting under clause 3(xii)(a) to 3(xii)(c) is not applicable.
- (xiii) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the company, transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of the Act, where applicable. The details of such transactions have been disclosed in the standalone financial statements as required by AS 18 – Related Party Disclosures.
- (xiv) (a) In our opinion, the company has an adequate internal audit system commensurate with the size and the nature of its business.
- (b) We have considered the internal audit reports for the year under audit, issued to the company during the year, in determining the nature, timing and extent of our audit procedures.
- (xv) According to the information and explanation given to us, the company has not entered into any non-cash transactions with its directors or person connected with them.
- (xvi) (a), (b) and (c) According to the information and explanation given to us, the company does not undertake any activity which requires the company to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934, hence, reporting under clauses 3(xvi)(a), (b) and (c) of the Order is not applicable.
- (d) In our opinion, there is no Core Investment Company within the Group (as defined in the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016) and accordingly reporting under clause 3(xvi)(d) of the Order is not applicable.
- (xvii) The company has not incurred cash losses during the financial year covered under our audit and in the immediately preceding financial year.
- (xviii) There has been no resignation of the statutory auditors of the company during the year.
- (xix) On the basis of the financial ratios {as given in note 29(vi)}, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the standalone financial statements and our knowledge of the board of directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report indicating that company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the company as and when they fall due.



- (xx) (a) There are no unspent amounts towards Corporate Social Responsibility (CSR), in respect of other than ongoing projects, requiring a transfer to a Fund specified in Schedule VII to the Act in compliance with second proviso to sub-section (5) of Section 135 of the said Act.
- (b) There are no unspent amounts towards Corporate Social Responsibility (CSR), pursuant to any ongoing projects under sub-section (5) of Section 135 of the Act, requiring a transfer to a special account in compliance with the provision of sub-section (6) of section 135 of the said Act.
- (xvi) The company has a wholly owned subsidiary company namely NICDC Neemrana Solar Power Limited which has been included in the consolidated financial statements. However, there is no qualification or adverse remarks in the Companies (Auditor's Report) Order (CARO) report for the year ended 31 March 2022 by the auditor of the said company.

**For S.P. Chopra & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000346N**



**Ankur Goyal
Partner**

**Membership No. 099143
UDIN 22099143AMLXWZ1054**

**Place: New Delhi
Dated: 8 July 2022**



Annexure - 'B' to Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 2 under 'Report on other legal and regulatory requirements' section of the Independent Auditor's Report of even date on the standalone financial statements of National Industrial Corridor Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2022)

Directions and Sub-Directions issued by the Comptroller & Auditor General of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013 in respect of annual accounts of National Industrial Corridor Development Corporation Limited for the year 2021-22.

Sr. No.	Directions/ Sub Directions	Auditor's Responses	Action taken thereon by management	Impact on standalone financial statements
A	Directions			
1	Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	Based on audit procedures and according to the information and explanations given to us, the company has a system in place to process material accounting transactions through IT system in 'Tally ERP' accounting software. Accordingly, there are no implications on the integrity of the accounts.	No action is required	No Impact
2	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/ write off of debts/ loans/ interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a government company, then this direction is also applicable from statutory auditors of lender company).	According to information and explanations given to us, there is no case of restructuring of an existing loan or cases of waiver/ write off of debts/ loans/ interest etc. made by any lender to the company due to the company's inability to repay the loan.	No action is required	No Impact



Contd..p/2

: 2 :

3	Whether funds (grants/ subsidy etc.) received/ receivable for specific schemes from Central/ State governments or its agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	Government of India (GoI) approved setting up of project development fund (PDF) for undertaking various project development/ preparatory activities for various industrial corridor projects for which the company receives grant-in-aid from Govt. of India through National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) which is disclosed as capital reserves under 'Reserve and surplus'.	No action is required	No impact
		According to information and explanations given to us, grant-in-aid received during the year have been properly accounted for by the company as per its term and conditions and is disclosed in note 13 of the standalone financial statements.		
B	Sub-Directions			
	NIL			

Place: New Delhi
Dated: 8 July 2022



For S.P. Chopra & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000346N

Ankur Goyal
Partner
Membership No. 099143
UDIN 22099143AMLXWZ1054

Annexure 'C' to Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 3(f) under 'Report on other legal and regulatory requirements' section of the Independent Auditor's Report of even date on the standalone financial statements of National Industrial Corridor Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2022)

Report on the internal financial controls under clause (i) of sub-section 3 of section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls with reference to standalone financial statements of 'National Industrial Corridor Development Corporation Limited' ("the Company") as at 31 March 2022 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the company for the year ended on that date.

Management's responsibility for internal financial controls

The board of directors of the company is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the company considering the essential components of internal control stated in the "Guidance note on audit of internal financial controls over financial reporting" (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the company's internal financial controls with reference to standalone financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the guidance note on audit of internal financial controls over financial reporting (the 'Guidance Note') and the standards on auditing, issued by the Institute of Chartered Accountants of India and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of internal financial controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards and the guidance note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to standalone financial statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system with reference to standalone financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to standalone financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to standalone financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the company's internal financial controls system with reference to standalone financial statements.

Contd..p/2



: 2 :

Meaning of internal financial controls with reference to standalone financial statements

A company's internal financial control with reference to standalone financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of standalone financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control with reference to standalone financial statements includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of standalone financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the standalone financial statements.

Inherent limitations of internal financial controls with reference to standalone financial statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to standalone financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to standalone financial statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to standalone financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls with reference to standalone financial statements and such internal financial controls with reference to standalone financial statements were operating effectively as at 31 March 2022, based on the internal control with reference to standalone financial statements criteria established by the company considering the essential components of internal control stated in the guidance note on 'Audit of internal financial controls over financial reporting' issued by the 'Institute of Chartered Accountants of India'.

Place: New Delhi
Date: 8 July 2022



For S.P. Chopra & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000346N

Ankur Goyal
Partner
Membership No. 099143
UDIN 22099143AMLXWZ1054

**FINANCIAL
STATEMENTS
(STANDALONE)**

National Industrial Corridor Development Corporation Limited
CIN: U45400DL2008PLC172316

Standalone Balance Sheet as at 31st March, 2022

Particulars	Note	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Equity and Liabilities			
Shareholders' funds			
(a) Share capital	3	10,000.00	10,000.00
(b) Reserves and surplus	4	87,045.49	72,042.41
		77,045.49	82,042.41
Non-current liabilities			
(a) Long-term provisions	5		118.83
			50.82
Current liabilities			
(a) Trade payables	6		
(i) Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		32.42	122.68
(ii) Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises			
(b) Other current liabilities	7	2,137.88	1,845.73
(c) Short-term provisions	8	301.18	392.32
		11.16	13.97
		2,462.64	2,474.70
Total		79,646.98	84,567.93
Assets			
Non-current assets			
(a) Property, plant and equipment and intangible assets			
(i) Property, plant and equipment	9	157.10	205.89
(ii) Intangible assets		15.93	19.12
(b) Non-current investments	10	1,300.00	1,300.00
(c) Deferred tax assets (net)	11	83.57	35.07
(d) Long-term loans and advances	12	6.29	0.02
(e) Other non-current assets	13	61,073.98	62,615.87
		62,615.87	67,423.47
			68,883.57
Current assets			
(a) Trade receivables	14	132.50	138.12
(b) Cash and bank balances	15	18,228.79	14,803.58
(c) Short-term loans and advances	16	38.81	58.52
(d) Other current assets	17	890.99	586.13
		17,031.09	15,584.36
Total		79,646.96	84,567.93
Significant Accounting Policies	2		
Notes to accounts attached form an integral part of the standalone financial statements	3-35		

As per our Report of even date attached
For S. P. Chopra & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000346N

(Ankur Goyal)

Partner

(Membership No. 099143)

UDIN: 22099143AMLXW21054

Place: New Delhi

Date: 8th July, 2022



For and on behalf of the Board of Directors of
National Industrial Corridor Development Corporation Limited

(Anrit Lal Meena)

CEO & Managing Director

(DIN: 08628193)

P. K. Agarwal

(P.K. Agarwal)
Chief Financial Officer

(Rajendra Ratnoo)

Director

(DIN: 02855304)

Abhishek Chaudhary
(Abhishek Chaudhary)
VP - Corporate Affairs, HR
& Company Secretary

National Industrial Corridor Development Corporation Limited

CIN: U45400DL2008PLC172316

Standalone Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March, 2022

Particulars	Note	Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Income			
Revenue from operations	18	1,657.32	2,500.00
Other income	19	825.23	714.28
Total income		2,282.55	3,214.28
Expenses			
Employee benefits expense	20	877.97	529.65
Depreciation and amortization expense	21	74.16	86.40
Other expenses	22	817.24	812.26
Total Expenses		1,769.37	1,428.31
Profit before tax		513.18	1,785.97
Tax expense			
Current tax		173.40	532.43
Earlier year		8.21	0.69
Deferred tax		(28.50)	(11.50)
Profit for the year		360.07	1,264.46
Earnings per equity share (face value of ₹ 10/- per share)	23		
Basic earnings per share (₹)		0.36	1.26
Diluted earnings per share (₹)		0.36	1.26
Significant Accounting Policies	2		
Notes to accounts attached form an integral part of the standalone financial statements	3-35		

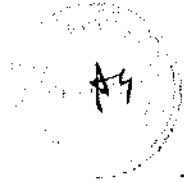
As per our Report of even date attached
For S. P. Chopra & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000346N

(Signature)

(Ankur Goyal)
Partner
(Membership No. 099143)

UDIN: 22099143AMLXW21054

Place: New Delhi
Date: 8th July, 2022



For and on behalf of the Board of Directors of
National Industrial Corridor Development Corporation Limited

(Signature)
(Amrit Lal Meena)
CEO & Managing Director
(DIN : 06625183)

(Signature)
(P.K. Agarwal)
Chief Financial Officer

(Signature)
(Rajendra Retnoo)
Director
(DIN : 02855304)

(Signature)
(Amitesh Chaudhary)
VP - Corporate Affairs, HR &
Company Secretary

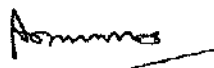
National Industrial Corridor Development Corporation Limited

CIN: U45400DL2008PLC172316

Standalone Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2022

Particulars	Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Cash flow from operating activities:		
Profit before tax	513.18	1,785.97
Adjustments for:		
Depreciation and amortization expenses	74.16	95.40
Loss on sale of property, plant and equipment	0.51	0.01
Property, plant and equipment written off	0.20	-
Interest income	(513.82)	(603.39)
Operating profit before working capital changes	74.23	1,288.99
Adjustments for:		
(Increase)/ Decrease in trade receivables	5.62	(5.63)
(Increase)/ Decrease in other receivables	80.55	193.09
Increase/ (Decrease) in trade payables	101.89	(1,399.81)
Increase/ (Decrease) in other payables	(17.45)	2.84
Cash generated from/ (used in) operating activities	244.84	69.28
Taxes paid (net of refunds)	(311.42)	(309.56)
Net cash from/ (used in) operating activities	(66.58)	(249.28)
Cash flow from investing activities:		
Funds received for project development expenses	5,000.00	4,500.00
Interest earned on funds received for project development expense	125.41	92.25
Utilisation of funds received for project development expenses	(4,124.57)	(6,245.82)
Funds received for swachhta action plan	10.00	10.00
Interest earned on funds received for swachhta action plan*	-	0.00
Utilisation of funds received for swachhta action plan	(10.00)	(10.00)
(Purchase) of property, plant and equipment and intangible assets	(23.17)	(53.64)
Sale of property, plant and equipment	0.29	0.01
(Increase)/ Decrease in deposits with banks	397.82	(984.82)
Interest income	513.82	603.39
Net cash from/ (used in) investing activities	1,889.60	(2,996.02)
Cash flow from financing activities:		
Net cash from/ (used in) financing activities	-	-
Net increase/ (decrease) in cash and cash equivalents	1,823.02	(2,347.99)
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	13,808.77	16,156.67
Cash and cash equivalents at the end of the year	15,631.79	13,808.77
Components of cash and cash equivalents:		
Cash on hand	0.02	0.02
Balances with bank in current accounts	4.44	1,218.39
Balances with bank in term deposits	15,627.33	12,590.36
	15,631.79	13,808.77
Significant Accounting Policies	2	
Notes to accounts attached form an integral part of the standalone financial statements	3-35	
* Amount is less than ₹1,000/-		

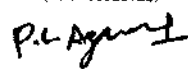
As per our Report of even date attached
For S. P. Chopra & Co.,
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000346N

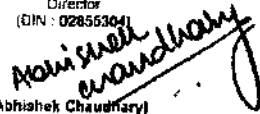

(Ankur Goyal)
Partner
(Membership No. 099143)

For and on behalf of the Board of Directors of
National Industrial Corridor Development Corporation Limited


(Anurag Lal Meena)
CEO & Managing Director
(DIN : 06626183)


(Rajendra Ratnoo)
Director
(DIN : 02855304)


(P.K. Agarwal)
Chief Financial Officer


(Abhishek Chaudhary)
VP - Corporate Affairs, HR
& Company Secretary

UDIN: 22 099 143 AM LXWZ 1054

Place: New Delhi
Date: 8th July 2022



National Industrial Corridor Development Corporation Limited
CIN: U45400DL2006PLC172316
Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2022

Note 1: General Information

The Government of India (GoI) announced the concept of Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) project as the first industrial corridor in 2007 under Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, to embark on the process of planned urbanisation with manufacturing as the key economic driver and also to give a strong impetus to the country's industrial manufacturing development. Accordingly, Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (DMICDC) was incorporated on 7th January 2008 as a Special Purpose Vehicle (SPV) for the development and implementation of DMIC project.

During September 2011, the Government of India approved the financial and institutional structure of DMIC project for the development of industrial cities in DMIC project and also approved the creation of dedicated fund with a revolving corpus known as DMIC Project Implementation Trust Fund (DMIC-PITF).

DMICDC is to act as a project development company to undertake various prefeasibility, feasibility, master planning and engineering studies for developing new greenfield industrial smart cities. Also, DMICDC was mandated to act as the Project Development Partner/ Knowledge Partner to DMIC-PITF and also to all SPVs and State Government agencies for the implementation of DMIC.

The Government of India in December 2018, expanded the mandate of DMIC Project Implementation Trust Fund and redesignated it as National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) for integrated development of industrial corridors in the country. DMICDC was mandated to act as a knowledge partner to NICDIT in respect of all the industrial corridors in addition to DMIC work. Knowledge Partner(s) for other industrial corridors are put in place. In view of the expanded mandate, the name of the company was changed from Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (DMICDC) to National Industrial Corridor Development Corporation Limited (NICDC) with effect from 17th February 2020.

Subsequently, Government of India during December 2020 has approved the implementation of 11 Industrial Corridor projects (including 5 industrial corridors earlier approved) consisting of 32 projects, to be developed in 4 phases, under the industrial corridor programme, within the overall framework of National Master Plan for multi-modal connectivity.

Note 2: Significant Accounting Policies

2.1 Basis for preparation of standalone financial statements

The accompanying standalone financial statements of the Company have been prepared and presented under the historical cost convention on accrual basis, as a going concern, in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (GAAP), the provisions of the Companies Act, 2013 to the extent notified and applicable and the mandatory accounting standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2016, to the extent applicable and in the manner so required.

The accounting policies adopted in the preparation of financial statements have been consistently applied except where a newly issued accounting standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use.

The Company is an enterprise under Small and Medium Sized Company (SMC) as defined in the General Instructions in respect of Accounting Standards notified under the Companies Act, 2013. Accordingly, the Company has complied with the Accounting Standards as applicable to a Small and Medium Sized Company.

All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's normal operating cycle. Based on the nature of services and time between rendering of services and their realisation in cash and cash equivalents, the Company has ascertained its operating cycle as 12 months for the purpose of current or non-current classification of assets and liabilities.

2.2 Use of estimates

The preparation of standalone financial statements in conformity with the generally accepted accounting principles (GAAP) in India requires management to make estimates and assumptions, wherever necessary, that affect the reported amount of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the date of standalone financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Although such estimates and assumptions are made on a reasonable and prudent basis taking into account all available information, actual results could differ from these estimates and assumptions and such differences are recognized in the period in which the results are known/ materialized.

2.3 Property, plant and equipment

- i) Property, Plant and Equipment (PPE) are stated at historical cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any.
- ii) Cost of acquisition/ construction is inclusive of freight, erection and commissioning charges, duties and taxes, expenditure during construction period up to the date of acquisition/ installation and other incidental expenses incurred during the construction/ installation stage.
- iii) When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted for as separate items (major components) of property, plant and equipment.
- iv) Subsequent expenditure related to an item of property, plant and equipment are added to its book value only if they increase the future benefits from the existing asset beyond its previously assessed standard of performance. Repairs & maintenance costs are recognized in the statement of profit and loss as and when incurred.
- v) Losses arising from the retirement, or profit/ losses arising from disposal of property, plant and equipment which are carried at cost, are recognised in the standalone statement of profit and loss in the year of retirement/ disposal.



vii) Depreciation on property, plant and equipment except for leasehold improvements, is charged on written down method over their estimated useful lives, in accordance with the provisions of Schedule II of the Companies Act, 2013, retaining 5% of the cost as its residual value. However, if the management's estimate of the useful life of the asset is shorter than that envisaged in the aforesaid schedule, depreciation is provided at a higher rate based on the management's estimate of useful remaining life. The useful life of the assets in accordance with the provisions of Schedule II of the Companies Act, 2013 and as estimated by the management is as under:

Assets	Useful Life (in years)
Furniture and fixtures	10
Office equipment	5
Electrical installations and equipment	10
Computers - End user devices such as desktops, laptops etc.	3
Computers - Servers and networks	6

- viii) Property, plant and equipment costing upto ₹ 5,000/- each are fully depreciated in the year of acquisition.
- ix) Depreciation on addition to property, plant and equipment is charged on pro-rata basis from the date the assets are ready for intended use over the estimated remaining useful life of the asset. Depreciation on sale/discard/destroy/demolish of assets is charged upto the date of sale/rental of assets, as the case may be.
- x) Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed periodically, including at each financial year end.
- xi) Property, plant and equipment, if any, retired from active use or held for disposal are stated at lower of cost (net of accumulated depreciation) or estimated net realizable value.
- xii) The cost of leasehold improvement is amortised on straight line basis over the period of lease.
- xiii) Property, plant and equipment under construction and cost of assets not ready for intended use before the year-end, are shown as capital work in progress.
- xiv) Advances paid towards the acquisition of property, plant and equipment outstanding at each balance sheet date is classified as capital advances under other non-current assets.

2.4 Intangible assets

Intangible assets are recognized where it is probable that the future economic benefit attributable to the asset will flow to the enterprise and the cost of assets can be measured reliably. Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any. Internally generated intangible assets, excluding capitalized development costs, are not capitalized and expenditure is reflected in the standalone statement of profit and loss in the year in which the expenditure is incurred.

Intangible assets consist of computer software and are stated at cost of acquisition/implementation less accumulated amortization. It is amortized over a period of 5 years or the license period on a straight line basis, whichever is earlier.

2.6 Impairment of assets

An asset is treated as impaired when the carrying cost of assets exceeds its recoverable value. The carrying amounts of assets are reviewed at each balance sheet date and if there is any indication of impairment based on internal/external factors, the impairment loss is recognized. An impairment loss is charged to the statement of profit and loss in the year in which an asset is identified as impaired. The impairment loss recognized in prior accounting period is increased/reversed where there has been change in the estimate of recoverable amount. The recoverable value is the higher of the assets' net selling price and value in use.

2.8 Grant-in-aid

2.8.1 Project Development Fund (PDF)

Government of India (GoI) approved setting up of project development fund (PDF) for undertaking various project development/preparatory activities for various industrial corridor projects for which the Company receives grant-in-aid from Govt. of India through National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) which is disclosed as capital reserves under 'Reserve and surplus'. In case any amount becomes refundable to GoI/NICDIT, the amount is reduced in the year of refund.

Interest, dividend or any other income earned on this fund is added to the fund balance. Further, project development expenses (PDE) incurred on project development/preparatory activities of various industrial corridors out of the fund are treated as under:

a) Expense related to subsidiaries of the Company and the projects for which separate Special Purpose Vehicles (SPVs) have been formed between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) and the nodal agencies of the concerned State Governments, wherever recoverable in accordance with the stipulations in the Shareholders' Agreement are shown as recoverables from the concerned subsidiaries/SPVs and disclosed under 'Other non-current assets';

b) Expense incurred for the projects which are not to be taken off or no further activities are to be carried out or the Shareholders' Agreement between NICDIT and the concerned State Govt(s)/Nodal Agency(ies) does not provide for recovery are reduced from the 'Project Development Funds' balance under 'Capital reserves'; and

c) Expense relating to the projects which are in progress and where the SPVs have not yet been incorporated due to the non execution of the Shareholders' Agreement or where the projects have not yet been approved for investment by NICDIT/CCEA or any other expense not covered under para (a) and (b) above are accounted as 'Project Development Expenses' under the head 'Other non-current assets'.



2.6.2 Project Implementation Fund (PIF)

Government of India has approved setting up of a Project Implementation Fund (PIF) for undertaking various project implementation activities for Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) project for which the grant-in-aid is received from Govt. of India through National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) and is disclosed as capital reserves under 'Reserve and surplus'. In case any amount becomes refundable to Govt. NICDIT, the amount is reduced in the year of refund.

Interest, dividend or any other income earned on this fund is added to the fund balance.

2.6.3 Swachhita Action Plan Fund (SAP)

Government of India has approved setting up of a Swachhita Action Plan Fund (SAP) for meeting the expenditure towards the Swachhita Action Plan for which the grant-in-aid is received from Govt. of India through National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) and is disclosed as capital reserves under 'Reserve and surplus'. In case any amount becomes refundable to Govt. NICDIT from the fund, the amount is reduced in the year of refund.

Interest, dividend or any other income earned on this fund is added to the fund balance and non-recoverable expenditure incurred therefrom is met out of fund balance.

2.7 Investments

Investments in subsidiaries are primarily meant to be held over long term period and are valued at cost less accumulated impairment losses, if any. Cost includes the acquisition cost and other incidental cost incurred for its acquisition. Provision is made in case there is a decline, other than temporary, in the carrying value of such investments. Indicators of the value of an investment are obtained by reference to its market value, the investee's assets and results and the expected cash flows from the investments.

Current investments are stated at the lower of cost or quoted price.

On disposal of investments, the difference between net disposal proceeds and the carrying amounts are recognized in the Statement of Profit and Loss.

2.8 Revenue Recognition

- a) Revenue from provision of services rendered by the Company is recognised on accrual basis, to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Company and when the significant terms of arrangement are enforceable, services have been delivered, the collectability is reasonably assured and the revenue can be reliably measured. Accordingly, revenue on services is recognised as follows.

(i) Service fees @ 1% of the funds released by National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) to various projects out of Project Implementation Funds (PIF) is recognised to the maximum limit of ₹ 2000 lakhs in a year, as approved by NICDIT in its meeting held on 28th July 2016.

(ii) Service fees @ 1% of yearly internal accruals towards the services rendered to India International Convention & Exhibition Centre Limited (IICC) as Knowledge Partner is recognised to a minimum of ₹ 500 lakhs and maximum of ₹ 1000 lakhs per annum on pro-rata basis for an initial period of 10 years as stipulated in MOU executed with IICC on 28th October 2018.

- b) Interest income is recognized on time proportionate basis taking into account the amount outstanding and applicable rate of interest.
- c) Dividend income is recognized when the company's right to receive dividend is established by the reporting date.

2.9 Leases

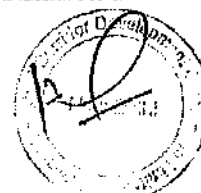
Lease arrangements, where the risk and rewards incidental to ownership of the assets, substantially vests with the lessor, are recognized as an operating lease. Lease payments under operating lease are recognized as an expense in the standalone statement of profit and loss on accrual basis.

2.10 Foreign currency transactions

Foreign currency transactions are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary assets and liabilities in foreign currency existing at the balance sheet date are translated at the exchange rate prevailing on that date. Exchange differences in case of borrowed funds and liabilities in foreign currency for the acquisition of property, plant and equipment from a country outside India are adjusted to its cost. All other exchange differences are recognized in the standalone statement of profit and loss. Premium or discount on forward exchange contract is amortized as expense or income over the life of the contract. Exchange difference on such contract is recognized in the standalone statement of profit and loss in the reporting period in which the exchange rates changes. Any profit or loss arising on cancellation or renewal of forward contract is recognized as income and expenditure during the period.

2.14 Employee benefits

- a) **Short term benefits:**
These are recognized as an expense in the standalone statement of profit and loss for the year in which the related services are rendered. These benefits include leave salary and pension contribution to the government employees, on deputation to the company, which is accounted as per the prescribed rules of central government.
- b) **Defined contribution plan:**
The company's contribution paid or payable during the year to statutory provident fund, pension scheme in accordance with Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952, National Pension Scheme (NPS) and Post Superannuation Medical Benefits (PSMB) are recognized as an expense in the year in which the employee renders services.
- c) **Defined benefit plan:**
Company's liability towards gratuity and leave encashment is determined by independent actuary, at the year-end using the projected unit credit method. Actuarial gains or losses as determined by the actuary are recognized in the standalone statement of profit and loss during the year in which actuarial valuation is done.



2.12 Segment reporting

The operating segments are identified on the basis of internal reports used by the company's management to allocate resources and assess their performance for decision making. The Board of Directors is collectively the company's "chief operating decision maker" or "CODM" within the meaning of AS 17. The company has only one reporting segment of providing services as a knowledge partner for implementation of various industrial corridors and project(s) as approved by Govt.

2.13 Taxes on income

- a) Tax expense comprises both current tax and deferred tax.
- b) Current income tax, assets and liabilities are measured at the amount expected to be paid to or recoverable from the taxation authorities in accordance with the tax regime inserted by the Taxation Laws (Amendment) Act, 2018 in the Income Tax Act, 1961, and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS) enacted in India, by using tax rates and the tax laws that are enacted at the reporting date.
- c) Deferred tax liability/asset resulting from 'timing difference' between accounting income and taxable income, that is capable of reversal in subsequent accounting period is accounted for considering the tax rate and tax laws that have been enacted or substantively enacted as on the reporting date. Deferred tax asset is recognized and carried forward only to the extent there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date for their realizability.
- d) Minimum alternate tax (MAT) is charged to the standalone statement of profit and loss as current tax during the year in which it is paid. The company recognizes MAT credit available as an asset only to the extent that there is convincing evidence that the company will pay normal income tax during the specified period, i.e., the period for which MAT credit is allowed to be carried forward. The company recognizes MAT credit as an asset in accordance with the Guidance Note on Accounting for Credit Available in respect of Minimum Alternative Tax under the Income-tax Act, 1961, the said asset is created by way of credit to the standalone statement of profit and loss and shown as 'MAT Credit Entitlement'. The company reviews the 'MAT credit entitlement' asset at each reporting date and writes down the asset to the extent the company does not have convincing evidence that it will pay normal tax during the specified period.

2.14 Earnings per share

The Company reports Basic and Diluted Earnings Per Share (EPS) in accordance with Accounting Standard 20 on "Earning Per Share".

Basic earnings per share is computed by dividing the net profit or loss for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing the net profit or loss for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year, as adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares, except where the results are anti-dilutive.

2.15 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Provisions are recognised when there is a present obligation as a result of a past event(s) and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to their present value and are determined based on the best estimate required to settle the obligation on reporting date. These estimates are reviewed at each reporting date and adopted to reflect the current best estimates.

Contingent liabilities are disclosed in the Notes when there is a possible obligation arising from past event(s), the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events, not wholly within the control of the Company or a present obligation that arises from past event(s) where it is either not probable that an outflow of resources will be required to settle or a reliable estimate of the amount cannot be made.

Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

2.16 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cheques, draft on hand/ remittance in transit, bank balances and deposits with maturities of three months or less and that are readily convertible to known amount of cash and cash equivalents and which are subject to an insignificant risk of changes in value.

2.17 Cash Flow Statements

The cash flow statement is prepared by the "Indirect Method" as set out in Accounting Standard 3 on "Cash Flow Statements" and presents the cash flows by operating, investing and financing activities of the company.

Cash and cash equivalents presented in the standalone cash flow statement consist of cash on hand, cheques, draft on hand/ remittance in transit, bank balances and deposits with maturities of three months or less and that are readily convertible to known amount of cash and cash equivalents.

The transactions pertaining to project development funds and related income / expenses are being long term in nature, hence these are considered as investing activities.



National Industrial Corridor Development Corporation Limited
CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2022

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 3: Share capital		
Authorised		
10,00,00,000 (Previous year: 10,00,00,000) equity shares of ₹10/- each	10,000.00	10,000.00
	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
Issued, subscribed and fully paid up		
10,00,00,000 (Previous year: 10,00,00,000) equity shares of ₹10/- each	10,000.00	10,000.00
Total	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

3.1 Reconciliation of shares outstanding at the beginning and at the end of the year:

	As at 31st March, 2022 No. of shares (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 No. of shares (₹ in lakhs)
Balance at the beginning of the year	10,00,00,000	10,00,00,000
Add: Shares issued during the year	-	-
Balance at the end of the year	<u>10,00,00,000</u>	<u>10,00,00,000</u>

3.2 Terms/ rights attached to equity shares

The Company has only one class of equity shares having a par value of ₹ 10/- per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. The Company may declare and pay dividend in Indian rupees. The dividend proposed by the Board of Directors is subject to the approval of the shareholders in the ensuing Annual General Meeting. In the event of liquidation of the Company, the holders of equity shares will be entitled to receive remaining assets of the Company, after distribution of all preferential amounts. The distribution will be in proportion to the number of equity shares held by the shareholders.

3.3 Details of shareholders holding more than 5% shares in the company

	As at 31st March, 2022 No. of shares % of Holding	As at 31st March, 2021 No. of shares % of Holding
The President of India (Through Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade and its nominee)	4,90,00,000 49.00	4,90,00,000 49.00
Japan Bank for International Co-operation (JBIC)	2,60,00,000 26.00	2,60,00,000 26.00
Housing and Urban Development Corporation Limited	1,89,00,000 18.90	1,89,00,000 18.90

As per the records of the company, including its register of Shareholders / Members and other declarations, if any, received from Shareholders regarding beneficial interest, the above shareholding represents both legal and beneficial ownership of shares.

3.4 The Company has neither issued bonus shares nor issued any shares without payment being received in cash or brought-back shares during five years immediately preceding the balance sheet date.

3.5 Shareholding of Promoters

Promoter Name	Shares held by promoters at the end of the year No. of Shares % of total shares	% Change during the year
President of India Through Secretary, Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIT), Ministry of Commerce & Industry	4,89,99,998	
Shri Shailendra Singh, IAS, Additional Secretary, Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIT), Ministry of Commerce & Industry	1	49%
Representative of President of India represented through Joint Secretary, Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIT), Ministry of Commerce and Industry	1	
Total	<u>4,90,00,000</u> 49%	



National Industrial Corridor Development Corporation Limited
CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2022

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 4: Reserves and surplus		
(a.) Capital reserves - Grant-in-aid received for: (Refer note 2.8)		
(i) Project development fund		
As per last balance sheet	68,020.27	68,520.27
Add: Grant-in-aid received during the year	5,000.00	4,500.00
Add: Interest etc. earned on project development fund	73,020.27	68,020.27
As per last balance sheet	3,225.78	3,133.52
Interest on term deposits and tax refunds during the year	128.41	82.25
(Less): Project development expenses, to the extent not recoverable		
As per last balance sheet	(4,035.14)	(3,798.71)
Expenses incurred during the year	(10,474.05)	(238.43)
(Less): Tax impact on income earned on project development fund	(30.87)	(22.62)
(ii)	<u>41,831.40</u>	<u>67,169.39</u>
(iii) Project implementation fund		
As per last balance sheet (Refer note 10.1)	1,300.00	1,300.00
(iv)	<u>1,300.00</u>	<u>1,300.00</u>
(v) Swachhila Action Plan		
As per last balance sheet*	0.00	-
Grant-in-aid received during the year	10.00	10.00
Add: Interest on term deposits during the year*	-	0.00
(Less): Expenses incurred during the year	(10.00)	(10.00)
(vi)*	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Sub-total	63,131.40	68,468.39
(b.) Surplus		
As per last balance sheet	3,564.02	2,288.57
Add: Profit for the year	360.07	1,284.45
Total	<u>67,045.49</u>	<u>72,042.41</u>

* Amount is less than ₹1,000/-

(This space has been intentionally left blank)



National Industrial Corridor Development Corporation Limited
CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2022

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 5 : Long-term provisions		
Provision for employee benefits		
- Gratuity (Refer note 25)	68.66	50.82
- Leave encashment (Refer note 25 for current year disclosures)	50.27	-
Total	118.93	50.82

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 6 : Trade payables		
Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises (Refer note 6.1)	32.42	122.68
Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	2,137.88	1,945.73
Total	2,170.30	2,068.41

- 6.1 Information pursuant to the provisions of Section 22 of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 is given below. This information has been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information available with the Company.

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
i) The principal amount and interest due thereon remaining unpaid to any supplier covered under MSMED Act at the end of the year		
- Principal	32.42	122.68
- Interest	-	-
ii) The amount of interest paid by the Company in terms of section 18 of the MSMED Act, 2006 along with the amount of the payment made to the suppliers beyond the appointed day during the year	-	-
iii) The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the MSMED Act 2006	-	-
iv) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of the year; and	-	-
v) The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the MSMED Act 2006	-	-

National Industrial Corridor Development Corporation Limited

CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2022

6.2 Trade payables ageing

As at 31st March, 2022		(₹ in lakhs)			
Particulars	Outstanding from due date of payment/ transaction*				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME	32.42	-	-	-	32.42
(ii) Others	1,018.68	896.85	197.86	24.49	2,137.88
(iii) Disputed dues- MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues- Others	-	-	-	-	-
Total	1,051.10	896.85	197.86	24.49	2,170.30

As at 31st March, 2021		(₹ in lakhs)			
Particulars	Outstanding from due date of payment/ transaction*				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME	122.88	-	-	-	122.88
(ii) Others	1,441.21	253.61	180.28	70.85	1,945.73
(iii) Disputed dues- MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues- Others	-	-	-	-	-
Total	1,563.89	253.61	180.28	70.85	2,068.41

* The above ageing has been prepared by management based on date of transactions. However, the amount has not fallen due for payment since the milestone of payment has not been achieved/non-receipt of certificate for completion of work/amount retained due to non-submission of performance security towards deferred liability period.

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 7 : Other current liabilities		
Statutory liabilities	152.11	239.19
Accrued expenses	13.81	18.32
Creditors for expenses	16.24	82.06
Employee related payable	49.02	4.75
Bid security	70.00	50.00
Total	301.18	392.32

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 8 : Short-term provisions		
Provision for employee benefits		
- Gratuity (Refer note 25)	6.19	3.79
- Leave encashment (Refer note 25 for current year disclosures)	4.97	1.69
Other provisions		
- Provision for taxation (net of advance tax for previous year ₹ 546.47 lakhs)		6.49
Total	11.16	13.97



National Industrial Corridor Development Corporation Limited
CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2022

Note 9.1: Property, plant and equipment and intangible assets

Particulars	Gross block			Depreciation/Amortization			Net block	
	As at 1st April, 2021	Additions during the year	Sales/disposal/adjustments during the year	As at 31st March, 2022	As at 1st April, 2021	For the year (Refer note 9.4)	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Furniture and fixtures	52.43	-	-	52.43	22.55	7.73	30.32	29.84
Office equipment	143.87	2.59	(6.56)	139.80	93.86	22.29	109.99	50.01
Electrical installations and equipment	13.81	-	(0.79)	13.02	5.22	2.18	6.81	8.59
Computer and data processing units	56.59	9.30	(7.79)	57.10	45.36	14.27	53.23	20.23
Leasehold Improvements (Office Renovation)	155.72	-	-	155.72	58.50	12.22	70.72	97.22
Current year's total	432.42	10.89	(15.14)	428.17	238.53	58.68	271.87	206.89
Previous year's total	362.66	49.85	(9.09)	402.42	153.60	73.09	236.53	-
Intangible assets								
Computer software	85.28	12.28	-	97.56	86.16	15.47	81.89	19.12
Current year's total	85.28	12.28	-	97.56	86.16	15.47	81.83	19.12
Previous year's total	81.63	3.78	(0.13)	85.28	52.90	13.31	66.16	-

9.1) Pursuant to "AS28- Impairment of Asset" issued by the Central Government under the Companies (Accounting Standard) Rule 2008 for determining impairment in carrying amount of property, plant and equipment, the company has concluded that since recoverable amount of property, plant and equipment is not less than its carrying amount, therefore, no provision for impairment is required in respect of property, plant and equipment owned by the Company

9.2) During the year, the company has not revalued any of its property, plant and equipment and intangible assets.

9.3) The company does not hold any immovable property.

9.4) Reconciliation of depreciation charged during the year

Particulars	Property, plant and equipment	
	Leasehold Improvements (Office renovation)	
Depreciation as per note 9 above	12.22	
Depreciation/Amortisation for earlier year	(0.73)	
Depreciation for the year	11.49	



National Industrial Corridor Development Corporation Limited
CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2022

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 10: Non-current investments (Unquoted, at cost)		
Non-trade investment in 1,30,00,000 (Previous year: 1,30,00,000) fully paid-up equity shares of ₹10/- each of NICDC Neemrana Solar Power Limited, wholly owned subsidiary company out of project implementation fund. (Refer note 10.1)	1,300.00	1,300.00
(Less): Diminution in value of investments	-	-
Total	1,300.00	1,300.00

10.1 As per the approval of the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), an amount of ₹1300 lakhs was transferred to NICDC Limited by National Industrial Corridor Development and Implementation Trust Fund out of Main Corpus/ Capital Funds of the Trust during the financial year 2013-14 for onward release to SPV namely "NICDC Neemrana Solar Power Limited" towards 100% equity investment of the Trust through NICDC Limited for the implementation of 6 MW model solar power project. The upsidel from such investment will flow back to the Trust through NICDC Ltd. The amount received from the Trust has been shown as Project Implementation Fund (PIF) under capital reserves in note 4.

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 11: Deferred tax assets (net)		
Deferred tax assets:		
- Difference between depreciation/ amortisation as per account and as per tax	26.16	19.29
- Timing difference on account of expenses allowable on payment basis	37.41	15.78
Deferred tax liability	-	-
Total	63.57	35.07

Deferred tax assets has been recognized during the current year, since it is capable of reversal in subsequent accounting periods.

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 12: Long-term loans and advances (Unsecured, considered good)		
Staff advance	0.35	-
Prepaid expenses	4.94	0.02
Total	5.29	0.02

(This space has been intentionally left blank)



National Industrial Corridor Development Corporation Limited
CIN: U46400DL2008PLC172316

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2022

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 13 - Other non-current assets		
(Unsecured, considered good)		
(a) Security Deposits	5.52	5.52
(b) Project development expenditure (PDE) against project development fund (Refer note 2.6.1)		
As per last balance sheet	10,914.90	10,378.56
Add: Expense incurred during the year (Net of bid processing fee of ₹ 30.00 lakhs (Previous year: ₹ 91.50 lakhs))	4,189.74	6,245.82
	15,084.64	16,624.38
(Less): Transferred to subsidiary/ SPVs, being recoverable	(1,651.97)	(6,471.07)
(Less): Transferred to project development funds, not being recoverable (Refer note 13.1 and 13.2)	(10,474.05)	(236.43)
Sub-total	2,858.62	10,914.90
(c) Project development expenses recoverable from SPVs (Refer note 2.6.1, 13.3 and 13.4)		
- Aurangabad Industrial Township Limited	21,405.10	20,262.02
- Dholera Industrial City Development Limited	32,158.60	31,783.68
- NICDC Haryana Global City Project Ltd.	889.66	889.66
- NICDC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Limited	543.13	543.13
- DMIC Haryana MRTS Project Limited	687.98	687.98
- DMIC Vikram Udyogpunj Limited	507.55	507.55
- DMIC Integrated Industrial Township Greater Noida Limited	875.09	875.09
- NICDT Krishnapatnam Industrial City Development Limited	942.73	942.73
Sub-total	58,109.84	56,503.05
Total	61,073.98	67,423.47

13.1 The project development expenditure (PDE) have been reviewed during the year and an amount of ₹ 8134 lakhs pertaining to the projects where there was no movement in project activities and not expected to be taken forward in future, have been reduced from the 'Project Development Fund' balance under 'Capital Reserve' in accordance with the accounting policy no. 2.6.1 (b) with the approval of the Board of Directors in its 63rd meeting held on 12th April, 2022

13.2 The project development expenditure during the year includes ₹ 630.67 lakhs incurred towards PM Gell Shetu-National Master Plan (NMP) duly authorized by DPST and same has been reduced from the 'Project Development Funds' balance under 'Capital Reserves' as per the accounting policy no.2.6.1 (b).

13.3 National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) in its 3rd meeting held on 6th March, 2018 had directed the Company to transfer the project development expenditure incurred by the Company in relation to projects of the subsidiaries/ SPVs out of project development funds provided as Grant-in-aid to the respective subsidiaries/ SPVs and to defer its recovery till such time the SPVs would be able to generate sufficient surplus funds. The respective subsidiaries/ SPVs have not yet been able to generate sufficient surplus funds hence the amount is shown as recoverable from SPVs at the year end till they start generating surplus.

13.4 Movement of project development expenditure recoverable from SPVs

As at 31st March, 2022

SPV	Balance as at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)	Expenditure incurred during the year (₹ in lakhs)	Amount received/reversed during the year (₹ in lakhs)	Balance as at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
- Aurangabad Industrial Township Limited	20,262.02	1,143.08	-	21,405.10
- Dholera Industrial City Development Limited	31,783.88	420.10	(46.18)	32,158.60
- NICDC Haryana Global City Project Ltd.	889.66	-	-	889.66
- NICDC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Limited	543.13	94.53	-	637.66
- DMIC Haryana MRTS Project Limited	687.98	-	-	687.98
- DMIC Vikram Udyogpunj Limited	507.55	-	-	507.55
- DMIC Integrated Industrial Township Greater Noida Limited	875.09	(5.74)	-	875.09
- NICDT Krishnapatnam Industrial City Development Limited	942.73	-	-	942.73
	56,503.05	1,651.97	(46.18)	58,109.84



National Industrial Corridor Development Corporation Limited
CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2022

As at 31st March, 2021

SPV	Balance as at 31st March, 2020 (₹ in lakhs)	Expenditure incurred during the year (₹ in lakhs)	Amount received/reversed during the year (₹ in lakhs)	Balance as at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
- Aurangabad Industrial Township Limited	17,893.28	2,568.76	-	20,462.02
- Dholera Industrial City Development Limited	29,145.87	2,637.01	-	31,783.88
- Dholera International Airport Company Limited	5.90	-	(6.80)	-
- NICDC Haryana Global City Project Ltd.	648.84	40.82	-	889.66
- NICDC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Limited	484.10	64.50	-	548.60
- DMIC Haryana MRTS Project Limited	687.13	0.85	-	687.98
- DMIC Vikram Udyogpuri Limited	507.55	-	-	507.55
- DMIC Integrated Industrial Township Greater Noida Limited	745.06	135.77	-	880.83
- NICDIY Krishnapatnam Industrial City Development Limited	919.37	23.36	-	942.73
	51,035.58	3,471.07	(6.80)	66,623.05

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 14: Trade receivables		
(Unsecured, considered good)		
Other receivables - India International Convention and Exhibition Centre Limited (Enterprise over which ICMF exercise significant influence)	132.50	138.12
Total	132.50	138.12

14.1 Trade receivables ageing

As at 31st March 2022		Outstanding from due date of payment/transactions					(₹ in lakhs)
Particulars	Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total	
(i) Undisputed Trade Receivables - considered good	132.50	-	-	-	-	132.50	
(ii) Undisputed Trade Receivables - considered doubtful	-	-	-	-	-	-	
(iii) Disputed Trade Receivables - considered good	-	-	-	-	-	-	
(iv) Disputed Trade Receivables - considered doubtful	-	-	-	-	-	-	
Total	132.50	-	-	-	-	132.50	

The above ageing has been given based on date of transactions. The amount has since been realised.

As at 31st March 2021		Outstanding from due date of payment/transactions					(₹ in lakhs)
Particulars	Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total	
(i) Undisputed Trade Receivables - considered good	138.12	-	-	-	-	138.12	
(ii) Undisputed Trade Receivables - considered doubtful	-	-	-	-	-	-	
(iii) Disputed Trade Receivables - considered good	-	-	-	-	-	-	
(iv) Disputed Trade Receivables - considered doubtful	-	-	-	-	-	-	
Total	138.12	-	-	-	-	138.12	



(This space has been intentionally left blank)



National Industrial Corridor Development Corporation Limited

CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2022

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 16: Cash and bank balances		
Cash and cash equivalents		
Cash on hand	0.02	0.02
Balances with banks in current accounts		
- Project Development Fund	2.29	2.23
- Swachh Action Plan*	0.00	0.00
- Company Fund	2.15	1,216.18
Balance with banks in term deposits (3 months & less)		
- Project Development Fund	2,262.28	788.25
- Company Fund	13,305.05	11,601.11
Other bank balances		
Balance with banks in term deposits (More than 3 months till 12 months)		
- Project Development Fund	597.00	994.82
Total	16,228.78	14,603.38
* Amount less than ₹1,000/- There are no repatriation restrictions with regard to cash and cash equivalents at the end of reporting and previous year.		

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 18: Short-term loans and advances		
(Unsecured, considered good)		
Advance to vendors	12.60	2.49
Staff advance	0.12	0.51
Prepaid expenses	18.19	20.80
Recoverable on account of apportionment of overheads from:		
(i) NICDC Narmada Solar Power Limited	1.54	25.09
(ii) India International Convention and Exhibition Centre Limited	8.36	5.63
Total	38.81	56.62

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 17: Other current assets		
Interest accrued on term deposits (includes on account of PDF of ₹ 34.54 lakhs)		
(Previous year- ₹ 7.24 lakhs)	454.18	491.41
Income tax refundable (Refer note 24(ii))	51.91	53.06
Other recoverable	-	0.90
GST input	11.70	9.86
Security Deposits	0.16	-
Advance tax (Net of provision for taxation of ₹ 181.75 lakhs)	112.97	-
Total	630.99	586.13



(This space has been intentionally left blank)



National Industrial Corridor Development Corporation Limited

CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2022

Particulars	Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 18 : Revenue from operations		
Service fees as knowledge partner to (Refer note 2.6)		
National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT)	1,157.32	2,000.00
India International Convention and Exhibition Centre Limited (IICC)	500.00	500.00
Total	1,657.32	2,500.00

Particulars	Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 19 : Other income		
Interest on term deposits on company funds	513.82	603.39
Interest on income tax refund	12.22	15.57
Apportionment of overheads from (Refer note 19.1):		
(i) India International Convention and Exhibition Centre Limited	72.00	72.00
(ii) NICDC Neemrana Solar Power Limited	17.55	23.01
Miscellaneous income	9.64	0.31
Total	625.23	714.28

19.1 Overhead cost towards office premises and other administrative support provided by the company is recovered from the respective company on proportionate basis, as per past practice.

Particulars	Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 20: Employee benefits expense		
Salary, wages, gratuity, compensated absence, allowances etc.	763.85	470.35
Contribution to provident and other funds	86.94	37.23
Staff welfare expenses	47.18	22.07
Total	897.97	529.65

20.1 Amendment in HR Policy:

(a) The Board of Directors of the Company in its 60th meeting held on 10th August 2021, with the concurrence of DPIIT, has approved the amendment in the HR Policy of the Company on IDA Pay Pattern effective from 1st April, 2021, with respect to Pay and Allowances, the recruitment and promotion of employees as well as other related provisions broadly based on 3rd Pay Revision Committee (PRC) recommendations applicable to Central Public Sector Enterprises (CPSEs) and accordingly the same have been implemented during the year.

(b) Superannuation Benefits:

As part of Pay and allowances of the amended policy, superannuation benefits subject to a ceiling of 30% of Basic Pay and Dearness Allowance is payable to employees. However, in respect of the post superannuation medical benefits, the formation of Superannuation Trust is in process, and till then the liability towards employees' contribution calculated @3.18% amounting to ₹10.10 lakhs has been provided for as on 31st March 2022 and the same will be transferred to the trust, subsequent to its formation.

(This space has been intentionally left blank)



National Industrial Corridor Development Corporation Limited

CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2022

Particulars	Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 21: Depreciation and amortization expense.		
Depreciation on property, plant and equipment	58.89	73.09
Amortization of intangible assets	15.47	13.31
Total	74.36	86.40

Particulars	Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 22: Other expenses		
Rent (Refer note 22.1 and 26)	486.03	488.03
Payment to Auditors		
Audit fees	4.95	3.30
Certification fees	0.05	0.05
Arrears	1.65	6.65
Advertisement and business promotion	35.60	81.07
Corporate social responsibility expense (Refer note 30)	18.58	11.97
Deployment lead expenses	5.50	-
Electricity	9.47	10.01
Housekeeping	18.48	17.43
Security	9.00	8.66
Professional and consultancy	50.98	38.57
Meeting and refreshment	8.55	2.02
Repair and maintenance - office	38.54	38.57
Repair and maintenance - computers	20.04	26.86
Printing and stationery	23.56	19.20
Communication and postage	17.04	15.65
Travelling and conveyance	29.38	26.53
Insurance	0.30	0.25
Loss on sale of property, plant and equipment	0.51	0.01
Prior period expenses (Refer note 22.2)	0.75	2.53
Stipend	3.58	3.01
Property, plant & equipment written off	0.20	-
Miscellaneous expenses	34.50	20.64
Total	617.24	612.26

22.1 Rent includes municipal taxes of ₹103.07 lakhs (Previous year ₹103.07 lakhs) paid to lessor in terms of lease agreement.

22.2 Details of prior period expenses are as under :

Particulars	Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Advertisement and business promotion	-	2.26
Communication and postage	-	0.11
Travelling and conveyance	-	0.18
Professional and consultancy	-	0.01
Deployment lead expenses	0.69	-
Books and Periodicals	0.05	-
Total	0.74	2.53



National Industrial Corridor Development Corporation Limited

CIN: U45400DL2008PLG172318

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2022

23	Earnings per share		
Basic earnings per equity share have been computed by dividing profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the year			
	Particulars	Year ended 31st March, 2022	Year ended 31st March, 2021
a	Profit after tax attributable to equity shareholders (₹ in lakhs)	360.07	1,284.45
b	Weighted average of number of equity shares used as denominator for calculating EPS (Nos.)	10,00,00,000	10,00,00,000
c	Basic/Diluted Earnings per share (₹)	3.60	1.28
d	Face value per equity share (₹)	10.00	10.00

24 Contingent Liabilities and Commitments (to the extent not provided for):

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
(i) Commitments		
Estimated amount of consultancy contracts for project development activities remaining to be executed and not provided for	16,074.64	16,156.93
(ii) Contingent liabilities		
- Claims against the Company not acknowledged as debts		
- Guarantees issued by Bank on behalf of the Company		

(iii) Taxation matters - Income tax matters under appeal/rectification

Assessment Year	Refund claimed (₹ in lakhs)	Refund received as per order (₹ in lakhs)	Balance refund withheld (₹ in lakhs)	Reason for withheld	Status
2017-18	52.55	46.86	5.70	AO u/s 143(3) has disallowed certain expense of ₹ 17.13 lakhs vide order dated 25.12.2019	Appeal has been filed with CIT on 08.01.2020, date of hearing is awaited.
2018-19	49.72	32.26	17.47	AO u/s 143(3) has disallowed certain expense of ₹ 4.34 lakhs and made addition of income of ₹ 58.89 lakhs vide order dated 25.04.2021	Appeal has been filed with CIT on 13.05.2021, date of hearing is awaited
2019-20	97.58	69.14	28.45	TDS credit misstatement of ₹ 28.45 lakhs in the information received u/s 143(1) dated 23.10.2022	Grievance has been filed on the portal on 12.05.2022 and later the request letter has been filed with AO on 26.05.2022, redressal of same is awaited
Total			81.71		

The Company is contesting these demands and the management including its advisors are of the view that these demands may not be sustainable at the appellate level. The management believes that the ultimate outcome of these proceedings will not have any material adverse effect on the Company's financial position and results of operations. The Company does not expect any reimbursement in respect of these contingent liabilities, and it is not practicable to estimate the timing of cash outflows, if any, in respect of these matters, pending resolution of the appellate proceedings.

(iv) Legal Matters - The status of legal cases filed against the company with no financial implication as at 31st March, 2022 is as under:

Sr. No.	Writ Petition No. & Date	Petitioners	Respondents	Subject Matter	Brief Details
1	9292/2015	Subh Ram & Ors.	NICDC Ltd. & Ors.	Related to Land Acquisition in the State of Rajasthan.	Counter affidavit requesting the Court to delete the name of NICDC (Formerly known as DMICDC Ltd) from the array of parties has been filed with the Hon'ble High Court of Rajasthan, Jaipur Bench. The Petitioners have filed an application for amending the Writ Petition. The said application has been allowed by the Hon'ble High Court. The counter affidavit has been submitted by NICDC in respect of the amended Writ Petition also. An application requesting change of name of Company from DMICDC to NICDC has been filed before the Hon'ble Court on 06th September, 2020. The last date of hearing was 30th March, 2022 and the next date of hearing is 14th July 2022
2	6649/2015	Ishad Mahd, Khan and Ors.	NICDC Ltd. & Ors.	Related to water pipeline laid down from Jaykwar Dam to Shendra Industrial Park in Aurangabad	An application has been filed before the Hon'ble High Court of Bombay, Aurangabad Bench on 16-01-2016 under Order 3 Rule 10 of Code of Civil Procedure, 1908 requesting the Court to delete the name of NICDC Ltd. (Formerly known as DMICDC Ltd) from the array of parties on the ground that the applicant is neither a proper party nor a necessary party to the Writ Petition. The last date of hearing was 14th March, 2022 and the next date of hearing is awaited.



National Industrial Corridor Development Corporation Limited

CIN: U45406DL2008PLC172318

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2022

25 Disclosures as per Accounting Standard 15 (Revised 2005) on "Employee Benefits":

a) General description of various defined employee schemes are as under:

3 Defined contribution plan

- **Provident Fund (PF)** - The contribution towards the Provident Fund is deposited with the Regional Provident Fund Commissioner. The amount, so paid, is charged to the standalone statement of profit and loss.
- **National Pension Scheme (NPS)** - The company has introduced NPS for its employees during the year within the overall limit of Post Retirement Benefit Scheme. The amount, so paid, is charged to the standalone statement of profit and loss.
- **Post Superannuation Medical Benefits (PSMB)** - The company has introduced PSMB for its employees and their eligible dependants during the year within the overall limit of Post Retirement Benefit Scheme. The amount, so paid, is charged to the standalone statement of profit and loss.

Contribution to defined contribution plan, recognised as expense for the year is as under:

Particulars	Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Employer's contribution to provident fund	45.10	31.04
Employer's contribution to national pension scheme	31.38	-
Employer's contribution to post superannuation medical benefits	10.10	-

4 Defined benefit plans

- **Gratuity (unfunded)**: The Company has a defined benefit gratuity plan for its employees. Under the gratuity plan, every employee who has rendered continuous service of at least five years is entitled for gratuity on departure at 15 days of last drawn salary (less salary and dearness allowance) for each completed year of service subject to a prescribed maximum limit of ₹ 20 lakhs. The liability towards gratuity arises on superannuation, resignation, termination, disbursement or death. The Company's obligation in respect of the gratuity plan is recognized based on actuarial valuation using the projected unit credit method.
- **Leave encashment (unfunded)**: As per the policy, the employees are entitled to 30 leaves for each calendar year, out of which maximum of 10 leaves can be encashed during the year itself and balance leaves can be carried forward subject to maximum of 300 days accumulated leaves which are encashable at the time of superannuation, resignation, termination, disbursement or death. The Company's obligation in respect of leave encashment is recognized based on actuarial valuation using the projected unit credit method.

b) Other disclosures as required under AS-15 (Revised 2005) on Employee Benefits in respect of Defined Benefit Plan are as under:

Gratuity (unfunded)

The following tables summarize the components of net benefit expense recognized in the standalone statement of profit and loss, the unfunded status and amounts recognized in the standalone balance sheet for defined benefit plan.

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Employee benefit expense recognised in the standalone statement of profit and loss		
Current service cost	14.08	9.81
Past service cost	-	-
Interest cost on benefit obligation	3.82	3.04
Net actuarial (gain)/ loss recognized in the year	4.05	3.78
Employee benefit expense recognized in the standalone statement of profit and loss	21.93	16.63
Amount recognized in the standalone balance sheet		
Present value of defined benefit obligation	74.75	54.81
Fair value of plan assets	-	-
Assets (liabilities) recognized in the standalone balance sheet	(74.75)	(54.81)
Changes in the present value of the defined benefit obligation		
Defined benefit obligation at the beginning of the year	54.81	45.08
Current service cost	14.08	9.81
Past service cost	-	-
Interest cost	3.82	3.04
Benefits paid	(5.79)	(7.10)
Actuarial (gains)/ losses on obligation	4.05	3.78
Defined benefit obligation at the end of the year	74.75	54.81
Breakup of the defined benefit obligation		
Non-current	88.56	50.82
Current	5.19	3.78
	74.75	54.81

The principal assumptions used in determining obligations:

Method used	Projected unit credit method	Projected unit credit method
Mortality table	ILM 2012-14	ILM 2012-14
Withdrawal rate upto 30/44 years/ above 44 years (%)	8.00% per annum	8.00% per annum
Discount rate (%)	7.00% per annum	6.75% per annum
Salary growth rate (%)	8.00% per annum	8.50% per annum
Retirement age (No. of years)	60 years	60 years



National Industrial Corridor Development Corporation Limited

CIN: U45400DL2008PLC172315

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2022

Sensitivity analysis:

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Impact of the change in discount rate		
Present value of obligation at the end of the year	74.75	54.61
a) Impact due to increase of 1%	(5.01)	(4.02)
b) Impact due to decrease of 1%	5.73	4.61
Impact of the change in salary growth		
Present value of obligation at the end of the year	74.75	54.61
a) Impact due to increase of 1%	4.88	4.88
b) Impact due to decrease of 1%	(4.02)	(4.07)

Sensitivities due to mortality & withdrawals are not material, hence impact of change due to these have not been calculated.

Leave Encashment (unfunded)

The following tables summarize the components of net benefit expense recognized in the standalone statement of profit and loss, the funded/unfunded status and amounts recognized in the standalone balance sheet for defined benefit plan.

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Employee benefit expense recognized in the standalone statement of profit and loss		
Current service cost	55.24	-
Past service cost	-	-
Interest cost on benefit obligation	-	-
Net actuarial (gain)/loss recognized in the year	-	-
Employee benefit expense recognized in the standalone statement of profit and loss	55.24	-
Amount recognized in the standalone balance sheet		
Present value of defined benefit obligation	55.24	-
Fair value of plan assets	-	-
Assets/(liability) recognized in the standalone balance sheet	(55.24)	-
Changes in the present value of the defined benefit obligation		
Defined benefit obligation at the beginning of the year	-	-
Current service cost	55.24	-
Past service cost	-	-
Interest cost	-	-
Benefits paid	-	-
Actuarial (gain)/losses on obligation	-	-
Defined benefit obligation at the end of the year	55.24	-
Breakup of the defined benefit obligation		
Non-current	50.27	-
Current	4.97	-
	55.24	-
The principal assumptions used in determining obligations:		
Method used	Projected unit credit method	-
Mortality table	IALM 2012-14	-
Withdrawal rate up to 30/44 years/above 44 years (%)	8.00% per annum	-
Discount rate (%)	7.00% per annum	-
Salary growth rate (%)	8.00% per annum	-
Retirement age (No. of years)	60 years	-

Sensitivity analysis:

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Impact of the change in discount rate		
Present value of obligation at the end of the year	55.24	-
a) Impact due to increase of 1%	(3.63)	-
b) Impact due to decrease of 1%	4.40	-
Impact of the change in salary growth		
Present value of obligation at the end of the year	55.24	-
a) Impact due to increase of 1%	4.40	-
b) Impact due to decrease of 1%	(3.69)	-

Sensitivities due to mortality & withdrawals are not material, hence impact of change due to these have not been calculated.

Due to implementation of amended HR policy, the actuarial valuation to determine the liability towards leave encashment has been carried out for the first time as at 31st March 2022, hence previous year figures have not been given.



National Industrial Corridor Development Corporation Limited

CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2022

26 Segment reporting

The Company's business is being the knowledge partner for implementation and development of various industrial corridors and other project(s) as approved by Government of India and there are no other geographical segment in accordance with AS 17 - "Segment Reporting".

27 Related party disclosures

In accordance with the requirements of Accounting standard-18 "Related party disclosures", the names of the related party whose control ability to exercise significant influence exists, along with the aggregate amounts of transactions and year end balances with them, as identified and certified by the management are given below:

I List of related parties and nature of relationship where control exists

a Enterprises having significant influence/control over the company

Japan Bank for International Co-operation (JBIC)

b Subsidiary

NICDC Neemrana Solar Power Limited

c Affiliates/ Associates

Housing and Urban Development Corporation Limited

d Key Management Personnel (KMP)

Shri Anurog Jain, IAS, Nominee of Government of India (from 26th September 2021 till date)

Chairman

Shri Girishwar Aramane, Secretary (CPIT), Nominee of Government of India (from 11th June 2021 to 27th September 2021)

Chairman

Shri Guruprasad Mohapatra, IAS, Nominee of Government of India (till 10th June 2021)

Chairman

Shri Anril Lal Meena (from 05th November 2021 till date)

CEO and Managing Director

Shri K. Sanjay Murthy (till 30th September 2021)

CEO and Managing Director

Shri Rajendra Ramoo, IAS, Nominee of Government of India

Director

Shri Karpal Singh Gohe, Nominee of Japan Bank for International Cooperation (JBIC) (from 11th August 2021 till date)

Director

Shri Shalendra Singh, IAS, Nominee of Government of India (till 31st December 2021)

Director

Shri Yusuke Iseki, Nominee of Japan Bank for International Cooperation (JBIC) (till 10th August 2021)

Director

Shri Toshiko Kurihara, Nominee of Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

Director

Shri Munappa Nagaraj, Nominee of Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO)

Director

Shri Rishi Roy, Nominee of Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO) (from 18th April 2022 till date)

Director

Dr. Subrahmanyam Oorvasula, Nominee of Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO) (till 26th February 2022)

Director

Shri P.K. Agarwal

Chief Financial Officer

Shri Abhishek Chaudhary

VP-Corporate Affairs, HR and Company Secretary

e Enterprises over which KMP exercises significant influence

India International Convention and Exhibition Centre Ltd. (For the period 28th November 2020 to 13th December 2020, 30th June 2021 to 30th September 2021 and from 7th Dec. 2021 till date)

II The following transactions were carried out with related parties in the ordinary course of business:

Particulars	Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Salary/ remuneration:		
Shri K. Sanjay Murthy	29.06	56.93
Shri P.K. Agarwal	37.50	53.85
Shri Abhishek Chaudhary	76.97	52.69
Laptop Advance		
Shri Abhishek Chaudhary	0.50	-
Reimbursements		
NICDC Neemrana Solar Power Limited	4.85	8.07
Apportionment of overheads		
NICDC Neemrana Solar Power Limited	17.55	23.91
India International Convention and Exhibition Centre Ltd.	72.00	72.00
Service fee		
India International Convention and Exhibition Centre Ltd.	500.00	500.00

* As the facility for gratuity and leave encashment are provided on automatic basis for the Company as a whole, hence the amounts accrued pertaining to key management personnel are not included above.



National Industrial Corridor Development Corporation Limited

CIN: U45408DL2008PLC172316

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

18 Balance outstanding with related parties at the year end

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Short term loans and advances		
NICDC Neemrana Solar Power Limited	1.54	26.08
India International Convention and Exhibition Centre Ltd.	0.36	6.63
Trade receivables		
India International Convention and Exhibition Centre Ltd.	132.50	138.12
Salary/ remuneration payable		
Shri K. Sanjay Murthy	-	3.68
Shri P.K. Agarwal	-	-
Shri Abhishek Chaudhary	-	0.00
Laptop Advance Receivable		
Shri Abhishek Chaudhary	0.47	-

19 Operating Lease

The Company's significant leasing arrangements are in respect of operating lease relating to its leased office premises at 26 Floor, Jewan Bharti Building, Connaught Place, New Delhi which has been taken on lease for an initial period of 10 years. The aggregate lease rent of ₹ 486.00 lakhs (Previous year: ₹ 485.03 lakhs) paid has been recognized in the standalone statement of profit and loss and disclosed in note 22.

20 Additional regulatory information

- The company has not granted any loans or advances to promoters, directors, KMPs and the related parties that are repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment.
- No proceedings have been initiated or pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988.
- The company has not been declared willful defaulter by any bank or financial institutions or other lenders.
- During the current year and the previous year, the company has not entered in any transactions with any company which has been struck off under section 248 of the Companies Act, 2013 and does not have investment in subsidiary, receivable or payable from struck off companies. Further, shares of the company are not held by any struck off company.
- The company has complied with the number of layers prescribed under clause 67 of section 2 of the Act read with Companies (Restriction on number of layers) Rules, 2017.
- Ratios:-

Particulars	As at 31 March, 2022	As at 31 March, 2021	Variation	Reason (If variation is more than 25%)
Liquidity ratios (Times)				
Current ratio				
(Current assets divide by current liabilities)	6.96	6.30	8.83%	-
Solvency ratios (Times)				
Debt-equity ratio				
(Long term debt divide by total equity)	-	-	-	-
Debt service coverage ratio				
(Profit for the year + finance costs + depreciation and amortization expenses divide by principle repayments of long term borrowings + finance costs)	-	-	-	-
Profitability ratios (%)				
Net Profit Ratio				
(Profit for the year divide by revenue from operations)	21.73%	20.58%	-5.04%	a. Low revenue from Service fee due to less release of funds to project SPVs by NICDIT b. Increase in Employee benefit expense due to amendment of HR Policy
Return on Equity Ratio				
(Profit for the year divide by average shareholder's equity)	2.62%	9.79%	-73.21%	
Return on Capital employed				
(Earning before interest and taxes divide by capital employed)	0.67%	2.18%	-69.43%	
Return on Investment				
(Profit before tax + Finance Cost) * (1-tax rate) divide by total assets)	0.47%	1.52%	-69.43%	



National Industrial Corridor Development Corporation Limited

CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2022

Utilization ratios (times)				
Trade Receivables turnover ratio (Revenue from operations divide by average trade receivables)	12.25	10.48	-33.71%	Low revenue from Service fee due to less release of funds to project SPVs by NICDIT
Inventory turnover ratio (Revenue from operations divide by average inventory)	-	-	-	-
Trade payables turnover ratio (Total purchases divide by average trade payables)	1.97	2.26	12.81%	-
Net capital turnover ratio (Revenue from operations divide by working capital)	0.11	0.19	-40.28%	Low revenue from Service fee due to less release of funds to project SPVs by NICDIT

vii) No scheme of arrangements has been approved by the competent authority as terms of Section 230 to 237 of the Companies Act, 2013 in respect of the company.

viii) The company is regular in disclosing income on timely basis and there is no undisclosed income assessed by tax officials. Further, the company does not have any transactions not recorded in the books of account that has been surrendered or disclosed as income in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961.

ix) The company has neither traded nor invested in crypto currency or virtual currency during the financial year.

30 Corporate Social Responsibility (CSR)

As per section 135 of the Companies Act, 2013, a Corporate Social Responsibility (CSR) committee has been constituted by the Company. The amount of ₹ 18.58 lakhs (Previous year: ₹ 11.97 lakhs) is payable towards CSR expenses based on average net profit (calculated as per section 186 of the Companies Act, 2013) of the preceding three financial years. The details of the amount spent/ pending to be spent during the year is as under:

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
I Gross amount required to be spent by the Company		
Annual CSR allocation	18.58	11.97
Brought forward from previous year	-	-
Gross amount required to be spent	18.58	11.97
II Amount spent during the year		
In cash	18.58	11.97
Total	18.58	11.97
III Purposes on which CSR expenses has been spent		
Contribution to Prime Minister's National Relief Fund (PMNRF)	18.58	11.97
IV Reconciliation of CSR expense		
Opening Shortfall/(Surplus)	-	-
Add:- Amount required to be spent during the year	18.58	11.97
Less:- Amount spent during the year	(18.58)	(11.97)
Closing Shortfall/(Surplus)	-	-
V Contribution to a trust controlled by the company has been made in relation to CSR expenditure, as per relevant accounting standard		
VI Provision made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, the movements in the provision during the year		

31 In the opinion of the management, the value of assets other than property, plant and equipment, intangible assets and non-current investments on realization in the ordinary course of business, will not be less than the value at which these are stated in the standalone balance sheet. Further, the provision for all known liabilities have been adequately made in the books of accounts.

32 Balances appearing under trade receivables, loans & advances, trade payables and other parties etc, are subject to reconciliation/ confirmation. The impact, if any, subsequent to the confirmation/ reconciliation will be taken in the year of confirmation/ reconciliation, which in view of the management will not be material.



CIN: U45400DL2008PLC472316

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2023

- The Company for the financial years 2016/10 and 2020/21, has applied to Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) through Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) on 25th September 2020 for 5th November 2021 for obtaining the approval for exemption from payment of minimum dividend as per the above guidelines, which is awaited. Simultaneously, the Company proposes to apply for obtaining the approval for exemption from the payment of minimum dividend for the FY 2021-22 and considering the exemption extended in some of the earlier years, the management is confident to obtain it for previous 2 years and the current year, hence, no provision towards payment of dividend has been made in the current financial year.

The Company has considered the possible effects that may result from the Covid-19 pandemic on the carrying amounts of property, plant and equipment, receivables and other current assets. Based on the current indicators of future economic conditions and also considering the nature of its business, management estimates that the carrying amount of these assets will be recovered and sufficient liquidity is available to fund the business operations for at least another 12 months that the operations of the Company are not likely to be impacted adversely by COVID-19 pandemic.

- As per our Report of even date attached
for S. P. Chopra & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000348N

Answer

(Ankur Goyal)
Partner
(Membership No. 096143)

UDIN: 220984601001 M LXWZ1054

Place: New Delhi
Date: 8th July, 2022




Shri Lal Meena
CEO & Managing Director
(PIN : 08826193)

P. L. Agnew
(P. L. Agnew)
Chief Financial Officer


Prashant Rastogi
Director
(PHN : 02855304)

Aishwarya Chandhary
VP - Corporate Affairs, HR
& Company Secretary

**C&AG REPORT ON
FINANCIAL
STATEMENTS
(CONSOLIDATED)**



गोपनीय



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संख्या/No. GADP/AAI/MICDCL/CFS/Atc/6-109/22-23/216

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
(INFRASTRUCTURE), DELHI

दिनांक/Dated 8/9/22

सेवा मे,

सी.ई.ओ. एवं प्रबन्ध निदेशक,
नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
8 वां फ्लोर, टावर-1, जीवन भारती बिल्डिंग, 124, कनाट प्लेस,
नई दिल्ली-110001

विषय: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, के
वार्षिक लेखो (Consolidated Financial Statements) पर भारत के नियंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट
कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखो (Consolidated Financial Statements) पर कम्पनी अधिनियम
2013 की धारा 143 (6)(b) एवं 129 (4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 'शून्य
टिप्पणियाँ' अंग्रेषित करता हूँ। इन शून्य टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक आमसभा में उसी प्रकार रखा जाए
जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीय,

संलग्न: शून्य टिप्पणियाँ

दीपक
(दीपक कपूर)
महानिदेशक

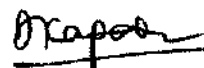
**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES
ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL
INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED FOR THE
YEAR ENDED 31 MARCH 2022.**

The preparation of Consolidated Financial Statements of **National Industrial Corridor Development Corporation Limited** for the year ended 31 March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) read with Section 129(4) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 read with Section 129(4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 08 July 2022.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under Section 143(6) (a) read with Section 129(4) of the Act of the consolidated financial statements of **National Industrial Corridor Development Corporation Limited** for the year ended 31 March 2022. We conducted a supplementary audit of financial statements of **National Industrial Corridor Development Corporation Limited** but did not conduct audit of **NICDC Neemrana Solar Power Limited** (subsidiary) for the year ended 31 March 2022. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

**For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India**



(Deepak Kapoor)

**Director General of Audit (Infrastructure)
New Delhi**

Place: New Delhi

Dated: 8 September 2022

**AUDITOR'S
REPORT ON
FINANCIAL
STATEMENTS
(CONSOLIDATED)**

S. P. CHOPRA & CO.

Chartered Accountants

Corporate Office
1505, Astralis Supernova
Sector-94, Gautam Buddha Nagar
Noida - 201 301
Phone 0120 - 4516921
www.spchopra.in
spc1949@spchopra.in

Independent Auditor's Report
To The Members of National Industrial Corridor Development Corporation Limited

Report on the audit of the consolidated financial statements**Opinion**

We have audited the accompanying consolidated financial statements of **National Industrial Corridor Development Corporation Limited** ("the Holding Company") and its subsidiary (the Holding Company and its subsidiary together referred to as "the Group"), which comprise the consolidated Balance Sheet as at 31 March 2022, and the consolidated Statement of Profit and Loss and the consolidated Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information ("the consolidated financial statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the consolidated state of affairs of the group as at 31 March 2022 and its consolidated profit, and its consolidated cash flows for the year ended on that date.

Basis for opinion

We conducted our audit of the consolidated financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those standards are further described in the 'Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements' section of our report. We are independent of the group in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements under the provisions of the Act and the rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the consolidated financial statements.

Information other than the consolidated financial statements and auditor's report thereon

The holding company's board of directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the report of board of directors, including annexures, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon, which is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained during the course of audit, or otherwise appears to be materially misstated.



Contd..p/2

Registered Office - F-31 Connaught Place New Delhi - 110 001 Tel: 91-11-23313495

: 2 :

When we read the report of board of directors, including annexures, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibility of the management and those charged with governance for the consolidated financial statements

The holding company's board of directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the group in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting standards notified under section 133 of the Act read with the Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2016, as amended from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the management of the holding company, as aforesaid.

In preparing the consolidated financial statements, the board of directors is responsible for assessing the group's ability to continue as going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless board of directors either intends to liquidate the group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The holding company's board of directors is also responsible for overseeing the group's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with the SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

Contd..p/3



: 3 :

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under Section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the group has adequate internal financial controls systems in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of entities or business activities within the group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the consolidated financial statements of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion. Our responsibilities in this regard are further described in section titled 'Other Matters' in this audit report.

Materiality is the magnitude of misstatements in the consolidated financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the consolidated financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the consolidated financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Other matters

We did not audit the financial statements of subsidiary company namely NICDC Neemrana Solar Power Limited (the "Subsidiary Company") whose financial statements reflect total assets of ₹ 3,191.69 lakhs as at 31 March 2022, and total revenues of ₹ 623.28 lakhs and cash outflows (net) of ₹ 327.58 lakhs for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements.

Contd..p/4



: 4 :

The financial statements of subsidiary company have been audited by its auditor's whose report have been furnished to us by the holding company's management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far it relates to the amounts and disclosures included in respect of the subsidiary and our report in terms of Section 143(3), in so far it relates to the subsidiary is based solely on the report of its auditor.

Our opinion on the consolidated financial statements, and our Report on other legal and regulatory requirements below, is not modified in respect of above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements/ financial information certified by the management.

Report on other legal and regulatory requirements

As required by section 143(3) of the Act, we report that:

- a) we have sought and obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary, for the purposes of our audit of the consolidated financial statements;
- b) in our opinion, proper books of account as required by law, relating to preparation of the consolidated financial statements, have been kept so far as it appears from our examination of those books;
- c) the consolidated balance sheet, the consolidated statement of profit and loss and the consolidated statement of cash flows dealt with, in the report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation of the consolidated financial statements;
- d) in our opinion, the consolidated financial statements comply with the accounting standards notified under section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the Companies (Accounting Standards) Amendment Rules 2016, as amended from time to time;
- e) on the basis of written representation received from the directors and taken on record by the board of directors of the holding and subsidiary company, none of the directors of the holding and subsidiary company, are disqualified as at 31 March 2022 from being appointed as a director in respective company, in terms of section 164(2) of the Act;
- f) with respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to consolidated financial statements and the operating effectiveness of such controls of the holding company as audited by us, and of the subsidiary company not audited by us (as reported by its auditor), refer to our separate report in Annexure - 'A';
- g) the remuneration paid by the holding company to its directors during the year is in accordance with the provisions of section 197 of the Companies Act, 2013, read with schedule V of the Act; and
- h) with respect to the other matters to be included in the auditor's report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i) The consolidated financial statements disclose the impact of pending litigations on its financial position in its consolidated financial statements – Refer note 25 to the consolidated financial statements;

Contd..p/5



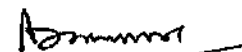
: 5 :

- ii) The group has not entered into any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses;
- iii) There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the group.
- iv) (a) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the holding company or its subsidiary company to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever ("Ultimate Beneficiaries") by or on behalf of the holding company or its subsidiary company or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

(b) The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the holding company or its subsidiary company from any person or entity, including foreign entity ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the holding company or its subsidiary company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever ("Ultimate Beneficiaries") by or on behalf of the Funding Party or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

(c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement; and
- v) No dividend was declared or paid by the group during the year; hence, the said clause is not applicable.

For S.P. Chopra & Co.
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 000346N



Ankur Goyal
Partner

Membership No. 099143
UDIN 22099143AMLYFF4214

Place: New Delhi
Dated: 8 July 2022



Annexure - 'A' to Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph (f) under 'Report on other legal and regulatory requirements' section of the Independent Auditor's Report of even date on the consolidated financial statements of National Industrial Corridor Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2022)

Report on the Internal financial controls under clause (i) of sub-section 3 of section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls with reference to consolidated financial statements of 'National Industrial Corridor Development Corporation Limited' ("the Holding Company") and its subsidiary (the Holding Company and its subsidiary together referred to as "the Group") for the year ended 31 March 2022 in conjunction with our audit of the consolidated financial statements of the group for the year ended on that date.

Management's responsibility for internal financial controls

The respective board of directors of the holding company and its subsidiary are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal controls over financial reporting criteria established by the respective company considering the essential components of internal control stated in the "Guidance note on audit of internal financial controls over financial reporting" (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the group's internal financial controls with reference to consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the guidance note on audit of internal financial controls over financial reporting (the "Guidance Note") and the standards on auditing, issued by the Institute of Chartered Accountants of India and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of internal financial controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards and the guidance note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to consolidated financial statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system with reference to consolidated financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to consolidated financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to consolidated financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error.

Contd..p/2



: 2 :

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the group's internal financial controls system with reference to consolidated financial statements.

Meaning of internal financial controls with reference to consolidated financial statements

The group's internal financial control with reference to consolidated financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of consolidated financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control with reference to consolidated financial statements includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the group; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of consolidated financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the group are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the respective company within the group; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the group's assets that could have a material effect on the consolidated financial statements.

Inherent limitations of internal financial controls with reference to consolidated financial statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to consolidated financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to consolidated financial statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to consolidated financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the holding company and its subsidiary, have, in all material respects, adequate internal financial controls with reference to consolidated financial statements and such internal financial controls with reference to consolidated financial statements were operating effectively as at 31 March 2022, based on the internal control with reference to consolidated financial statements criteria established by the respective company in the group considering the essential components of internal control stated in the guidance note on 'Audit of internal financial controls over financial reporting' issued by the 'Institute of Chartered Accountants of India'.



Contd..p/3

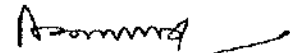
: 3 :

Other matters

Our aforesaid report under section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls with reference to the financial statements insofar as it relates to the subsidiary company namely NICDC Neemrana Solar Power Limited, is based on the corresponding report of the auditor of the said company.

Our opinion is not modified in respect of above matter.

**For S.P. Chopra & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000346N**



**Ankur Goyal
Partner**

**Membership No. 099143
UDIN 22099143AMLYFF4214**

**Place: New Delhi
Date: 8 July 2022**



**FINANCIAL
STATEMENTS
(CONSOLIDATED)**

National Industrial Corridor Development Corporation Limited
CIN: U46400DL2008PLC172316
Consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2022

Particulars	Note	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Equity and Liabilities			
Shareholders' funds			
(a) Share capital	3	10,000.00	10,000.00
(b) Reserves and surplus	4	68,395.64	73,150.42
		78,395.64	83,150.42
Non-current liabilities			
(a) Other long-term liabilities	8	491.91	548.46
(b) Long-term provisions	6	121.52	54.03
		613.33	600.49
Current liabilities			
(a) Trade payables	7		
(i) Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		32.42	122.68
(ii) Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises		2,137.88	1,945.73
(b) Other current liabilities	8	344.10	469.24
(c) Short-term provisions	9	11.58	19.18
		2,525.96	2,056.83
Total		81,534.93	86,307.73
Assets			
Non-current assets			
(a) Property, plant and equipment and intangible assets			
(i) Property, plant and equipment	10	2,286.77	2,476.44
(ii) Intangible assets		16.53	19.23
(iii) Capital work-in-progress	10.6	1.83	8.98
(b) Deferred tax assets (net)	11	96.33	75.72
(c) Long-term loans and advances	12	5.29	0.02
(d) Other non-current assets	13	61,113.40	67,432.14
		63,518.85	70,012.63
Current assets			
(a) Trade receivables	14	132.60	226.86
(b) Cash and bank balances	15	17,005.35	16,252.58
(c) Short-term loans and advances	16	45.94	40.00
(d) Other current assets	17	832.19	775.66
		18,015.98	16,295.20
Total		81,534.83	86,307.73
Significant Accounting Policies	2		
Notes to accounts attached form an integral part of the consolidated financial statements	3 - 40		

As per our Report of even date attached

For S. P. Chopra & Co.,
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000346N

(Signature)

(Ankur Goyal)
Partner
(Membership No. 099143)

UDIN 22099143 AMLYFF 4214

Place: New Delhi
Date: 8th July, 2022



For and on behalf of the Board of Directors of
National Industrial Corridor Development Corporation Limited

(Anuraj Lal Meena)
CEO & Managing Director
(DIN : 06626193)

(Signature)
(P.K. Aggarwal)
Chief Financial Officer

(Rajendra Rastogi)
Director
(DIN : 02855304)

(Signature)
(Abhishek Chaudhary)
VP - Corporate Affairs, HR
& Company Secretary

National Industrial Corridor Development Corporation Limited
CIN: U45400DL2008PLC172316
Consolidated Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March, 2022

Particulars	Note	Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Income			
Revenue from operations	18	2,280.60	3,114.34
Other Income	19	647.81	712.05
Total Income		2,928.41	3,826.39
Expenses			
Cost of material consumed	20	24.62	0.00
Employee benefits expense	21	937.73	596.18
Depreciation and amortization expense	22	222.90	288.66
Other expenses	23	889.53	1,115.05
Total Expenses		2,074.68	1,999.89
Profit before tax		853.73	1,826.50
Tax expense			
Current tax		262.80	596.87
Earlier year		8.21	0.59
Deferred tax		(19.59)	(10.68)
Profit for the year		602.21	1,239.60
Earnings per equity share (face value of ₹ 10/ per share)	24		
Basic earnings per share (₹)		0.60	1.24
Diluted earnings per share (₹)		0.60	1.24
Significant Accounting Policies	2		
Notes to accounts attached form an integral part of the consolidated financial statements	3 - 40		

As per our Report of even date attached
For S. P. Chopra & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000346N

For and on behalf of the Board of Directors of
National Industrial Corridor Development Corporation Limited

(Signature)

(Ankur Goyal)
Partner

(Membership No. 099143)

UDIN 22099143AMLNAP4214

(Signature)
(Anrit Lal Meena)
CEO & Managing Director
(DIN : 06626193)

(Signature)
(Rajendra Rainoo)
Director
(DIN : 02855304)

Place: New Delhi
Date : 8th July, 2022



(Signature)
(P.K. Agarwal)
Chief Financial Officer

(Signature)
(Abhishek Chaudhary)
VP - Corporate Affairs, HR
& Company Secretary

National Industrial Corridor Development Corporation Limited
CIN: U45400DL2008PLC172315
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2022

Particulars	Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Cash flow from operating activities:		
Profit before tax	883.73	1,826.50
Adjustments for:		
Depreciation and amortization expense	222.90	286.66
Loss on sale of property, plant and equipment	0.73	181.34
Property, plant and equipment written off	0.20	-
Interest income	(548.89)	(822.46)
Operating profit before working capital changes	558.57	1,474.04
Adjustments for:		
(Increase)/ Decrease in trade receivables	94.46	(45.81)
(Increase)/ Decrease in other receivables	35.30	187.53
Increase/ (Decrease) in trade payables	101.89	(1,383.35)
Increase/ (Decrease) in other payables	(74.51)	13.35
Cash generated from/ (used in) operating activities	685.71	445.96
Taxes paid (net of refunds)	(404.03)	(374.64)
Net cash from/ (used in) operating activities	281.68	71.32
Cash flow from investing activities:		
Funds received for project development expense	5,000.00	4,500.00
Interest earned on funds received for project development expense	125.41	62.26
Utilisation of funds received for project development expense	(4,124.57)	(6,245.82)
Funds received for swachhita action plan	10.00	10.00
Interest earned on funds received for swachhita action plan*	-	0.00
Utilisation of funds received for swachhita action plan	(10.00)	(10.00)
(Purchase) of property, plant and equipment and intangible assets	(24.40)	(53.64)
Sale of property plant and equipment	0.29	64.31
(Increase)/ Decrease in deposit with banks	397.82	(994.82)
Interest income	548.89	622.46
Payment of instalment towards land	(54.83)	(54.83)
Increase/ (Decrease) in advance for capital goods	-	(0.70)
Net cash from/ (used in) investing activities	1,998.91	(2,878.68)
Cash flow from financing activities:		
Net cash from/ (used in) financing activities	-	-
Net increase/ (decrease) in cash and cash equivalents	2,180.59	(1,999.28)
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	14,257.76	15,257.02
Cash and cash equivalents at the end of the year	16,438.35	13,257.74
Components of cash and cash equivalents:		
Cash on hand	0.05	0.07
Balances with bank in current accounts	6.45	1,220.48
Balances with bank in term deposits	16,401.85	13,037.21
	16,408.35	14,257.76
Significant Accounting Policies	2	
Notes to accounts attached form an integral part of the consolidated financial statements	3 - 40	
* Amount less than ₹ 1,000/-		

As per our Report of even date attached
For S. P. Chopra & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000348N

(Signature)
(Amrit Lal Meena)
Partner

(Membership No. 099143)

UDIN-22099143ANLYFF4214

Place: New Delhi
Date: 8th July, 2022



For and on behalf of the Board of Directors of
National Industrial Corridor Development Corporation Limited

(Signature)
(Amrit Lal Meena)
CEO & Managing Director
(DIN: 08826193)

(Signature)
(P. K. Agarwal)
Chief Financial Officer

(Signature)
(Rajendra Rainoo)
Director
(DIN: 02855304)

(Signature)
(Abhishek Chaudhary)
VP - Corporate Affairs, HR
& Company Secretary

National Industrial Corridor Development Corporation Limited

CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2022

Note 1: General Information

The Government of India (GoI) announced the concept of Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) project as the first industrial corridor in 2007 under Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, to embark on the process of planned urbanisation with manufacturing as the key economic driver and also to give a strong impetus to the country's industrial/ manufacturing development. Accordingly, Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (DMICDC) (the holding company) was incorporated on 7th January 2008 as a Special Purpose Vehicle (SPV) for the development and implementation of DMIC project.

In September 2011, the Government of India approved the financial and institutional structure of DMIC project for the development of industrial cities in DMIC project and also approved the creation of dedicated fund with a revolving corpus known as DMIC Project Implementation Trust Fund (DMIC-PITF).

DMICDC is to act as a project development company to undertake various prefeasibility, feasibility, master planning and engineering studies for developing new greenfield industrial smart cities. Also, DMICDC was mandated to act as the Project Development Partner/ Knowledge Partner to DMIC-PITF and also to all SPVs and State Government agencies for the implementation of DMIC.

The Government of India in December 2016, expanded the mandate of DMIC Project Implementation Trust Fund and redesignated it as National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) for integrated development of industrial corridors in the country. DMICDC was mandated to act as a knowledge partner to NICDIT in respect of all the industrial corridors in addition to DMIC work till Knowledge Partner(s) for other industrial corridors are put in place. In view of the expanded mandate, the name of the company was changed from Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (DMICDC) to National Industrial Corridor Development Corporation Limited (NICDC) with effect from 17th February 2020.

Subsequently, Government of India during December 2020 has approved the implementation of 11 industrial Corridor projects (including 5 industrial corridors earlier approved) consisting of 32 projects, to be developed in 4 phases, under the industrial corridor programme, within the overall framework of National Master Plan for multi-modal connectivity.

The holding company has a subsidiary company i.e. NICDC Neermrana Solar Power Limited. The accompanying consolidated financial statements relate to National Industrial Corridor Development Corporation Limited (NICDC), being the holding company and its subsidiary company (together referred as "The Group").

Note 2: Significant Accounting Policies

2.1 Basis for preparation of consolidated financial statements

The accompanying consolidated financial statements have been prepared and presented under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting, in accordance with the generally accepted accounting principles in India ("GAAP"), the provisions of the Companies Act, 2013 to the extent notified and applicable and the mandatory accounting standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2016, to the extent applicable and in the manner so required.

2.2 Use of estimates

The preparation of consolidated financial statements in conformity with GAAP in India requires the management to make estimates and assumptions, wherever necessary, that affect the reported amount of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the date of consolidated financial statements, and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from these estimates. On an ongoing basis, estimates are evaluated based on historical experience and on various other assumptions that are believed to be reasonable, the results of which forms the basis for making judgments about the carrying value of assets and liabilities. Actual results could differ from those estimates. Any revision to estimates or difference between the actual result and estimates are recognised in the period in which the results are known/ materialised.

2.3 Basis of consolidation

The consolidated financial statements have been prepared on the following basis:

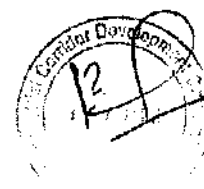
Basis of accounting:

- i) The financial statements of the subsidiary companies are drawn up to the same reporting date as of the holding company.
- ii) The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Accounting Standard-21 on "Consolidated Financial Statements".

Principles of consolidation:

- i) The financial statements of the holding company and its subsidiaries have been combined on a line-by-line basis by adding together the book values of like items of assets, liabilities, income and expenses after fully eliminating the intra-group balances and intra-group transactions and unrealized profits or losses in accordance with Accounting Standard - 21 on "Consolidated Financial Statements".
- ii) The consolidated financial statements have been prepared using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances and are presented to the extent possible, in the same manner as the holding company's separate financial statements except as otherwise stated in the Significant Accounting Policies.

(This space has been intentionally left blank)



National Industrial Corridor Development Corporation Limited

CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2022

iii) The difference between the costs of investments in the subsidiaries over the net assets at the time of acquisition of shares in the subsidiaries is recognized in the consolidated financial statements as Goodwill or Capital Reserve as the case may be.

The consolidated financial statements of the holding company include the results of following entity:

Name of Company	Country of Incorporation	Proportion (%) of shareholding as at 31.03.2022	Proportion (%) of shareholding as at 31.03.2021
NICDC Neemrana Solar Power Limited	India	100%	100%

2.4 Property, plant and equipment

i) Property, plant and equipment (PPE) are stated at historical cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any.

ii) Cost of acquisition/ construction is inclusive of freight, erection and commissioning charges, duties and taxes, expenditure during construction period upto the date of acquisition/ installation and other incidental expenses incurred during the construction/ installation stage.

iii) When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted for as separate items (major components) of property, plant and equipment.

iv) Subsequent expenditure related to an item of property, plant and equipment are added to its book value only if they increase the future benefits from the existing asset beyond its previously assessed standard of performance. Repairs and maintenance costs are recognized in the consolidated statement of profit & loss as and when incurred.

v) Losses arising from the retirement, or profit/ losses arising from disposal of property, plant and equipment which are carried at cost, are recognised in the consolidated statement of profit and loss in the year of retirement/ disposal.

vi) Depreciation on property, plant and equipment is charged on written down method over their estimated useful lives, in accordance with the provisions of Schedule II of the Companies Act, 2013, retaining 5% of the cost as its residual value. However, if the management's estimate of the useful life of the assets is shorter than that envisaged in the aforesaid schedule, depreciation is provided at a higher rate based on the management's estimate of useful/ remaining life. The useful life of the assets in accordance with the provisions of Schedule II of the Companies Act, 2013 and as estimated by the management is as under:

Assets	Useful Life (in years)
Furniture and fixtures	10
Office equipment	5
Electrical installations and equipments	10
Computers - End user devices such as desktops, laptops etc.	3
Computers - Servers and networks	5

Further, the useful life of following assets of subsidiary company are considered as under:

Assets	Depreciation	Justification
Solar panels	- The salvage value is considered as 10% and depreciable assets is considered as 90% of capital cost. - The useful life is considered as 25 years from the date of commercial operation. - Depreciation rate is 5.29% per annum for first 13 years and remaining depreciation is spread during remaining useful life of the Assets. - Depreciation shall be charged on pro-rata basis.	This is as per the Central Electricity Regulatory Commission Regulations, 2017.
Landscaping and horticulture works	The depreciable amount is depreciated over a period of 5 years on written down value method.	Useful life is considered as 5 years.
Leasehold land	Amortised on straight line method for the remaining period of lease (67 years 108 days) from the date of possession.	This is as per the lease deed executed with the Land Development Authority i.e. RICO.

vii) Property, plant and equipment costing upto ₹ 5,000/- each are fully depreciated in the year of acquisition.

viii) Depreciation on addition to property, plant and equipment is charged on pro-rata basis from the date the assets are ready for intended use over the estimated remaining useful life of the asset. Depreciation on sale/ discard/ destroy/ demolish of assets is charged upto the date of sale/ retnal of assets as the case may be.

ix) Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed periodically, including at each financial year end.

(This space has been intentionally left blank)



National Industrial Corridor Development Corporation Limited

CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2022

- xi) Property, plant and equipment, if any, retired from active use or held for disposal are stated at lower of cost (net of accumulated depreciation) or estimated net realizable value.
- xii) The cost of leasehold improvement is amortised on straight line basis over the period of lease.
- xiii) Property, plant and equipment under construction and cost of assets not ready for intended use before the year-end, are shown as capital work-in-progress.
- xiv) Advances paid towards the acquisition of property, plant and equipment outstanding at each balance sheet date is classified as capital advances under other non-current assets.
- xv) The expenditure incurred by subsidiary company on landscaping and horticulture works was capitalised upto the financial year 2019-20. Based on the observation of C&AG, the written down value as on 31st March 2020, was charged off as revenue expenditure and henceforth such expenditure will be charged off as revenue expenditure.
- xvi) Land acquired by subsidiary company on lease for 99 years or less is treated as leasehold land.
- xvii) Equipments provided by New Energy and Industrial Technology Development Organisation (NEEDO), Japan to subsidiary company as grant in aid is accounted at a nominal value of ₹1/- on transfer of ownership of equipment with all beneficial rights after the completion of the project.

2.5 Intangible assets

Intangible assets are recognized where it is probable that the future economic benefit attributable to the asset will flow to the group and the cost of assets can be measured reliably. Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any. Internally generated intangible assets, excluding capitalized development costs, are not capitalized and expenditure is reflected in the consolidated statement of profit and loss in the year in which the expenditure is incurred.

Intangible assets consist of computer software and are stated at cost of acquisition/ implementation less accumulated amortization. It is amortized over a period of 5 years or the license period on a straight line basis, whichever is earlier.

2.6 Impairment of assets

An asset is tested as impaired when the carrying cost of assets exceeds its recoverable value. The carrying amounts of assets are reviewed at each balance sheet date and if there is any indication of impairment based on internal/ external factors, the impairment loss is recognized. An impairment loss is charged to the consolidated statement of profit and loss in the year in which an asset is identified as impaired. The impairment loss recognized in prior accounting period is increased/ reversed where there has been change in the estimate of recoverable amount. The recoverable value is the higher of the asset's net selling price and value in use.

2.7 Grant-in-aid

2.7.1 Project Development Fund (PDF)

Government of India (GoI) approved setting up of project development fund (PDF) for undertaking various project development/ preparatory activities for various industrial corridor projects for which the holding company receives grant-in-aid from Govt. of India through National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) which is disclosed as capital reserves under 'Reserve and surplus'. In case any amount becomes refundable to GoI/ NICDIT from the fund, the amount will be reduced from the said fund balance in the year of refund.

Interest, dividend or any other income earned on this fund is added to the fund balance. Further, Project Development Expenses (PDE) incurred on project development/ preparatory activities of various industrial corridors out of the fund are treated as under:

- a) Expense related to subsidiaries of the holding company and the projects for which separate Special Purpose Vehicles (SPVs) have been formed between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) and the nodal agencies of the concerned State Governments, wherever recoverable in accordance with the stipulations in the shareholders' agreement are shown as recoverable from the concerned subsidiaries/ SPVs and disclosed under 'Other non-current assets'.
- b) Expense incurred for the projects which are not to be taken off or no further activities are to be carried out or the shareholders' agreement between NICDIT and the concerned State Govt(s)/ Nodal Agency(ies) does not provide for recovery are reduced from the 'Project Development Funds' balance under 'Capital reserves'; and
- c) Expenses relating to the projects which are in progress and where the SPVs have not yet been incorporated due to the non execution of the shareholders' agreement or where the projects have not yet been approved for investment by NICDIT/CEA or any other expense not covered under para (a) and (b) above are accounted as 'Project Development Expenses' under the head 'Other non-current assets'.

(This space has been intentionally left blank)



National Industrial Corridor Development Corporation Limited

CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2022

2.7.2 Project Implementation Fund (PIF)

Government of India has approved setting up of a Project Implementation Fund (PIF) for undertaking various project implementation activities for Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) project for which the grant-in-aid is received by the holding company from Govt. of India through National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) and is disclosed as capital reserves under 'Reserve and surplus'. In case any amount becomes refundable to Govt/NICDIT from the fund, the amount is reduced from the said fund balance in the year of refund.

Interest, dividend or any other income earned on this fund is added to the fund balance.

2.7.3 Swachhita Action Plan Fund (SAP)

Government of India has approved setting up of a Swachhita Action Plan Fund (SAP) for meeting the expenditure towards the Swachhita Action Plan for which the grant-in-aid is received by the holding company from Govt. of India through National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) and is disclosed as capital reserves under 'Reserve and surplus'. In case any amount becomes refundable to Govt/NICDIT from the fund, the amount is reduced from the said fund balance in the year of refund.

Interest, dividend or any other income earned on this fund is added to the fund balance and non-recoverable expenditure incurred therefrom is met out of fund balance.

2.8 Investments

Current investments are stated at the lower of cost or quoted price.

On disposal of investments, the difference between net disposal proceeds and the carrying amounts are recognized in the consolidated statement of profit and loss.

2.9 Revenue recognition

a) Revenue from provision of services rendered by the holding company is recognized on accrual basis, to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the holding company and when the significant terms of arrangement are enforceable, services have been delivered, the collectability is reasonably assured and the revenue can be reliably measured. Accordingly, revenue on services is recognized as follows.

(i) Service fees @ 1% of the funds released by National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) to various projects out of Project Implementation Funds (PIF) is recognized to the maximum limit of ₹ 2000 lakhs in a year, as approved by NICDIT in its meeting held on 26th July 2016.

(ii) Service fees @ 1% of yearly internal accruals towards the services rendered to India International Convention & Exhibition Centre Limited (IICC) as Knowledge Partner is recognized to a minimum of ₹ 500 lakhs and maximum of ₹ 1000 lakhs per annum on pro-rata basis for an initial period of 10 years as stipulated in MOU executed with IICC on 26th October, 2016.

b) Revenue from the sale of power by the subsidiary company is recognized on the basis of net number of units exported on monthly basis at the rates agreed upon with the customers.

c) Interest income is recognized on time proportionate basis taking into account the amount outstanding and applicable rate of interest.

d) Dividend income is recognized when the company's right to receive dividend is established by the reporting date.

2.10 Leases

Lease arrangements, where the risk and rewards incidental to ownership of the assets, substantially vest with the lessor, are recognized as an operating lease. Lease payments under operating lease are recognized as an expense in the consolidated statement of profit and loss on accrual basis.

2.11 Foreign currency transactions

Foreign currency transactions are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary assets and liabilities in foreign currency existing at the balance sheet date are translated at the exchange rate prevailing on that date. Exchange differences in case of borrowed funds and liabilities in foreign currency for the acquisition of property, plant and equipment from a country outside India are adjusted to its cost. All other exchange differences are recognized in the consolidated statement of profit and loss. Premium or discount on forward exchange contract is amortized as expense or income over the life of the contract. Exchange difference on such contract is recognized in the consolidated statement of profit and loss in the reporting period in which the exchange rates changes. Any profit or loss arising on cancellation or renewal of forward contract is recognized as income and expenditure during the period.

2.12 Inventories

Inventories of consumables, stores and spares are valued at the lower of the cost or net realisable value, on First-in, First-out (FIFO) basis.

(This space has been intentionally left blank)



National Industrial Corridor Development Corporation Limited

CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2022

2.13 Employee Benefits

- a) **Short term benefits:**
These are recognized as an expense in the consolidated statement of profit and loss for the year in which the related services are rendered. These benefits include leave salary and pension contribution to the Government employees, on deputation to the group, which is accounted as per the prescribed rules of Central Government, accumulated compensated absences, which are expected to be availed or encashed within 12 months from the year end.
- b) **Defined contribution plan:**
The Group's contribution paid or payable during the year to statutory provident fund, pension scheme in accordance with Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952, National Pension Scheme (NPS) and Post Superannuation Medical Benefits (PSMB) are recognized as an expense in the year in which the employee render services.
- c) **Defined benefit plan:**
The Group's liability towards gratuity and leave encashment is determined by independent actuary, at the year-end using the projected unit credit method. Actuarial gains or losses as determined by the actuary are recognized in the consolidated statement of profit and loss during the year in which actuarial valuation is done.

2.14 Segment reporting

The operating segments are identified on the basis of internal reports used by the group's management to allocate resources and assess their performance for decision making. The Board of Directors is collectively the group's 'chief operating decision maker' or 'CODM' within the meaning of AS 17.

2.15 Earnings per share

The group reports Basic and Diluted Earnings Per Share (EPS) in accordance with Accounting Standard 20 on 'Earning Per Share'.

Basic earnings per share is computed by dividing the net profit or loss for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing the net profit or loss for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year, as adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares, except where the results are anti-dilutive.

2.16 Taxes on Income

- a) Tax expense comprises both current tax and deferred tax.
- b) Current income tax, assets and liabilities are measured at the amount expected to be paid to or recoverable from the taxation authorities in accordance with the tax regime inserted by the Taxation Laws (Amendment) Act, 2019 in the Income Tax Act, 1961, and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS) enacted in India, by using tax rates and the tax laws that are enacted at the reporting date.
- c) **Deferred tax liability/ asset** resulting from 'timing difference' between accounting income and taxable income, that is capable of reversal in subsequent accounting period is accounted for considering the tax rate and tax laws that have been enacted or substantively enacted as on the reporting date. Deferred tax asset is recognized and carried forward only to the extent there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date for their realizability.
- d) **Minimum alternate tax (MAT)** is charged to the consolidated statement of profit and loss as current tax during the year in which it is paid. The group recognizes MAT credit available as an asset only to the extent that there is convincing evidence that the group will pay normal income tax during the specified period, i.e. the period for which MAT credit is allowed to be carried forward. The group recognizes MAT credit as an asset in accordance with the Guidance Note on Accounting for Credit Available in respect of Minimum Alternative Tax under the Income-tax Act, 1961, the said asset is created by way of credit to the consolidated statement of profit and loss and shown as 'MAT Credit Entitlement'. The group reviews the 'MAT credit entitlement' asset at each reporting date and writes down the asset to the extent the group does not have convincing evidence that it will pay normal tax during the specified period.

2.17 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Provisions are recognised when there is a present obligation as a result of a past event(s) and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to their present value and are determined based on the best estimate required to settle the obligation on reporting date. These estimates are reviewed at each reporting date and adopted to reflect the current best estimates.

Contingent liabilities are disclosed in the Notes when there is a possible obligation arising from past event(s), the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events, not wholly within the control of the group or a present obligation that arises from past event(s) where it is either not probable that an outflow of resources will be required to settle or a reliable estimate of the amount cannot be made.

Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements -

2.18 Cash and cash equivalents

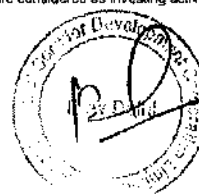
Cash and cash equivalents include cash on hand, cheques, draft on hand/ remittance in transit, bank balances and deposits with maturities of three months or less and that are readily convertible to known amount of cash and cash equivalents and which are subject to an insignificant risk of changes in value.

2.19 Cash flow statements

The cash flow statement is prepared by the 'Indirect Method' as set out in Accounting Standard 3 on 'Cash Flow Statements' and presents the cash flows by operating, investing and financing activities of the group.

Cash and cash equivalents presented in the consolidated cash flow statement consist of cash on hand, cheques, draft on hand/ remittance in transit, bank balances and deposits with maturities of three months or less and that are readily convertible to known amount of cash and cash equivalents.

The transactions pertaining to project development funds and related income / expenses are being long term in nature, hence these are considered as investing activities



National Industrial Corridor Development Corporation Limited

CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2022

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 3: Share capital		
Authorised		
10,00,00,000 (Previous year: 10,00,00,000) equity shares of ₹10/- each	10,000.00	10,000.00
	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
Issued, subscribed and fully paid up		
10,00,00,000 (Previous year: 10,00,00,000) equity shares of ₹10/- each	10,000.00	10,000.00
Total	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>

3.1 Reconciliation of shares outstanding at the beginning and at the end of the year:

	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
	No. of shares (₹ in lakhs)	No. of shares (₹ in lakhs)
Balance at the beginning of the year	10,00,00,000	10,00,00,000
Add: Shares issued during the year	-	-
Balance at the end of the year	<u>10,00,00,000</u>	<u>10,00,00,000</u>

3.2 Terms/ rights attached to equity shares

The group has only one class of equity shares having a par value of ₹ 10/- per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. The group may declare and pay dividend in Indian rupees. The dividend proposed by the Board of Directors is subject to the approval of the shareholders in the ensuing Annual General Meeting. In the event of liquidation of the holding company, the holders of equity shares will be entitled to receive remaining assets of the Company, after distribution of all preferential amounts. The distribution will be in proportion to the number of equity shares held by the shareholders.

3.3 Details of shareholders holding more than 5% shares in the group

	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
	No. of shares % of Holding	No. of shares % of Holding
The President of India (Through Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade and its nominees)	4,90,00,000 49.00	4,90,00,000 49.00
Japan Bank for International Co-operation (JBIC)	2,60,00,000 26.00	2,60,00,000 26.00
Housing and Urban Development Corporation Limited	1,99,00,000 19.90	1,99,00,000 19.90

As per the records of the group, including its register of Shareholders / Members and other declarations, if any, received from Shareholders regarding beneficial interest, the above shareholding represents both legal and beneficial ownership of shares.

3.4 The group has neither issued bonus shares nor issued any shares without payment being received in cash or brought-back shares during five years immediately preceding the balance sheet date.

3.5 Shareholding of Promoters

Shares held by promoters at the end of the year			% Change during the year
Promoter Name	No. of Shares	% of total shares	
President of India Through Secretary, Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce & Industry	4,89,99,998		
Shri Shalendra Singh, IAS, Additional Secretary, Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce & Industry	1	49%	NIL
Representative of President of India represented through Joint Secretary, Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry	1		
Total	<u>4,90,00,000</u>	<u>49%</u>	



National Industrial Corridor Development Corporation Limited
CIN: U45400DL2008PLC172316
Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2022

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 4: Reserves and surplus		
(a.) Capital reserves - Grant-in-aid received for: (Refer note 2.7)		
(i) Project development fund		
As per last balance sheet	68,020.27	63,520.27
Add: Grant-in-aid received during the year	5,000.00	4,500.00
	<u>73,020.27</u>	<u>68,020.27</u>
Add: Interest etc. earned on project development fund		
As per last balance sheet	3,225.78	3,133.52
Interest on term deposits and tax refunds during the year	125.41	92.26
(Less): Project development expenses, to the extent not recoverable		
As per last balance sheet	(4,035.14)	(3,798.71)
Diminution in value of investments in closed subsidiaries	-	(20.00)
Expenses incurred during the year	(10,474.05)	(216.43)
(Less): Tax impact on income earned on project development fund	(30.87)	(22.52)
	<u>61,831.40</u>	<u>67,489.39</u>
(ii) Project implementation fund		
As per last balance sheet (Refer note 4.1)	1,300.00	1,300.00
	<u>1,300.00</u>	<u>1,300.00</u>
(iii) Swachhta action plan		
As per last balance sheet*	0.00	-
Grant-in-aid received during the year	10.00	10.00
Add: Interest on term deposits during the year*	-	0.00
(Less): Expenditure incurred during the year	(10.00)	(10.00)
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
(iv) Equipment received as Grant-in-aid (Refer note 2.4.xvi and 38)	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Sub-total	<u>63,131.40</u>	<u>68,489.39</u>
(b) Surplus		
As per last balance sheet	4,682.03	3,407.98
Add: Diminution in value of investments in closed subsidiaries	-	20.00
Add: Profit for the year	602.21	1,239.60
(Less): Written down value of landscaping and horticulture work (Refer note 2.4.xiv and 38))	-	(6.55)
	<u>5,284.24</u>	<u>4,682.03</u>
Total	<u>68,385.64</u>	<u>73,150.42</u>

* Amount is less than ₹ 1,000/-

4.1 As per the approval of the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), an amount of ₹ 1300 lakhs was transferred to NICDC Limited by National Industrial Corridor Development and Implementation Trust Fund out of Main Corpus/ Capital Funds of the Trust during the financial year 2013-14 for onward release to SPV namely 'NICDC Neemrana Solar Power Limited towards 100% equity investment of the Trust through NICDC Limited for the implementation of 6 MW model solar power project. The upside from such investment will flow back to the Trust through NICDC Ltd.

(This space has been intentionally left blank)



National Industrial Corridor Development Corporation Limited
CIN: U45400DL2008PLC172318
Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2022

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 6 : Other long-term liabilities		
Amount payable towards land (Refer note 5.1)	491.71	546.35
Performance security	0.10	0.10
Total	491.81	546.45

5.1 Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited (RSIDCO) on 21st November, 2012 allotted 145692 sq.m. of land for the project site of subsidiary company at the concessional rate of ₹ 1,000/- per sq.m. Out of the total Development Charges (DC), 25% was paid upfront at the time of allotment of land and the balance amount is payable in 20 equal annual interest free instalments of ₹ 54.63 lakhs, with effect from 20th January, 2013.

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 8 : Long-term provisions		
Provision for employee benefits		
- Gratuity (Refer note 26)	71.25	54.03
- Leave Encashment (Refer note 26 for current year disclosures)	50.27	-
Total	121.52	54.03

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 7 : Trade payables		
Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises (Refer note 7.1)	32.42	122.66
Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	2,137.66	1,945.73
Total	2,170.08	2,068.39

7.1 Information pursuant to the provisions of Section 22 of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 is given below. This information has been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information available with the group.

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
a) The principal amount and interest due thereon remaining unpaid to any supplier covered under MSME Act at the end of the year		
- Principal	32.42	122.66
- Interest	-	-
b) The amount of interest paid by the Company in terms of section 16 of the MSME Act, 2006 alongwith the amount of the payment made to the suppliers beyond the appointed day during the year		
-	-	-
c) The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the MSME Act 2006		
-	-	-
d) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of the year; and		
-	-	-
e) The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the MSME Act 2006		
-	-	-



7.2 Trade Payables ageing

As at 31st March, 2022						(₹ in lakhs)
Particulars	Outstanding from due date of payment/ transaction*				Total	
	Less than 1 year	1-3 years	2-3 years	More than 3 years		
(i) MSME	32.42	-	-	-	32.42	
(ii) Others	1,018.68	896.85	197.86	24.48	2,137.87	
(a) Disputed dues- MSME	-	-	-	-	-	
(iv) Disputed dues- Others	-	-	-	-	-	
Total	1,051.10	896.85	197.86	24.48	2,170.30	

As at 31st March, 2021						(₹ in lakhs)
Particulars	Outstanding from due date of payment/ transaction*				Total	
	Less than 1 year	1-3 years	2-3 years	More than 3 years		
(i) MSME	122.68	-	-	-	122.68	
(ii) Others	1,441.21	253.61	180.26	70.65	1,945.73	
(a) Disputed dues- MSME	-	-	-	-	-	
(iv) Disputed dues- Others	-	-	-	-	-	
Total	1,563.89	253.61	180.26	70.65	2,068.41	

* The above ageing has been prepared by the management based on date of transactions, however, the amount has not fallen due for payment since the milestone of payment has not been achieved/ non-receipt of certificate for completion of work/ amount retained due to non-submission of performance security towards deferred liability period

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 2 : Other current liabilities		
Statutory liabilities (net of inter-company transactions)	134.61	238.59
Accrued expenses	13.81	20.60
Creditors for expenses	21.69	99.83
Employee related payable	49.02	4.75
Bid security	70.00	50.00
Current maturities of long-term liabilities (RICO Land) (refer note 5.1)	54.63	54.63
Other payable	0.00	0.30
Performance security	0.31	0.45
Total	344.10	489.34

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 3 : Short-term provisions		
Provision for employee benefits		
- Gratuity (Refer note 26)	6.52	3.79
- Leave encashment (Refer note 26 for current year disclosures)	5.04	1.82
Total	11.56	5.61
Other provisions		
- Provision for taxation (net of advance tax for previous year ₹ 605.92 lakhs)		13.57
Total	11.56	19.18

(This space has been intentionally left blank)



National Industrial Corridor Development Corporation Limited

CIR: UAS4000L2008PLC172315

Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2022

Note 19: Property, plant and equipment and intangible assets

Particulars	Gross block			Depreciation/Amortisation			Net block	
	As at 1st April 2021	Additions during the year	Salvage disposal adjustments during the year	As at 31st March 2022	For the year (refer note 10.1)	Salvage disposal adjustments during the year	As at 31st March 2022	As at 31st March 2021
Property, plant and equipment								
Land - Leasehold (Refer note 10.5)	1,561.69	-	-	1,561.69	15.05	-	1,576.74	1,454.81
Buildings								
a) Building other than RCC frame structure	421.71	0.19	-	421.90	7.13	-	429.03	74.16
b) Perching	69.53	-	-	69.53	0.61	-	70.14	0.19
c) Tubewell	10.52	-	-	10.52	0.46	-	10.98	0.87
Roads								
a) Carpeted - other than ROC	7.42	-	-	7.42	-	-	7.42	-
b) Non-carpeted roads	76.46	-	-	76.46	-	-	76.46	-
Plant and machinery								
a) Plant and machinery (General)	1,738.23	6.65	-	1,744.88	114.66	-	1,859.54	605.76
b) Sinter plant	137.30	0.65	-	137.95	9.35	-	147.30	102.95
c) Equipment received as grant-in-aid *	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
Furniture and fixtures	54.45	0.14	-	54.59	7.94	-	62.53	30.59
Office equipment	147.99	2.54	-	150.53	22.81	-	173.34	50.45
Electrical installations and equipment	13.81	-	-	13.81	2.18	-	15.99	8.59
Computer and data processing units	70.26	6.30	-	76.56	14.28	-	90.84	20.43
Leasehold improvements (Office Renovation)	155.72	-	-	155.72	12.22	-	167.94	97.22
Intangible assets								
Computer software	86.75	12.93	-	99.68	15.93	-	115.61	50.45
Current year's total	4,285.15	34.69	(71.15)	4,348.69	207.97	(71.15)	4,485.51	2,478.43
Previous year's total	3,412.43	(1.49)	(201.54)	3,209.40	215.43	(201.54)	3,213.29	2,478.43
Intangible assets								
Computer software	86.75	12.93	-	99.68	15.93	-	115.61	50.45
Current year's total	86.75	12.93	-	99.68	15.93	-	115.61	50.45
Previous year's total	86.75	12.93	-	99.68	15.93	-	115.61	50.45

* Amount is less than ₹ 1,000/-

10.1) Pursuant to "AS29- Impairment of Asset" issued by the Central Government under the Companies (Accounting Standards) Rule 2008 for determining impairment in carrying amount of property, plant and equipment is not less than its carrying amount. Therefore, no provision for impairment is required in respect of property, plant and equipment owned by the group.

10.2) During the year, the group has not revealed any of its property plant and equipment and intangible assets.



Particulars	Property, plant and equipment	Leasehold improvements (Office)
As at 31st March, 2021	12.23	12.23
Depreciation for the year	(0.73)	(0.73)
As at 31st March, 2022	11.50	11.50

10.4) The group does not hold any immovable property.

10.5) The fund has been allotted by Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited (RSIDCO) to the subsidiary company on lease for a period of 99 years starting from 21st November, 2012 for which the lease deed was executed on 06th August, 2014.

10.6) Capital work-in-progress

a) Capital work-in-progress schedule

Particulars	Opening Balance as on 31st March, 2021	Addition	Capitalised	Closing Balance as on 31st March, 2022
Plant Equipments				
Submersible Pump	0.19	-	0.19	-
CTPT	1.23	-	1.23	-
Control Cable	0.08	-	0.08	-
ABT Meter	4.60	-	4.60	-
Meter Box	0.37	-	0.37	-
Solar Module Panels	2.51	-	2.51	-
Total	9.98	-	9.98	-

Particulars	Opening Balance as on 31st March, 2020	Addition	Capitalised	Closing Balance as on 31st March, 2021
Plant Equipments				
Submersible Pump	-	0.19	-	0.19
CTPT	-	1.23	-	1.23
Control Cable	-	0.08	-	0.08
ABT Meter	-	4.60	-	4.60
Meter Box	-	0.37	-	0.37
Solar Module Panels	1.13	-	0.62	2.51
Total	1.13	6.07	0.62	7.82

b) Capital work-in-progress ageing

Particulars	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
Plant Equipments	-	-	-	-	-
Solar Module Panels	-	-	1.63	-	1.63
Total	-	-	1.63	-	1.63

Particulars	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
Plant Equipments	0.19	-	-	-	0.19
CTPT	1.23	-	-	-	1.23
Control Cable	0.08	-	-	-	0.08
ABT Meter	4.60	-	-	-	4.60
Meter Box	0.37	-	-	-	0.37
Solar Module Panels	-	-	2.51	-	2.51
Total	6.07	-	2.51	-	8.58

9) There are no projects in progress or project tentatively suspended included in capital work-in-progress above whose completion is overdue or has accumulated its cost compared to its original plan during the year 31st March, 2022 and 31st March, 2021, hence there is no requirement to disclose ageing in ageing has not been given.



National Industrial Corridor Development Corporation Limited
CIN: U45400DL2008PLC172316
Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2022

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 11: Deferred tax assets (net)		
Deferred tax assets:		
- Difference between depreciation/ amortisation as per account and as per tax	57.08	59.95
- Timing difference on account of expenses allowable on payment basis	39.25	18.67
Deferred tax liability		
Total	<u>88.13</u>	<u>78.62</u>
Deferred tax assets has been recognised during the current year, since it is capable of reversal in subsequent accounting periods.		
Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 12: Long-term loans and advances		
(Unsecured, considered good)		
Staff advance	0.35	-
Prepaid expenses	4.94	0.02
Total	<u>5.29</u>	<u>0.02</u>
Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 13: Other non-current assets		
(Unsecured, considered good)		
(a) Security Deposits	44.94	14.19
(b) Project development expenditure (PDE) against project development fund (Refer note 2.7.1)		
As per last balance sheet	10,814.90	10,358.56
Add: Expense incurred during the year (Net of bid processing fee of ₹ 30 lakhs (Previous year: ₹ 81.50 lakhs))	4,189.74	6,245.82
(Less): Transferred to subsidiary SPVs, being recoverable	15,094.64	18,602.40
(Loss): Transferred to project development funds, not being recoverable (Refer note 13.1 and 13.2)	(1,851.87)	(5,471.67)
	(10,474.05)	(216.43)
Sub-total	<u>2,969.87</u>	<u>10,814.98</u>
(c) Project development expenses recoverable from SPVs (Refer note, 2.7.1, 13.3 and 13.4)		
- Aurangabad Industrial Township Limited	21,405.10	20,262.02
- Cholewa Industrial City Development Limited	32,156.80	31,763.66
- NICDC Haryana Global City Project Ltd.	869.86	869.66
- NICDC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Limited	643.13	640.60
- DMIC Haryana MRTS Project Limited	687.98	687.98
- DMIC Vikram Udyogpur Limited	507.55	507.55
- DMIC Integrated Industrial Township Greater Noida Limited	675.09	680.63
- NICOT Krishnapatnam Industrial City Development Limited	942.73	942.73
Sub-total	<u>58,189.84</u>	<u>58,189.84</u>
Total	<u>61,153.40</u>	<u>67,432.14</u>

13.1 The project development expenditure (PDE) have been reviewed during the year and an amount of ₹ 9134 lakhs pertaining to the projects where there was no movement in project activities and also not expected to be carried forward in future, have been reduced from project development fund under "Capital Reserve" in accordance with the Accounting Policy no. 2.7.1.(b) with the approval of the Board of Directors in its 63rd meeting held on 12th April, 2022.

13.2 The project development expenditure during the year includes ₹ 650.87 lakhs incurred towards PM Gati Shakti-National Master Plan (NMP) duly authorized by DPHT and same has been reduced from the "Project Development Funds" balance under "Capital Reserve" as per accounting policy 2.7.1.(b).

13.3 National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) in its 3rd meeting held on 6th March, 2016 had directed the holding company to transfer the project development expenditure incurred by the holding company in relation to projects of the subsidiaries/ SPVs out of project development funds provided on Grant-in-aid to the respective subsidiaries/ SPVs and to defer its recovery till such time the SPVs would be able to generate sufficient surplus funds. The respective subsidiaries/ SPVs have not yet been able to generate sufficient surplus funds hence the amount is shown as recoverable from SPVs at the year end till they start generating surplus.

13.4 Movement of project development expenditure recoverable from SPVs

As at 31st March, 2022

SPV	Balance as at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)	Expenditure incurred during the year (₹ in lakhs)	Amount received/reversed during the year (₹ in lakhs)	Balance as at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
- Aurangabad Industrial Township Limited	20,262.02	1,143.08	-	21,405.10
- Cholewa Industrial City Development Limited	31,763.66	420.10	(45.18)	32,156.80
- NICDC Haryana Global City Project Ltd.	869.66	-	-	869.66
- NICDC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Limited	640.60	94.53	-	643.13
- DMIC Haryana MRTS Project Limited	687.98	-	-	687.98
- DMIC Vikram Udyogpur Limited	507.55	-	-	507.55
- DMIC Integrated Industrial Township Greater Noida Limited	680.63	(5.74)	-	675.09
- NICOT Krishnapatnam Industrial City Development Limited	942.73	-	-	942.73
Total	<u>58,189.84</u>	<u>1,851.97</u>	<u>(45.18)</u>	<u>58,189.84</u>



National Industrial Corridor Development Corporation Limited
CIN: U45400DL2006PLC172316
Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2022

As at 31st March, 2021

SPV	Balance as at 31st March, 2020 (₹ in lakhs)	Expenditure incurred during the year (₹ in lakhs)	Amount received/reverse d during the year (₹ in lakhs)	Balance as at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
- Aurangabad Industrial Township Limited	17,593.26	2,568.76	-	20,282.02
- Dholera Industrial City Development Limited	26,146.87	2,697.01	-	31,783.88
- Dholera International Airport Company Limited	8.00	-	(8.00)	-
- NIDCD Haryana Global City Project Ltd.	848.84	49.82	-	898.66
- NIDCD Haryana Multi Model Logistics Hub Project Limited	484.10	84.50	-	548.60
- DMIC Haryana MRTS Project Limited	887.13	0.85	-	887.98
- DMIC Vikram Udyogpuri Limited	507.55	-	-	507.55
- DMIC Integrated Industrial Township Greater Noida Limited	745.06	135.77	-	880.83
- NIDCD Krishnapuram Industrial City Development Limited	918.37	23.38	-	942.73
Total	51,028.88	5,471.07	(8.00)	65,802.85

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)

Note 14 : Trade receivables

(Unsecured, considered good)

Other receivables - India International Convention and Exhibition
Centre Limited - Enterprise over which NIDCD exercises significant
influence

132.50

226.06

Total

132.50

226.06

14.1 Trade Receivables ageing

Particulars	Outstanding from due date of payment / transactions					Total
	Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
As at 31st March, 2022						
(i) Unsecured Trade Receivables - considered good	132.50	-	-	-	-	132.50
(ii) Unsecured Trade Receivables - considered doubtful	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade Receivables - considered good	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables - considered doubtful	-	-	-	-	-	-
Total	132.50	-	-	-	-	132.50

The above ageing has been given based on the date of transactions. The amount has since been realized

Particulars	Outstanding from due date of payment / transactions					Total
	Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
As at 31st March, 2021						
(i) Unsecured Trade Receivables - considered good	226.06	-	-	-	-	226.06
(ii) Unsecured Trade Receivables - considered doubtful	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade Receivables - considered good	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables - considered doubtful	-	-	-	-	-	-
Total	226.06	-	-	-	-	226.06

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)

Note 15 : Cash and bank balances

Cash and cash equivalents	0.05	0.07
Cash on hand	-	-
Balance with banks in current accounts	2.28	2.23
- Project Development Fund	0.00	0.00
- Swachhata Action Plan*	4.16	1,216.25
- Group Fund	-	-
Balance with banks in term deposits (3 months & less)	2,282.28	789.25
- Project Development Fund	14,139.57	12,247.96
- Group Fund	-	-
Other bank balances	-	-
Balance with banks in term deposits (more than 3 months till 12 months)	587.00	864.62
- Project Development Fund	-	-
Total	17,005.28	19,247.85

* Amount less than ₹ 1000/-

There are no repatriation restrictions with regard to cash and cash equivalents at the end of reporting and previous year.



National Industrial Corridor Development Corporation Limited
CIN: U45400DL2008PLC172315
Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2022

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 16: Short-term loans and advances (Unsecured, considered good)		
Advance to vendors	12.50	2.78
Staff advance	0.12	0.51
Prepaid expenses	29.86	30.67
Recoverable on account of apportionment of overheads from India International Convention and Exhibition Centre Limited	9.36	8.83
Total	48.84	42.79

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 17: Other current assets		
Interest earned on term deposits (includes on account of PDF of ₹ 34.54 lakhs (previous year: ₹ 7.24 lakhs))	476.17	525.94
Income tax refundable (Refer note 25 (ii))	106.52	201.49
Income earned on sale of electricity (Unbilled revenues (net of rebate))	81.63	57.31
Security Deposits	0.18	-
GST input	11.79	0.88
Other recoverable	-	0.80
Advance tax (Net of provision for taxation of ₹ 271.25 lakhs)	110.90	-
Total	787.19	786.42

(This space has been intentionally left blank)



National Industrial Corridor Development Corporation Limited
CIN: U45400DL2008PLC172316
Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2022

Particulars	Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 18 : Revenue from operations		
a) Service fees as knowledge partner to (Refer note, 2.9) National Industrial Corridor Development and Implementation Trust India International Convention and Exhibition Centre Limited (IICC)	1,167.32 <u>500.00</u>	2,000.00 <u>500.00</u>
b) Sale of power* (75,74,054 kwh units (previous year: 70,05,060 kwh units) and other adjustments)	623.28	614.34
Total	<u><u>2,290.60</u></u>	<u><u>3,114.34</u></u>

* Includes an amount of unbilled revenue of ₹ 65.55 lakhs to NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited (6,80,400 Kwh @ ₹ 9.77 per unit) and M/S Toyota Gesel Mindia India Private Limited (1,27,710 Kwh @ ₹ 4.60 per unit) net off other adjustments of ₹ 3.90 lakhs.

Particulars	Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 19 : Other income		
Interest on term deposits on group funds	548.99	622.46
Insurance Claim	3.70	-
Interest on income tax refund	12.22	15.57
Apportionment of overheads from India International Convention and Exhibition Centre Limited (Refer note 10.1)	72.00	72.00
Scrap sale	0.67	1.67
Miscellaneous Income	10.23	0.36
Total	<u><u>647.81</u></u>	<u><u>712.06</u></u>

19.1 Overhead cost towards office premises and other administrative support provided by the company is recovered from the respective company on proportionate basis, as per past practise.

Particulars	Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 20 : Cost of material consumed		
Open Access Charges	22.43	-
Spares for solar	2.07	-
Freight expense*	0.02	0.00
Total	<u><u>24.52</u></u>	<u><u>0.00</u></u>

* Amount is less than ₹ 1,000/-

(This space has been intentionally left blank)



National Industrial Corridor Development Corporation Limited
CIN: U45400DL2008PLC172316
Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2022

Particulars	Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 21: Employee benefit expenses		
Salary, wages, gratuity, compensated absence, allowances etc.	823.80	536.78
Contribution to provident/ pension fund	66.94	37.23
Staff welfare expenses	47.19	22.17
Total	837.73	596.18

21.1 Amendment in HR Policy:

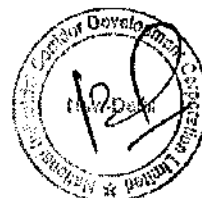
(a) The Board of Directors of the Holding company in its 60th meeting held on 10th August 2021, with the concurrence of DPIT, has approved the amendment in the HR Policy of the holding company on IDA Pay Pattern effective from 1st April, 2021, with respect to Pay and Allowances, the recruitment and promotion of employees as well as other related provisions broadly based on 3rd Pay Revision Committee (PRC) recommendations applicable to Central Public Sector Enterprises (CPSEs) and accordingly the same have been implemented during the year.

(b) Superannuation Benefits:

As part of Pay and allowances of the amended policy, superannuation benefits subject to a ceiling of 30% of Basic Pay and Dearness Allowance is payable to employees. However, in respect of the post superannuation medical benefits, the formation of Superannuation Trust is in process, and till then the liability towards employees' contribution calculated @3.19% amounting to ₹10.10 lakhs has been provided for as on 31st March 2022 and the same will be transferred to the trust, subsequent to its formation.

Particulars	Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 22: Depreciation and amortization expense		
Depreciation on property, plant and equipment	207.27	275.05
Amortization of intangible assets	15.63	13.61
Total	222.90	288.66

(This space has been intentionally left blank)



National Industrial Corridor Development Corporation Limited
CIN: U45400DL2008PLC172316
Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2022

Particulars	Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Note 23: Other expenses		
Rent (Refer note 23.1 and 30)	486.03	486.03
Payment to Auditors		
Audit fees	5.95	4.30
Certification fee	0.05	0.05
Arrears	1.65	-
Advertisement and business promotion	37.82	81.07
Corporate social responsibility expense (Refer note 31)	18.58	15.40
Deployment lead expenses	5.50	-
Electricity	9.47	10.01
Housekeeping	18.48	17.43
Security	9.00	8.58
Professional and consultancy	53.32	44.31
Meeting and refreshment	8.62	2.07
Repair and maintenance - office	38.54	38.57
Repair and maintenance - computers	20.04	26.86
Printing and stationery	23.86	19.20
Communication and postage	18.34	16.95
Travelling and conveyance	30.57	28.45
Insurance	10.83	5.93
Loss on sale of property, plant and equipment	0.73	181.34
Prior period expenses (Refer note 23.2)	0.75	2.53
Stipend	3.68	3.01
Property, plant & equipment written off	0.20	-
Miscellaneous expenses	39.64	26.23
Decommissioning and commissioning expenses of 1 MW plant	-	14.09
Commission on sale of assets	-	4.15
Water charges	1.24	0.86
Operation and maintenance expenses	14.50	46.57
Service charges on land	15.59	14.21
Rebate on sale of power	11.56	12.17
Renewable energy development charges	5.29	5.00
Total	889.53	1,115.65

23.1 Rent includes municipal taxes of ₹103.07 lakhs (previous year: ₹103.07 lakhs) paid to lessor in terms of lease agreement.

23.2 Details of prior period expenses are as under :

Particulars	Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Advertisement and business promotion	-	2.25
Communication and postage	-	0.11
Travelling and conveyance	-	0.18
Professional and consultancy	-	0.01
Deployment lead expenses	0.69	-
Books and Periodicals	0.08	-
Total	0.78	2.53

(This space has been intentionally left blank)



National Industrial Corridor Development Corporation Limited
CIN: U45400DL2008PLC172315
Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2022

24 Earnings per share

Basic earnings per equity share have been computed by dividing profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

Particulars	Year ended 31st March, 2022	Year ended 31st March, 2021
a. Profit after tax attributable to equity shareholders (₹ in lakhs)	602.21	1,238.80
b. Weighted average of number of equity shares used as denominator for calculating EPS (Nos.)	10,00,00,000	10,00,00,000
c. Basic/ Diluted Earnings per share (a/b) (₹)	0.60	1.24
d. Face value per equity share (₹)	10.00	10.00

25 Contingent Liabilities and Commitments (to the extent not provided for):

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
(i) Commitments Estimated amount of contracts remaining to be executed and not provided for: - consultancy contracts for project development activities - contracts on capital account	16,074.84	18,158.83 2.36
(ii) Contingent Liabilities - Claim against the group not acknowledged as debt - Guarantees issued by the bank on behalf of the group	-	-

(iii) Taxation matters- Income tax matters under appeal/ rectification

a) Income tax matters under appeal by holding company

Assessment Year	Refund claimed (₹ in lakhs)	Refund received as per order (₹ in lakhs)	Balance refund withheld (₹ in lakhs)	Reason for withheld	Status
2017-18	52.85	46.65	6.20	AO u/s 143(3) has disallowed certain expense of ₹ 17.13 lakhs vide order dated 25.12.2016	Appeal has been filed with CIT on 06.01.2020, date of hearing is awaited.
2018-19	49.72	32.25	17.47	AO u/s 143(3) has disallowed certain expense of ₹ 4.34 lakhs and made addition of income of ₹ 59.80 lakhs vide order dated 26.04.2021	Appeal has been filed with CIT on 13.05.2021, date of hearing is awaited
2019-20	97.50	69.14	28.36	TDS credit misstatement of ₹ 28.48 lakhs in the information received u/s 143(1) dated 23.10.2020	Grievance has been filed on the portal on 12.05.2022 and later the request letter has been filed with AO on 28.05.2022, redressal of same is awaited
Total			51.71		

b) Income tax matters under appeal by subsidiary company

Assessment Year	Refund claimed (₹ in lakhs)	Demand issued (₹ in lakhs)	Reason for demand issued	Last order passed	Status
2017-18	118.38	37.02	Disallowance of claim of foreign tax credit and others	u/s 143(3) dated 25th Dec 2019	Appeal filed u/s 246A with CIT(A) on 6th Jan 2020
2018-19*	0.00	100.10		u/s 143(1) dated 25th Jan 2021	Appeal filed u/s 246A against order u/s 143(1) with CIT(A) on 17th Feb 2021 and against order u/s 143(3) filed on 16th Sep 2021
2020-21*	0.00	10.18		u/s 143(1) dated 23rd Dec, 2021	Appeal filed u/s 246A against order u/s 143(1) with CIT(A) on 11th Jan, 2022.
Total		147.30			

* For AY 2018-19 and 2020-21, refund claimed amount is less than ₹ 1,000/-

The group is contesting these demands and the management, including its advisors are of the view that these demands may not be sustainable at the appellate level. The management believes that the ultimate outcome of these proceedings will not have any material adverse effect on the group's financial position and results of operations. The group does not expect any reimbursement in respect of these contingent liabilities, and it is not practicable to estimate the timing of cash outflows, if any, in respect of these matters, pending resolution of the appellate proceedings.

(This space has been intentionally left blank)



(iv) Legal Matters- The status of legal cases filed against the holding company with no financial implication as at 31st March, 2022 is as under:

Writ Petition No. & Date	Petitioners	Respondents	Subject Matter	Brief Details
50/22/2015	Subh Ram & Ors.	NICDC Ltd. & Ors.	Related to Land Acquisition in the State of Rajasthan.	Counter affidavit requesting the Court to delete the name of NICDC (Formerly known as DMICDC Ltd) from the array of parties has been filed with the Hon'ble High Court of Rajasthan, Jaipur Bench. The Petitioners have filed an application for amending the Writ Petition. The said application has been allowed by the Hon'ble High Court. The counter affidavit has been submitted by NICDC in respect of the amended Writ Petition also. An application requesting change of name of Company from DMICDC to NICDC has been filed before the Hon'ble Court on 08th September, 2020. The last date of hearing was 30th March, 2022 and the next date of hearing is 14th July 2022.
6843/2016	Irshad Mohd. Khan and Ors.	NICDC Ltd. & Ors.	Related to water pipeline laid down from Jayahwad Dam to Shendrak Industrial Park in Aurangabad.	An application has been filed before the Hon'ble High Court of Bombay, Aurangabad Bench on 18-01-2019 under Order 1 Rule 10 of Code of Civil Procedure, 1908 requesting the Court to delete the name of NICDC Ltd. (Formerly known as DMICDC Ltd) from the array of parties on the ground that the applicant is neither a proper party nor a necessary party to the Writ Petition. The last date of hearing was 14th March, 2022 and the next date of hearing is awaited.

26 Disclosures as per Accounting Standard 15 (Revised 2005) on "Employee Benefits":

a) General description of various defined employee schemes are as under:

(i) Defined contribution plan

• **Provident Fund (PF)** - The contribution towards the provident fund is deposited by the holding company with the Regional Provident Fund Commissioner. The amount, so paid, is charged to the consolidated statement of profit and loss. However, the provisions of Provident Fund Act, 1952 are not applicable to the subsidiary company as the number of employees employed does not exceeds the threshold limit of 20 or more.

• **National Pension Scheme (NPS)** - The holding company has introduced NPS for its employees during the year within the overall limit of Post Retirement Benefit Scheme. The amount, so paid, is charged to the consolidated statement of profit and loss.

• **Post Superannuation Medical Benefits (PSMB)** - The holding company has introduced PSMB for its employees and their eligible dependants during the year within the overall limit of Post Retirement Benefit Scheme. The amount, so paid, is charged to the consolidated statement of profit and loss.

Contribution to defined contribution plan, recognised as expense for the year is as under:

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Employee's contribution to provident fund	45.10	31.04
Employee's contribution to national pension scheme	31.38	-
Employee's contribution to post superannuation medical benefits	10.10	-

(ii) Defined benefit plans

• **Gratuity (unfunded):**

The group has a defined benefit gratuity plan for its employees. Under the gratuity plan, every employee who has rendered continuous service of at least five years is entitled for gratuity on departure of 15 days of last drawn salary (basic salary and dearness allowance of holding company and basic salary for subsidiary company) for each completed year of service subject to a prescribed maximum limit of ₹ 26 lakhs. The liability towards gratuity arises on superannuation, resignation, termination, disablement or death.

The group's obligation in respect of the gratuity plan is recognized based on actuarial valuation using the projected unit credit method.

• **Leave encashment (unfunded):**

As per the holding company's policy, the employees are entitled to 30 leaves for each calendar year, out of which maximum of 10 leaves can be encashed during the year itself and balance leaves can be carried forward subject to maximum of 300 days accumulated leaves which are encashable at the time of superannuation, resignation, termination, disablement or death. The Company's obligation in respect of leave encashment is recognized based on actuarial valuation using the projected unit credit method.

As per the subsidiary policy, the employees are entitled to encash the unavailed leave subject to specified limit during the year without carrying forward to the subsequent years. Accordingly, the subsidiary company's obligation towards leave encashment is calculated considering proportionate amount of Basic Salary for the number of unavailed leaves.

b) Other disclosures as required under AS-15 (Revised 2005) on Employee Benefits in respect of defined benefit plan are as under:

Gratuity (unfunded)

The following table summarizes the components of net benefit expense recognized in the consolidated statement of profit and loss, the unfunded status and amounts recognized in the consolidated balance sheet for defined benefit plan:

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Employee benefit expense recognized in the consolidated statement of profit and loss	14.68	10.74
Current service cost	-	-
Post service cost	4.04	3.16
Interest cost on benefit obligation	3.04	4.13
Net actuarial (gains)/loss recognized in the year	21.74	18.03
Employee benefit expense recognized in the consolidated statement of profit and loss		
Amount recognized in the consolidated balance sheet		
Present value of defined benefit obligation	77.77	57.82
Fair value of plan assets	77.77	57.82
Assets/(liability) recognized in the consolidated balance sheet		



Changes in the present value of the defined benefit obligation		
Defined benefit obligation at the beginning of the year	57.82	46.80
Current service cost	14.66	10.74
Past service cost	-	-
Interest cost	4.04	3.16
Benefits paid	(1.79)	(7.11)
Actuarial (gains)/losses on obligation	3.04	4.13
Defined benefit obligation at the end of the year	77.77	57.82
Breakup of the defined benefit obligation		
Non-current	71.25	54.01
Current	6.52	3.78
	<u>77.77</u>	<u>57.82</u>

The principal assumptions used in determining obligations:

Method used	Projected unit credit method	
Mortality table	IAM 2012-14	
Withdrawal rate upto 30/40 years/above 44 years(%)	8.00% p.a. for holding and 14.28% p.a. for subsidiary	8.00% p.a. for holding and 10.00% p.a. for subsidiary
Discount rate (%)	7.00% p.a. for holding and 6.75% p.a. for subsidiary	8.78% p.a. for holding and 8.50% p.a. for subsidiary
Salary growth rate (%)	8.00% p.a.	8.50% p.a.
Retirement age (No. of years)	60 years	60 years

Sensitivity analysis:

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Impact of the change in discount rate		
Present value of obligation at the end of the year	77.77	57.82
a) Impact due to increase of 1%	(5.19)	(4.27)
b) Impact due to decrease of 1%	5.92	4.90
Impact of the change in salary growth		
Present value of obligation at the end of the year	77.77	57.82
a) Impact due to increase of 1%	4.87	4.87
b) Impact due to decrease of 1%	(4.18)	(4.32)

Sensitivities due to mortality & withdrawals are not material hence impact of change due to these have not been calculated.

Leave Encashment (unvested):

The following tables summarise the components of net benefit expense recognized in the consolidated statement of profit and loss, the funded/unfunded status and amounts recognized in the consolidated balance sheet for defined benefit plans.

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Employee benefit expense recognized in the consolidated statement of profit and loss		
Current service cost	55.24	-
Past service cost	-	-
Interest cost on benefit obligation	-	-
Net actuarial (gain)/loss recognized in the year	-	-
Employee benefit expense recognized in the consolidated statement of profit and loss	55.24	-
Amount recognized in the consolidated balance sheet		
Present value of defined benefit obligation	55.24	-
Fair value of plan assets	-	-
Assets/(liability) recognized in the consolidated balance sheet	(55.24)	-
Changes in the present value of the defined benefit obligation		
Defined benefit obligation at the beginning of the year	-	-
Current service cost	55.24	-
Past service cost	-	-
Interest cost	-	-
Benefits paid	-	-
Actuarial (gains)/losses on obligation	-	-
Defined benefit obligation at the end of the year	55.24	-
Breakup of the defined benefit obligation		
Non-current	50.27	-
Current	4.97	-
	<u>55.24</u>	<u>-</u>

(This space has been intentionally left blank)



National Industrial Corridor Development Corporation Limited
CIN: U45400DL2006PLC172318
Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2022

The principal assumptions used in determining obligations:

Method used	Projected unit credit method
Mortality table	ILAM 2012-14
Withdrawal rate per annum (%)	8.00% p.a.
Discount rate (%)	7.00% p.a.
Salary growth rate (%)	6.00% p.a.
Retirement age (No. of years)	60 years

Sensitivity analysis:

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Impact of the change in discount rate		
Present value of obligation at the end of the year	55.24	-
a) Impact due to increase of 1%	(3.83)	-
b) Impact due to decrease of 1%	4.40	-
Impact of the change in salary growth		
Present value of obligation at the end of the year	55.24	-
a) Impact due to increase of 1%	4.40	-
b) Impact due to decrease of 1%	(3.89)	-

Sensitivities due to mortality & withdrawal are not material hence impact of change due to these have not been calculated.

Due to implementation of amended IFR policy, the actuarial valuation to determine the liability towards leave encashment has been carried out for the first time as at 31st March, 2022, hence previous year figures have not been given. Further, the above disclosure is in respect of holding company only.

27 Segment reporting

The group has identified two primary business segments viz. power generation and project development division. Segments have been identified and reported taking into account the nature of the services, the differing risks and returns, the organizational structure and internal business reporting system. Further, both the primary segments are operating in same geographical location within the country thus there is no secondary geographical segment.

- Revenue and expenses have been identified to a segment on the basis of relationship to operating activities of the segment.
- Segment assets and segment liabilities represent assets and liabilities of respective segment.
- Information about primary business segments are as under:

Particulars	Power generation (₹ in lakhs)	Project development (₹ in lakhs)	Total (₹ in lakhs)
Revenue			
External revenue	883.39	2,285.81	3,169.20
	(835.11)	(3,181.37)	(2,346.26)
Inter-segment revenue	Nil	17.55	17.55
	Nil	(23.01)	(23.01)
Total revenue	883.39	2,282.86	3,166.25
	(835.11)	(3,214.28)	(2,379.17)
Add: Allocable other income	Nil	Nil	Nil
	(Nil)	(Nil)	(Nil)
Segment revenue	883.39	2,282.86	3,166.25
	(835.11)	(3,214.28)	(2,379.17)
Segment result (before depreciation and amortization)	48.28	68.58	116.86
	(238.64)	(1,812.37)	(2,051.01)
Profit/(Loss) before tax	337.39	513.19	850.58
	(33.35)	(1,785.95)	(1,822.55)
Tax expenses	89.50	101.61	191.11
	(84.84)	(833.82)	(918.66)
Deferred tax expenses/(credit)	3.91	(28.50)	(24.59)
	(20.84)	(11.50)	(32.34)
Profit/(Loss) after tax	238.99	380.67	619.66
	(129.60)	(1,294.44)	(1,164.78)

Other information

Particulars	Power generation (₹ in lakhs)	Project development (₹ in lakhs)	Total (₹ in lakhs)
Segment assets	3,191.79	79,845.86	83,037.65
	(2,085.89)	(84,887.92)	(86,973.81)
Segment liabilities	580.83	2,601.47	3,182.30
	(674.00)	(2,626.52)	(3,300.52)
Capital expenditure	5.35	23.17	28.52
	(0.70)	(83.64)	(84.34)
Depreciation and amortization	148.73	74.15	222.88
	(202.76)	(86.41)	(289.17)
Non-cash expenses other than depreciation and amortization	9.10	78.28	87.38
	(182.65)	(18.34)	(201.00)

Note: Figures in bracket () represents previous year's figures

(This space has been intentionally left blank)



2a. Additional Regulatory Information

- i The group has not granted any loans or advances to promoters, directors, KMPs and the related parties that are repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment.
- ii No proceedings have been initiated or pending against the group for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988.
- iii The group has not been declared as a defaulter by any bank or financial institutions or other lenders.
- iv During the current year and the previous year, the group has not entered in any transactions with any company which has been struck off under section 248 of the Companies Act, 2013 and does not have investment in securities, receivable or payable from struck off companies. Further, shares of the company are not held by any struck off company.
- v The group has complied with the number of layers prescribed under clause 87 of section 2 of the Act read with Companies (Restriction on number of layers) Rules, 2017.

vi Ratios:-

Particulars	As at 31 March, 2022	As at 31 March, 2021	Variation	Reason (If variation is more than 20%)
Liquidity ratio (Times)				
Current ratio (Current assets divide by current liabilities)	7.13	6.37	11.81%	
Solvency ratios (Times)				
Debt-equity ratio (Long term debt divide by total equity)	0.03	0.04	13.55%	
Debt service coverage ratio (Profit for the year + finance costs + depreciation and amortization expenses divide by principle repayments of long term borrowings + finance costs)	-	-	-	
Profitability ratios (%)				
Net Profit Ratio (Profit for the year divide by revenue from operations)	26.41%	39.80%	-33.85%	a. Low revenue of Holding Company from Service fee due to less release of funds to project SPVs by NICDT b. Increase in Employee benefit expense due to amendment of HR Policy of Holding Company
Return on Equity Ratio (Profit for the year divide by average shareholder's equity)	0.75%	1.84%	-51.87%	
Return on Capital employed (Earning before interest and taxes divide by capital employed)	1.08%	2.16%	-50.45%	
Return on Investment (Profit before tax + Finance Cost) * (1-tax rate) divide by total assets)	0.76%	1.53%	-50.62%	
Utilisation ratios (Times)				
Trade Receivables turnover ratio (Revenue from operations divide by average trade receivables)	12.68	15.28	-16.82%	
Inventory turnover ratio (Revenue from operations divide by average inventory)	-	-	-	
Trade payables turnover ratio (Total purchases divide by average trade payables)	1.97	2.26	12.81%	
Net capital turnover ratio (Revenue from operations divide by working capital)	0.15	0.23	-35.05%	Low revenue of Holding Company from Service fee due to less release of funds to project SPVs by NICDT

- vii No scheme of arrangements has been approved by the competent authority in terms of Section 230 to 237 of the Companies Act, 2013 in respect of the group.
- viii The group is regular in disclosing income on timely basis and there is no undisclosed income assessed by tax officials. Further, the group does not have any transactions not recorded in the books of account that has been surrendered or disclosed as income in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961.
- ix The group has neither traded nor invested in crypto currency or virtual currency during the financial year.

(This space has been intentionally left blank)



28. Related party disclosures

In accordance with the requirements of accounting standard - 18 "Related party disclosure", the names of the related party where control/ability to exercise significant influence exists, along with the aggregate amounts of transactions and year end balances with them, as identified and certified by the management are given below:

I. List of related parties and nature of relationship where control exists

a. Enterprises having significant influence/control over the group
Japan Bank for International Co-operation (JBIC)

b. Affiliates/ Associates
Housing and Urban Development Corporation Limited

c. Key Management Personnel (KMP)

Shri Anilraj Jain, IAS, Nominee of Government of India (from 28th September 2021 till date) Chairman
Shri Shrikhar Aramane, Secretary (CPWT), Nominee of Government of India (from 11th June 2021 to 27th September 2021) Chairman

Shri Guruprasad Mohapatra, IAS, Nominee of Government of India (till 10th June 2021) Chairman
Shri Anvik Lal Meena (from 05th November 2021 till date) CEO and Managing Director

Shri K Sanjay Murthy (till 30th September 2021) CEO and Managing Director

Shri Rajendra Ratnoc, IAS, Nominee of Government of India Director

Shri Kazuhiko Goba, Nominee of Japan Bank for International Cooperation (JBIC) (from 11th August 2021 till date) Director

Shri Shalendra Singh, IAS, Nominee of Government of India (till 31st December 2021) Director

Shri Yutaka Isaki, Nominee of Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Director

Shri Toshiko Kurikara, Nominee of Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Director

Shri Musappa Nagaraj, Nominee of Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO) Director

Shri Radha Ray, Nominee of Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO) (from 18th April 2022 till date) Director

Dr. Subrahmanyan Durvasula, Nominee of Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO) (till 28th February 2022) Director

Shri P K Agarwal Chief Financial Officer

Shri Abhishek Chaudhary VP-Corporate Affairs, HR and Company Secretary

Sh. Ajay Sharma Director of subsidiary company

Sh. Srikant Kommu Director of subsidiary company

Sh. Surya Prakash Company secretary of subsidiary company

d. Enterprises over which KMP exercises significant influence

India International Convention and Exhibition Centre Ltd. (For the period 28th November 2020 to 13th December 2020, 30th June 2021 to 30th September 2021 and from 7th Dec, 2021 till date)

II. The following transactions were carried out with related parties in the ordinary course of business:

Particulars	Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Salary remuneration*		
Shri K Sanjay Murthy	22.00	56.83
Shri P K Agarwal	77.50	53.83
Shri Abhishek Chaudhary	78.87	52.89
Shri Surya Prakash	4.17	7.16
Laptop Advance		
Shri Abhishek Chaudhary	0.50	-
Apportionment of overheads		
India International Convention and Exhibition Centre Ltd.	72.00	72.00
Service fee		
India International Convention and Exhibition Centre Ltd.	508.00	500.00

* As the liability for gratuity and leave encashment are provided on actuarial basis for the holding company as a whole, hence the amounts accrued pertaining to key managerial personnel are not included above.

III. Balance outstanding with related parties at the year end

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
Trade receivables		
India International Convention and Exhibition Centre Ltd.	132.50	138.12
Short-term loans and advances		
India International Convention and Exhibition Centre Ltd.	8.36	8.63
Salary remuneration payable		
Shri K Sanjay Murthy	-	3.86
Laptop Advance Receivable		
Shri Abhishek Chaudhary	0.47	-

(This space has been intentionally left blank)



National Industrial Corridor Development Corporation Limited
CIN: U15400DL2006PLC173518
Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2022

30 Operating Lease

The holding company's significant leasing arrangements are in respect of operating lease relating to its leased office premises at 6th Floor, Jawan Bhatti Building, Connaught Place, New Delhi which has been taken on lease for an initial period of 10 years. The aggregate lease rent of ₹ 486.03 lakhs (Previous year: ₹ 486.03 lakhs) paid has been recognized in the consolidated statement of profit and loss and disclosed in note 23.

31 Corporate Social Responsibility (CSR)

As per section 135 of the Companies Act, 2013, Corporate Social Responsibility (CSR) committees have been constituted by the holding and subsidiary company. The amount of ₹ 16.50 lakhs (previous year: ₹ 14.92 lakhs) is payable towards CSR expenses based on average net profit (calculated as per section 198 of the Companies Act, 2013) of the preceding three financial years. The details of the amount spent/ pending to be spent during the year is as under:

Particulars	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)
I Gross amount required to be spent by the group		
Annual CSR allocation	16.50	14.92
Brought forward from previous year (including unpaid liabilities)	-	1.98
Gross amount required to be spent	<u>16.50</u>	<u>16.90</u>
II Amount spent during the year		
In cash	16.50	16.90
Yet to be paid in cash	<u>-</u>	<u>-</u>
III Purposes on which CSR expenses has been spent		
Contribution to Prime Minister's National Relief Fund (PMNRF)	16.50	14.92
Promotion of education through setting-up of computer lab with e-learning facility	-	1.00
Contribution to a NGO for setting up of digital science lab and language library	-	0.98
	<u>16.50</u>	<u>16.90</u>
IV Reconciliation of CSR expense		
Opening Shortfall(Surplus)	-	-
Add:- Amount required to be spent during the year	16.50	16.90
Less:- Amount spent during the year	<u>(16.50)</u>	<u>(16.90)</u>
Closing Shortfall(Surplus)	-	-
V No contribution to a trust controlled by the group has been made in relation to CSR expenditure, as per relevant accounting standard.	-	-
VI Provision made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, the movements in the provision during the year	-	-

32 In the opinion of the management, the value of assets other than property, plant and equipment, intangible assets and non current investments on realization in the ordinary course of business, will not be less than the value at which these are stated in the consolidated balance sheet. Further, the provision for all known liabilities have been adequately made in the books of accounts.

33 Balances appearing under trade receivables, loans & advances, trade payables and other parties etc. are subject to reconciliation/ confirmation. The impact, if any, subsequent to the confirmation/ reconciliation will be taken in the year of confirmation/ reconciliation, which in view of the management will not be material.

34 Department of Investment & Public Asset Management (DIPAM), Ministry of Finance, Government of India, vide OM No. 52/2016-Policy dated 27.05.2016 issued Guidelines on Capital Restructuring of Central Public Sector Enterprises (CPSE), as per which, every CPSE is required to pay a minimum annual dividend of 30% of PAT or 5% of the Net worth, whichever is higher subject to maximum dividend permitted under the extant legal provisions. The exemption to the holding company from above guidelines for the financial year 2017-18 and 2018-19 and to the subsidiary company for the financial years 2017-18 to 2019-20 has been accorded by DIPAM during earlier years.

The holding company for the financial year 2019-20 and 2020-21 has applied to DIPAM through Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) on 25th September 2020 and 8th November 2021 respectively and the subsidiary company for the financial year 2020-21 has applied on 8th November 2021 for obtaining the approval for exemption from payment of minimum dividend as per the above guidelines, which is awaited. Similarly, the group proposes to apply for obtaining the approval for exemption from the payment of minimum dividend for the FY 2021-22 and considering the exemption extended in the earlier years, the management is confident to obtain it for remaining previous years and the current year. hence, no provision towards payment of dividend has been made in the current financial year.

35 Impact of COVID-19 on the operations of the group

The group has considered the possible effects that may result from the Covid 19 pandemic on the carrying amounts of property, plant and equipment, receivables and other current assets. Based on the current indicators of future economic conditions and also considering the nature of its business, management estimates that the carrying amount of these assets will be recovered and sufficient liquidity is available to fund the business operations for at least another 12 months thus the operations of the group are not likely to be impacted adversely by COVID-19 pandemic.

36 In terms of article 16 of the Memorandum of Understanding (MOU) executed amongst New Energy and Industrial Technology Development Organisation (NEDO) of Japan, Government of Japan, Ministry of Finance, Government of India, Ministry of New and Renewable Energy, Government of India and the holding company, PV modules, PCSs with related equipment, control servers for micro grid control, telecommunication systems and other ancillary equipment's are provided by NEDO as grant-in-aid.

In terms of same article, during the implementation of project, the ownership of the equipments provided by NEDO shall belong to NEDO. Thereafter, on completion of the project and on transfer of ownership with all bonafide rights, these equipments are accounted at a nominal value of ₹ 1/- which is as accordance with the accounting standard-12 for Government Grants.

(This space has been intentionally left blank)



37 Power purchase agreements

The subsidiary company has executed the following power purchase agreements (PPAs) for sale of power:

(i) With NTPC Vidut Vidyut Nigam Limited (NVVN), New Delhi on 05.06.2015 for sale of solar power from 5 MW solar power plant for a period of 25 years at a tariff of ₹ 8.77/kwh.

(ii) With M/S Toyota Gosei Minda India Private Limited (TGMPL), a Company having their plant at Neemrana on 12.02.2020 for supply of power from 1MW solar power plant, for a period of 10 (Ten) years from the date of commencement of supply of solar power which may be extended for a further period of 10 (Ten) years as per mutual agreed terms and conditions. The Unit price of power supply shall remain fixed at ₹ 4.60 / kWh for a period of first 5 years from the date when the subsidiary company commences to supply solar power to TGMPL. The power supply rate shall be revised upward at the beginning of sixth year at mutual agreed terms and conditions.

With reference to the PPA signed with TGMPL for third party sale of solar power under Rajasthan Solar Energy Policy, 2019, the subsidiary company has registered itself with Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited (RRECL), Rajasthan state government nodal agency. As a result, there is change in the power evacuation scheme from direct supply to supply through state grid of Jaipur Vidyut Vitan Nigam Limited (JVVNL) to the power purchaser.

Due to the change in power evacuation scheme, the assets which were no longer in use have been disposed off by e-auction process through MSTC Limited, a Government of India enterprise under the control of Ministry of Steel, Government of India.

38 Change in accounting policy by subsidiary company

Due to change in accounting policy No. 2, 2016, in accordance with the observations of the Comptroller and Auditor General of India (CAG), the written down value of landscaping and horticulture works amounting to ₹ 6.66 lakhs as on 31st March, 2020 was charged off from Reserve and Surplus during previous year. Due to change in accounting policy, depreciation amount of ₹ 2.52 lakhs was not charged off from profit and loss of the previous financial year, as a result, the profit of the subsidiary company for the previous financial year was increased by ₹ 2.52 lakhs.

39 Additional information, as required under Schedule III to the Companies Act, 2013, of enterprises consolidated as subsidiary.

Name of the Company	Net assets, i.e. total assets minus total liabilities		Share in profit/loss	
	As % of consolidated net assets	Amount (₹ in lakhs)	As % of consolidated profit/loss	Amount (₹ in lakhs)
Parent National Industrial Corridor Development Corporation Limited	98.32	77,080.73	64.14	342.53
Wholly owned Indian subsidiary NICDC Neemrana Solar Power Limited	1.68	1,314.91	46.88	259.89

40 Previous year figures have been regrouped/rearranged, wherever considered necessary to correspond with the current year's figures.

As per our Report of even date attached
For S. P. Chopra & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 0003484

(Ankur Goyal)
Partner

(Membership No. 099143)

UDIN 22099143 AMLYFPA214

Place: New Delhi
Date: 8th July, 2022



For and on behalf of Board of Directors of
National Industrial Corridor Development Corporation Limited

(Anuraj Lal Meena)
CEO & Managing Director
(CIN: 00625193)

(P.K. Agarwal)
Chief Financial Officer

(Anuraj Lal Meena)
Director
(DIN: 02855304)

(Abhishek Choudhary)
VP - Corporate Affairs, HR
& Company Secretary

National Industrial Corridor Development Corporation Limited

FORM AOC-1

(Pursuant to first proviso to sub-section (3) of Section 129 read with rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014)
Statement containing salient features of the financial statements of subsidiaries, associate companies and joint ventures
as per the Companies Act, 2013

Part A : Subsidiaries

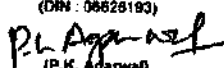
S.No.	Name of the Subsidiary	NICDC Neemrana Solar Power Limited
1	The date since when subsidiary was acquired	18th March, 2014
2	Reporting period for the subsidiary concerned, if any different from the holding company's reporting period	Same as that of the holding company
3	Reporting Currency	(₹ in lakhs)
4	Share Capital	1,300.00
5	Reserves & surplus	1,330.87
6	Total Assets	3,191.89
7	Total Liabilities	580.82
8	Investments	Nil
9	Turnover	623.28
10	Profit / (Loss) before taxation	337.40
11	Provision for taxation	88.41
12	Profit / (Loss) after taxation	238.99
13	Proposed Dividend	Nil
14	% of shareholding	100%

Part B: Associates / Joint Ventures

1.	Names of associates or joint ventures which are yet to commence operations	Nil
2.	Names of associates or joint ventures which have been liquidated or sold during the year	Nil

For and on behalf of Board of Directors of
National Industrial Corridor Development Corporation Limited


(Amrit Lal Mittani)
CEO & Managing Director
(DIN : 06828193)


(P.K. Agarwal)
Chief Financial Officer


(Rajendra Nathoo)
Director
(DIN : 02855304)


(Abhishek Chaudhary)
VP - Corporate Affairs, HR
& Company Secretary

Place: New Delhi

Date : 8th July, 2022



**NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR
DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED**

***(formerly Delhi Mumbai Industrial Corridor
Development Corporation Limited)***

CIN: U45400DL2008PLC172316
8th Floor, Tower-1, Jeevan Bharti Building, 124,
Connaught Place, New Delhi – 110001.
Tel No.: 011-23317884-8, Fax: 011-23317889

Website: www.nicdc.in
Email: contactus@nicdc.in